खण्ड-414, अंक-4
सोमवार, 17 माघ, शक संवत् 1916
(6 फरवरी, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1995)

खण्ड 414 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड की आन्दोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पर नियम 311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम चर्चा की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2–83
कार्यवाही आरम्भ होते ही नियम 311 की सूचना उठाये जाने का प्रयास ..	83
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 का प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यक) (पटल पर रखा गया)	83
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमि० का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, 1988-89 (पटल पर रखा गया) ...	84
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमि० का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1989-90। (पटल पर रखा गया) ...	84
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय अनुपूरक) नियमावली, 1994 (पटल पर रखा गया)	84
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1994 (पटल पर रखी गयी)	84–85
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 (पटल पर रखी गयी)	85
नेता सदन व नेता विरोधी दल में गुप्त समझौता होने के संबंध में जानकारी की मांग (जोरी)	85
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (बयालिसवां संशोधन) नियमावली 1994 (पटल पर रखी गयी)	85
विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 (दिनांक 21 फरवरी, 1994 से दिनांक 24 अप्रैल, 1994 तक) नियम 301 की सूचनाओं पर शुद्धिपत्र सहित कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया)	86
नेता सदन व नेता विरोधी दल में गुप्त समझौता होने संबंधी जानकारी की मांग ..	86–87

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 (दिनांक 19 अगस्त, 1994 से 24 अगस्त, 1994 तक) नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया)	87
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज में सेमरा शेखपुर पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामचन्द्र सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	87
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज में मनहना से तिवारी बाजार जाने वाले रास्ते के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामचन्द्र सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	88
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज तरबगंज रोड से सीसौ चौराहा से रामपुर टेगरहा से वजीरगंज जाने वाली रोड पर रामपुर टेगरहा घाट टेढ़ी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामचन्द्र सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	88
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में ग्राम सभा चौखड़िया नवाबगंज से ढेमवा मार्ग पर चौखड़िया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामचन्द्र सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	88
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	89–97
सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	96
भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के विधायकों के दलबदल की स्थिति की जानकारी	96–97
सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	97–98
दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ..	98
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित)	98
मद संख्या 13, 14 एवं 15 से संबंधित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की मांग ..	99
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	99

विषय	पृष्ठ संख्या
सीतापुर नगर के बीच स्थित ट्रान्सपोर्टनगर को स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99–100
आगरा नगर में व्याप्त गन्दगी विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
भू० पू० विधायक स्व० मंगरे सिंह के हत्याभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100–101
जनपद गोण्डा में यूरिया खाद का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजनाओं द्वारा लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101–102
ग्राम नगोरिया (कथलसारी) जिला अल्मोड़ा के अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
बांदा के चित्रकूट धाम कर्वी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुधार एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102–103
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	103–105
श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) के भतीजे की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना जारी	105–106
न्यायालय में लम्बित विषय पर चर्चा न कराये जाने से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न	106–107
श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा (बस्ती) के भतीजे की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	107–112
संसदीय कार्यमंत्री द्वारा जांच प्रभावित होने वाले कथन पर आपत्ति ..	112–116
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	116–117
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	117–118
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..	119–140

वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया) 140

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (पारित) .. 141

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 (पारित) .. 141–161

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) .. 161–164

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) .. 164–167

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 (पारित) 167–180

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 180–181

नत्थियां 182–275

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 6 फरवरी, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रघुराज प्रताप सिंह,	
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	उर्फ राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

(व्यवधान)

मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड की आन्दोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना पर नियम 311 के अन्तर्गत सर्वप्रथम चर्चा की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर काण्ड .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर के पश्चात (व्यवधान) अभी नहीं कृपया बैठें (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मुजफ्फरनगर काण्ड (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल खड़े हैं, आपको क्या कहना है ? (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

यहां पर प्रश्नकाल से पहले मुजफ्फरनगर काण्ड जिसमें पर्वतीय अंचल की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्यायें हुईं उस पर बाकी सारी कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाय (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् मुजफ्फरनगर काण्ड पर जो हमने नोटिस दिया है 311 में स्वीकार कर लें । उस काण्ड ने जलियांवाला बाग काण्ड को मात कर दिया है जो इस प्रकार के माथे पर घिनौना कलंक है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल होने दें । नत्थी (क) अल्पसूचित प्रश्न (व्यवधान)

(श्री राम विशुन आजाद, श्री गजराज सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री सूरवीर सिंह सजवाण आदि सदन के मध्य आ गये)

(जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

सदन को 12.20 बजे तक स्थगित किया जाता है ।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 1 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी ।)

सोमवार, दिनांक 6 फरवरी, 1995

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत प्रशिक्षित दाइयों के वेतन में संशोधन की मांग

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत प्रशिक्षित दाइयों को मात्र 50 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो इस निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई में इतना अल्पवेतन दिये जाने का क्या औचित्य है ? यह वेतन निर्धारण पहली बार कब हुआ था ? वेतन वृद्धि कितनी तथा कब से कर दी जायेगी ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी नहीं, दाइयों को दी जा रही 50/- रुपये की धनराशि वेतन के रूप में नहीं बल्कि मानदेय के रूप में दी जा रही है ।

मानदेय की उक्त धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित है ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ।

केन्द्रीय सहायता के पैटर्न पर उक्त दर वर्ष 1971 में निर्धारित की गयी थी ।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से उक्त मानदेय रु० 50 से बढ़ाकर रु० 300 प्रतिमाह किये जाने का अनुरोध किया गया है । भारत सरकार की स्वीकृति के अभाव में मानदेय की प्रश्नगत धनराशि को बढ़ाया जाना सम्भव नहीं हैं ।

प्रदेश में वेल्यू एडेड टैक्स वेट प्रणाली लागू करने की मांग

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र की प्रस्तावित "वेल्यू एडेड टैक्स वेट" प्रणाली पर अपनी सहमति व्यक्त की है ? यदि हां, तो उक्त से प्रदेश के उद्योगों पर किस प्रकार तथा क्या असर पड़ेगा ? यह कब से लागू होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वैल्यू-एडेड टैक्स (वेट) प्रणाली का अध्ययन केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जा रहा है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया जायेगा ।

उपर्युक्त के प्रकाश में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नोट :–प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बालक/बालिकाओं की अनवरत शिक्षा हेतु नई कार्य योजना की जानकारी

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बालक/बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने (ड्राप आउट) के कारण साक्षरता प्रसार में उत्पन्न बाधा को दूर करने हेतु किसी कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

विभाग द्वारा यह कार्य पहले से ही किया जा रहा है ।

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । इसी के साथ सरकार का यह भी प्रयास है कि विद्यालय में आने वाले छात्र/छात्रायें प्राथमिक शिक्षा अवश्य पूरी करें तथा बीच में पढ़ाई न छोड़े । इनके लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित कारगर कदम उठाये गये हैं :–

(क) मण्डलीय व जनपद स्तर पर नियमित व प्रभावी अनुश्रवण करना तथा पर्यवेक्षण व निरीक्षण द्वारा ड्राप आउट रोकना ।

(ख) विद्यालय में शैक्षिक परिवेश को उत्कृष्ट एवं रुचिकर बनाना ।

(ग) शिक्षण पद्धति को रुचिकर बनाना ।

(घ) अभिभावकों तथा ग्राम्य शिक्षा समितियों को छात्रों की उपस्थिति के लिये सक्रिय योगदान प्राप्त करना ।

(च) शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षकों का इस दिशा में भरपूर सहयोग प्राप्त करना ।

(छ) शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना ।

जी हां ।

प्राथमिक विद्यालय प्रभावित हुए थे ।

जी हां ।

प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था से शिक्षण कार्य संचालित है । प्रश्नगत नौ विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं जो अनियमित पाये जाने पर निरस्त कर दी गई हैं । सम्प्रति अस्थायी व्यवस्था से विद्यालय संचालित हैं । सामान्यतः अस्थाई व्यवस्था न किये जाने के निर्देश हैं । विशेष परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जा सकती है ।

जी हां ।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[सोमवार दिनांक 6 फरवरी, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री विश्वनाथ–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*2–श्री डी० पी० यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद ललितपुर में अध्यापक विहीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग

*3–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1993-94 में जो स्थानान्तरण किये गये हैं, वह ब्लैक बोर्ड आपरेशन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को हटा कर किये गये हैं ? यदि हां, तो जनपद ललितपुर में कितने विद्यालय उक्त स्थानान्तरणों से अध्यापक विहीन हो गये हैं ? क्या यह सत्य है कि इस योजना के अनुरूप स्थानान्तरण नहीं हुए हैं ? इस स्थानान्तरण से कितने विद्यालय उक्त जनपद के बन्द हैं ? अभी तक बन्द पड़े विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है ? क्या इन बन्द विद्यालयों में अस्थाई व्यवस्था में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा अस्थाई व्यवस्था न किये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

प्राथमिक विद्यालय प्रभावित हुए थे ।

जी हां ।

प्राथमिक विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था से शिक्षण कार्य संचालित है ।

प्रश्नगत नौ विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं जो अनियमित पाये जाने पर निरस्त कर दी गई हैं । सम्प्रति अस्थायी व्यवस्था से विद्यालय संचालित हैं ।

सामान्यतः अस्थाई व्यवस्था न किये जाने के निर्देश हैं । विशेष परिस्थितियों में स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जा सकती है ।

जी हां ।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में रेलवे लाइन के ऊपर से ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति की जानकारी

*4-श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले के मध्य से होकर पूर्व से पश्चिम-उत्तर लाइन व राष्ट्रीय सड़क शेरशाहसूरी मार्ग जाता है ? क्या इसके अतिरिक्त बहराइच–बांदा राज्य मार्ग उत्तर से दक्षिण जाती है तथा फतेहपुर में यह रेलवे लाइन को पार करती है ? क्या फतेहपुर जिले में रेलवे लाइन पर कोई ओवर ब्रिज मार्ग पर नहीं है, जिससे घंटों मार्ग अवरुद्ध रहता है तथा मार्ग दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फतेहपुर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । फाटक बन्द रहने पर मार्ग अवरुद्ध रहता है, परन्तु दुर्घटना होने की कोई सूचना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है ।

जनता इन्टर कालेज, मूंड़ाखेड़ा, जनपद मुरादाबाद में एल० टी० एवं प्रवक्ता वेतनमानों के अध्यापकों में आरक्षण कोटा की जानकारी

*5-श्री राम प्रकाश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज, मूंड़ाखेड़ा, जनपद मुरादाबाद में एल० टी० तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में अध्यापकों में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो सामान्य, अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के कितने-कितने अध्यापक हैं ? क्या वर्ष 93-94 में किसी पिछड़ी जाति के अध्यापक का इस्तीफा दबाववश लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त कृत्य के संदर्भ में कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत् है :–

	सामान्य	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
प्रवक्ता वेतन क्रम (4 पद)	3 (सीधी भर्ती–2) (प्रोन्नति–1)	1 (सीधी भर्ती)	—
एल० टी० वेतनक्रम (11 पद)	6 (सीधी भर्ती–3) (प्रोन्नति–3)	1 (सीधी भर्ती)	1 (सीधी भर्ती)

तीन पद रिक्त हैं जिनमें से 2 पद अनुसूचित जाति एवं 1 पद पिछड़ी जाति हेतु आरक्षित हैं ।

जी नही, पिछड़ी जाति के एक अध्यापक के त्याग-पत्र में उस समय की परिस्थितियों में विद्यालय में रहने में असमर्थता व्यक्त की है जिसे स्वीकार किया गया है।

अध्यापक के विरुद्ध छात्राओं की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी पुष्टि जांच आख्या में हुई है, अतः प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स रवी इलेक्ट्रिक वर्क्स, खेराड़ी, सहादतगंज, लखनऊ के बिलों के भुगतान की मांग

*6–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हृदय नारायण, स० वि० स० का पत्र दिनांक 8-9-94 उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें मंत्री जी ने मे० रवी इलेक्ट्रिक वर्क्स, खेराही, सहादतगंज, लखनऊ के बिलों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म का भुगतान इन्हें करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों। क्या सरकार उपरोक्त भुगतान में हुए विलम्ब के लिये दोषियों को दण्डित करने एवं फर्म को अविलम्ब भुगतान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत संदर्भित पत्र दिनांक 8-9-94 प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु माननीय सदस्य का 5-9-94 का हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत बिलों पर भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया की बैरिया तहसील के भवन निर्माण में अनियमितता की शिकायत

*7–श्री मुक्तिनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये दूसरे सत्र, 1994 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–76 जो कि राजकीय निर्माण निगम, जनपद बलिया द्वारा बैरिया तहसील बनवायी जा रही है, के संबंध में है शासन द्वारा बताया गया है कि इसकी जांच तकनीकी सम्परीक्षक प्रकोष्ठ से कराने के आदेश दिये गये हैं ? क्या यह सच है कि उक्त तहसील का निर्माण श्री आर० सी० श्रीवास्तव, परियोजना प्रबन्धक की देखरेख में कराया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त तहसील की दीवार दो बार गिर चुकी है, जिसके संबंध में उत्तर में कहा गया है कि आंधी के कारण यह गिरी है ? क्या यह सही है कि मानक के अनुसार सीमेन्ट आदि नहीं लगवाया गया है जिससे दीवार गिरी ? क्या सरकार श्री श्रीवास्तव को हटाकर जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

जी हां।

जी हां। जांच में दीवार के निर्माण में मानक के अनुसार सीमेन्ट आदि सामग्री लगवायी गयी पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी

*8–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय तथा निर्देश न्यायाधीशों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में वर्ष 1991 में दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

निर्णय के मुख्य बिन्दु और उनके क्रियान्वयन के संबंध में सुविधा हेतु प्रस्तरवार सूचना :—

निर्णय के मुख्य बिन्दु	निर्णय का क्रियान्वयन
1–अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन।	इस संबंध में वांछित कार्यवाही केवल केन्द्र सरकार से सम्बद्ध है।
2–न्यायिक अधिकारियों के पद नामों में एकरूपता लायी जाय।	इस संबंध में अध्यादेश निर्गत हो गया है।
3–न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।	आदेश निर्गत हो चुके हैं।
4–वेतन आयोग के गठन होने पर न्यायिक अधिकारियों को उपर्युक्त वेतनमान दिया जाय।	वेतन आयोग के गठन पर यथा समय शासन द्वारा संदर्भित किया जायेगा।

आदेश निर्गत हो चुके है। आवासीय कार्यालय भत्ता 300 रु० उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों और 250 रु० उ० प्र० न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को दिया जा चुका है। अतिथि सत्कार भत्ता जिला जज को मासिक 300 रु० तथा मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को रु० 200 दिये जाने हेतु आदेश पारित हो चुके हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के संकलित सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है तथा केवल 24 जनपदों से वांछित आंकड़े आये हैं जिनके अनुसार 38 न्यायिक अधिकारी राजकीय आवास में नहीं रह रहे हैं। इस प्रकार भवनों की कमी है जिसके संबंध में राज्य सरकार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को राजकीय आवास उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। वाहन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

इस संबंध में शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन क्रय करने हेतु अग्रिम देने का निर्णय लिया गया है तथा दो पहिया वाहन के लिये 200 रु० प्रतिमाह और कार के लिये 500 रु० प्रतिमाह भत्ता अनुमन्य कराया है । सरकारी वाहन की अनुपलब्धता तथा वाहन भत्ता अनुमन्य न होने वाले अधिकारी के विषय में सरकार विचार कर रही है । प्रशिक्षण की स्थापना कर दी गयी है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संशोधन संबंधी प्रक्रिया को अन्तिम रूप नियुक्ति–4 द्वारा दिया जा रहा है ।

*9–श्री मोहर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के अधिकारों में वृद्धि करने के प्रस्ताव की जानकारी

*10–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के अधिकारों में वृद्धि करने का शासन का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में प्रबन्ध समितियों के पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार हैं । अतः वर्तमान में प्रबन्ध समिति के अधिकारों में कोई वृद्धि किये जाने का औचित्य नहीं है ।

*11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[7वे बुध में ता० प्र० सं०-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमि० की सिसवा बाजार इकाई में नये प्लान्ट लगाये जाने हेतु प्रस्ताव की जानकारी

*12–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई सिसवा बाजार की जर्जर चीनी मिल के स्थान पर वर्ष 1990-91 में 2500 टन क्षमता के नये प्लांट की स्थापना निगम मुख्यालय के निदेशक (शर्करा) की देख-रेख में की गयी है, परन्तु आज तक उक्त क्षमता वाले प्लांट पर पेराई निरन्तर एक सप्ताह कभी भी नहीं हुई जिसकी तकनीकी ट्रायल मे० टैक्स मैको, कलकत्ता द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त में 2500 टन की पेराई क्षमता न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिसवा बाजार चीनी मिल का विस्तारीकरण 2500 टी० सी० टी० प्रतिदिन क्षमता के लिये किया गया है। यह कार्य निगम मुख्यालय तथा सिसवा बाजार के अधिकारियों की देख-रेख में कराया गया था जिसमें निदेशक (शर्करा) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य देख रहे थे।

नये प्लान्ट की प्रतिदिन औसत शुद्ध पेराई दर वर्तमान पेराई सत्र में लगभग 2500–2600 टन प्रतिदिन है।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन न मिलने की शिकायत

*13–श्री शिवेन्द्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पेंशन जो गत 4 माह से अनुदान के अभाव में उपलब्ध नहीं है और सेवा निवृत्त अध्यापक भुखमरी के कगार पर हैं, को पेंशन सरकार अविलम्ब उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

पेंशन भुगतान हेतु पेंशन पेमेन्ट आर्डर निर्गत कर दिये गये हैं।

कोषागार से भुगतान हेतु पेंशन पेमेन्ट आर्डर निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों की बकाया धनराशि

*14–श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का कितना रुपया सरकार व सहकारी व निजी चीनी मिलों पर बकाया है ? इसका भुगतान मंत्री जी कब तक करा देंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 15-1-95 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल गन्ना मूल्य 1003.26 करोड़ रुपये देय था जिसके विरुद्ध 800.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो समस्त गन्ना मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत है। केवल 202.59 करोड़ रुपये भुगतान हेतु अवशेष है जिसका विवरण निम्नवत है :—

(धनराशि करोड़ रुपये में)

	देय	भुगतान	अवशेष	अवशेष का प्रतिशत
1–निजी क्षेत्र की चीनी मिलें	582.97	482.77	100.20	17.19
2–सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें	243.99	193.84	50.15	20.55
3–राज्य चीनी निगम की चीनी मिलें	161.15	115.65	45.50	28.23
4–भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन चीनी मिलें	15.15	8.41	6.74	49.49
योग ..–	1003.26	800.67	202.59	20.19

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया में है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों द्वारा उल्लंघन किये जाने की शिकायत

*15–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" कब से प्रभावी है और विश्वविद्यालयों में इसके उल्लंघन किये जाने पर इस अधिनियम के अनुपालन हेतु धारा 4(1) के अनुसार "नियुक्ति प्राधिकारी" किसे एवं कब नियुक्त (प्राधिकृत) किया गया है ? क्या इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में उक्त अधिनियम को जानबूझकर असफल बनाने हेतु उल्लंघन किये जाने के संबंध में 30-12-94 को प्रश्नकर्ता एवं श्री जंगबहादुर पटेल, अध्यक्ष, उ० प्र० बहुजन समाज पार्टी का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि सूचना नहीं प्राप्त हुई है, तो क्या स्वयं जांच कराकर अवैध नियुक्तियों को निरस्त कराने व दोषी लोगों को दण्डित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली–

11 दिसम्बर, 1993 से ।

विश्वविद्यालयों में नियुक्ति हेतु वहां की कार्य परिषद् "नियुक्ति प्राधिकारी" है ।

शासकीय अधिसूचना दिनांक 29-3-94 द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को प्रश्नगत अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

जी हां ।

तथाकथित अनियमितताओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु श्री कुलाधिपति से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जयभारत इण्टर कालेज, छपार, मुजफ्फरनगर की प्रबन्ध समिति एवं सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विरुद्ध कतिपय शिकायत

1–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय भारत इण्टर कालेज, छपार, जनपद मुजफ्फरनगर की प्रबन्ध समिति द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उक्त स्थल पर चल रहा है ? क्या उसने मान्यता प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो छात्र-छात्राओं से प्रतिमाह अवैध धन की वसूली क्यों की जाती है ? क्या उक्त में सहशिक्षा (छात्र-छात्राओं) को कक्षा 10 तक प्रवेश बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुछ को प्रवेश क्यों दिया

गया? क्या पढ़ने को इच्छुक गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य जाति के छात्रों को शासन प्रवेश दिलाये जाने के लिये प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलग प्रांगण में स्थित है तथा हाईस्कूल स्तर तक साहित्यिक वर्ग में मान्यता प्राप्त है ।

छात्रों से अवैध धन की वसूली करने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ ।

सुमित्रा देवी महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहशिक्षा की व्यवस्था नहीं है । जयभारत इण्टर कालेज, छपार, में कक्षा–9 से कक्षा–12 में सहशिक्षा की व्यवस्था है । प्रवेश हेतु किसी जाति विशेष के लिये प्रतिबन्ध नहीं है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा जे० बी० इण्टर कालेज, गड़वार, बलिया के कार्यवाहक प्राचार्य के हस्ताक्षर को प्रमाणित करने का मामला

2–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० बी० इंटर कालेज, गड़वार, बलिया में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची क्या है ? क्या कालेज की प्रबन्ध समिति ने 29-6-93 को एक प्रस्ताव द्वारा एक वरिष्ठ प्रवक्ता को कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा अभी तक कार्यवाहक प्राचार्य के हस्ताक्षर को प्रमाणित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाकिर अली–

प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची मा० शिक्षा मंत्री जी के पक्ष में उपलब्ध है । जी हां, प्रबन्ध समिति द्वारा श्री राम सागर सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और उनका हस्ताक्षर प्रमाणित कराने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु प्रबन्धक को अधिकृत किया गया । जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा दिनांक 15-7-1994 को हस्ताक्षर प्रमाणित किया जा चुका है ।

श्री विश्वनाथ सिंह, शिविर सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय सिद्धार्थनगर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायत

3–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह, शिविर सहायक, कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर के विरुद्ध लिखित शिकायती प्रार्थना-पत्र जो मुख्य मंत्री, उ० प्र० को पंजीकृत डाक सं०–0825, द्वारा दिनांक 24-3-95 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? तब से अब तक उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र शासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हुए ? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के विरुद्ध समस्त शिकायती-पत्रों के आधार पर कोई उच्च स्तरीय

संयुक्त समिति द्वारा जांच करवा कर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

मा० मुख्य मंत्री जी को भेजा पत्र प्राप्त हुआ था, जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कुल 6 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं । संबंधित कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा उक्त शिकायती-पत्रों पर जांच करायी जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ जनपद मुरादाबाद के नार्मल स्कूल में शिक्षा भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की मांग

4–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, जनपद मुरादाबाद का नार्मल स्कूल में शिक्षा भवन बनवाने का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी, मुरादाबाद को अब से विगत दो वर्ष की अवधि में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिक्षा भवन का निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ मुरादाबाद का पत्र जिलाधिकारी को दिनांक 10-1-94 को भेजा गया था । इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

प्रस्ताव प्राप्त न हो तथा इस हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

श्री आशलदेव उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर सुल्तानपुर की स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा की गयी आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही

5–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आशलदेव उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, पीपरपुर, सुल्तानपुर की स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा कार्यालय, सुल्तानपुर की वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 की आडिट रिपोर्ट की आपत्ति संख्या–12 क्या है ? क्या सरकार ने उक्त आडिट रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अब तक की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नगत विद्यालय की संदर्भित आडिट आख्या में आपत्ति संख्या–12 का कोई उल्लेख नहीं है । आडिट रिपोर्ट प्राप्त कर अनुपालन हेतु प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर दिया गया है । अतः आडिट आख्या सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

ए० के० जी० इण्टर कालेज जलालपुर धना मुरादाबाद में घोर वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री सतीश चन्द्र शर्मा ग्राम नया गांव मो० खासपुर जिला मुरादाबाद का शिकायती-पत्र

6–श्री समरपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ए० के० जी० इण्टर कालेज, जलालपुर धना में घोर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में श्री सतीश चन्द्र शर्मा, ग्राम

नया गांव, पोस्ट खासपुर, जिला मुरादाबाद ने राजस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 9-2-1993 को कोई शिकायत श्री राधेश्याम कौशिक, तत्कालीन मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को की है ? यदि हां, तो उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

मण्डलायुक्त को शिकायती-पत्र भेजने की जानकारी नहीं है । परन्तु मंडलायुक्त को सम्बोधित कथित शिकायती-पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है । शिकायत-पत्र पर जांच सह जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद द्वारा की की गई ।

उक्त जांच आख्या मंडलायुक्त मुरादाबाद एवं मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मुरादाबाद को उपलब्ध करा दी गई है । कार्यवाही पूर्ण होने पर पूर्ण विवरण से सदन को अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री अकूर जी कन्या पाठशाला इन्टर कालेज चन्दौसी जिला मुरादाबाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती मीना कुमारी के वेतन बकाये के भुगतान की मांग

7–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अकूर जी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, चन्दौसी (मुरादाबाद) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान पर श्रीमती मीना कुमारी बेवा श्री राजाराम की नियुक्ति 13-1-92 से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी उपस्थिति 13-1-92 से नियमित हो रही है ? यदि हां, तो उनको 13-1-92 से 3-5-93 तक का वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विधवा/बेसहारा महिला की 16 माह की सेवा का अनियमित तरीके से रोका गया वेतन उक्त कर्मी को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अनुपात में असमानता की शिकायत

8–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितनी बेसिक पाठशालायें हैं ? इन बेसिक पाठशालाओं में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? जनपद में कितने ऐसे विद्यालय हैं जो अध्यापकों की कमी के कारण बन्द पड़े हैं ? क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों में जो सुविधाजनक स्थान है वहां अध्यापकों की भरमार है जबकि दूरदराज के विद्यालयों में एक अध्यापक नियुक्ति भी बड़ी मुश्किल से की जाती है ? इस असमानता का क्या कारण है ? क्या छात्र संख्या के आधार पर सरकार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ?

श्री शाकिर अली–

बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या–1112 है ।

2064 अध्यापक कार्यरत हैं ।

शून्य ।

जनपद के सुविधाजनक स्थानों पर संचालित विद्यालयों में छात्र अधिक होने के कारण मानक के अनुसार ही अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है तथा दूर दराज के विद्यालयों में भी आवश्यकतानुसार शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है ।

जी हां ।

सीतापुर के सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक श्री मनमोहन लाल सक्सेना के जी० पी० एफ० के भुगतान के संबंध में जानकारी

9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मनमोहन लाल सक्सेना, सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक, सीतापुर को रिटायरमेन्ट के बाद अभी तक प्राविडेन्ट फण्ड का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री मनमोहन लाल सक्सेना मूलरूप से समिति-वेतन भोगी कर्मचारी थे जिनका समायोजन राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर किया गया और दिनांक 30-6-90 को राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर श्री सक्सेना ने कार्यभार ग्रहण किया । सी० पी० एफ० में श्री सक्सेना द्वारा दिये गये अंशदान को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराकर राजकीय सेवकों को अनुमन्य प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान नियमानुसार करा दिया जायेगा ।

कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय कर्मचारी संघ कानपुर द्वारा दिये गये ज्ञापन के संबंध में कृत कार्यवाही

10–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 अप्रैल, 1993 को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय कर्मचारी संघ, कानपुर द्वारा प्रदर्शन/धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को मांग-पत्र हस्तगत कराया गया, तत्पश्चात् 16 मई, 1994 को मुख्य मंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री तथा सचिव एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित, 19 सूत्री मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मांग-पत्र में उल्लिखित किन-किन मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

जी हां । शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को प्राप्त हुआ है ।

मांग-पत्र (प्रति संलग्न) के बिन्दु–1, 10 व 14 पर अंकित सुविधायें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं । बिन्दु–5 पर उल्लिखित वरिष्ठ लिपिक को 1200-2040 की राजाज्ञा निर्गत हो गयी है एवं सीनियर लैब सहायक को दिनांक 7-11-94 से उच्चीकृत वेतनमान 1200-2040 अनुमन्य कर दिया गया है । बिन्दु–18 पर अंकित मांग के संबंध में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–60 (ख) में यथा समय भुगतान का प्राविधान है । बिन्दु–4 पर कार्यवाही प्रबंन्ध-तंत्र द्वारा की जानी है । मांग संख्या–3, 7, 8 व 19 विचाराधीन है । मांग 9 व 12 के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

मांग संख्या–11, 13, 16 व 17 सम्प्रति नई मांगें हैं जिसका परीक्षण शिक्षा निदेशक के स्तर पर किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 182-183 पर)

शिक्षा विभाग में वर्गवार पदों/कर्मचारियों की संख्या की मांग

11–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें से सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या सरकार द्वारा कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय महाविद्यालयों तथा राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी में कुल 2993 पद सृजित हैं । उसमें से सामान्य श्रेणी, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के क्रमशः 1732, 372 तथा 376 लोग कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में विकास खण्डवार लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित धन एवं खर्च के विवरण की जानकारी

12–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में 1993 से 1994 तक सरकार से लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी को कितना धन शासन द्वारा आवंटित हुआ ? प्रत्येक विकास खण्डवार, कितना धन सड़कों के निर्माण में खर्च किया गया ? क्या सरकार प्रत्येक विकास खण्डवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1993 में 375.30 लाख व वर्ष 1994 में 1507.70 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ ।

व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 184-185 पर)

हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कानपुर में फिजिकल डाइरेक्टर के पद को समाप्त करने की मांग

13–श्री इन्द्र देव सिंह (बिजनौर)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में एक पद फिजीकल डाइरेक्टर का सृजित है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त पद पर श्री इरशाद अली कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त कालेज में विगत 5 वर्षों से कोई खेलकूद आयोजित नहीं किया गया है ? क्या खेलकूद की मद में छात्र/छात्राओं से पैसा वसूला गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय, जिसमें फिजीकल डाइरेक्टर के पद का कोई औचित्य नहीं है, को समाप्त करने पर कोई विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं । फिजीकल डायरेक्टर का नहीं बल्कि बी० एड० विभाग हेतु शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का एक पद वर्ष 1975 में सृजित किया गया था जो कालान्तर में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदनाम में परिवर्तित हो गया है ।

वर्ष 1975 में सृजित शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक/प्रवक्ता के पद पर श्री इरशाद अली कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही खेलकूद के मद में छात्र/छात्राओं से वसूला जाता है और महाविद्यालय के खाते में जमा किया जाता है । अतः इसे वापस करने का प्रश्न नहीं उठता । फिजीकल डायरेक्टर का कोई पद वर्तमान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छात्र/छात्राओं को खेलकूद आदि की समुचित व्यवस्था, देखरेख एवं सुसंचालन के लिये प्रवक्ता फिजीकल एजूकेशन का पद होना आवश्यक/औचित्यपूर्ण है । अतः स्वीकृत पद को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग में वर्गवार पदों का विवरण एवं आरक्षण की कार्यवाही

14–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न पूरा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नव सृजित जनपद गाजियाबाद में जनपद मेरठ व बुलन्दशहर से आये प्राथमिक शिक्षकों के भविष्य निधि का मामला

15–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1976 में नवसृजित जनपद गाजियाबाद में जनपद मेरठ व जनपद बुलन्दशहर से आये प्राथमिक शिक्षकों का भविष्य निधि का धन (अपने पूर्ववर्ती जनपदों से) गाजियाबाद जनपद को स्थानान्तरित हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त धन स्थानान्तरित होगा ?

श्री शाकिर अली–

जनपद बुलन्दशहर से जनपद गाजियाबाद को स्थानान्तरित होकर आये समस्त अध्यापकों की जी०पी०एफ० धनराशि का स्थानान्तरण हो गया है । जनपद मेरठ से स्थानान्तरित होकर आये 725 शिक्षकों के जी०पी०एफ० धनराशि का स्थानान्तरण हो गया है शेष 918 शिक्षकों की जी०पी०एफ० धनराशि के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

मेरठ के शेष 918 अध्यापकों का धन इसी वित्तीय वर्ष 94-95 में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिबन्ध के बाद भी चतुर्थ श्रेणी पद पर की गयी नियुक्तियों की शिकायत

16–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी गढ़वाल ने वर्ष 91 से 94 तक कितने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की हैं ? रा०उ०मा-वि० जारवाल भरदार में जनवरी, 94 के प्रथम सप्ताह में क्या स्थानीय व्यक्ति की चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो एक सप्ताह बाद उसे क्यों हटाया गया था ? क्या कारण है कि तत्काल दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गयी है ? ऐसी अवैधानिक नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने कितनी की है ? क्या इस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है । वर्ष 91 से 94 के मध्य की गयी नियमित नियुक्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है ।

प्रधानाध्यापक द्वारा बिना जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी की अनुमति से नियुक्ति की गयी ।

नियुक्ति अनियमित थी ।

एक व्यक्ति की 89 दिन के लिए नियुक्ति की गयी थी जो स्वतः उक्त अवधि के पश्चात् समाप्त हो गयी है । इस संबंध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार कोई अवैधानिक नियुक्ति नहीं की गयी है । तथापि प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन एवं भविष्य निधि के तत्काल भुगतान संबंधी सरकारी नीति की जानकारी

17–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेंशन व भविष्य निधि आदि के तत्काल भुगतान हेतु कोई योजना तैयार की है ? क्या राम स्वरूप शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक कम्बल बालान प्रा० स्कूल, नगर क्षेत्र गाजियाबाद जो 15-12-1972 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं के भविष्य निधि के 1495.12 रु० शेष है ? क्या भारत सरकार के लोक सचिव विभाग के मुख्य सचिव ने उ० प्र० सरकार को अपने पत्र 7-1-93-डी०पी०जी०-25298(7), दिनांकित 7 मई, 1993 उक्त भुगतान के लिए लिखा था ? क्या उ० प्र० सरकार लोक शिकायत अनुभाग ने दिनांक 28 जून, 93 से 7 सितम्बर, 1993 के पत्रों द्वारा प्रमुख सचिव शिक्षा को उक्त सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के भविष्य निधि के अवशेष भुगतान हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवशेष का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक भुगतान होना सुनिश्चित करेंगे ? क्या सरकार 22 वर्ष तक भुगतान में देरी के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । प्रत्येक वर्ष 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों को सेवा निवृत्त के तत्काल बाद उनके पेंशन एवं भविष्य निधि भुगतान किये जाने के निर्देश हैं ।

जी हां । श्री शर्मा दिनांक 15-12-72 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा इनके भविष्य निधि की धनराशि रु० 1495.12 का भुगतान अवशेष है ।

जी हां ।

भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

एक पक्ष के अन्दर भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

भुगतान करके बिलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । निर्धारणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

बुलन्दशहर की क्षेत्रीय सड़कों के निर्माण के संबंध में मुख्य मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन

18–श्री डी० पी० यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की क्षेत्रीय सड़कों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 31-9-94 को की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । उक्त घोषणा दिनांक 31-3-94 को की गयी थी न कि 31-9-94 को ।

घोषणा से संबंधित 11 कार्यों में से 8 कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं । एक कार्य में संरक्षण विवाद है तथा 2 कार्यों हेतु धन की फिलहाल कमी है ।

जनपद बुलन्दशहर के दयानन्द चौबीसा इण्टर कालेज में लैब की स्थापना के संबंध में मुख्य मंत्री की घोषणा

19–श्री डी० पी० यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के दयानन्द चौबीसा इण्टर कालेज के लैब हेतु मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 31-3-94 को 5 लाख रुपये दिये जाने व उक्त विद्यालय को पुस्तकालय की स्थापना हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि दिये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त धनराशि उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डित कार्यवाही कराते हुए क्या तत्काल धन उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नगत विद्यालय को केवल लैब हेतु रु० 5.00 लाख दिये जाने की घोषणा की गयी थी ।

लैब निर्माण हेतु रु० 5.00 लाख की धनराशि विद्यालय के प्रबन्धक को दिनांक 18-10-94 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काली नदी पर पुल निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

20–श्री गजराज सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-8-94 को एक पत्र काली नदी पर पुल निर्माण के संबंध में उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति प्रदान करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा अवैध फीस की वसूली की शिकायत

21–श्री राम करन आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जनपद बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा–6 से कक्षा–12 की छात्राओं से शासन द्वारा निर्धारित फीस के अलावा अतिरिक्त फीस वसूली जा रही है ? क्या सरकारी खाते में धन जमा नहीं किया गया है ? क्या

सरकार वर्ष 1990 से वर्ष 1994 के बीच, फीस व अन्य मद में लिए गये पैसा का विवरण तथा खर्च करने का विवरण आगणन सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत करायेगी ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं । निर्धारित शुल्क से प्राप्त सभी धनराशि संबंधित मदों में जमा हो रही है । वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 तक विभिन्न मदों में लिए गये शुल्क एवं उसके व्यय का विवरण मा० शिक्षा मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है ।

राजकीय निर्माण निगम की बलिया शाखा की निगरानी में निर्मित जिला अस्पताल के निर्माण में मानक अनुसार सामग्री इस्तेमाल न करने की शिकायत

22–श्री राम करन आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में राजकीय निर्माण निगम, बलिया की देखरेख में जिला अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है ? उसमें वर्ष 1994 तक कुल कितना धन खर्च हो चुका है ? क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में मानक के अनुसार सामग्री सही ढंग से इस्तेमाल नहीं की गयी है, जिससे अस्पताल की स्थिति दयनीय और जर्जर हो रही है ? क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी० से कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, जनपद बलिया के जिला अस्पताल का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है ।

इस निर्माण पर वर्ष 1994 तक कुल धन रु० 174.79 लाख खर्च हुआ है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के ग्राम कैलगुवां में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु आवंटित धन एवं उसके उपयोग की जानकारी

23–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम कैलगवां में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु वर्ष 89-90 में धन का आवंटन किया गया था ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया है ? क्या यह सच है कि उक्त भवन के निर्माण हेतु प्रथम किस्त ही अभी तक संबंधित प्रधानाचार्य एवं प्रधान को दी गयी है व बाकी किस्तें नहीं दी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन को निर्माण हेतु बाकी किस्तें कब तक दी जायेंगी ? उक्त भवन कब तक बनकर तैयार होगा ? क्या उक्त भवन के निर्माण में होने वाली देरी के लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर प्राइमरी पाठशाला विहीन ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

24–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले की 262 ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं ? क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि तीन वर्ष में हर गांव सभा में प्राइमरी स्कूल हो जायेगा ? यदि हां, तो सरकार इस वर्ष कितने प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां, उक्त स्थिति इस वित्तीय वर्ष के आरम्भ में विद्यमान थी ।

सरकार का प्रयास है कि तीन वर्षों में हर ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल खोल दिये जायं ।

इस वर्ष 1994-95 में 84 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गयी है ।

जनता इण्टर कालेज मूड़ाखेड़ा जनपद मुरादाबाद में व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्वीकृत अनुदान की जानकारी

25–श्री रामप्रकाश–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनता इण्टर कालेज, मूड़ाखेड़ा, जनपद मुरादाबाद को 5 लाख रुपया व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रदान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का उपयोग किस-किस मद में, किस प्रकार किया गया ? क्या मंत्री जी मदवार खर्च का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त धनराशि का उपयोग व्यवसायिक शिक्षा में न करके कालेज भवन निर्माण में किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्रश्नगत विद्यालय में केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत वर्कशेड के निर्माण हेतु रु० 2,00 लाख उपकरण क्रय हेतु रु० 1,66 लाख तथा अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय हेतु वर्ष 1992-93 में रु० 18,000/- और वर्ष 1993-94 में रु० 48,000/- की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग संबंधित पदों पर किया गया ।

मदवार व्यय का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय के आधार पर आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ 186 पर ।)

मुंसिफ कोर्ट खलीलाबाद बस्ती से तहसील मुख्यालय खलीलाबाद को अब तक स्थानान्तरित न किये जाने की शिकायत

26–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुंसिफ कोर्ट, खलीलाबाद, बस्ती से तहसील मुख्यालय खलीलाबाद को अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ? क्या इसके लिये वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत/सहमति प्राप्त न होने के कारण स्थानान्तारित नहीं किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

27–श्री राम कुमार वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी, कु० लता वर्मा पुत्री श्री शिव नारायन वर्मा को बी०टी०सी० कक्षा में प्रवेश न देने के कारणों की जानकारी

28–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी कोई राजाज्ञा है, जिसमें शादी शुदा होना बी०टी०सी० प्रवेश में बाधक है ? यदि नहीं, तो कु० लता वर्मा पुत्री श्री शिव नारायन वर्मा लखीमपुर खीरी को बी० टी० सी० कक्षा में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

बी०टी०सी० प्रवेश परीक्षा के लिये दिये गये आवेदन पत्र में श्रीमती लता वर्मा द्वारा गुणवत्ता के दस अतिरिक्त अंक प्राप्त करने हेतु अविवाहित अध्यापक पुत्री का प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने के विरुद्ध शिकायत की जांच में यह पाया गया कि वे विवाहित हैं । इस प्रकार तथ्य छिपाकर अनुचित रूप से प्रवेश प्राप्त करने के प्रयास तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्र के विपरीत आचरण करने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया ।

विधान सभा क्षेत्र सदर बांदा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित होने के बाद भी निर्माण में विलम्ब की शिकायत

29–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा स्थित विधान सभा क्षेत्र बांदा के ग्राम बिलगांव में चल रहे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं 35 लाख रु० अनुमानित लागत का आगणन शिक्षा विभाग के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो धन आवंटन की स्वीकृत में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या वर्तमान सत्र में जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहे उक्त विद्यालय को विकल्प के रूप में पठन-पाठन कार्य हेतु विद्यालय भवन किसी सुरक्षित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जीर्ण-शीर्ण भवन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति के लिये शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं । वित्तीय वर्ष 1994-95 में उक्त संस्था के भवन निर्माण हेतु जिला योजनान्तर्गत कोई परिव्यय जनपद स्तर से अनुमोदित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । परन्तु वर्ष 1995-96 की जिला योजना में वांछित परिव्यय अनुमोदित हो जाने पर उक्त भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी । फिर भी, जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय स्तर पर सिंचाई विभाग का डाकबंगला प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

डेली लाटरी विक्रेता के रूप में थोक डीलर में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या की जानकारी

30–श्री योगेन्द्र कुमार सागर–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेली लाटरी विक्रेता के रूप में कितने अनुसूचित वर्ग के लोगों को थोक डीलर (स्टाकिस्ट) बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित कोटे के आधार पर छोटे स्टाकिस्ट बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनुसूचित वर्ग का एक व्यक्ति सम्प्रति उ० प्र० राज्य लाटरीज का स्टाकिस्ट नियुक्त है ।

अनुसूचित कोटे के आधार पर नए स्टाकिस्टों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था अभी नहीं है ।

वर्तमान में मण्डल/प्रदेश आधार पर स्टाकिस्टशिप हेतु विज्ञप्ति जारी कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए टिकटों की अधिकतम दैनिक उठान के आधार पर नए स्टाकिस्ट नियुक्त किए जाने की नीति निर्धारित है ।

गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज पांचली खुर्द मेरठ से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों को शासनादेश का लाभ न मिलने की शिकायत

31–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश सं० 2466/15-6-93-26(93)/93, दिनांक 21 फरवरी, 94 शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त शासनादेश की प्रति शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ, जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ, कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ/मेरठ को भी प्रेषित की गयी है ? क्या उक्त शासनादेश के परिपालन में गुरुकुल सर्वोदय इण्टर कालेज, पांचली खुर्द मेरठ से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग के शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

मानक के अन्तर्गत नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्याम सुन्दरी बालिका इन्टर कालेज बिल्थरा रोड जिला बलिया की प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों से फीस लेने में एवं अन्य मदों में धांधली की शिकायत

32–श्री मुक्तिनाथ –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–5 जो श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जिला बलिया के प्रधानाचार्या द्वारा फीस व अन्य मद में किये गये धांधली की जांच कराने के संबंध में पूछा गया था क्या इस प्रकरण में मुख्य लेखाधिकारी से प्रकरण की जांच/आडिट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ? क्या अब तक कोई जांच नहीं की गयी है और न ही इससे प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न संख्या–5 के मामले में जांच तत्काल कराकर प्रधानाचार्या को दण्डित करके सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु आडिट पार्टी भेजी गयी थी किन्तु प्रधानाचार्या के उपस्थित न रहने के कारण अभिलेखों को प्रबन्ध तंत्र ने उपलब्ध नहीं कराया । जांच/आडिट आख्या प्राप्त होते ही तद्नुसार अवगत कराया जायेगा एवं जांच/आडिट आख्या के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । संस्था का आडिट कराने हेतु पुनः पार्टी बलिया भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रथम सत्र 1994 चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न 34 व द्वितीय सत्र 92 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न 55 के उत्तरों में विभिन्नता की जानकारी

33–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथप सत्र 1994 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 व विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में कौन सा उत्तर सत्य की परिधि में है ? कृपया दोनों उत्तरों को सदन

के पटल पर पुनः रखते हुए यह भी बतायेंगे कि सत्य से परे सदन के पटल पर दिये गये उत्तर के संबंध में क्या कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मारी की ज्येष्ठता सूची बनाये जाने की मांग

34–श्री अजर कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे सोमवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–25 में दिया गया उत्तर "चूंकि इनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता" न्याय संगत है ? क्या अनियमित रूप से सेवा समाप्त हो जाने के कारण संबंधित चमार जाति के व्यक्ति को शासन में अपील करके न्याय प्राप्त करने का हक है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1993-94 में संबंधित व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन सचिव, लोक निर्माण विभाग ने कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो क्या आदेश किया गया था और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उसका कोई प्रार्थना-पत्र, 1994 जो प्रमुख अभियन्ता को संबोधित है व प्रति सचिव लोक निर्माण विभाग को भेजी गयी है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश पारित किया गया है ? क्या संबंधित प्रार्थना-पत्र में विभागीय वरीयता सूची संलग्न है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

कोई भी व्यक्ति शासन को अपना प्रत्यावेदन दे सकता है ।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को संबोधित पत्र, जो सचिव, लोक निर्माण विभाग को पृष्ठांकित है, की प्रतिलिपि मई, 1994 में प्राप्त हुई थी, जिस पर आख्या मांगने के आदेश हुए ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का प्राविधान नहीं है । प्रार्थना-पत्र के साथ कतिपय दैनिक वेतन कर्मचारियों के नामों की एक सूची संलग्न की गयी है ।

श्री के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज इलाहाबाद के मृतक सहायक अध्यापक श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के आश्रित को सेवा में लिए जाने की तथा अवशेष देयों के भुगतान की मांग

35–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के० पी० जायसवाल इण्टर कलेज, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापक, जिनकी मृत्यु 22 जुलाई, 93 को हो गयी थी, की मृत्योपरान्त उनके आश्रित पुत्र की लिपिक पद पर नियुक्ति तथा मृतक अध्यापक के सी० टी० ग्रेड में निर्धारित किये गये अवशेष देयों का भुगतान शीघ्र कराये जाने के संबंध में विधान सभा के सदस्य, डा० सरजीत सिंह डंग का संस्तुति पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1994 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मृतक

अध्यापक, श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के सभी अवशेष देयों के भुगतान की कुल कितनी धनराशि दी जानी है और कब तक भुगतान करा दी जायेगी तथा मृतक सहायक अध्यापक के पुत्र (आश्रित) को लिपिक पद पर कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ? उक्त नियुक्ति करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

(स्व०) श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव की पत्नी को जी०पी०एफ० की धनराशि रु० 41,117 (इकतालिस हजार एक सौ सत्तरह मात्र) का भुगतान हो चुका है । अनन्तिम पारिवारिक पेंशन रु० 800 स्वीकृत किया गया है और 22-7-93 से दिसम्बर 94 तक का भुगतान हो चुका है । सी० टी० ग्रेड में उनके वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष रु० 1783.50 का देयक प्री-आडिट के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को भेज दिया गया है ।

जीवन बीमा के प्रपत्र की अपूर्णता की पूर्ति हेतु जि०वि०नि० द्वारा पुनः संस्था को भेजा गया है ।

स्व० श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद में अधि-संख्या पद सृजित कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धतन्त्र को उनके पत्रांक अनु०–7/20644-48/94-95, दिनांक 25-1-95 द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ/बरेली में अधीक्षक ग्रेड–II गोपनीय के स्वीकृत पद पर आरक्षित कोटा पूरा करने की मांग

36–श्री मोहर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ/बरेली में अधीक्षक ग्रेड–II गोपनीय के कितने पद स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत पदों पर कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? क्या उक्त पदों पर आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो आरक्षित कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली के लिए अधीक्षक ग्रेड–II (गोपनीय) के दो-दो पद स्वीकृत हैं ? इन सृजित पदों के प्रति वर्तमान में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । इस प्रकार उक्त दोनों कार्यालयों में प्रश्नगत चार पद रिक्त हैं । रिक्त पद भरने की कार्यवाही प्रक्रिया में है । आरक्षण कोटा की गणना माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश हेतु स्वीकृत कुल पदों के विरुद्ध की जाती है, न कि क्षेत्रीय कार्यालयवार स्वीकृत पदों पर । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बौद्ध तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल बनाये जाने की योजना की जानकारी

37–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बौद्ध तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ओ०ई०सी०एफ० जापान के सहयोग से स्वीकृत बौद्ध परिपथ योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण, सारनाथ एवं कुशीनगर में लैण्ड स्केपिंग का कार्य, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था, पेयजल एवं सेनीटेशन तथा दोहरीघाट एवं गाजीपुर में मार्गीय सुविधा का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन कार्यों को वर्ष 1995-96 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश गारन्टी की योजना की जानकारी

38–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए जो प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं, को प्रवेश की गारन्टी देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक, उच्चतर कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में संशोधन के प्रस्ताव की जानकारी

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक, उच्चतर कक्षाओं के लिए वर्तमान में निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन विषयों में क्या-क्या संशोधन करने का विचार है ?

श्री शाकिर अली–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के पाठ्क्रमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन/परिवर्धन की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 1996 की हाईस्कूल तथा इण्टमीडिएट परीक्षा में कृषि विषय का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना में की गयी कटौती की जानकारी

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना कितने करोड़ रुपये की निर्धारित की गयी थी ? क्या अब वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उसमें कुछ कटौती कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितने रुपये की कटौती की गयी है ? माह सितम्बर, 1994 तक कितने धन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके धन अवमुक्त कर दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश की वार्षिक योजना 1994-95 का आकार रु० 4,762 करोड़ है । इसमें कोई कटौती नहीं हुई । माह सितम्बर, 1994 तक रु० 1,732.02 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत हो चुकी हैं ?

जनपद बुलन्दशहर के काली नदी पर दो पुलों के निर्माण के संबंध में मुख्य मंत्री की घोषणा का अनुपालन न होने की शिकायत

41–श्री डी० पी० यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के काली नदी पर दो पुलों का निर्माण (नगला शेख व अपर कोट) हेतु रु० 1.76 लाख दिये जाने की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 31-3-94 को की गयी थी ? क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा उक्त घोषणा होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अधिकारियों को दण्डित करते हुए तत्काल पुल निर्माण कराकर सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

(अ)धनाभाव के कारण नगला शेख सेतु का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

(ब) अपर कोट के निकट उच्च स्तरीय मोटर सेतु के स्थान पर पैदल सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति अक्टूबर, 1994 में प्रदान की गयी है । परिकल्पना का कार्य प्रगति पर है ।

अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर पुल निर्माण एवं उसकी प्रगति निर्भर है जिनकी फिलहाल कमी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मौहाना, बुलन्दशहर की स्थापना हेतु मुख्य मंत्री द्वारा घोषित धन को उपलब्ध कराने की मांग

42–श्री डी० पी० यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मौहाना, बुलन्दशहर की स्थापना हेतु मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 31-3-94 को 10 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त धन उपलब्ध न कराने का कारण क्या है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

उक्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण का आगणन व नक्शा जो लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो, प्रबन्धतन्त्र द्वारा अभी तक न दिये जाने के कारण प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है ।

श्री भगवान सिंह यादव, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, भीमहर, जिला मऊ की सिविल प्रक्रिया संहिता की नोटिस पर कार्यवाही की जानकारी

43–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री भगवान सिंह यादव, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, भीमहर, जिला मऊ को सिविल प्रक्रिया संहिता की नोटिस दिनांक 20-3-93 सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । शासन द्वारा दिनांक 13-5-1993 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

नवसृजित जनपद मऊ के कारण बलिया जिले से मऊ में स्थानान्तरित अध्यापकों का विवरण

44–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के प्राइममरी स्कूलों के कितने अध्यापक ऐसे हैं, जिनका मऊ जनपद में अन्तरण हुआ है ?

श्री शाकिर अली–

बलिया जनपद से कुल 264 प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का अन्तरण मऊ जनपद में हुआ है ।

जनपद मऊ के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों की ज्येष्ठता का अवधारण का आधार

45–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के ज्येष्ठता का अवधारण, मऊ जनपद में नियुक्ति की तिथि से किया गया है या प्रशिक्षण के वर्ष से ?

श्री शाकिर अली–

मऊ जनपद में प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों की ज्येष्ठता का अवधारण नियुक्ति तिथि एवं प्रशिक्षण वर्ष दोनों का आधार मानकर किया गया है ।

जनपद बांदा में स्थित ग्राम महोखर से महुवर नाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में अनियमित ढंग से भुगतान की जाने की मांग

46–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991-92 एवं वर्ष 1992-93 में जनपद बांदा में स्थित ग्राम महोखर से महुवर नाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लम्बाई लगभग 700 मीटर संदर्भित लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वास्तव में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अधीन करवाया गया है ? क्या

यह सत्य है कि उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण मात्र अभिलेखों में कराकर लगभग 3.5 लाख रुपये का भुगतान हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी संबंधित प्रकरण की जांच के आदेश पारित करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद बांदा में बांदा–तिंदवारी पक्के मार्ग से महोखर ग्राम के अन्दर शिव मन्दिर तक मार्ग वर्ष 90-91 में बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था जिसके अनुपालन में 650 मीटर लम्बाई में खड़न्जा (पत्थर का खड़न्जा) स्तर तक निर्मित किया गया है एवं नाले व पुलिया का भी निर्माण कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनता इन्टर कालेज, मूड़ाखेड़ा, जनपद मुरादाबाद से सम्बद्ध जनता बाल विद्या मन्दिर तथा कालेज में कार्यरत अध्यापकों को कम वेतन दिये जाने की शिकायत

47–श्री राम प्रकाश–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनता इन्टर कालेज, मूड़ाखेड़ा, जनपद मुरादाबाद से सम्बद्ध जनता बाल विद्या मन्दिर तथा इन्टर कालेज में कार्यरत अध्यापकों को रुपया 500 से 750 तक वेतन प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी द्वारा उक्त बाल विद्या मन्दिर के अध्यापकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जनता इण्टर कालेज में, विभाग द्वारा अनुमोदित अध्यापकों को पूर्ण वेतन दिया जा रहा है। इस कालेज में सम्बद्ध प्राइमरी कक्षायें नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र पाल गोयल के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रमुख सचिव, शिक्षा को भेजा गया प्रश्नकर्ता के पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 29-6-94 नरेन्द्र पाल गोयल के पत्र की शिकायती संलग्न पत्र सहित प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

काफी खोजबीन के पश्चात् भी उक्त पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

जनपद देवरिया के तमकुहीराज बिक्रीकर जांच चौकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कर की चोरी की शिकायत के संबंध में प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद तमकुहीराज बिक्रीकर जांच चौकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं राजस्व की चोरी के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18-1-94 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? क्या दोषी अधिकारी को कोई दण्ड दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वाहनों की गहन जांच एवं वाहनों की धर्मकांटे पर तौल कराने के संबंध में बिक्रीकर अधिकारी "ए" जांच चौकी, तमकुहीराज (देवरिया) को सहायक आयुक्त, (चेकपोस्ट) गोरखपुर क्षेत्र का पत्र दिनांक 29-11-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके अनुपालन में अब तक कितने वाहनों की तौल धर्मकांटे पर करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराकर सरकार सुनिश्चित करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि जांचोपरान्त किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

जी हां ।

जांच चौकी तमकुहीराज पर कोई विभागीय धर्मकांटा नहीं है परन्तु समय-समय पर अधिकारियों को निकटस्थ धर्मकांटे से वजन कराने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा संदेह की दशा में कार्यवाही अवश्य की जाती है । पारगमन पत्र जारी करते समय माल का विवरण व वजन अंकित किया जाता है जिसकी निर्गमन जांच चौकी पर जांच की जाती है । विभागीय धर्मकांटे के अभाव में बहुत अधिक संख्या में वाहनों का वजन कराना सम्भव नहीं है क्योंकि भौतिक सत्यापन हेतु उपलब्ध धनराशि भी सीमित होती है ।

आजमगढ़ जौनपुर मार्ग के मध्य बरदह चौकी कोहरैली बिछौरा लिंक मार्ग के निर्माण संबंधी कतिपय विवरण की मांग

50–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-जौनपुर मार्ग के मध्य बरदह चौकी कोहरैली बिछौरा लिंक मार्ग की कुल दूरी क्या है ? उक्त सड़क मार्ग पर ईंट बिछाने का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि सड़क मरम्मत के नाम पर अब तक काफी धनराशि मात्र अभिलेखों में ही खर्च की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी

यह भी बतायेंगे कि उक्त सड़क मार्ग को गिट्टी बिछाकर पक्का करने में कितनी धनराशि खर्च होगी ? उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

5 किलो मीटर ।

वर्ष 1984-85 में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा रु० 4.8 लाख व्यय हुआ ।

जी नहीं ।

उक्त सड़क के सोलिंग से लेपन स्तर तक के निर्माण हेतु रु० 13.32 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गई है । निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कार्यालय उप निबन्धक, निबन्धन भवन लखनऊ में विगत चार साल से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की मांग

51–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कार्यालय मुख्य उप निबन्धक, निबन्धन भवन, लखनऊ में वर्ष 1991 से लगभग 60 दैनिक निबन्धन लिपिक कार्य कर रहे हैं परन्तु आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को रेगुलर करने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत वर्ष 1991 में 18, 1992 में 23 तथा 1993 में 4 निबन्धन लिपिक, कुल 45 निबन्धन लिपिक दैनिक वेतन पर कार्यरत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रीकरण जिला अधिष्ठान लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1978 में कोई व्यवस्था नहीं है । अतः इनके नियमतीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है । अतः इनको नियमित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला एवं ब्लाक देवरिया के ग्राम बांकी पो० धौरडीह में स्थित प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही की मांग

52–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री सतीश भाटिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–161 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित प्रधानाध्यापक को किसी दिनांक से निलम्बित किया गया ? उसके कार्यान्वयन में कितना विलम्ब किया गया तथा इसकी जिम्मेदारी

किसकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री राजदेव पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक देवरिया ने दिनांक 29-1-92 को ग्राम प्रधान को कोई धमकी भरा पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि प्रधानाध्यापक को बिना चार्जशीट दिये छः माह के अन्दर ही पुनः बहाल कर दिया गया था ? यदि हां, तो बहाल करने की तिथि क्या है ? क्या इस संबंध में ग्राम प्रधान, बांकी ने दिनांक 11-3-92 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री शाकिर अली–

दि० 30-1-92 से निलम्बित किया गया ।

तुरन्त प्रभावी हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निलम्बन आदेश के साथ ही आरोप-पत्र निर्गत किया गया । दिनांक 21-5-92 को बहाल किया गया ।

जी हां ।

संदर्भगत पत्र पर जांच की स्थिति इस प्रकार है–

भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत धन संयुक्त खाते में नहीं रखा गया जिसे संयुक्त खाते में रखा जाना चाहिए था । जांच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य के त्वरित गति से कराने की दृष्टि से संयुक्त खाते में धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी । भौतिक सत्यापन में कार्य प्रभावित हुआ । जांच से धन का दुरुपयोग प्रमाणित नहीं हुआ ।

53–श्री बालेश्वर त्यागी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

54–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[तीसरे बुध में अता०प्र०सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप विद्यालय निरीक्षक, हरदोई कार्यालय में कार्यरत लिपिक बच्चू सिंह के सेवानिवृत्ति होने के बाद भी बीमा राशि का भुगतान न किये जाने की शिकायत

55–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उप विद्यालय निरीक्षक, हरदोई कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक (श्री बच्चू सिंह) जिन्होंने वर्ष 31-7-93 को अवकाश ग्रहण किया था, उन्हें अब तक बीमा धनराशि का भुगतान न करने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शाकिर अली–

संबंधित लिपिक की बीमा की धनराशि बीमा कार्यालय द्वारा रु० 960 चेक संख्या 570181 दिनांक 1-2-95 द्वारा लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के पदनाम से दी गई है जिसे शीघ्र ही संबंधित लिपिक को भुगतान कर दिया जायेगा ।

डी० ई० आई० टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा के शिक्षक/इन्स्ट्रक्टर मृतक श्री सन्तोष कुमार के मृतक आश्रित को अध्यादेश के बाद भी नियुक्त न किये जाने की शिकायत

56–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सन्तोष कुमार, डी० ई० आई०, टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा शिक्षक/इन्स्ट्रक्टर की मृत्यु के पश्चात् उनके पात्र आश्रित श्री प्रमोद कुमार की नियुक्ति के लिए शासन ने दिनांक 28 मई, 1994 को कुल सचिव डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग, आगरा को आदेश दिया है ? यदि हां, तो शासनादेश को क्रियान्वयन करने के संबंध में कुल सचिव ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां, कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिर्वसिटी) दयालबाग, आगरा को श्री प्रमोद कुमार की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप किसी पद पर नियमानुसार सेवा नियोजित करने के लिए विचार करने हेतु निर्देश गये थे । उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार श्री प्रमोद कुमार ने चपरासी के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु चपरासी के लिए निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते हैं । उन्हें उनकी योग्यतानुसार नौ अवसरों पर उपलब्ध अल्पकालिक लाइब्रेरी हेल्पर, सफाई सेवक, फर्रास व माली की रिक्तियों पर अवसर दिया गया, जिसमें से उन्होंने चार अवसरों पर ही अल्पकालिक नियुक्ति स्वीकार की ।

जनपद गोण्डा के भानेपुर बाजार के प्राइमरी पाठशाला भवन पर अनधिकृत कब्जा की शिकायत

57–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के अन्दर भानेपुर बाजार में प्राइमरी पाठशाला भवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा बेकरी का धन्धा चलाया जा रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर भवन को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्राइमरी पाठशाला तथा पंचायत भवन संयुक्त रूप से बना है जिसमें दो कमरे विद्यालय के हैं तथा भवन के दूसरी ओर तीन कमरे ग्राम पंचायत के हैं । विद्यालय के दो कमरों में विद्यालय ही संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र में पुरानी कलसिया रोड पर पावधोई नदी पर पुल बनाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

58–श्री मोहर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र में पुरानी कलसिया रोड पर पावधोई नदी पर क्या किसी पुल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली में निहित व्यवस्था के अनुसार निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में रिक्त ज्येष्ठ लिपिक के पद पर विवाद

59–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० स्थानीय निधि लेखा परीक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1984 के नियम–5 (ज) में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद में रिक्त ज्येष्ठ लेखा लिपिक पद पर लिपिक पद से पदोन्नति हेतु माह नवम्बर/दिसम्बर, 93 में कोई चयन किया गया है ? यदि हां, तो चयनित लिपिकों का रिक्त ज्येष्ठ लेखा लिपिकों के पदों पर पदोन्नति आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । प्रशासनिक कारणों से ज्येष्ठ लेखा लिपिक का पद सम्प्रति रिक्त रखने का निर्णय लिया गया है ।

श्री वली उल्लाह सेवानिवृत्त रीडर विधि विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के पेंशन एवं अन्य देयों के भुगतान का मामला

60–श्री भगवत शरण गंगवार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री वली उल्लाह, सेवानिवृत्त रीडर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के पेंशन के निर्धारण तथा अन्य देयों के भुगतान विषयक श्री राम प्रकाश शर्मा, अनुसचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय के पत्र सं०–488/1994/11(8)/94, लो०शि०–5, दिनांक 5-2-94 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर विषय के निस्तारण हेतु कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को लिखा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

सक्षम अधिकारी, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने शिकायतकर्ता की शिकायतों के संबंध में निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(1) श्री वली उल्लाह का पेंशन निर्धारण नियमानुसार इस संबंध में जारी शासनादेशों के अनुसार किया गया है ।

(2) पुस्तक न लौटाने के फलस्वरूप रु० 137.25 पैसे की वसूली पुस्तकालय की परम्पराओं के अनुरूप है ।

(3) कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक की निर्धारित दर रु० 15 प्रति पाली है जबकि शिकायतकर्ता को सेवा निवृत्त होने के कारण रु० 25 प्रति पाली की दर से भुगतान किया गया है ।

(4) रीडर के पद पर पदोन्नति बैक डेट से करने पर एडवान्स वेतनवृद्धि देने के संबंध में कार्य परिषद् के निर्णय के अनुसार कुल सचिव को तद्नुसार कार्यवाही हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

कुलपति ने शिकायतकर्ता को उनके शिकायती-पत्र के सन्दर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अपने पत्र दिनांक 28-1-95 द्वारा सूचित भी कर दिया गया है ।

जनपद जौनपुर में विद्यालयों में छात्रवृत्तियों के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत

61–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय से कौन-कौन सी छात्रवृत्तियां वितरित की जाती हैं ? जनपद जौनपुर में विगत पांच वर्षों में कितने विद्यालयों के कितने छात्रों को यह छात्रवृत्तियां वितरित की गयीं ? सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार निकट भविष्य में इन मेधावी छात्रों को अवशेष छात्रवृत्तियों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जाती है । शिक्षा संहिता के पैरा 276 तथा 277 के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाती हैं तथा सभी छात्रवृत्तियां संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा वितरित की जाती हैं ।

पैरा 276 के अन्तर्गत जनपद के 48 विद्यालयों के 140 छात्रों को तथा पैरा 277 के अन्तर्गत 87 विद्यालयों के 368 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है ।

विद्यालयों द्वारा समय से अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण छात्रवृत्तियां स्वीकृत नहीं हो पाती हैं ।

जी हां, विद्यालयों द्वारा अभिलेख प्राप्त होने पर छात्रवृत्तियां स्वीकृत कर दी जायेंगी ।

विद्यालय से अभिलेख प्राप्त होने पर मार्च, 1995 तक छात्रवृत्तियां स्वीकृत कर दी जायेंगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के जफराबाद देवकली मार्ग पर स्थित गढिया नाला पर अर्धनिर्मित सेतु को पूरा करने की मांग

62-श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के जफराबाद-देवकली मार्ग पर स्थित गढिया नाला का सेतु अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इस सेतु को पूर्ण कराकर क्षेत्रीय नागरिकों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

दिसम्बर, 1994 तक कार्य की भौतिक प्रगति 67 प्रतिशत है ।

सेतु का पूर्ण होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद फैजाबाद में बीकापुर क्षेत्र में मड़हा नदी पर निर्मित पुल पर पथकर वसूली हेतु कार्यरत कर्मचारियों का विवरण एवं पुलों से पथकर की वसूली समाप्त करने की मांग

63-श्री परशुराम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के बीकापुर के क्षेत्र में बने मड़हा नदी पर एमी घाट पुल तथा विसुही नदी पर पलटूबीर पुल पर पथकर वसूली के लिए वर्तमान समय में अलग-अलग विभागीय कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ? औसतन प्रतिदिन कितने धन की वसूली हो रही है ? क्या पथकर वसूली से प्राप्त धन द्वारा वसूली हेतु नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा सकता है ? यदि हां, तो पथकर की वसूली कब तक जारी रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो पुलों से पथकर की वसूली समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जी हां ।

ऐमी घाट पुल पर रुपये 95/- प्रतिदिन तथा पलटूबीर सेतु पर रुपये 24.00 प्रतिदिन की औसत पथकर वसूली हो रही है ।

जी नहीं ।

शासकीय अधिसूचना संख्या-5662/23-2-94-92/89, दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 के प्रस्तर-1(3) (क) के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि पथकर राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं वसूल किया जाय तब पुल की लागत के तीन प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष पथकर की वसूली में किये गये व्यय के मद्दे जोड़ दी जाती ।

उपर्युक्त संदर्भित शासकीय अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 के प्रस्तर-1 (3) (क) के अनुसार किसी पुल पर पथकर का उद्ग्रहण उस समय तक, जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल के निर्माण पर किये गये कुल व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय, पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, किया जायेगा ।

श्री अनन्त इण्टर कालेज खपरडीह तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद के चौकीदार के मामले में मा० उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतन का भुगतान न होने की शिकायत

64–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के अन्तर्गत श्री अनन्त इण्टर कालेज खपरडीह में कार्यरत चौकीदार अयोध्या प्रसाद को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1993 के बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 101 से 107 तक में निहित प्राविधानों के विपरीत नियुक्ति होने के कारण ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के 1921 के अध्याय तीन के विनियम 101 से 107 तक के विपरीत नियुक्ति होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 3-12-93 को समाप्त (वैकेट) कराये जाने की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही है । सम्प्रति वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की डामरीकरण

65–श्री महबूब अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत कानपुर-मोहनलालगंज रोड से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत आने वाले चौपई मार्ग को डामरीकृत कर दिया गया है ? परन्तु लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले मार्ग को डामरीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जनपद लखनऊ तथा उन्नाव के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला बन्थरा से चौपई के शेष सम्पर्क मार्ग को कब तक डामरीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

लखनऊ जनपद के अन्तर्गत आने वाला भाग डामरीकृत करने हेतु स्वीकृत नहीं है । शेष सम्पर्क मार्ग का डामरीकृत किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांसदों की भांति विधायकों को भी विकास कार्य हेतु पचास लाख रुपया दिये जाने की मांग

66–श्री मातवर सिंह कण्डरी तथा श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार सांसदों की भांति विकास कार्यों के निर्माण हेतु विधायकों को साल भर में 50 लाख रुपये देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त धनराशि विधायकों को विकास कार्यों के निर्माण हेतु दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्रवार धनावंटन का कोई विचार नहीं है ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला विरखु जिला अलीगढ़ साधिकार प्रबन्ध संचालक श्री महीपाल निर्मल के देयों के भुगतान की जानकारी

67–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नगला विरखु, जिला अलीगढ़ का साधिकार प्रबन्ध संचालक, श्री महीपाल निर्मल को दिनांक 16-8-91 से 31 अगस्त, 1992 तक नियुक्त किया गया था ? क्या इस दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार उनके द्वारा किये गये खर्चे तथा उनको प्राप्त भत्ता श्री महीपाल निर्मल को मिल गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उक्त भत्ता देगी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

दिनांक 1-8-92 को पासबुक संख्या–15492 से रु० 2120/–की धनराशि श्री महीपाल सिंह निर्मल प्रबन्ध संचालक द्वारा स्वयं आहरित कर ली गयी है ।

जिला विद्यालय निरीक्षिका जनपद हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायत

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षिका, जनपद हरदोई (श्रीमती सावित्री टंडन) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, लापरवाही, अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्रकाश में आयी हैं ? उनकी जांच किस स्तर से करायी जा रही है ? दोषीजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या उक्त के संबंध में श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह, दौलतयारपुर, माधोगंज, हरदोई का एक पत्र दिनांक 9-12-93 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शाकिर अली–

केवल एक ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक स्तर से ।

जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

यू० पी० स्टेट लाटरी द्वारा विजयी टिकटों के इनामों के वितरण के संबंध में शिकायत

69–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट लाटरीज द्वारा विजयी टिकटों के इनामों का वितरण कितने दिनों में हो जाना चाहिए ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० रैफिल, वीकली लाटरीज के ड्रा नम्बर 629 जिसका इनाम 3-4-94 को खोला गया था और जिसमें टिकट नं०–863664 पर प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया था, की इनाम की रकम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया

है ? क्या सरकार टिकट धारक को शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रथम पुरस्कारों की धनराशि के वितरण के पूर्व इनामी टिकट का सत्यापन विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के कारण उनके वितरण में प्रायः दो माह का समय लग जाता है ।

यू० पी० रैफल ड्रा संख्या–629 जो 3-4-94 को सम्पन्न हुआ, के प्रथम पुरस्कार विजेता टिकट संख्या यू० बी० 863664 के दावाकर्ता को भुगतान किया जा चुका है ।

नवज्योति विद्यामंदिर हजपुरा फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री भवानी प्रसाद मिश्र ग्राम हजपुरा तहसील जलालपुर जिला फैजाबाद का शिकायती-पत्र

70–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भवानी भीख मिश्र ग्राम-हजपुरा, तहसील-जलालपुर, जिला-फैजाबाद द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को माह फरवरी/मार्च, 1994 में "नवज्योति विद्यामन्दिर, हजपुरा, फैजाबाद" में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या यह सही है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व-सचिव, श्री करनैल सिंह को भ्रष्टाचार के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिसकी जांच उप निदेशक, उर्दू शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कौन से आरोप प्रमाणित हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री शाकिरअली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग दो में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित मामला

71–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2, लो० नि० लखनऊ में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनियमित कार्य प्रभारित कर्मचारी की स्वीकृति दी गयी एवं कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अभी भी शेष हैं ? क्या इन कर्मचारियों को अनियमित कार्य प्रभारित की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1992-93 में 17 कर्मचारियों की स्वीकृति की गई थी । वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में कोई स्वीकृति नहीं दी गई ।

15 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अभी भी शेष हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अर्ह न होने के कारण ।

विभागीय निर्माण इकाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1991 से 1995 के मध्य तारकोल की आपूर्ति का विवरण

72–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2, लो० नि० वि० लखनऊ में वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 में कितना तारकोल टैंकर मथुरा रिफायनरी से एवं कितना पैक्ड तारकोल अन्य जगहों से मंगाया गया तथा कितना-कितना तारकोल किन-किन कार्यों हेतु कब-कब जारी किया गया ? क्या इसका पूर्ण ब्यौरा मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई, राष्ट्रीय मार्ग, लो० नि० वि०, लखनऊ में वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 में मथुरा रिफायनरी से मंगाए गये तारकोल टैंकर्स तथा अन्य जगहों से मंगाए गये पैक्ड तारकोल का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

मथुरा रिफायनरी से प्राप्त तारकोल टैंकर्स

वर्ष	टैंकर्स सं०	मात्रा (मी० टन)
91-92	118	958.81
92-93	188	1683.02
93-94	59	559.82
94-95 (11/94 तक)	55	537.89

अन्य खण्डों से प्राप्त पैक्ड तारकोल

वर्ष	ड्रमों की सं०	जगह का नाम जहां से प्राप्त किया गया
91-92	7420	बम्बई
92-93	——	——
93-94	450	राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, लखनऊ
94-95 (11/94 तक)	229	——तदैव——

कितना-कितना तारकोल किन-किन कार्यों हेतु कब-कब जारी किया गया, का ब्यौरा मा० सदस्य किसी कार्यदिवस में लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के कर्बन नदी में फैक्ट्रियों के रसायन एवं प्रदूषित जल गिराव से हो रहा नुकसान की शिकायत

73–श्री लक्ष्मीचन्द–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के उद्योग केन्द्र व फैक्ट्रियों का रसायन युक्त गन्दा व दूषित पानी कर्बन नदी में डाला जा रहा है जिसके स्पर्श से लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, पानी पीने पर पशु बीमार हो जाते हैं, और पानी के खेतों में पहुंचने से फसल मर जाती है ? यदि हां, तो क्या इस दूषित पानी को कर्बन नदी में डालने से रोकने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित 21 मुख्य प्रदूषणकारी उद्योगों से जनित होने वाला उत्प्रवाह ड्रेन द्वारा अन्ततः कारवा (कर्बन) नदी में डाला जाता है परन्तु इनमें से 19 उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें से 12 उद्योगों द्वारा बोर्ड के निर्धारित मानकों को प्राप्त किया जा चुका है । अवशेष 9 उद्योगों में से 6 उद्योगों को मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित रिट याचिका संख्या–3727/85 के अन्तर्गत बन्द करने के आदेश पारित किए जा चुके हैं । एक उद्योग के संबंध में याचिका मा० सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है । अन्य 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस भेजी गयी है ।

जी नहीं ।

74–श्री घनश्याम शुक्ल–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

औराई विकास खण्ड में लोक निर्माण भदोही द्वारा कराये गये कार्यों में हुयी धांधली की शिकायत

75–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मा० लोक निर्माण मंत्री को फरवरी, 94 में पी० डब्लू० डी० भदोही द्वारा करायी गयी औराई विकास खण्ड क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में धांधली की जांच हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच कब तक की गयी तथा जांच की रिपोर्ट क्या है तथा जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

माह अप्रैल, 1994 में जांच प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा की गयी । जांचोपरान्त जी० टी० रोड से कोइराला मार्ग तथा कठारी भोगांव मार्ग के निर्माण कार्य में कतिपय अनियमिततायें प्रकाश

में आयीं । प्रकाश में आयी अनियमितताओं हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

डा० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी शुक्ला संस्कृत प्रवक्ता डिग्री कालेज गौरीगंज सुल्तानपुर द्वारा बिना वेतन से विगत दस वर्षों से कार्य करने की सूचना एवं शिकायत

76–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी शुक्ला, संस्कृत प्रवक्ता, डिग्री कालेज, गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर द्वारा विगत दस वर्षों से बिना वेतन के कार्य किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या डा० (श्रीमती) शुक्ला को वेतन दिये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

डा० (श्रीमती) विजय लक्ष्मी शुक्ला को बिना पद के प्रवक्ता संस्कृत के पद पर संबंधित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा अनियमित रूप से कार्यरत रखा गया है । ऐसे प्रवक्ता के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का होता है । अतः आदेश दिनांक 1-12-93 द्वारा महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को निर्देशित किया जा चुका है कि वे डा० (श्रीमती) शुक्ला का वेतन भुगतान अपने निजी स्रोतों से करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत की जांच

77–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षाधिकारी फैजाबाद द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 8-6-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में पदोन्नति/नियमित नियुक्ति में अनियमितता की शिकायतों की जांच

78–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सन् 1985-86 से कितने सहायक स्थानिक अभियन्ता तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? कितनों को वर्ष 1991 तक रिक्त नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि रिक्त समस्त नियमित पदों पर 25 प्रतिशत पदोन्नति तथा शेष 75 तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों से नियमित नियुक्ति किये जाने का प्राविधान होते हुये भी उक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तदर्थ रूप से नियुक्त स्थानिक अभियन्ताओं को कब तक नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निर्माण निगम में वर्ष 1985-86 से अब तक नियुक्त किये गये सहायक स्थानिक अभियन्ताओं में से 06 वर्तमान में तदर्थ रूप से कार्यरत हैं।

वर्ष 1991 तक रिक्त नियमित पदों पर 43 तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक स्थानिक अभियन्ताओं को नियमित किया गया।

नहीं, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ज्ञान भारतीय बालिका इण्टर कालेज बिरहाना रोड कानपुर के विरुद्ध इण्टरमीडिएट अधिनियम की धारा–16 के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्ञान भारती बालिका इण्टर कालेज, बिरहाना रोड, कानपुर के विरुद्ध क्या इण्टरमीडिएट अधिनियम की धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई और कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या उक्त विद्यालय में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे और कोटा पूरा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां।

मार्च, 91 में कार्यवाही प्रारम्भ हुई है जिसे शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा कोटा पूर्ण करने हेतु प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित कोटे के विवरण की जानकारी

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? इस समय ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनका चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के किस-किस माह में किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन रोका गया है ? वेतन न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या संबंधित रोके गये अनु० जाति के कर्मी का वेतन अविलम्ब भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मियों के रोके गये वेतन के लिये किस स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या वेतन रोकने के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं :–

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह "क"	शून्य	शून्य
समूह "ख"	शून्य	शून्य
समूह "ग"	23	शून्य
समूह "घ"	19	शून्य

बोर्ड में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन वित्तीय वर्ष 1993-94 में नहीं रोका गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बापू इण्टर कालेज सलेमपुर देवरिया में एक प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने की शिकायत

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की करेंगे कि गंभीर आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं और प्रबन्धक समिति के प्रमाणित होने की स्थिति में बापू इण्टर कालेज सलेमपुर, देवरिया में एक प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश दिनांक 24-3-88 को उ० प्र० सरकार द्वारा किये गये थे ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1976 से विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रबन्ध समिति को विवादित दर्शाया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रबन्ध समिति के काबिज रहने का औचित्य क्या है ? जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 13-9-93 को मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन तीन दिवस के

भीतर करा देने का अनुबन्ध पत्र देने के बाद भी आदेश का अनुपालन न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 13-9-93 को दिये गये लिखित आश्वासन का अनुपालन कर दिया गया है ।

फतेहगंज अमावा-नरायनपुर मार्ग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ का डामरीकरण करने की मांग

82–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में फतेहगंज-अमावा-नरायनपुर मार्ग जो कि सोलिंग स्तर का है, पर डामरीकरण कार्य कराया जाना सरकार द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की पेंटिंग का कार्य कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

उपलब्ध धनराशि से इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 5.20 कि० मी० का डामरीकरण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, तथा शेष 10 कि० मी० के डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी० डी० इण्टर कालेज खेड़ा मुगल सहारनपुर में कतिपय सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन दिये जाने की शिकायत

83–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० इण्टर कालेज खेड़ा मुगल (सहारनपुर) में ऐसे कितने अध्यापक एवं कर्मचारी हैं जिनको सेवा समाप्ति के उपरान्त भी वेतन का भुगतान हो रहा है ? इन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के उपरान्त वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान अब तक हो चुका है ? इस भुगतान राशि को लौटाने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हलीम मुस्लिम पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज कानपुर में विगत सात वर्षों से स्थाई प्राचार्य न होने की शिकायत

84–श्री ओंकार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में विगत 7 वर्षों से अधिक समय से कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थायी प्राचार्य शीघ्र नियुक्त किये जाने हेतु आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज कानपुर में विगत पांच वर्षों से खेलकूद फीस लेने के बाद भी क्रीड़ा न होने एवं सामान न खरीदने की शिकायत

85–श्री ओंकार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से क्रीड़ा आदि नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि छात्र/छात्राओं से इस मद में पैसा भी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रीड़ा न होने तथा क्रीड़ा का कोई भी समान न क्रय किये जाने पर छात्र/छात्राओं का पैसा वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

जी हां । केवल निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही खेलकूद के मद में छात्र/छात्राओं से वसूला जाता है और महाविद्यालय के खाते में जमा किया जाता है । अतः इसे खेल हेतु उपयोगी क्रीड़ा सामग्री क्रय करने हेतु उपयोग किया जाता है । अतः वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सेवा में लिये जाने के विवरण की जानकारी

86–श्री राजेन्द्र सिंह (बिजनौर)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया में वर्ष 1990 तक बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का अप्रैल/मई, 1992 में साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां,तो सन् 1990 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों मे स कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं तथा कितने अवशेष हैं ? क्या 1990 तक बी० टी० सी० प्रशिक्षित अवशेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

वर्ष 1986 के अनुसूचित जाति के बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा वर्ष 1987 और 1990 के बीच के 38 अभ्यर्थी अवशेष हैं ।

1990 तक अवशेष 38 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय इण्टर कालेज आनन्द नगर जनपद महाराजगंज में अध्यापकों एवं छात्र/छात्राओं के आसन व्यवस्था में कमी की शिकायत

87–श्री शिवेन्द्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आनन्दनगर, जनपद महराजगंज जहां छात्राओं को विषयाध्यापक का अभाव तथा बैठने के लिये व्यवस्था नहीं है, सरकार व्यवस्था कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । प्रवक्ताओं की व्यवस्था हेतु आयोग को अधियाचन भेजा गया है । बैठने की व्यवस्था हेतु सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

जैन इण्टर कालेज खेखड़ा मेरठ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शंकर भगवान को नियमित वेतन का भुगतान किये जाने की मांग

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जैन इण्टर कालेज खेखड़ा, मेरठ के शंकर भगवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को शिक्षा विभाग से अनुमोदन होने के उपरान्त भी आज तक विभाग से उसको नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी को अपने पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

श्री शंकर भगवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैन इण्टर कालेज, खेखड़ा की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्य नहीं की गयी है । परन्तु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है कर्मचारी का अप्रैल 93 का बिल निदेशालय में प्राप्त हुआ है । परीक्षणोपरान्त एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी आगरा पर तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

89–श्री बदन सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि व्यापार कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी, आगरा पर विभाग के आदेशों के विपरीत कर्मचारियों ने अपनी निजी स्टोर रूम बना रखा है और व्यापारियों से अनुचित धन कमाने के लिये उनमें माल जमा कर बाद में गायब कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इन निजी स्टोर भण्डारों को चलाने का क्या औचित्य है और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है कि व्यापार कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी पर अनुचित धन वसूलने की नियत से घंटों-घंटों बड़ी संख्या में ट्रकों की लंबी लाइनें राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 11 के व्यस्त महत्वपूर्ण यातायात व्यवस्था को अवरुद्ध किया जाता है ? यदि हां, तो इस यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले मौजूदा चौकी के इन्चार्ज के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नामक स्थान पर स्वीकृत राजकीय पालीटेक्निक का अब तक निर्माण न किये जाने की शिकायत

90–श्री तीरथ राज–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज नामक स्थान पर स्वीकृत राजकीय पालीटेक्निक अब तक क्यों नहीं खोला गया है ? इसमें क्या कठिनाइयां हैं तथा कब तक खुल जाने की आशा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सोनभद्र में एक राजकीय पालीटेक्निक खोलने की स्वीकृति वर्ष 1994 में प्रदान की गयी थी । इस परिपेक्ष्य में सोनभद्र के राबर्ट्सगंज स्थान में ग्राम लोढ़ी में 5.508 हेक्टेयर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के आदेश हुये, परन्तु संस्था को उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका । इस बीच जनपद सोनभद्र का स्थायी मुख्यालय पिपरी किये जाने के कारण जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा राबर्टसगंज में पालीटेक्निक खोलने का कोई औचित्य न बताते हुये जिला मुख्यालय पिपरी में पालीटेक्निक खोलने की संस्तुति की गयी है ।

वर्तमान सरकार के पूर्व राष्ट्रपति शासन काल में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय राबर्ट्सगंज के शिक्षा सत्र प्रारम्भ करने के कार्य में प्रगति

91–श्री तीरथ राज–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत राष्ट्रपति शासनकाल में शासन द्वारा स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय राबर्ट्सगंज का शिक्षा सत्र कब प्रारम्भ होगा ? उसमें प्रगति क्या है ?

श्री शाकिर अली–

राबर्ट्सगंज में शासन द्वारा एक अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अब इस स्थान पर राजकीय महाविद्यालय का औचित्य नहीं है।

श्री रवीन्द्र कुमार सहायक अध्यापक राष्ट्रीय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौराला जनपद मेरठ के वेतनमान के संबंध में कृत कार्यवाही

92–श्री गजराज सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, राष्ट्रीय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौराला, जनपद मेरठ के वेतन भुगतान के संबंध में एक पत्र दिनांक 11-1-94 को दिया था ? क्या उनको वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-1-94 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु इस संदर्भ का पत्र दि० 27-12-93 एवं 29-4-94 प्राप्त है। श्री रवीन्द्र कुमार को स० अ० स्नातक वेतनक्रम में रु० 3294/–की धनराशि का वेतन भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती रेखा सिंघल को उनके पति विनय कुमार सिंघल ब लिपिक एस० एस० वी० डिग्री कालेज हापुड़ के स्थान पर नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

93–श्री गजराज सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 12-1-94 को एक पत्र श्रीमती रेखा सिंघल को उनके पति विनय कुमार सिंघल लिपिक एस० एस० वी० डिग्री कालेज, हापुड़ के स्थान पर नियुक्त करने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-94 तो नहीं अपितु उनका पत्र दि०-12-12-93 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–108 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार सिंघल मृतक की श्रेणी में नहीं आते।

अतः उनकी पत्नी की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में संभव नहीं है।

तहसील हापुड़ जनपद गाजियाबाद में अतिरिक्त न्यायाधीश की मांग के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

94–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14-1-94 को प्रश्नकर्ता ने तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद में अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश की मांग के संबंध में एक पत्र दिया था ? यदि हां, तो हापुड़ में यह मांग कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय, न्यायालय सृजन हेतु सहमत है । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पालिसी प्लानिंग कमेटी के निर्णय के उपरान्त इन पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

डी० ए० वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया तथा जी० एम० ए० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया के अध्यापक वर्ग में आरक्षण कोटा पूरा न होने की शिकायत

95–श्री रमाकान्त यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० ए० वी० इण्टरमीडिएट कालेज, बिल्थरा रोड, जनपद बलिया और जी० एम० ए० एम०, इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया में कार्यरत अध्यापकों की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों विद्यालयों में पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा शून्य के बराबर है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन की नीति के अनुसार भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर आरक्षण कोटे के ही अध्यापकों/कर्मचारियों की नियुक्ति करायेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

डी० ए० वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया एवं जी० एम० ए० एम० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया में कार्यरत अध्यापकों की संख्या क्रमशः 38एवं 33 है ।

डी० ए० वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया में पिछड़ी जाति के अध्यापकों की संख्या 19 किन्तु अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या शून्य है । इसी प्रकार जी० एम० ए० एम० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया में पिछड़ी जाति के अध्यापकों की संख्या 7 तथा अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या शून्य है ।

जी हां ।

बलिया जनपद के गौरामदनपुरा व सियर विधान सभा क्षेत्रों में मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं को पूरा किये जाने की मांग

96–श्री रमाकान्त यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में दिनांक 16 जुलाई,94 को व दिनांक 3 सितम्बर, 94 को बलिया जनपद के गौरामदनपुरा व सियर विधान सभा क्षेत्रों में मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जनपद में सड़क नदी पुल आदि की जो योजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सेक्टर व जिला सेक्टर से पूर्व में व अब स्वीकृत की गयी हैं, उन सभी योजनाओं को धन देकर अविलम्ब शुरू करवायेंगे ? यदि हां, तो योजनायें क्या हैं ? कब तक कार्य पूरा किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

(1) घाघरा नदी पर मांझी घाट पुल ।

(2) सोनौली-बलिया मार्ग के कि० मी० 254 में रेलवे क्रासिंग संख्या–31 ए के स्थान पर उपरिगामी सेतु ।

उक्त दोनों योजनाओं पर निर्माण कार्य पूरा किया जाना धन की उपलब्धता पर ही निर्भर है । फिलहाल संसाधनों की कमी है ।

श्री अशोक चन्द्र शुक्ल स्टोर कीपर डी० सी० यू० रोड केन्द्रीय गोदाम ऐशबाग लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की मांग

97–श्री मुक्तिनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक चन्द्र शुक्ल, स्टोर कीपर,डी०सी०यू० रोड केन्द्रीय गोदाम ऐशबाग, लखनऊ के भ्रष्टाचार की शिकायत सपा विधान मण्डल के पत्र संख्या 1640, दिनांक 29-9-94 के मुख्य मंत्री जी एवं 1641 लोक निर्माण मंत्री एवं 1642 सचिव,लोक निर्माण को भेजा गया था ? यदि हां,तो क्या उसकी बिन्दुवार जांच कराते हुए दण्डित करने एवं की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । केवल एक पत्र विधान मण्डल समाजवादी पार्टी का पत्र संख्या–1641 दिनांक 29-9-1994 प्राप्त हुआ ।

उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई । जांच में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा श्री शुक्ला के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के अवर अभियन्ता श्री वीरेन्द्र कुमार एवं अधिशासी अभियन्ता श्री बी० के० श्रोतीय द्वारा निर्माण के नाम पर कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

98–श्री भगवती प्रसाद सागर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रा० मा० नि० खण्ड लो० नि० वि०, कानपुर के अवर अभियन्ता श्री वीरेन्द्र कुमार तथा अधिशासी अभियन्ता श्री बी० के० श्रोतीय द्वारा मिलकर राष्ट्रीय मार्ग खण्ड रनियां से भोगनीपुर के बीच 16 लाख रुपये का गिट्टी डामर का कार्य आदि कागजों पर प्रदर्शित किया गया है, परन्तु मौके पर कुछ नहीं है ? क्या उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कथित अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में कथित अवर अभियन्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं कराया गया और न ही कोई भुगतान किया गया है ।

99–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

100–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी सहायक अध्यापक के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र

101–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–ग–1 नं०–238605. दिनांक 26-6-94 जो कि जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, सहायक अध्यापक के पत्र के साथ भेजा गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित देयों का भुगतान करने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

काफी छान-बीन करने पर भी संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

102–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[4थे बुध में अता० प्र० सं०–119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

वर्ष 1993-94 में जनपद फतेहपुर की जिला योजना हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

103–श्री महेन्द्र प्रताप नरायन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 में फतेहपुर जिले में जिला योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा कितनी प्राप्त हुई ? यह धनराशि विभिन्न विभागों व मदों में कितनी व्यय हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फतेहपुर की वर्ष 1993-94 जिला योजना रु० 953.21 लाख की अनुमोदित हुयी थी, जिसके समक्ष रु० 869.52 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई तथा रु० 866.76 लाख का व्यय किया गया । सेक्टरवार व्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ–187-188 पर)

लोक निर्माण विभाग में अवर/सहायक अभियन्ता संवर्ग में प्रोन्नति प्राप्त आरक्षण का विवरण

104–श्री महेन्द्र प्रताप नरायन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों को प्रोन्नति में आरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो लोक निर्माण विभाग में दिसम्बर, 93 से अगस्त, 1994 तक इन वर्गों के कितने अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता आरक्षण के अन्तर्गत प्रोन्नत किये गये हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, केवल पिछड़ी जातियों को छोड़कर ।

प्रश्नगत अवधि में अनुसूचित जाति के 12 सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की गई है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के श्रेणी के अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता पद पर नियमित प्रोन्नतियां नहीं की गई ।

उत्तर प्रदेश भाषा निधि के कोष एवं कार्य के विवरण की जानकारी की मांग

105–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० भाषा निधि की कब और किन उद्देश्यों से स्थापना की गई थी, तब कितनी राशि इस संस्थान को चलाने के लिये एक मुश्त जमा की गई थी ? उस राशि के ब्याज से किन-किन कार्यों को होना था ? क्या प्रतिवर्ष उस अनुपात में धनराशि संस्थान के कार्यों पर लगाई गई ? क्या यह सही है कि इस संस्थान की उस राशि का व्यवसायीकरण किया गया और उसके ब्याज की दस प्रतिशत धनराशि भी प्रतिवर्ष इन कार्यों पर व्यय नहीं की गई ? क्या भाषा निधि को भाषा विभाग से हटाकर किसी अन्य संस्थान से जोड़ा जा रहा है ? यदि हां,तो उसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भाषा निधि की स्थापना वर्ष 1982 में हिन्दी भाषा के विकास एवं प्रचार के लिए की गयी थी ।

सब भाषा निधि में एक मुश्त 10 करोड़ रुपये की धनराशि जमा करायी गयी थी ।

भाषा निधि की धनराशि पर अर्जित ब्याज का व्यय हिन्दी भाषा के विकास संबंधी कार्यों पर किया जाना था ।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार धनराशि व्यय की गई है ।

जी नहीं । भाषा निधि की विनियोजित धनराशि पर अर्जित ब्याज में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसार धनराशि हिन्दी भाषा के विकास की मदों पर व्यय की गई ।

जी नहीं । भाषा निधि को नवसृजित भाषा संस्थान से अवश्य जोड़ा जा रहा है और जिसका कार्यकारी अध्यक्ष एक तथ्य प्रतिष्ठित साहित्यकार और महानिदेशक सचिव भाषा होंगे । परन्तु भाषा

निधि पर भाषा विभाग का ही प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा । हिन्दी भाषा तथा क्षेत्रीय बोलियों के विकास को और अधिक सार्थक एवं प्रभावी बनाने हेतु ऐसा किया जा रहा है ।

अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

106–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–124 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरगामी सेतु को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव रेलवे विभाग की सहमति प्राप्त करने के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

लागू नहीं ।

फिलहाल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जिला योजनाओं में निर्धारित परिव्यय के आय-व्ययक का प्राविधान निर्धारित करने के दायित्व की जानकारी की मांग

107–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–131 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना में निर्धारित परिव्यय को आय-व्यय में प्राविधान करने का दायित्व किसका है ? आय-व्यय में प्राविधान क्यों नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी आय-व्यय में प्राविधान न करने के दायित्व का निधारण करेंगे ?

श्री शाकिर अली–

जिला योजना में निर्धारित परिव्यय को आय-व्ययक में प्राविधान शासन द्वारा किया जाता है ।

निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्राविधान नहीं हो सका ।

जी हां ।

लोक निर्माण विभाग फरेन्दा जनपद महाराजगंज द्वारा निचलौल से ठुठीबारी नेपाल जाने वाली मुख्य सड़क को ऊंची करके नाली का निर्माण कराने की मांग

108–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में लोक निर्माण विभाग, फरेन्दा, जनपद महाराजगंज द्वारा निचलौल से ठुठीबारी–नेपाल जाने वाली मुख्य सड़क जो ठुठीबारी ग्राम सभा सीमा के अन्तर्गत नीची है, को वर्ष 1990-91 में ऊंची करके सड़कों के दोनों किनारे पर नाली निर्माण कराने का

प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकार किया गया था ? क्या विभाग उक्त सड़क ऊंची करने एवं नालियों का निर्माण कराने का अनुबन्ध भी कराया गया था ? यदि हां,तो सड़क को ऊंचा करके नाली का निर्माण आज तक न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी स्वीकृत सड़क का निर्माण तत्काल कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

केवल सड़क को ऊंचा करने का अनुबंध बनाया गया था । नाली निर्माण का कोई प्राविधान नहीं था ।

सड़क ऊंची करा दी गयी है तथा नाली निर्माण का कोई प्राविधान नहीं था ।

स्वीकृत सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के लोक निर्माण विभाग फरेन्दा के अधिशासी/स्थानिक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की जांच

109–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के लोक निर्माण विभाग फरेन्दा के अधिशासी अभियन्ता एवं स्थानिक अभियन्ता के विरुद्ध वर्ष 1991 से लेकर 1994 तक शासन द्वारा निर्माण कार्य के लिये आवंटित की गयी धनराशि में 25 लाख रुपये से अधिक धनराशि का फर्जी भुगतान करने की शिकायत श्री भीम प्रताप सदस्य, कांग्रेस (आई), उ० प्र० ने दिनांक 28-2-94 को शासन में की है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र की जांच न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी शिकायती पत्र की प्रतिलिपि एवं जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रकरण में श्री भीम प्रताप सदस्य कांग्रेस (आई) उ० प्र० का पत्र दिनांक 28-2-94 तो नहीं, अपितु 23-2-94, 24-2-94 एवं दिनांक शून्य शासन में प्राप्त हुआ है । अधीक्षण अभियन्ता, 59वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को उपरोक्त शिकायतों की जांच किए जाने हेतु निदेशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में लोक निर्माण में कार्य अधीक्षक एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा फर्जी भुगतान की विजिलेन्स द्वारा जांच की मांग

110–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-1-94 की मण्डल प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जनपद महराजगंज मुख्यालय पर अनुश्रवण समिति की बैठक में विधान सभा सदस्यों, विधान परिषद् सदस्यों, सांसद प्रतिनिधियों द्वारा फरेन्दा के लोक निर्माण के कार्य अधीक्षक एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान सड़क निर्माण मरम्मत के नाम पर मस्टर रोल द्वारा निकाले जाने की सूचना दी गयी है जिसकी जांच के लिए समिति ने अपने प्रस्ताव में विजिलेन्स द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो किन कारणों से विजिलेन्स की जांच न कराकर विशेष आडिट सेल तथा टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जा रही है ? क्या समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसर सरकार उक्त जांच करायेगी ? यदि हां, कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दिनांक 4-1-94 को इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई अपितु दिनांक 25-1-94 को मा० प्रभारी मंत्री श्री बलराम यादव जी की अध्यक्षता में उक्त बैठक हुई ।

जी हां ।

सतर्कता जांच कराये जाने का निर्णय नियमानुसार प्रारम्भिक जांच के परीक्षणोपरान्त लिया जाता है ।

जनपद महराजगंज में बेसिक शिक्षा परिषद् प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जानकारी

111–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के बेसिक शिक्षा परिषद् प्राथमिक विद्यालयों में पांच सौ से ऊपर स्थान 40:1 के आधार पर रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों को भरने के लिये सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीधे भर्ती पर रोक लगाते हुए चयन समिति द्वारा अनुभवी, योग्य अपेक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रदेश स्तर से प्रचार-प्रसार के माध्यम से बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर नियुक्त करने का भी निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियां उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक)सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती हैं ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम, लि० इकाई सिसवा बाजार महराजगंज के गन्ना प्रबन्धक द्वारा गन्ना तौल में घपले की जांच

112–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, इकाई सिसवा बाजार, महराजगंज के गन्ना प्रबन्धक द्वारा गन्ना क्रय में भारी मात्रा में एडजेस्टमेंट करने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8-2-94 को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त चीनी निगम द्वारा जनपद देवरिया के ग्राम सभा नौरंगिया में गन्ना क्रय के लिये बाह्य क्रय केन्द्र जो दिनांक 5-3-94 को स्थापित किया गया है उस क्रय केन्द्र द्वारा दिनांक 15-3-94 तक के क्रय किये गये गन्ने को मिल गेट, सिसवा बाजार पहुंचाया गया है जिसकी पुनः तौल मिल गेट पर करायी गयी है जिसमें 400 कुन्टल गन्ने की कमी पाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकार से हो रही भारी क्षति की जांच तथा क्षति से संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 8-2-94 प्राप्त नहीं हुआ है । अपितु दिनांक 5-2-94 का पत्र प्राप्त हुआ है । जिस पर उ० प्र० राज्य चीनी निगम से जांच कराई गयी । उ० प्र० राज्य चीनी निगम ने सूचित किया है कि जांच आख्या के आधार पर आरोप निराधार पाये गये हैं ।

लोक निर्माण विभाग में वित्तीय प्रबन्धक की कमियों को दूर करने के संबंध में निर्णय

113–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में लोक निर्माण विभाग में वित्तीय प्रबन्धक की कमियों को दूर कर सुधार करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो वे निर्णय क्या हैं और क्या उनका कार्यान्वयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

114–श्री राम सरन वर्मा–

[तीसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट सोसाइटी सीतापुर को पदाधिकारियों की जानकारी

115–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके अधीन रजिस्ट्रार सोसाइटीज, उ० प्र० के कार्यालय में सीतापुर आई हास्पिटल ट्रस्ट सोसाइटी, सीतापुर नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो उसके रजिस्टर्ड पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के भागलपुर क्षेत्र एस० डी० आई० के पद पर कार्यरत श्री रामचन्द्र कुंवर के विरुद्ध शिकायतों की जांच की मांग

116–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत भागलपुर क्षेत्र में एस० डी० आई० के पद पर कार्यरत श्री रामचन्द्र कुंवर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में सपा विधान मंडल दल के पत्र संख्या 1608 मुख्य मंत्री व 1609 उन्हें दिनांक 12-9-94 को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराते हुए एस० डी० आई० श्री कुंवर को दण्डित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग में वर्गवार पदों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति की जानकारी

117–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बतानं की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ प्रौढ़ शिक्षा विभाग मे कुल कितने पद हैं? उसमें सामान्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रौढ़ शिक्षा विभाग में सृजित कुल पदों की संख्या 314 है ।

भरे गये 261 पदों में से 170 पदों पर सामान्य वर्ग के 44, अनुसूचित जाति के 1, अनुसूचित जन जाति तथा 46 अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग के सभी पद निःसंवर्गीय हैं । इन पदों मे समक्ष नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमि०, पीलीभीत के संबंध में कतिपय विवरण

118–श्री राम सरन वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बीसलपुर (पीलीभीत) को प्रारम्भ से अब तक कितना लाभ हुआ है ? क्या विगत तीन वर्षों की बैलेन्स शीट विधान सभा पटल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लाभ होने की दशा में अब तक उक्त चीनी मिल ने अपने अंशधारियों को लाभांश का वितरण किया है ? यदि हां, तो कब तक तथा कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सहकारी चीनी मिल लि०, बीसलपुर (पीलीभीत) को विगत वर्षों में जो लाभ हुआ है, का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रु० में)
1	1985-86	69.27
2	1986-87	64.42
3	1987-88	64.00
4	1988-89	36.31
5	1993-94	39.35

विगत 3 वर्षों की बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते की छाया प्रति संलग्न है ।

वर्ष 1993-94 तक बीसलपुर सहकारी चीनी मिल की कुल संकलित हानि रु० 1558.50 लाख है । इसके अतिरिक्त मिल समिति पर केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं, क्रयकर व शक्कर विशेष निधि का भारी बकाया है । मिल की वित्तीय स्थिति इस योग्य नहीं है कि अंशधारियों को लाभांश का वितरण कर सके ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 189-191 पर)

एम० पी० पी० इण्टर कालेज, बलरामपुर गोण्डा में प्रवक्ता के पद पर श्री राकेश प्रताप सिंह की नियुक्ति के संबंध में राज्याज्ञा की अवहेलना

119–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राकेश प्रताप सिंह की नियुक्ति एम० पी० पी० इण्टर कालेज, बलरामपुर, गोण्डा में प्रवक्ता के पद पर कैसे की गयी और यह विद्यालय के उपस्थित पंजिका

पर कैसे हस्ताक्षर करते हैं ? क्या यह सही है कि राजाज्ञा संख्या अर्द्धशासकीय पत्रांक शिविर/3/85-953/91.92 के अनुसार कोई भी नियुक्ति नहीं की जानी थी ?

श्री शाकिर अली–

श्री राकेश प्रताप सिंह की संस्था में प्रवक्ता गणित के पद पर कथित नियुक्ति सक्षम अधिकारी/संस्था प्रबन्धक द्वारा नहीं की गयी, बल्कि मनमानी रूप से संस्था के सचिव श्री वी० के० सिंह द्वारा नियुक्ति की गयी । श्री राकेश प्रताप सिंह संस्था प्रबन्धक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बिना मना करने पर भी संस्था के ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से प्रभारी प्रधानाचार्य की सांठगांठ से उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर बनाते हैं ।

जी नहीं ।

राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा की हिन्दी प्राध्यापिका कु० आशा शर्मा की तैनाती पर आपत्ति

120–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं०–14/1/90 कार्मिक-4-92, दिनांकित 20-5-92 के द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति के बावजूद राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा जनपद में हिन्दी विभाग में प्राध्यापिका के पद पर कु० आशा शर्मा पुत्री स्व० श्री मातादीन शर्मा अपने ही गृह जनपद बांदा के गृह स्थान बांदा में रहकर शासन के किस नियम अथवा आदेश के तहत शिक्षण कार्य कर रही हैं ? क्या प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित शासनादेश के अनुपालन में माननीय मंत्री जी कु० आशा शर्मा का स्थानान्तरण संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निर्गत करेंगे ? क्या संदर्भित शासनादेश का उल्लंघन कर कु० आशा शर्मा का उसके गृह जनपद में स्थानान्तरण करने वाले संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

डा० (कु०) आशा शर्मा, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांदा में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 20 मई, 1992 द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति के पूर्व से दिनांक 10-8-1990 से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

डा० कु० आशा शर्मा सेवावृद्धि के उपरान्त दि० 30-6-95 को सेवानिवृत्त हो जायेंगी ।

आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जनपद के विकास खण्ड नगवां चतरा में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के प्रस्ताव की जानकारी

121–श्री तीरथ राज–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर आदिवासी जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड नगवां चतरा में राजकीय बालिका विद्यालय वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

योजना/बजट प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण ।

विश्व बैंक द्वारा पोषित "सबको शिक्षा" योजना के अन्तर्गत दस जनपदों की सूची

122–श्री तीरथ राज–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सभी के लिये शिक्षा योजना जो प्रदेश के 10 जनपदों में लागू की गयी है ? क्या उन जनपदों मे सोनभद्र जनपद भी है ? यदि नहीं, तो यह योजना पिछड़ा जनपद होने के बाद भी सोनभद्र जनपद में क्यों नहीं लागू की गयी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां, विश्व बैंक सहायित "सभी के लिये शिक्षा" नामक परियोजना प्रदेश के दस जनपदों वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, इटावा, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी तथा नैनीताल में लागू की गयी है ।

जी नहीं ।

सभी पिछड़े जनपदों को योजना के अन्तर्गत लिया जाना सम्भव नहीं था ।

हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र (बाराबंकी) मे कतिपय राजकीय हाई स्कूल इण्टरमीडिएट विद्यालय खोले जाने की मांग

123–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में सुवेहा, पोखरा, तेजवापुर, जारमऊ में राजकीय हाई स्कूल इण्टरमीडिएट विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

योजना/बजट प्राविधान न होने के कारण ।

श्री भरत शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गन्ना विकास परिषद् फैजाबाद के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

124–श्री रमाकान्त यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरत शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गन्ना विकास परिषद्, फैजाबाद के विरुद्ध वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 30 जून, 1994 तक कुल कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब भरत शर्मा बाजपुर में तैनात थे तो उन्होंने सड़क व अन्य निर्माण कार्य करवाये थे जिसकी विजिलेंस जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मात्र एक।

अपर मुख्य अभियन्ता मुख्यालय से जांच करायी जा रही है।

जी हां।

सतर्कता जांच में की गयी विवेचना के आधार पर श्री शर्मा को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थापित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही में जांच के उपरान्त आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने की दशा में अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

जूनियर हाई स्कूल रेना विकास खण्ड भकवा, जिला फतेहपुर में शिक्षक का अभाव

125–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जू० हा० स्कूल, रेना, ब्लाक भकवा, जिला फतेहपुर में मात्र एक शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा वहां पर समुचित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां।

जी हां।

शिक्षा निदेशक, बेसिक को और अध्यापकों को तैनात करने हेतु समुचित निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व प्रधानाचार्य और शिक्षा संस्थान रायबरेली में उपनिदेशक के अनियमित नियुक्ति की शिकायत

126–श्री धनराज यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–7 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह तथ्य मौजूद है कि अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करते समय अनुशासनिक कार्यवाही का ध्यान नहीं रखा गया है, तो उनके विरुद्ध अब तक तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी है ? क्या ऐसे और भी मामले शासन के संज्ञान में हैं, जिनके अनुसार उक्त अनुभाग अधिकारी को अन्तर्ग्रस्त पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री शाकिर अली–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–7 में दिये गये उत्तर के अनुपालन में प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करा ली गयी है, तथा अग्रेतर कार्यवाही विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक शिक्षा के व्याख्याताओं के विनियमितीकरण में मतभेद की शिकायत

127–श्री धनराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा के 11 व्याख्याताओं को 6 के साथ विनियमितीकरण में विभेद हुआ है ? यदि हां, तो विभेद के क्या कारण हैं ? क्या 6 को इस विभेद के कारण वरिष्ठता का लाभ नहीं मिला है और 11 को वरिष्ठ किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उल्लिखित 6 व्याख्याता, वास्तव में उल्लिखित 11 व्याख्याताओं के सापेक्ष वरिष्ठता क्रम में ऊपर रखे गये हैं ? अतः उनके साथ कोई विभेद नहीं हुआ है ।

निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा श्री विनय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध शिकायतों के संदर्भ में कार्यवाही की जानकारी

128–श्री रमाकान्त यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक विनय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध दि० 26-4-94 को कोई शिकायती पत्र राज्य मंत्री शिक्षा को दिया गया था ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या थे ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का नियमितीकरण

129–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1990 से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की कोई कार्यवाही शासन में चल रही है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ? क्या लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों के आने पर इन तदर्थ शिक्षकों के सेवा में कोई व्यवधान पड़ेगा ?

श्री शाकिर अली–

वर्ष 1990 से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है क्योंकि तत्संबंधी कोई नीति निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपेक्ष्य में नियमित चयनित शिक्षकों के उपलब्ध होने तक तदर्थ शिक्षक कार्यरत रहेंगे ?

हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र, जनपद बाराबंकी के दहिला शिवनाम पोखरा मार्ग को डामर पिच मार्ग बनाने की कार्यवाही

130–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला, शिवनाम, पोखरा मार्ग पर डामर डालकर पिच मार्ग बनाने के संबंध में सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

विधान सभा क्षेत्र मुजेहना, जनपद गोण्डा मे बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

131–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में वित्तीय वर्ष 1994-95 में कोई बालिका इण्टर कालेज खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित न होने के कारण ।

आगरा और फिरोजाबाद जनपद की सीमाओं पर बटेश्वर के निकट जमुना नदी पर पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग

132–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा तथा फिरोजाबाद जनपद की सीमाओं को जोड़ने वाले बटेश्वर के पास यमुना नदी पर बनने वाले नौरंगी घाट पुल का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और अब तक कितना प्रतिशत निर्माण हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत पुल का निर्माण अक्टूबर, 1988 में प्रारम्भ किया गया था ।

नवम्बर, 1994 तक 42 प्रतिशत निर्माण हो चुका है ।

शेष निर्माण कार्य का पूरा होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है जिसकी फिलहाल कमी है।

हलीम मुस्लिम इण्टर कालेज, कानपुर में मानक से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की शिकायत

133–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हलीम मुस्लिम इण्टर कालेज, कानपुर में वर्तमान समय में मानक से अधिक संख्या में अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि मानक से अधिक संख्या में अध्यापक कार्यरत होने के बावजूद अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को सरकार रोकने हेतु कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

हलीम मुस्लिम इण्टर कालेज, कानपुर में अध्यापकों/प्रवक्ताओं की संख्या मानक से अधिक नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हलीम मुस्लिम विद्यालय, कानपुर में अर्थशास्त्र संकाय खोले जाने का मामला

134–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हलीम मुस्लिम विद्यालय, कानपुर में अर्थशास्त्र संकाय खोले जाने का मामला समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त शासन में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस शिक्षा सत्र से उक्त अर्थशास्त्र संकाय का पाठ्यक्रम महाविद्यालय में शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

इस कालेज को एम० ए० अर्थशास्त्र में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में शासन को कानपुर विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कुलसचिव, कानपुर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य से कतिपय सूचनाएं मांगी गयी थीं जो अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सूचनाएं प्राप्त होने पर प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, दीवान बाजार, गोरखपुर की अस्थायी सम्बद्धता विषयक मामला

135–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, दीवान बाजार, गोरखपुर की अस्थाई सम्बद्धता वापस लेने विषयक शासनादेश का पालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं । उक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र शासनादेश दिनांक 21-5-94 द्वारा कुलसचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को भेजकर महाविद्यालय के सम्बद्धता शर्तों को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था । उक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार क्योंकि महाविद्यालय स्थायी सम्बद्धता के सभी शर्तों की पूर्ति कर चुका है । अतः अस्थायी सम्बद्धता वापस लेने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी संस्थाओं द्वारा काम करने वाले ठेकेदारों के बिलों से बिक्रीकर के कटौती एवं जमा करने में उत्पीड़न करने की शिकायत

136–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 94 के चौथे सोमवार के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न सं० 47 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सभी सरकारी संस्थाओं के ठेकेदारों के बिल से बिक्रीकर की, की गयी कटौती पुस्तिका अन्तर द्वारा जमा की गयी है ? क्या उसकी वापसी का लाभ दिये जाने का आदेश विभागीय अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं ? क्या आज तक आदेश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा निर्गत न करने के कारण ठेकेदारों के बिल से टैक्स कटौती धनराशि का समायोजन कर अधिकारियों द्वारा कर लगाते समय न करके ठेकेदारों का उत्पीड़न किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन में दिये गये उत्तर का अनुपालन तत्काल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बहुत से राजकीय विभागों द्वारा संकर्म-संविदाकारों से स्रोत पर की गयी कटौती का भुगतान सीधे राजकीय कोषागार में न करके पुस्तक-हस्तान्तरण द्वारा किया गया है । उक्त के कारण संविदाकारों को कटौती की धनराशि का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है । संविदाकारों की उपर्युक्त कठिनाई पर विचार करके शासन द्वारा पुस्तक-हस्तान्तरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि का लाभ संविदाकारों को देने का निर्णय लिया गया है । उक्त आशय का निर्देश विभागीय परिपत्र सं०-शोध-समाधान (सि० वा० कां०)–1993-94/1136/बिक्रीकर दिनांक 4-11-93 द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्गत कर दिया गया है । उक्त परिपत्र का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त व्यापार कर, उ० प्र० को शासन के पत्र संख्या–व्या०कर –2-ए० क्यू०-4/ग्यारह-95-8 (ए० क्यू०-17)/94, दिनांक 18-1-95 द्वारा पुनः निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद पीलीभीत में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को समायोजन तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

137–श्री राम सरन वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी कितने हैं जिनको कि सेवायोजित किया जाना अवशेष है ? क्या ऐसे बी० टी० सी० प्रशिक्षित

अवशेष अभ्यर्थियों को शीघ्र ही समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? सेवायोजित होने तक क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक योजना लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत 436 प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जिन्हें सेवायोजित किया जाना शेष है ।

सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु से रिक्त पदों पर नव सृजित पदों पर मानक के अन्तर्गत नियुक्ति की जाती है । निर्धारित मानक के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है । यह अनवरत चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

बेरोजगारी भत्ता देने की योजना लागू नहीं है ।

प्रतापगढ़ जनपद में सई नदी पर तेजगढ़ के समक्ष बने पैन्टून ब्रिज को पक्का किये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

138–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी के ऊपर तेजगढ़ के सामने पैन्टून ब्रिज बना है ? क्या उक्त स्थल पर पक्का पुल निर्मित किये जाने का पहले से प्रस्ताव है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? पक्का पुल बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सई नदी में प्रवाहित होने वाले प्रदूषित जल से होने वाले जन धन की हानि की शिकायतें

139–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली स्थित पेपर मिल में अपने उत्सर्ज प्रवाह हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त पेपर मिल का दूषित पानी सई नदी में प्रवाहित किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त मिल को चलते रहते देने का औचित्य है ? क्या इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रायबरेली में स्थित मै० श्री भवानी पेपर मिल द्वारा बोर्ड से उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति वर्ष 1994 हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी है । मै० रावल पेपर मिल द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप होने पर भी सहमति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर वाद संख्या 3727/85 के अन्तर्गत लम्बित है ।

मै० श्री भवानी पेपर मिल एवं मै० रावल पेपर मिल, रायबरेली द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से बोर्ड मानकों के अनुरूप लाने के उपरान्त ही सई नदी में निस्तारित किया जाता है । लागू नहीं ।

श्री सितवत हुसैन बिक्रीकर अधिकारी हरदोई तथा ओम प्रकाश दुबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोरखपुर के निलंबन एवं बहाली में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाने की शिकायत

140–श्री अनिल कुमार –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सितवत हुसैन बिक्रीकर अधिकारी जो कि जिला हरदोई में कार्यरत थे तो उनको आई० पी० सी० की धारा 302 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था । तदुपरान्त मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है । जबकि श्री ओम प्रकाश दुबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बिक्रीकर विभाग सचल दल गोरखपुर जिनके ऊपर भी उपरोक्त किस्म का मुकदमा है, को बहाल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री ओम प्रकाश दुबे को श्री सितवत हुसैन की भांति बहाल कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुसैन के संबंध में मा० उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को निलम्बित कर दिया था, जिसके आधार पर उनको निलम्बन समाप्त कर बहाल किया गया । परन्तु श्री दुबे के मामले में न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है ।

मे० गुडलक कोल कम्पनी गाजियाबाद को बाबत हसन असगर रिजवी व्यापार कर अधिकारी श्रेणी –2 जांच चौकी कुण्डोगरा जिला हमीरपुर के विरुद्ध अनधिकृत समाधान शुल्क लिये जाने की शिकायत

141–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-9-94 का एक पत्र आयुक्त व्यापार कर लखनऊ को सम्बोधित मैसर्स गुडलक कोल कं० गाजियाबाद को बाबत व्यापार कर अधिकारी हसन असगर रिजवी श्रेणी-2 जांच चौकी कुण्डोगरा जिला हमीरपुर के विरुद्ध अनधिकृत रूप से समाधान शुल्क किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस संबंध में तथ्यों का परीक्षण किया गया । परीक्षणोपरान्त श्री हसन असगर रिजवी, व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–2 के द्वारा कोई अनियमितता की जानी नहीं पायी गयी ।

विकास खण्ड मौदहा जिला हमीरपुर के पच्चीस हजार की आबादी वाले ग्राम ग्योड़ी में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल एवं उसमें तैनात स्टाफ की संख्या की जानकारी

142–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के पिछड़े एव दलित बाहुल्य लगभग 35 हजार आबादी के ग्राम ग्योड़ी में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं ? उक्त स्कूलों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? उक्त अध्यापकों में कितने उसी ग्राम के हैं तथा कब से तैनात हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने हेतु उसी गांव के अध्यापकों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर समस्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

ग्राम–ग्योड़ी में 4 प्राथमिक एवं 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है ।

उक्त विद्यालयों में स्वीकृत 11 पदों में से 9 पद भरे हुए हैं ।

निम्नांकित स्थानीय शिक्षक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से तैनात हैं :–

1–श्री सुखदेव, स० अ० 30-9-89

2–श्री राम सनेही प्र० अ० 17-5-85

3–श्री माधव प्रसाद प्र० अ० 1-3-92

4–श्री शिवकरन सिंह, प्र० अ० 2-8-91

परिषदीय विद्यालयों में स्थानीय अध्यापकों की तैनाती प्रतिबन्धित नहीं है ।

जनपद हमीरपुर में कबरई कुनेहरा मार्ग के निर्माण में हो रहे विलम्ब की शिकायत

143–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कबरई कुनेहटा मार्ग का निर्माण कार्य किस वर्ष से प्रारम्भ किया गया था इस 27 कि० मी० लम्बे मार्ग एवं नदी नालों में पुलों के निर्माण कार्य में अभी कितना समय लगेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अत्यन्त पिछड़े एवं दलित बाहुल्य आबादी के गांवों को जोड़ता हुआ यह मार्ग सुचारु रूप से परिवहन के लिये उपलब्ध हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद हमीरपुर में कबरई कुनेहटा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में प्रारम्भ किया गया था ।

कबरई कुनेहटा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है । इस मार्ग के कि० मी० 15 में चन्द्रावल नदी पर पुल/रपटे एवं पहुंच मार्गों के निर्माण की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । उपर्युक्तानुसार ।

राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर (पीलीभीत) की चहारदीवारी के निर्माण में शासनादेश की अवहेलना की शिकायत

144–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश सं० 1986/15-1-17-91-92(7)91 दिनांक 16-5-91 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय 6.49 लाख रुपया की स्वीकृत धनराशि से राजकीय महाविद्यालय, बीसलपुर (पीलीभीत) की चहारदीवारी का निर्माण क्यों नहीं हो सका है ? यह निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ।

145–146–श्री तीरथ राज–

[दिनांक 22-8-94 को अता० प्र० सं० 175 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० मि० में आरक्षित वर्ग के अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) एवं सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के पदों के भरने में निगम के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जा रही देरी की शिकायत

147–श्री छोटे लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में आरक्षित वर्ग के अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) एवं सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिये जो विज्ञापन दिनांक 6-3-94 को दिया गया था क्या उस पर निगम प्रबन्धतंत्र द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अब तक पद क्यों नहीं भरे गये हैं ? अपर परियोजना प्रबन्धक व सहायक स्थानिक अभियन्ता के आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दिनांक 6-3-94 को अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) व सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु दिये गये विज्ञापन में से केवल अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) के पद

भर्ती हेतु रोक लगायी गयी थी । संशोधित नियमों के अनुसार अवर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) का पद सीधी भर्ती का प्राविधान नहीं है ।

सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों पर चयनोपरान्त नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं । अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) के पदों पर सीधी भर्ती नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

अपर परियोजना प्रबन्धक (सिविल) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई रिक्ति नहीं है । सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों को भरने की कार्यवाही की जा चुकी है ।

क्षेत्रीय अभियन्ता की सांठ-गांठ से जी० टी० रोड की पटरी पर अनधिकृत निर्माण एवं कब्जों की शिकायत

148–श्री महेश चन्द्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय अभियन्ता की सांठ-गांठ से जी० टी० रोड की पटरी पर अनधिकृत निर्माण व अवैध कब्जों के विरोध में श्री कैलाशचन्द्र कटियार निवासी ग्राम गांगूपुर , तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित एवं श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक द्वारा पृष्ठांकित पंजीकृत पत्र दिनांक 22-2-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

इन अतिक्रमणों में से पांच व्यक्तियों के विरुद्ध मई, 93 में नोटिसें जारी की गयी थी । तत्पश्चात् इनमें से चार ने अपने अतिक्रमण हटा लिये हैं । अवशेष एक श्री रामलखन व श्री रामखिलावन पुत्र श्री राम अवतार के खिलाफ परगनाधिकारी, बिल्हौर के न्यायालय में माह जुलाई, 1994 में वाद-पत्र दाखिल किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त बारह अन्य स्थाई अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध माह जुलाई, 1994 में ही नोटिसें जारी की गयी थी तथा इनके विरुद्ध वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

विद्यालयों में उर्दू अध्यापक भेजने की योजना की जानकारी

149–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस विद्यालय में कोई भी छात्र एवं छात्रायें उर्दू नहीं पढ़ती हैं क्या सरकार वहां भी उर्दू अध्यापक भेजने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर विश्वेश्वरगंज इकौना प्राइमरी विद्यालय विहीन ग्राम सभाओं का विवरण

150–श्री अक्षयवर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर, विश्वेश्वरगंज, इकौना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले हैं तथा

किन-किन ग्रामों में विद्यालय भवनहीन हैं ? नये विद्यालय कब खुल जायगें तथा भवनहीन विद्यालयों के कब तक भवन बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

पयागपुर में 11, विश्टेश्वरगंज में 7, इकौना में 25 ग्राम सभाओं में विद्यालय नहीं खुले हैं ।

विद्यालय भवनहीन नहीं हैं । वर्ष 94-95 में जनपद में 85 स्कूल खोलने जाने की स्वीकृति दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीकृष्ण इण्टर कालेज, आश्रम बरहज, जिला देवरिया से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री रामप्यारे तिवारी के वेतन निर्धारण का मामला

151–श्री अक्षयवर लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीकृष्ण इण्टर कालेज आश्रम बरहज, जिला देवरिया से सम्बद्ध प्रा० पा० में श्री राम प्यारे तिवारी, सहायक अध्यापक प्रा० विद्यालय की नियुक्ति किन तिथियों में हुई ? उक्त विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम में कब आया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया में उक्त विद्यालय का निरीक्षण किस दिनांक को किया एवं कितने अध्यापकों का वेतन देने की संस्तुति की ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के बाद भी क्रम संख्या–6 पर अंकित सहायक अध्यापक राम प्यारे तिवारी का वेतन बिल प्रधानाचार्य ने नहीं बनाया है ? क्या श्री राम प्यारे तिवारी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 24-1-92 को उनका वेतन देने हेतु निर्णय दिया है ? क्या शिक्षा मंत्री समस्त प्रकरणों की जांच कराकर श्री राम प्यारे तिवारी सहायक अध्यापक का वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-1-92 द्वारा इन्हें वर्ष 1973 से कार्यरत माना ।

संबंधित विद्यालय अक्टूबर, 1989 में वेतन वितरण में लिया गया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा दिनांक 24-1-90 को निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट के क्रमांक–1 से 10 तक उल्लिखित अध्यापकों की योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके संस्थाधिकारी से वेतनादि बिल प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी ।

संस्था से श्री तिवारी का अक्टूबर, 89 से मई, 93 तक की अवधि का बिल प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

नियमानुसार शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

लखनऊ जनपद के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में कार्यरत विकलांग शिक्षक एवं कर्मचारियों के वाहन अग्रिम उपलब्ध न कराया जाना

152–श्री सुरेश पासी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–2961/15-8-92/3147/84, दिनांक 18 जुलाई, 1992 (शिक्षा अनुभाग–8) के अन्तर्गत लखनऊ जनपद के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में कार्यरत विकलांग शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा वाहन भत्ते हेतु आवेदन करने के दो वर्षों के बाद भी अभी तक उक्त सुविधा उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या इसके लिये दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ? क्या प्रदेश के सभी जनपदों में सभी विकलांग शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने के आदेश तत्काल निर्गत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? शेष बकाया धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री शाकिर अली–

शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार पात्र शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यह लाभ स्वीकृत किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश के अन्तर्गत यह प्राविधान पहले से ही है कि विकलांग शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमानुसार विकलांग भत्ता अनुमन्य किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० राम किशोर द्विवेदी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला ग्राम नाई, जिला बांदा के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

153–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० राम किशोर द्विवेदी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला ग्राम नाई, जिला बांदा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही 1969 में हो गयी थी, के आश्रितों को नियमानुसार विभाग में नौकरी दे दी गयी है ? क्या इस संबंध में राम किशोर द्विवेदी के पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी का प्रार्थना-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को दिनांक 22-1-94 को नौकरी हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? शासनादेशों के अनुरूप अब तक मृतक आश्रितों को नौकरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-1-94 को दिया गया है जबकि स्व० श्री राम किशोर की मृत्यु लगभग 24 वर्ष पूर्व हुई थी मृतक के परिवार को तत्काल सहायता देने हेतु मृतक आश्रित को नौकरी देने पर विचार किया जाता है ।

अर्थ एवं संख्या विभाग में कुल पदों में आरक्षित पदों के विवरण की जानकारी

154–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या विभाग में कुल पदों की संख्या कितनी है ? उसमें सामान्य, पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(क) अर्थ एवं संख्या प्रभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2788 है । उनमें से 2035 पद भरे हुए हैं ।

(ख) भरे पदों में 1404 सामान्य, 165 पिछड़े वर्गों तथा 366 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति हैं।

(ग) कोटा पूरा नहीं है ।

(घ) पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण करने के लिये एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करते हुए उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(ङ) उक्त विशेष सचिव को इस संबंध में भी छानबीन करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

नियोजन विभाग में कुल पदों में आरक्षित पदों की संख्या की जानकारी

155–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ नियोजन विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

3952 है । उनमें से 2035 पद भरे हुए हैं ।

सामान्य	पिछड़े	अनुसूचित जाति
1851	441	510

कोटा पूरा नहीं है।

पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण करने के लिये एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करते हुए उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्त विशेष सचिव को इस संबंध में भी छानबीन करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी की अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराये जाने की मांग

156–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के जिला योजना वर्ष 1992-93 की स्वीकृत योजनाओं में से कितनी सड़कें पूरी हो चुकी हैं और कितनी अपूर्ण हैं ? अपूर्ण योजनाओं के विलम्ब का कारण क्या है और इनको कब तक पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पांच सड़कों का कार्य स्वीकृत है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रगति में है। कार्यों का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

157–घनश्याम शुक्ल––

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को भेजे गये शिकायती पत्र पर जांच की मांग

158–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1994 के बाद प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र उनको एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को तथा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० को दिया था और टी० ए० सी०/ विजिलेन्स से जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का आशय क्या था और जांच किस एजेन्सी द्वारा कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-4-94 एवं दिनांक 8-11-94 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। दिनांक 8-11-1994 का पत्र दिनांक 13-4-1994 के पत्र की प्रतिलिपि है। प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का आशय बौद्ध परियोजना के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड गोण्डा/बहराइच/सिद्धार्थनगर तथा विभागीय निर्माण इकाई गोण्डा/बहराइच/सिद्धार्थनगर को आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों एवं भुगतान में की गयी अनियमितताओं की टी० ए० सी०/सतर्कता से जांच कराने का था। विभागीय अधिकारियों के स्तर से तथा टी० ए० सी० से जांच कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रदेश में जिला परिषदों के भवनविहीन प्राइमरी पाठशालाओं का विवरण एवं निर्माण की मांग

159–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा संचालित कितने जूनियर हाईस्कूल भवनविहीन हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड तारुन अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल गयासपुर में 1947 के पूर्व से पठन-पाठन का कार्य हो रहा है और वह आज भी भवनविहीन है ? यदि हां, तो भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शाकिर अली–

वर्तमान में प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 62 जूनियर हाईस्कूल भवन विहीन हैं ।

जी हां ।

विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है ।

मार्च, 1995 तक पूरा होने की आशा है ।

श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स, नानपारा, जनपद बहराइच के सिविल वर्क, बाउन्ड्रीवाल तार फिटिंग का ठेका

160–श्री अक्षयवर लाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल्स, नानपारा, जनपद बहराइच के सिविल वर्क, बाउन्ड्रीवाल तार फिटिंग का ठेका साढ़े छः प्रतिशत लोयेस्ट पर न देकर साढ़े बारह प्रतिशत लोयेस्ट पर टेण्डर डालने वाले व्यक्ति को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे सरकार को लगभग दो लाख रुपया नुकसान हुआ ? क्या उसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारियों के वेतनमान के संबंध में वेतन आयोग की संस्तुति को लागू किये जाने की मांग

161–श्री अक्षयवर लाल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहायक कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारियों के वेतनमान में विसंगति होने के कारण वेतन आयोग ने जांचोपरान्त अपनी संस्तुति वेतनमान बढ़ाने हेतु दी है ? यदि हां, तो वेतनमान कब से बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासनादेश सं० एस०–3/2519/दस-94-100(56अ)/दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 द्वारा उप-कोषाधिकारी एवं सहायक कोषागार अधिकारी को एकीकृत संवर्ग करते हुए सहायक कोषागार अधिकारी को वेतनमान रु० 1640--2900 के स्थान पर रु० 2000–3200 का वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

162–श्री लालमणि प्रसाद–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

163–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद महराजगंज के समस्त जूनियर कन्या विद्यालयों की छात्राओं की परीक्षा में अनियमितता की शिकायत

164–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के समस्त जूनियर कन्या विद्यालयों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की परीक्षा देने हेतु वार्षिक परीक्षा के समय छात्राएं घरों से जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के लिये कपड़ा क्रय करके लाती हैं जिस पर बुनाई, कढ़ाई करके परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करती हैं, परीक्षक के जांचोपरान्त काढ़े एवं सिले गये कपड़ों को छात्राओं को वापस नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या जिले में प्राप्त वस्त्रों से बने सामानों का लेखा-जोखा रखा जाता है ? क्या सिले, बुने कपड़ों को विभाग द्वारा बिक्री की जाती है ? यदि हां,तो क्या बिक्री धनराशि विद्यालय के विकास कार्यों के लिये वापस किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी नहीं,

जांचोपरान्त काढ़े एवं सिले कपड़ों को वापस कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज, लोक निर्माण विभाग की हेवती से सेन्दुरिया की सड़क की मरम्मत पर मानक से अधिक भुगतान की शिकायत

165–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेवती से सेन्दुरिया लोक निर्माण विभाग की सड़क पर मरम्मत के नाम पर मानक से अधिक धन खर्च करना दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया और उक्त सड़क को लोक निर्माण विभाग फरेन्दा को स्थानान्तरित दर्शाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सड़क को फरेन्दा से लोक निर्माण विभाग महराजगंज में 92-93 में वापस करना दिखाया गया है

और सड़क मरममत के नाम पर फर्जी भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त फर्जी भुगतान करने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध घोटाले की जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ सहायक उपस्थिति अधिकारी को पेंशन दिये जाने के प्राविधान की जानकारी

166–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन सहायक उपस्थिति अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन दिये जाने का क्या प्राविधान है ? क्या 1-4-1980 से पूर्व सेवानिवृत्त उक्त अधिकारियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि हां, तो श्री मुंशी लाल शर्मा, स० उ० अधिकारी, रघुवीरपुरी, अलीगढ़ जो 30-11-79 में सेवानिवृत्त हुए हैं, को पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनको भी पेंशन दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

परिषद् गठन से पूर्व की 5 महापालिकाओं से हस्तान्तरित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये महापालिका पेंशन नियमावली, 1962, जिला परिषदों से स्थानान्तरित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये जिला परिषद् पेंशन नियमावली, 1972 तथा शेष नगरपालिकाओं से हस्तान्तरित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये शासनादेश 6965/15-5-80-94/77, दिनांक 6-11-80 द्वारा पेंशन दिये जाने का प्राविधान है ।

महापालिका पेंशन नियमावली, 1962 तथा जिला परिषद् पेंशन नियमावली, 1972 के अन्तर्गत जिन सहायक उपस्थिति अधिकारियों को पेंशन भुगतान अनुमन्य थी, उन्हें दी जा रही है । नगर क्षेत्र से हस्तान्तरित सेवानिवृत्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये पेंशन की सुविधा राजाज्ञा दिनांक 6965/15-5-80-94/77, दिनांक 6-11-80 द्वारा 1-4-80 से अनुमन्य की गयी है । अतः श्री मुंशी लाल शर्मा को दिनांक 30-11-79 को सेवानिवृत्त होने के कारण पेंशन अनुमन्य नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

1-4-80 से पूर्व सेवानिवृत्त नगर क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन की सुविधा अनुमन्य न होने के कारण पेंशन देय नहीं है ।

ग्राम सिंघनी, जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी पर बने पुल से एप्रोच रोड बनाये जाने की मांग

167–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के गढ़वारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिंघनी में सई नदी पर बने पुल पर मिट्टी की एप्रोच रोड़ हेतु धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक एप्रोच रोड न बनाये जाने का क्या कारण है इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

मुख्य सेतु पूर्ण होने पर वर्षाकाल के कारण एप्रोच स्लैब के नीचे मिट्टी का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं था ।

कार्य प्रगति पर है ।

प्रत्येक विकास खण्ड में एक कन्या विद्यालय खोले जाने की योजनान्तर्गत विकास खण्ड सण्डवा, चन्द्रिकन एवं लक्ष्मणपुर में कन्या विद्यालय खोलने की मांग

168–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक कन्या विद्यालय खोले जाने के शासन के निर्णयानुसार क्या विकास खण्ड सण्डवा, चन्द्रिकन एवं लक्ष्मणपुर जनपद प्रतापगढ़ में कोई कन्या विद्यालय खोलने की शासन की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में नहीं, बल्कि असेवित विकास खण्ड में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने की शासन की नीति है । जनपद प्रतापगढ़ से प्रश्नगत विकास खण्डों में कन्या विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर तद्नुसार विचार कर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय, प्रवक्ता, मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के वेतन बकाये का मामला

169–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरिवंश सहायक, प्रवक्ता, मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया को जुलाई, 1985 से जुलाई, 1991 तक लगातार वेतन मिला है ? यदि हां, तो अगस्त, 1991 में इनका वेतन किसके आदेश से रोक दिया गया ? क्या इनके निष्कासन की उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग तथा चयन बोर्ड से अनुमति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस अनियमितता के लिये दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री शाकिर अली–

जी हां । अगस्त, 1991 से वेतन प्रबन्धक द्वारा रोका गया है । श्री सहाय का प्रकरण स्वेच्छा से सेवा निवृत्त का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सोहन लाल द्विवेदी इण्टरमीडिएट कालेज, बिन्दकी, जिला फतेहपुर के छात्राओ के आसन व्यवस्था की कमी का मामला

170–श्री घूरा राम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री सोहन लाल द्विवेदी इण्टरमीडिएट कालेज, बिन्दकी, जिला फतेहपुर में छात्राओं के बैठने हेतु कुर्सी, मेज आदि उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

छात्राओं के बैठने हेतु कुर्सी, मेज आदि की कमी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

171–श्री राम विशुन आजाद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के जिला योजना 1993 में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की योजना की जानकारी

172–श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के 1993 में जिला योजना से 2,97,47,000 रु० की प्रस्तावित सड़कों की शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी अथवा शासन के पास विचाराधीन है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । जनपद गाजियाबाद की वर्ष 93-94 की जिला योजना की प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के विकास खण्ड में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

173–श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के विकास खण्ड में कोई डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार डिग्री कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ।

174–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पदोन्नति के प्राविधान की जानकारी

175–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्ति का क्या प्राविधान है ? क्या केवल प्रोन्नति द्वारा ही अधिशासी अभियन्ता "क" पद पर नियुक्ति की जाती है जो वर्ग "क" में है ? यदि हां,तो वर्ग "क" में सीधी भर्ती के आरक्षित पदों पर नियुक्ति का क्या प्राविधान है ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि विभाग में "क" वर्ग के लिये विकलांग सहायक अभियन्ता भी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता के पद पर आरक्षित कोटा पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या आरक्षित कोटा भरने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्ति विभाग में उपलब्ध अर्ह सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति द्वारा की जाती है ।

जी हां । विभाग में समूह "क" के सभी पद "प्रोन्नति" द्वारा ही भरे जाते हैं ।

विभाग में समूह "क" का सीधी भर्ती का कोई पद नहीं है ।

विभाग में अधिशासी अभियन्ता का पद प्रोन्नति का पद है तथा प्रोन्नति के पदों पर विकलांगों के लिये आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित कोटे को भरे जाने के लिये शासन के अधिकारी समुचित कार्यवाही करते हैं ।

जनपद बुलन्दशहर के जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन के अधिवक्ताओं के चेम्बर के निर्माण की जानकारी

176–श्री डी० पी० यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के जिला कलेक्ट्रेट बार एसोशियेशन के अधिवक्ताओं के लिये चैम्दर के लिये निर्माण हेतु 2.50 लाख रुपये की घोषणा दिनांक 31-3-94 को उनके द्वारा की गयी थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त घोषणा के अनुसार अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1994 को की गयी घोषणा के अनुसार जनपद बुलन्दशहर के जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण हेतु रुपया 2.50 लाख स्वीकृत किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला

177–श्री महेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्या माह में औसतन लगभग 20 या 22 दिन का वेतन भुगतान किया जाता है तथा अवकाश के दिनों का वेतन काट लिया जाता है ? क्या इन कर्मचारियों को प्रतिमाह नियत वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माह में जितने दिन कार्य किया जाता है, उतने दिनके पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें किया जाता है ।

जी नहीं ।

राजकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को तीन वर्ष की सेवा सीमा पूरा करने के बाद पूर्णकालिक कर्मचारी की भांति बोनस दिये जाने की मांग

178–श्री महेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बर्ताने की कृपा करेंगे कि पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति राजकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो निरन्तर 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं तथा बोनस की भी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, को भी अन्य पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों की भांति वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की प्रास्थिति पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों से सर्वथा भिन्न है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

मुजफ्फरनगर काण्ड से संबंधित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, नियम 311 के अन्तर्गत हमने सूचना दिया है, कृपया पहले उस पर सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें । मैं सदन की कार्यवाही विधिवत् चलाना चाहता हूं । इसके बाद मैं आप लोगों की सुनूंगा । सबसे पहले मद संख्या 3 को आप लोग हमें लेने दें ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 का प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यिक) †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1988-89†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1988-89 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमि० का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, 1989-90†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1989-90 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (तृतीय अनुपूरक) नियमावली, 1994 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 2097–टी०/30-4-54 के एम–88, दिनांक 16 जुलाई, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय अनुपूरक) नियमावली, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप) नियमावली, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 4416–/94-27–सि० 4-2–रेट–94, दिनांक 18 जुलाई, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नलकूप)

---

† छापे नहीं गये।

नियमावली, 1994 को उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 4417–/94-27–सि० 4-2–रेट–94, दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 को उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(स्वामी परमानन्द दण्डी के सत्ता पक्ष की ओर आसन ग्रहण करने पर सत्ता पक्ष की जोर-जोर से मेजें थपथपाई गयी तथा भा० ज० पा० सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज करने पर घोर व्यवधान)

नेता सदन व नेता विरोधी दल में गुप्त समझौता होने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सदन में नियम कानून के अनुसार कार्यवाही चलती है।

सदन के बाहर और सदन के अन्दर अलग-अलग बातें कही जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नेता सदन के साथ नेता विरोधी दल ने जो गुपचुप समझौता कर लिया है, वह क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मध्यस्थता क्या आपके द्वारा हुई है ?

(घोर व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

यह तिवारी जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या अपनी गद्दारी की सफाई दे रहे हैं ?

(''घोर व्यवधान'' और घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प के (बयालिसवां) संशोधन निमावली, 1994 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रीकरण) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस० आर० 1907/11–94–218(4)–90, दिनांक 13 जून, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (बयालिसवां संशोधन) नियमावली, 1994को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 (दिनांक 21 फरवरी, 1994 से दिनांक 24 अप्रैल, 1994 तक) नियम 301 की सूचनाओं पर शुद्धि-पत्र सहित कार्यवाही का विवरण †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (दशम) संस्करण) के निदेश 14 (3) के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 (दिनांक 21फरवरी, 1994 से दिनांक 27 अप्रैल, 1994 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण शुद्धि-पत्र सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

नेता सदन व नेता विरोधी दल में गुप्त समझौता होने संबंधी जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो लोग गुपचुप सम्बन्ध रखते हैं इस तरह के, उनको इसमें भी सही दिखाई देता है इनके साथ हमारा ऐसा कोई गुप-चुप समझौता नहीं है .....(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सदन की कार्यवाही शान्ति से चलने दीजिए। (घोर व्यवधान) मैं यह कुछ लिखने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चुनाव हो जाएं तो 28 में से 8 ही लौटकर आयेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, क्या व्यवस्था का प्रश्न तिवारी जी का ही सुना जाएगा। यही हमेशा चलता रहेगा। (घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सिर्फ यही अनुरोध है ...."व्यवधान"

(नेता विरोधी दल के खड़े होने और उन्हें अनुमति मिलने पर)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, ...

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है, इन्हीं को तो हम सुनना चाहते थे, इनके बाद आप हमें बुलवाइयेगा ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं होगा ....(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मैं अधिक कुछ न कहकर, केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं । भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ न कोई खुला समझौता है और न कोई बन्द समझौता है । वह इस जनविरोधी सरकार को एक दिन भी प्रदेश में बने रहना नहीं देखना चाहती है । अब तक जो बन्द या खुला समझौता आपका चलता रहा है वह कांग्रेस की ओर से चलता रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से सदन में कुछ कहा जाता है और बाहर कुछ कहा जाता है । किन्तु प्रदेश की जनता इनके इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ रही है । यदि यही साहस हो तो आओ चुनाव मैदान में, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में हैं । "घोर व्यवधान"

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 (दिनांक 19 अगस्त, 1994 से 24 अगस्त, 1994 तक) नियम 301 की सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (दशम संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 (दिनांक 19 अगस्त, 1994 से दिनांक 24 अगस्त, 1994 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

"व्यवधान"

(मद संख्या 13 से 15 पुकारे जाने तथा किसी सदस्य के खड़े न होने पर आगे की मद ली गयी ।)

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज में सेमरा, शेखपुर घाट पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र सिंह आदि की याचिका

* श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड–नवाबगंज में सेमरा शेखपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री रामचन्द्र सिंह तथा श्री कीर्ति प्रकाश तिवारी निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज में मनहना से तेवारी बाजार जाने वाले रास्ते के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराने विषयक श्री राम चन्द्र सिंह आदि की याचिका ÷

*श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास काण्ड तरबगंज में मनहना से तिवारी बाजार जाने वाले रास्ते के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र सिंह तथा श्री कीर्ति प्रकाश तिवारी, निवासीगण-जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज में मनहना से तेवारी बाजार जाने वाले रास्ते के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराने विषयक भी राम चन्द्र सिंह आदि की याचिका ÷

*श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज में मनहना से तिवारी बाजार जाने वाले रास्ते के नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्रीराम चन्द्र सिंह तथा श्री कीर्ति प्रकाश तिवारी, निवासीगण–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज, तरबगंज रोड से सीसौ चौराहे से रामपुर से वजीर गंज जाने वाली रोड पर रामपुर टेगरहा घाट टेढ़ी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामचन्द्र सिंह आदि की याचिका *

*श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज तरबगंज रोड से सीसौ चौराहा से रामपुर टेगरहा से वजीरगंज जाने वाली रोड पर रामपुर टेगरहा घाट टेढ़ी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र सिंह तथा श्री कीर्ति प्रकाश तिवारी, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में ग्राम सभा चौखड़िया नवाबगंज से ढेमवा मार्ग पर चौखड़िया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र सिंह आदि की याचिका ÷

*श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज में ग्राम सभा चौखड़िया, नवाबगंज से ढेमवा मार्ग पर चौखड़िया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र सिंह तथा श्री कीर्ति प्रकाश तिवारी, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

÷ छापा नहीं गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3-2-95 की बैठक में सदन के दिनांक 6 फरवरी, 1995 से 8 फरवरी, 1995 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

(1) सदन का दिनांक 6 फरवरी, 1995 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1995

---

6 सोमवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–5.00 बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:–

(1) उत्तर प्रदेश सुख–साधन कर विधेयक, 1995

आधा घण्टा

(2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995

आधा घण्टा

(3) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995

आधा घण्टा

(4) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

आधा घण्टा

7 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–4.00बजे अपराह्न

---

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 का अन्तरिम आय-व्ययक तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

3–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

8 बुधवार

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

(2) दिनांक 6,7 तथा 8 फरवरी, 1995 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो सूचना मा० अध्यक्ष ने आज दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाये जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इनको सुन लें नहीं तो यह आगे व्यवधान पैदा करेंगे और कार्यवाही नहीं चलने देंगे । मिले यह दोनों लोग हैं और आरोप हमारे ऊपर लग रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया था अब पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

श्री रंगनाथ जी मैं तिवारी जी को बुलाया था यह बहुत समय से खड़े हैं। पहले उन्हें सुन लें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इससे लग रहा है कि सदन की कार्यवाही कौन नहीं चलने देना चाहता है। जब इनके नेता बोल रहे थे तो हमारे दल के सदस्य बैठे रहे। जब दूसरे दल के नेता बोलने के लिये खड़े होते हैं तो यह बोलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह नहीं चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर काण्ड पर चर्चा हो, गरीबों के बारे में चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष–

मैंने चर्चा के लिये नहीं बुलाया है, केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

हम चाहते हैं मुजफ्फरनगर काण्ड जो हुआ उस पर चर्चा हो।

(व्यवधान)

उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया उसको सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सुन लूंगा। सबसे पहले मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर तिवारी जी को बुला लिया है। तिवारी जी की बात सुन लें। चर्चा नहीं हो रही है ग्राह्यता पर अभी नही सुन रहा हूं।

श्री रंगनाथ–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आप सुन रहे हैं आप हमारे भी माननीय सदस्यों को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले व्यवस्था बनाये रखें, शान्ति बनाये रखें । तब मैं किसी को बुलाऊंगा अन्यथा किसी को नहीं बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

* श्री रामआसरे वर्मा–

सदन व्यवस्थित रूप से चले इसके लिए एक सुझाव सुन लें । जो नियम में है पीठ से निर्देश होता है उनके मुताबिक आचरण करना पड़ेगा । मैं अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं । अपनी बात कहें लेकिन दूसरों की भी बात सुनें, यह नहीं कि अपनी बात कह लेंगे और दूसरों की नहीं सुनेंगे यदि ऐसा करेंगे तो यह विपक्ष की भूमिका का निष्पादन नहीं करेंगे । इनका फर्ज बनता है कि यह विपक्षी दल का आचरण साफ तौर पर करें ।

(व्यवधान)

इन्होंने सत्ता के सांठ-गांठ कर रखी है । यह सांठ-गांठ करके जानबूझकर सदन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह भाजपा और सरकार की मिली जुली साजिश है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे कांग्रेस के साथी नहीं चाहते हैं कि यह जो जनविरोधी सरकार है उसकी पोल खुले इसलिए यह सदन में हंगामा कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष की बात शान्ति पूर्वक सुनी लेकिन जब कांग्रेस के दल के नेता ने बोलना शुरू किया तो यह भाजपा के लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं । यह आपके आदेशों की अवहेलना है । यह सदन आपके निर्देशों के अनुरूप चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब शान्ति व्यवस्था होगी तभी मैं किसी को बोलने की अनुमति दूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन की नियमावली संचालन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने माननीय सदस्यों के दल के अनुसार बैठने के लिए स्थान नियत किया है और माननीय सदस्य आपके द्वारा निर्धारित स्थान पर बैठते हैं । यह इस सदन की परम्परा भी रही है । यह भाजपा के लोग सदन के बाहर तो सरकार हटाने की बात करते हैं लेकिन....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीअध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विधायकों को सत्ता पक्ष की तरफ भेजकर सरकार चला रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, अब आप बैठ जाइए, आपकी बात पूरी हो गई ।

(कांग्रेसी सदस्यों ने सपा, भाजपा भाई-भाई के नारे लगाये ।)

(श्री हरक सिंह रावत, श्री रमेश पोखरियाल व कई अन्य भाजपा के सदस्यों ने "असली जालिम कौन है जो दिल्ली में मौन है" के नारे लगाए)

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता विरोधी दल नियमों के आधार पर कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं यह इनकी साजिश है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष महोदय, श्री ऊदल के बाद एक मिनट का मौका मुझे भी बोलने के लिए दे दें ।

*श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन का समय बहुत ही बहुमूल्य है और प्रदेश के अन्दर पिछले छः महीनों में बहुत सी जन समस्याएं पैदा हुई हैं जिनके ऊपर चर्चा होना इस माननीय सदन में बहुत ही आवश्यक था और है भी । मुझे बड़ा दुख है कि पिछले दिनों कुछ समस्याओं पर विचार होना था उस पर विचार नहीं हो सका । पहले कौन बोलेगा, यह मसला था ? लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई मसला नहीं था कि आगे नेता विरोधी दल बोलेंगे ।नेता विरोधी दल को अधिकार है बोलने का । यह मान्यवर, परम्परा है कि जब दल का नेता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बोलने लगता है तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए ।लेकिन समस्याएं जहां कि तहां धरी रहती हैं । 8 तारीख को माननीय सदन उठ जायेगा । फिर पता नहीं कब बैठेगा । बैठेगा या नहीं बैठेगा । इसलिए मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि आप समस्याओं को लेकर के इस सरकार को कठघरे में खड़ा करने की बात करते हैं जैसा कि अखबारों में पढ़ा है । अभी आज भी आपने चुनाव की बात कह दी, कि चुनाव में चलों हम वहां निबटेगें, तो कैसे निबटेगें ? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यहां उन समस्याओं को नहीं रखेंगे और उन पर विचार-विमर्श नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता के मन में अच्छी छवि जो आप कहते है ,नहीं बनेगी । मैं समझता हूं कि छवि तो अच्छी नहीं बन रही है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन को व्यवस्थित चलायें और खासकर मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार गिर जाती है तो महामहिम राज्यपाल महोदय इन्हीं को बुलायेंगे सरकार बनाने के लिए, बनाना चाहें या न बनाना चाहें, यह अलग बात है । इसमें आपको जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि इतने बड़े सदन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने दल में शान्ति बनाए रखिये इसलिए मैं इस के बारे में क्या कहूं कहने की जरूरत नहीं है । आपका सबसे बड़ा दल है लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है । सदन व्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी नेता विरोधी दल की है । यह मेरी प्रार्थना है कि सदन को व्यवस्थित चलाने में आप सहयोग कीजिए और अपने सदस्यों पर नियंत्रण कीजिए यही मेरी प्रार्थना है ।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्रीअध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय गुप्त जी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब आधे से ज्यादा हमारी संख्या है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम किसी बात का जवाब दें । वह पहले बोलें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहेंगे, कि यह सदन शान्ति पूर्वक चले । संसदीय तरीका यही है कि जब एक दल का नेता बोल रहा हो, तो दूसरे दल के सदस्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं । संसदीय सम्मान को बनाये रखने हुये बोलें ताकि सदन व्यवस्थित ढंग से चले । आप जो कहेंगे उसको सब लोग देखेंगे, दुनियां देखेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अकारण किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता । हमारा दल स्वयं चाहता है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चले और जनहित के मामलों पर हम चर्चा करें । माननीय नेता कांग्रेस दल ने प्रसंग से अलग बातें कहीं हैं । मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता हूं क्योंकि उन पर ध्यान देने की कोई बात है ही नहीं । आज प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के अन्तर्द्वन्द में माननीय मुलायम सिंह यादव को निर्द्वान्द बनाने की चेष्टा की है, यह पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह कौन सी व्यवस्था है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कांग्रेस के लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं ताकि माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात पूरी तरीके से न कह सकें, उनकी बात यहां पर आने नहीं दी जा रही है । यह दोनों लोग मिलकर प्रदेश के विनाश की कगार पर ले आये हैं । माननीय नेता विरोधी दल के बोलने में जानबूझकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।आप जो व्यवस्था देंगे उसका हम पालन करेंगे । अनेक प्रश्न हैं, मुजफ्फरनगर काण्ड तो है ही, शाहगंज में सत्ता पक्ष के विधायक ने जो काण्ड किया.....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसी तरह से आगरा का मामला है इन पर चर्चा होनी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल व्यवस्था की बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आधे घण्टे से खड़ा हो रहा हूं, मुझे अवसर दीजिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, सदन का समय बेकार जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी आप भाषण नहीं देंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सभी दलों के नेताओं का कर्तव्य है कि जब अन्य दल के नेता बोल रहे हों तो उनको सुना जाय और उसके बाद अपनी बात कही जाय । माननीय उप नेता विरोधी दल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया माननीय कल्याण सिंह जी भी बोले उनकी बातों को हमने सुना मुझको कुछ ऐसा लग रहा है, माननीय गुप्ता ने अभी कहा कि कांग्रेस के अन्दर अंतर्कलह है ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह नहीं,आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, भा०ज०पा० के विष्णुहरि डालमिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भा० ज० पा० की हार का कारण कल्याण सिंह रहे हैं ।

श्रीअध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्,इस सदन की कार्यवाही ठीक से चल सकती है, लेकिन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा चुका है, क्या उससे हटकर कोई आपकी व्यवस्था है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं । मैं अपनी व्यवस्था उठाना चाहता हूं ।

भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी विधायकों के दलबदल की स्थिति की जानकारी

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल संवैधानिक सवाल था वह तो आया नहीं और आरोप प्रत्यारोप में बात टल गयी । प्रश्न तो यह था कि दो माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उधर बैठे हैं तो उनकी वस्तु स्थिति क्या है ? सदन यह जानना चाहता था । क्या वह बसपा में सम्मिलित हो गये हैं या सपा में सम्मिलित हो गये हैं ? क्या उन पर एन्टी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता है ।यह डिफेक्शन का मामला है और बहुत गम्भीर मामला है । डिफेक्शन बिल बना है, इसलिये यह जरूरी समझा गया, लेकिन उस बात का उत्तर नहीं आया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय किरन पाल सिंह जी ने उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है और जब इसी सदन की नजरों के सामने दल बदल होते रहेंगे, इधर के लोग उधर बैठेंगे, तो मेरे कहने का मतलब यही कि स्थिति साफ हो जानी चाहिये और इसी समय सदन के सामने आ जाना चाहिये कि वह लोग भाजपा में हैं या सपा में हैं। इस तरफ की बात उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी को अनुमति नहीं है। सदन ऐसे नहीं चलेगा। यह गलत बात है।

सदन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सदन 12.00 पर बैठा थाऔर 40 मिनट हो गये हैं, सदन का कोई कार्य नहीं हुआ है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

एजेन्डे के हिसाब से कार्यवाही चलनी चाहिये, लेकिन नेता विरोधी दल खड़े हो गये। उनको सुन लिया गया, फिर और लोग शोर करने लगे, उनको भी ध्यान रखना चाहिये। जब वह सदन में आये हैं, तो दूसरे लोगों को सुनें, उनकी बात को भी सुनें और फिर उनकी बात का उत्तर दें। आप शोर मचावें तो यह अच्छी परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

फिर आप लोग बोल रहे हैं। हमारी बात को सुनें और उसका कड़ा प्रतिवाद करें। दूसरों की बात न सुनना और अपनी बात कहते रहना, यह भी तो उचित नहीं है। यह लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। अभी यह आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के लोग मिले हुये हैं और उनकी ओर से यह आरोप लगाया गया है कि यह लोग मिले हैं, लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह बीच में खड़े हो गये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, हमारी सपा बसपा की सरकार कांग्रेस और भाजपा दोनों की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और जहां तक संबंधों का सवाल है उस पर हम विस्तार में नहीं जायेंगे। कांग्रेसऔर भारतीय जनता पार्टी एक कहावत है "चोर चोर मौसेरे भाई" इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995+

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेत सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995+

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :–देखिये दिनांक 15-2-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मद संख्या 13, 14 एवं 15 से संबंधित प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की मांग

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मद संख्या–13, 14, 15 छूट गयी है इसमें मुझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था, इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6 फरवरी, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की–सीतापुर नगर में स्थित ट्रांसपोर्टनगर को स्थानान्तरित करने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री रमेशकान्त लवानियां–की आगरा महानगर में व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री तुलसीदास राय चन्दानी ? श्री विश्वनाथ गुप्त, श्री रमापति शास्त्री, श्री राम प्रताप सिंह–की–भूतपूर्व विधायक स्व० मगरे सिंह के हत्या अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री राम विशुन आजाद की–जनपद गोंडा में यूरिया खाद के अभूतपूर्व संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की–बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28 हैदरगढ़ तथा शारदा सहायक परियोजना खण्ड 40 शारदानगर लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठीं सूचना श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–की ग्राम नगोरिया (कवलसारी जिला अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण कराने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की–बांदा के चित्रकूट धाम कर्वी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दुर्व्यवस्था सुधारने एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति के संबंध में है।

उपरोक्त सातों माननीय सदस्य सदन में मौजूद है, यह सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

सीतापुर नगर के बीच स्थित ट्रांसपोर्टनगर को स्थानान्तरित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

। महोदय, सीतापुर नगर में शहर के बीचो बीच मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर बना है। सड़क के किनारे हर समय 50 से 80 तक ट्रक खड़े रहते हैं। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर माल उतारते-चढ़ाते रहते हैं । फलतः इस मोबाइल इन्क्रोचमेंट से रास्ता बाधित रहता है। आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। इस समस्या के निदान हेतु शहर के बाहर बहुत बड़ी जमीन लेकर नगर पालिका ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का निर्णय लिया था। लगभग 10 वर्ष पूर्व प्लांट बने तथा आवंटन हुआ। ट्रांसपोर्ट्स ने नगरपालिका में धन

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी जमा कर दिया परन्तु अभी तक न तो वह स्थान विकसित हुआ और न आवंटियों को कब्जा ही दिया गया । लाखों रुपया जो ट्रांसपोर्ट्स से नगरपालिका को मिला वह अन्य कार्यों में खर्च कर दिया गया । शहर के बीच से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का हटना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः मांग है कि ट्रांसपोर्ट नगर अविलम्ब विकसित करके आवंटियों को कब्जा देकर शहर के बीचो बीच भीड़ भाड़ स्थान से इसे स्थानान्तरित किया जाय । ।

आगरा नगर में व्याप्त गन्दगी विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रमेशकानत लवानियां–

। महोदय, आगरा महानगर के निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण आगरा में घोर गन्दगी का साम्राज्य है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा शहर कूड़ा घर में परिवर्तित हो गया है । नगर निगम का प्रशासन यदि सक्रिय हो जाय तो सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार हो सकता है । नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों का पूरा समय आपसी प्रतिद्वन्दता व टकराव में चला जाता है और सफाई व्यवस्था की घोर उपेक्षा हो रही है तथा निगम प्रशासन विशेष तौर से स्वास्थ्य विभाग बिलकुल लापरवाह है । देश विदेश के पर्यटक आगरा की गन्दगी को लेकर आश्चर्य करते हैं और विदेशी पर्यटकों पर तो इतना बुरा प्रभाव पड़ा है कि वह आगरा व इस देश के बारे में अच्छी धारणा लेकर नहीं जाते । यदि सफाई व्यवस्था में तुरन्त सुधार नहीं हुआ तो भयंकर बीमारियां फैलने का खतरा है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें । ।

भू० पू० विधायक स्व० श्री मंगरे सिंह के हत्याभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

सर्वश्री तुलसीदास राय चन्दानी, विश्वनाथ गुप्ता, रमापति शास्त्री तथा राम प्रताप सिंह–

। महोदय, हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को विधान सभा में उठाना चाहते हैं ।

ज्ञात है कि दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को दिन के 9 बजे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री मंगरे सिंह जी अपने घर से ट्रेन द्वारा तुलसीपुर के लिए जा रहे थे तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर जब उतरे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया मारा पीटा हथियारों से लैस सभी वे एक सफेद जिप्सी में बिठाकर जरवा (गोण्डा) के सीमा नेपाल की तरफ भागे उनके अपहरण के बाद स्थानीय थाने पर कुछ लोगों ने थाने पर घटना के 10 मिनट के अन्दर सूचना दी, परन्तु खेद है कि न तो पुलिस सक्रिय हुई न तो सशस्त्र बदामाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही पर प्रयास किया । उनके भाई भूतपूर्व विधायक श्री कमलेश सिंह तथ्यों की जानकारी करते रहे परन्तु पता न लग सका लगभग । बजे के आसपास पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोटः– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उनकी हत्या कर दी गयी है उक्त घटना को ध्यान में रखते हुये अगर वहां की स्थानीय पुलिस सक्रिय रहती, तो हत्या से बचाया जा सकता था ।

अब तक न तो किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई न ही हत्या से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई । उक्त कारणों का इस विषय में सदन को जानकारी देना तथा चर्चा होना आवश्यक है । अतः हम लोग नियम 301 के अन्तर्गत इस विषय को उठाने की अनुमति मांग रहे हैं । ।

जनपद गोण्डा में यूरिया खाद का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

। महोदय, जनपद गोण्डा में यूरिया खाद का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है जिससे किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है ऐसा संकट कभी नहीं आया था, उर्वरक विक्रेता एवं जिला कृषि अधिकारी की मिली भगत से सरकारी भाव पर खाद न देकर 250/– रुपया प्रति बोरी खुले आम बेचा जा रहा है । प्रशासन की मिली भगत से थोक विक्रेता अपने चहेतों को ही खाद दे रहे हैं । काला बाजारी एवं मिलावट के कारण कृषकों की खेती चौपट हो रही है पिछले वर्ष से इस वर्ष रबी का उत्पादन आधा होने की संभावना है । कृषकों में खाद की त्राहि-त्राहि मची हुई है । खाद की समस्या एवं कालाबाजारी के विरोध में जिला युवक कांग्रेस कमेटी गोण्डा द्वारा 28-1-95 को प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक खाद की आपूर्ति नहीं कि गई है, छोटे विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा, लेकिन बड़े खाद विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि कृषकों की फसल की क्षति हो रही उसका सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति की जाय ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न स्वीकार कर शासन शीघ्र कार्यवाही उच्च अधिकारियों के खिलाफ करे । ।

बाराबंकी के हैदरगढ़ की तहसील के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना द्वारा लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

। महोदय, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28 हैदरगढ़ तथा शारदा सहायक परियोजना खण्ड 40 शारदा नहर लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की भीषण उत्पन्न स्थिति होने की आशंका पैदा हो गयी है । हैदरगढ़ इन्हौंना, पेचरवा, रकसहा, पलिया, सोनिकपुर, चिलूला, हैदरगढ़, स्पेक तथा ड्रेन, फिरोजाबाद, लक्ष्मनगढ़, गोमियावाल, शिवगढ़ शिवनाम, रामनगर लिंग आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई समय रहते न की गई तो 3 दर्जन गांवों में जल भराव की विषम परिस्थिति पैदा हो जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।।

ग्राम नगोरिया (कफलसारी) जिला अल्मोड़ा के अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। महोदय, ग्राम नगोरिया (कफलसारी) पो० आ० मनान जिला अल्मोड़ा में लगभग ।। परिवार अनुसूचित जाति के स्थायी रूप से रहते हैं गत दस वर्षों से विद्युतीकरण के लिए सभी स्तर पर निवेदन कर चुके हैं जबकि उक्त गांव वालों ने वर्ष 1993 में कनेक्शन लगाने हेतु सम्पूर्ण शर्त वाला विभागीय फार्म भरकर/धनराशि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अल्मोड़ा को जमाकर रसीद भी प्राप्त कर ली है। उक्त गांव 1993 के तहत अम्बेदकर ग्राम घोषित हो गया है किन्तु विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया जो उपरोक्त बस्ती विद्युतीकरण से वंचित रहा है। अधिकारियों ने शासन की नीतियों तथा नियमों का पूर्णतया उल्लंघन किया है जो कि अनुसूचित जातियों के खुले आम नीतियों के खिलाफ है।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, अनुसूचित जातियों के पूर्णतया उपेक्ष्य है, को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं ताकि यह मा० सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय देकर अनुसूचित जातियों के बस्ती को विद्युतीकरण से लाभान्वित कर सके।।

बांदा के चित्रकूट धाम कर्वी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुधार एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

। महोदय, बांदा जिले के अन्दर उप जिला कर्वी स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में घोर दुर्व्यवस्था व्याप्त है अस्पताल में नालियों की उचित व्यवस्था व सफाई न होने के कारण मूत्रालय व शौचालय का पानी बरामदों तथा कमरों में भर जाता है जिससे अस्पताल में घोर गन्दगी व्याप्त रहती है। बरसात के दिनों में पूरे अस्पताल में पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था नही है। अस्पताल में बासमैन नहीं है पानी भरा रहता है क्योंकि छते जर्जर व टूटी है जिससे चद्दर व आपरेशन के कपड़े मरीजों से धुलवाये जाते हैं। एक्स–रे की मशीन विगत कई वर्षों से मंगा कर रखी हुई है जिसे आज तक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण चालू नहीं किया गया है। जनरेटर सेट कई वर्षों से उपलब्ध है किन्तु आपरेटर न होने के कारण बेकार रखा, खराब हो रहा है। अस्पताल के वार्डों में बल्ब व पंखे नहीं हैं जो है डाक्टरों के कमरों में लगे हैं, भर्ती मरीज अपने पैसे से बल्ब खरीद कर रोशनी प्रबन्ध करने के लिय

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मजबूर होता है । शव विच्छेदन गृह अस्पताल से सटा हुआ जर्जर हालत में है, अस्पताल में महिला चिकित्सकों के कई पद हैं किन्तु मई माह से रिक्त पड़े हैं, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव तथा महिला नसबन्दी में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है । अस्पताल में दवाओं का अभाव है । इम्बूलेन्स खराब पड़ी है । कर्मचारी चिकित्सा कार्य में लापरवाही करते हैं आकस्मिक दुर्घटना होने की दशा में अस्पताल में कोई साधन व सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीज की जीवन रक्षा हो सके ।

यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र में महत्वपूर्ण अस्पताल है यहां अव्यवस्था होने से क्षेत्र के लाखों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है । क्षेत्र में व्यापक असंतोष व्याप्त है । रोगी असमय मृत्यु के गोद में समा रहे हैं ।

अस्तु लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सम्पूर्ण अव्यवस्थाओं को दूर कराने रोगियों को सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराने एवं महिला चिकित्सकों की शीघ्र नियुक्ति कराने को शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी सूचना है मुजफ्फरनगर की और शाहगंज घटना के बारे में हैं ।

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि किसी सम्मानित विधायक के पुत्र या परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण हो तो उसे पहले लिया जाता है । माननीय पाल जी के भतीजे की हत्या हुई है । मेरे दल को इस पर पहले बोलने की अनुमति दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो व्यवस्था आपने कल दी थी कि जिस क्रम से सूचना आयी है, मुजफ्फरनगर का मामला है, शाहगंज में बसपा विधायक का मामला है, कथित हत्याकाण्ड का मामला है, उसी क्रम में बुलाइये ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सूचनाओं से संबंधित पूरे विषय तो बता दीजिये ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, सबसे गंभीर हृदय विदारक घटना आगरा जनपद में थाना अछनेरा में जो दलित व मुस्लिम मजदूरों के यहां जो लूट हुई है, बलात्कार की घटना हुई है, उसको पहले लें । मान्यवर, मुझे सुन लें ।

नोट:–1 । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं सुनूंगा ।

जब विषय आयेगा तब सुनूंगा ।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री रमेश कान्त लवानियां आदि अनेक सदस्य मांग करने लगे कि अछनेरा की घटना को भी लिया जाय)

श्री अध्यक्ष–

उसको भी सुना जायेगा ।

माननीय नेता विरोधी दल अगर सहमति दें तो मैं माननीय पाल जी को बुला लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है, हमें बोलने की अनुमति दे दें ।

अध्यक्ष–

जो पहले आयी, वह तो माननीय नेता विरोधी दल की है, अगर माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं तो मैं सुनूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दिया था, आप मुझे बोलने दें ।

मान्यवर, मेरी इच्छा है कि सदन में चर्चा हो, मुजफ्फरनगर मामले पर चर्चा हो ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं पहले कहना चाहता था, मुजफ्फरनगर पर, अब यह चाह रहे है तो पहले बोल लें । भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस मामले में कठघरे में खड़ा होने से बचाने की कोशिश कर रही है, उससे मैं अपने को बीच से हटाता हूं । मेरी इच्छा है कि इस पर चर्चा जरूर हो ।

श्री अध्यक्ष–

अगर कहते हैं तो सुनिये भी ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

नियम–311 के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर काण्ड की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर आप उचित समझें तो पाल साहब का जो व्यक्तिगत मामला है पहले उसे उठा लेने दीजिए । उसमें आपकी क्या राय है ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इसके संबंध में तय हो गया था कि इसको हम बाद में ले लेंगे और पाल साहब भी इसमें सहमत हो गये थे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, अगर आपकी इच्छा है कि पहले पाल साहब वाला मामला उठाया जाये तो उन्हें उठा लेने दीजिये मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। मुजफ्फरनगर वाला मामला हम बाद में उठा लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल सदस्य विधान सभा (बस्ती) के भतीजे की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि जब से 14 महीने से सपा बसपा की सरकार आयी है कानून व्यवस्था में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। मौजूदा सरकार ने साम्प्रदायिकता को रोकने के नाम पर शपथ ग्रहण की थी परन्तु वह इसे छोड़ने की बजाए जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जातीयता का विष चारों तरफ फैल रहा है जिसके फलस्वरूप हमारे मुख्य सचेतक, श्री जगदम्बिका पाल के भतीजे की हत्या कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

एक बात का ध्यान रखें कि जो विषय कोर्ट में लम्बित है उस पर चर्चा न करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी चार्ज शीट नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अगर पाल साहब का कोई व्यक्तिगत मामला है तो उसे उठायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप सुन तो लें उस पर नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी एक साथ दो विषय ले रहे हैं। उनसे कहें कि वे पाल साहब वाले मामले पर बोलें। मुजफ्फरनगर काण्ड पर बाद में चर्चा होगी। यह घटना हमारे पड़ोस में घटी है। हम उस पर बोलेंगे।

न्यायालय में लंबित विषय पर चर्चा न करने आने से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बदन सिंह–

आगरे की घटना के बारे में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे बाद में सूनूंगा।

(श्री बदन सिंह के पुनः खड़े होने पर)

मैं मनमाने ढंग से नहीं सुनूंगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, जैसा आप निर्देश देंगे, उस तरह से सदन चलेगा, लेकिन मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं से अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा जैसी कि सदन परम्परा है कि जो मामले न्यायालय में लम्बित हों, उस पर हम कोई ऐसा कमेंट न करें, जिससे मुकदमें के तथ्यों पर प्रभाव पड़े या जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस संबंध में अनेक व्यवस्थायें हैं, मैं 1980 की एक व्यवस्था आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। दिनांक 7 जुलाई, 1980 को, जब श्री राजेन्द्र सिंह नेता विरोधी दल थे और संशोधन का प्रस्ताव रख रहे थे, तो उन्होंने बागपत कांड की चर्चा शुरू की थी, इस पर श्री काशी नाथ मिश्र ने कहा था कि बागपत के मामले में न्यायिक जांच बिठाई गई है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है ? तो श्रीमन् उस पर व्यवस्था हुई कि सदन की परम्परा रही है कि जो मामले सब्जुडिस हों, उस पर ऐसा कोई कमेन्ट न हो, जिससे उसके सब्जुडिस होने पर प्रभाव पड़े। इसमें कोई औचित्य-अनौचित्य की बात नहीं है, उसमें ऐसा कोई कमेन्ट नहीं आना चाहिये, जिससे सब्जुडिस होने के मसले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अच्छा तो यह होता कि इस पर चर्चा ही न होती, लेकिन तब आप लोग कहेंगे कि चर्चा से घबरा रहे हैं। अतः यदि चर्चा हो तो ऐसा कोई कमेन्ट न हो, जिससे उसके सब्जुडिस होने पर कोई प्रभाव पड़े।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिस व्यवस्था की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है, उसके आगे भी पढ़ना शुरू करें, एक बार गोरखपुर में गोलीकाण्ड हुआ था..

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें तर्क-वितर्क से कोई मतलब नहीं है । मैं तो स्थापित व्यवस्था की ओर ध्यान दिला रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

फैक्ट्स कभी सब्जुडिस नहीं होते ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लेकिन लोग अपने-अपने तरीके से फैक्ट्स पेश करते हैं, केस को मजबूत करने के लिये अपने तर्कों से प्रस्तुत करते हैं, इसलिये इसमें कुतर्क की आवश्यकता नहीं है । मैं केवल स्थापित व्यवस्था की ओर ध्यान दिला रहा हूं कि ऐसा कोई कमेन्ट नहीं आना चाहिये, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

श्री जगदम्बिका पाल सदस्य विधान सभा (बस्ती) के भतीजे की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं कोई प्रतिकूल प्रभाव वाली बात नहीं कहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार पदारूढ़ हुई है, तब से लगातार कानून-व्यवस्था में गिरावट आती जा रही है, इस तरह की कई घटनायें हुई हैं और हो रही हैं, जिसमें सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त रहता है अथवा सत्तारूढ़ दल के सदस्य कहीं न कहीं शामिल रहते हैं । जो घटना 23 नवम्बर को हुई, उस दिन श्री पाल साहब के परिवार के एक सदस्य श्री शम्भू पाल जी जा रहे थे, वह कांग्रेस की एक सभा, जिसे महारानी दोहरे ने बुलाया था, में सम्मिलित होने जा रहे थे ।

मान्यवर, उनकी जीप खड़ी हुई थी । हमारे एक सम्मानित सदस्य जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, उनकी जीप से कोई दुर्घटना हुई ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, आप पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन्, पक्ष रख रहा हूं लेकिन प्रभावित नहीं करूंगा और हम प्रभावित कर भी नहीं सकते । इससे जो प्रभावित होना था वह हो चुका है । जो इनवेस्टीगेशन कर रहा था वह इन्सपेक्टर, डी० आई० जी०, आई० जी० जिन्हें सरकार को प्रभावित करना था वह हो चुके हैं । मैं न्याय की बात कर रहा हूं और यह बात सम्मानित सदन के संज्ञान में ला रहा हूं कि माननीय पाल जी इस सदन के सम्मानित व कांग्रेस के मुखर सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वह मांग उठाते हैं, सरकार के विरुद्ध उठाते हैं इसलिये उनके साथ ज्यादती के रूप में उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गयी । इस सरकार की मंशा लगातार यही रही है कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाये उसको दबा दिया जाये । इस सरकार के सत्तारूढ़ दल के विधायक यही कर रहे हैं, वह निन्दनीय है । इस संबंध में मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि घटना के बाद जो पहले इन्वेस्टीगेशन हुआ है और जो चार्जशीट दी गयी है, वही चार्ज शीट कोर्ट में चली जाये । मान्यवर, तत्कालीन इंस्पेक्टर ने जो विवेचना की थी उसी पर न्याय किया

जाये । मैं सिर्फ भूमिका के तौर पर इतना ही कह रहा हूं जिस पर आपको आपत्ति है । मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है उसके संरक्षण में न कोई दिन बीत रहा है, न तिथि बीत रही है । मान्यवर, गांधी जी को मानने वाले लोग दो अक्टूबर के दिन एक रैली में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे, तो मुजफ्फरनगर में उन पर गोलियां चलीं, बलात्कार हुआ, सी० बी० आई० की रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुकी है । (घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो विषय हमारे दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी जी ने सम्मानित सदन के समक्ष रखा है, वह हमारा व्यक्तिगत प्रकरण है और यह हमारे लिये दुःख की बात है । इस प्रकरण पर बात उठी है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस सम्मानित सदन का सदस्य है, सभी एक दूसरे से परिचित हैं । मैं सार्वजनिक जीवन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मेरा व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन दोनों साफतौर पर समाज के सामने प्रतिबिम्बित है । इस चुनाव के बाद भी इस सदन में हम सभी सदस्य आये हैं, मैं समझता हूं कि कदाचित कभी मेरे व्यवहार से चाहे हमारे सत्तापक्ष, सपा, बसपा के सम्मानित सदस्य हों, या हमारे इधर के बैठे हुये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य सदस्यगण हों अगर मेरे कभी किसी आचरण से, कार्यशैली से किसी माननीय सदस्य को तकलीफ हुई हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, इस प्रकरण के उठाने की बात तो छोड़ दीजिये । मेरे भतीजे स्व० शम्भूपाल की हत्या कर दी गयी । मैं आभारी हूं अपने पत्रकार जगत से जुड़े हुये साथियों का कि उसके जीवन के एक-एक पहलू के बारे में उन्होंने प्रकाशित किया कि वह गांव का एक साधारण सा नागरिक था, अपने मां-बाप का अकेला बेटा था, उसके ससुराल में भी कोई नहीं था, दो-दो परिवारों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे थे, कुल 28 साल की उसकी उम्र थी ।

मान्यवर, उस दुःख की कल्पना यहां से नहीं की जा सकती । मैं समझता हूं कि कोई भी सत्तारूढ़ दल का सदस्य वहां गया होता तो आज वह इनकी बात नहीं कहता ।मान्यवर, कोई चुनावी रंजिश नहीं थी, वह दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं और मैं दूसरी जगह से लड़ता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी कभी हमारे रिश्ते खराब नहीं थे । इस घटना के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने इस पर दुःख व्यक्त किया, घटना के दिन पुलिस अधीक्षक और डी० एम० आये उन्होंने भी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस घटना पर दुःख जाहिर किया है । जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस घटना पर दुःखी हैं । मैंने कहा कि स्वाभाविक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी दुखी हुए होंगे । जिस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ है और जिसकी हत्या हुई है, वह आदमी फरियाद कर रहा था कि माननीय विधायक जी जीप से जीप टकरा गई है । दुर्घटनावश यह हो गया है, इसलिए आपका जो नुकसान हुआ है, वह पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं । परन्तु इसके बावजूद, जिस तरह से उसकी हत्या की गई, वह तो वापस आ नहीं सकता है और न ही उसके परिवारजन के आंसू पोछ सकते हैं । इस घटना पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी दुःखी हैं । स्वाभाविक है कि वह कुछ कर नहीं सकते थे । दूसरे दिन जब उस विधायक को उतरौला के इन्स्पेक्टर श्री शैलेन्द्र बहादुर चन्द ने गिरफ्तार किया तो उसे तत्काल, एस०आई०एस० गोंडा पुलिस लाईन एटैच कर दिया गया । अब आप ही बताइये कि यह कहां का न्याय है ?

मैं भी इस आदरणीय सदन का विधायक हूं और वह भी इस सदन के सम्मानित विधायक हैं। न्यायालय देखता कि वह दोषी हैं कि नहीं। दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हजारों लोगों के सामने उसकी लाश पड़ी थी। डी०एम० व एस०पी० के सामने लोग चीख-चीख कर कह रहे थे कि राम करन ने गोली मारी है, जबकि वह उनसे फरियाद कर रहा था। विधायक जी के लाइसेन्सी बन्दूक से एक गोली मारी गई तथा 36 छर्रे उसके गले में लगे थे। दिन दिहाड़े यह घटना हुई। न्यायपालिका इसका फैसला करती। इन्सपेक्टर, पवन कुमार बस्ती इसकी विवेचना कर रहे थे परन्तु एस०पी० ने इसे रोक दिया और चार्जशीट को कोर्ट में नहीं जाने दिया। जबकि चार्जशीट को कोर्ट में चला जाना चाहिये था। परन्तु उस इन्सपेक्टर को भी तत्काल बस्ती कोतवाली से गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग में स्थानान्तरित कर दिया गया। जबकि 90 दिन के अन्दर चार्जशीट को कोर्ट में लग जाना चाहिये। यदि 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगेगी तो उनको बेल मिल जायेगी। अब केवल 10–15 दिन रह गये हैं। अभी तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं गई है। पहले सिविल पुलिस चार्जशीट लगा रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी चाहे पुलिस से, सी०आई०डी० से या किसी अन्य एजेन्सी से, जिससे चाहें इसकी जांच करवा कर चार्जशीट लगवा सकते हैं। परन्तु इतना अवश्य कहें कि 90 दिन के अन्दर चार्जशीट लग जायेगी। परन्तु मुझे नहीं लग रहा है कि चार्जशीट लग जायेगी। डी०आई०जी० गोरखपुर दो दिन तक कैम्प लगाये हुए थे। किस तरह से सड़कों पर जनमानस उद्वेलित था। इस बात को डी० आई० जी०, डी० एम०, एस०पी० आदि सभी जानते हैं। मैंने पूरे जनमानस से कहा कि अगर एक भी पत्थर चला या कहीं पर भी आगजनी हुई तो वह मेरी लाश से होकर जायेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी निरीह या बेगुनाह का नुकसान हो। मान्यवर, उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने मुख्य मंत्री जी से मिल कर कहा कि उस इन्सपेक्टर को हटा दिया, डी०आई०जी० को हटा दिया मैंने कुछ नहीं कहा जब सी०आई०डी० को मामला स्थानान्तरित कर दिया तो मैं उनसे मिला मैंने कहा जिस इन्सपेक्टर ने एसिस्ट किया उसे हटा दिया, चार्जशीट लगाने वाले को हटा दिया, डी०आई०जी० को हटा दिया, मुझे अफशोस है प्रशासनिक दबाव पर उसे सीआई०डी० में दे दिया। मान्यवर, इसके पहले जब मेरे भाई की डैथ हुई माननीय मुख्य मंत्री जी घर आये थे, जब मेरे पिता जी की डैथ हुई थी माननीय मुख्य मंत्री जी आये थे और अयोध्या गये थे। तो यह मेरी बदनसीबी है कि 1994 में जो घटना हुई उसमें क्या कहूं ? भाई के संस्कार में गये, पिता जी के संस्कार में गये इसमें उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया जिसकी सूचना उनकी आई। सी०आई०डी० की इन्क्वायरी इसमें करा दी, मैं न्याय की अपेक्षा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि न्याय हो जाय। मैं नहीं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के दल के विधायक हैं उस पर कोई दबाव डालें। मुझे आश्चर्य हुआ जिन परिस्थितियों में राम करन जी का बयान आया माननीय सदस्य के हमले में मेरे भतीजे की मृत्यु हो गयी।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, समय बहुत हो गया है, जो माननीय सदस्य यहां नहीं हैं उनका नाम देकर संदर्भित नहीं करना चाहिये। (व्यवधान) इस पर काफी बोल चुके हैं, हमें भी बोलना है, सब्जुडिस मैटर है इस पर डिस्कसन नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यक्तिगत तरीके से पाल साहब को बात कहने के लिये कहा अब मैं उसकी पुष्टि के लिये किसी को अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कुछ ऐसी बातें कही गयी जिसका जांच पर असर पड़ सकता है इसलिये हमें भी कुछ कहना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब माननीय सदस्य अफजाल साहब के घर पुलिस का छापा पड़ा था तो पूरे सदन ने दुःख व्यक्त किया था, इस सदन में बयान आ चुका है, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस पर चर्चा हुई ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब समाप्त करें ।(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

पुष्टि नहीं करने देंगे तो फिर क्या संदेश जायेगा ? मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी, इस पर माननीय सदस्य जो कहेंगे इस पर निर्णय आपको लेना है मैं इस पर क्या कह सकता हूं ? एक बयान आ गया कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष आये थे इसलिये वहां तनाव है और फिर होमसेक्रेटरी की विज्ञप्ति आई कि दोनों तरफ से तनाव के कारण यह घटना हुई, होम सेक्रेटरी का यह कहना कि नेता प्रतिपक्ष के आने के कारण घटना हुई फिर इसका कंट्राडिक्सन छपा कि इस तरह का बयान गलत छपा है . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

फैक्ट्स क्या है क्या नहीं है इस पर न जांय ।(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस पर आर्गूमेंट नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एक मिनट कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर) इस पर कोई चर्चा नहीं है । मैंने पाल साहब की व्यक्तिगत बात सुनने के लिये अनुमति दी, यह कोई नोटिस पर चर्चा नहीं हो रही है, उनका व्यक्तिगत मामला है इसलिये पाल साहब को बोलने के लिये कहा, बाकी मैंने अनुमति नहीं दी है, ग्राह्यता पर नहीं सुनूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

एक मिनट सुन लें 90 दिन के अन्दर चार्जशीट लग जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो व्यक्तिगत बात थी उनकी, उसके लिए केवल अनुमति दी गई थी । व्यक्तिगत के अलावा कुछ नहीं । (व्यवधान) अब किसी को इजाजत नहीं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

90 दिन के अन्दर इस केस की चार्जशीट पेश होगी या नहीं, केवल इतना मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही अनुरोध किया था कि इस नाजुक प्रकरण को सदन में न उठाया जाए । आज सवाल जहां जनता के एक परिवार का है, वहां उससे हमारे एक राजनैतिक परिवार का भी सम्बन्ध है । मैंने कहा था इस पर कोई ऐसा कमेन्ट नहीं होना चाहिए, जिससे जांच पर उस का असर पड़े । हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, जिससे इसके न्यायिक पक्ष पर कोई प्रभाव पड़े । लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं सरकार पर उनका प्रतिवाद करना हमारा कर्तव्य है । वास्तविकता यह है कि किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण इस घटना को लेकर नहीं किया गया है ।ला आफ रूल में हमारा यकीन है, लेकिन कोई दलित डंडे से जीता जाए, उसे दबाया जाए तो हम उसे कभी बर्दास्त नहीं करेंगे । अपनी भाषा शैली या डंडे के बल पर किसी दलित को दबाया जाए तो उसे हम और हमारी सरकार कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

यहां पर तो एक हत्या का प्रश्न है, यह यहां पर दलित का प्रश्न कहां से आ गया ? (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप बैठ जाइये । मुजफ्फरनगर काण्ड की जो बात है, उस पर आप बोलेंगे, बोलें ।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि सरकार ने तथ्यों को छिपाने की बात कही है, सारे तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है साफ तौर से और जिन जगदम्बिका पाल जी के परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई, उसके विरुद्ध अमानवीय व्यवहार किया गया है, और संसदीय कार्य मंत्री के पक्ष से आज भी यह लग रहा है कि वह सारे मामले

को दबाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, दोषी औरअपराधी को बचाना चाहते हैं । हमारा सिर्फ यही कहना है कि जिस इन्सपेक्टर ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके सारी चार्जशीट सही रूप से तैयार की थी, उसको हटा दिया हैऔर चार्जशीट को बदलवाया है । इससे साफ है कि यह सरकार दोषी अपराधी को प्रश्रय दे रही है, बढ़ावा दे रही है और अपराधियों को कठघरे में खड़े करने को उसकी कोई मंशा नहीं है । इसके विरुद्ध मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री किरन पाल सिंह–

जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रकरण उठाया है, उससे साफ है कि सिविल पुलिस में इनका कोई विश्वास नहीं है और सी० आई० डी० को जांच दे दी गई हैं यह खेद की बात है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस शैली में इसका जवाब दिया है, मैं उसकी निन्दा करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यहअन्दाज दलितों के बारे में हमारा हमेशा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं । निर्दोष दलित को कोई दबा नहीं सकता है हमारी सरकार के होते । इसमें एक निरपराध को फंसाया जा रहा है...(व्यवधान) यह जांच अब सी०आई०डी० को सौंप दी गई है, वह कर रहे हैं । इस प्रकार यह मामला फिलहाल यहीं समाप्त हो गया है ।

इस सरकार का स्पष्ट मत है कि निर्दोष को फंसने नहीं दिया जायेगा और दोषी को बख्शा नहीं जायेगा । किसी भी दलित को डंडे के बल पर दबा नहीं सकते हैं चाहे यह सब मिल जांय ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

यही बात है कि निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए....

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जांच प्रभावित होने वाले कथन पर आपत्ति

(व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

हमारे सदस्य |x x x| हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है । वह प्रकरण अब सामप्त हो चुका है ।

(व्यवधान)

|x x x| यह अंश श्रीअध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने यहां से निर्देश दिये थे कि बोलते समय ऐसी बात न कही जाय जिससे जांच प्रभावित हो । मगर मान्यवर, आपके कहने के बाद भी यह कहा गया कि हमारे सदस्य | x x | इससे जांच प्रभावित हुई कि नहीं । इसे या तो कार्यवाही से निकलवायें या वापस कराये ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

| x x x|

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

सरकार से सी०बी०आई० जांच की मांग करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह सब व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगेंगे ? व्यवस्था पर व्यवस्था क्या होती है ? इस तरह से बार-बार व्यवस्था के प्रश्न पर भी व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे हैं । मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहे गये शब्द जिनसे जांच प्रभावित होती है, कार्यवाही से निकालवायें और सरकार सी० बी० आई० से जांच कराने की घोषणा करे ।

नोट :–| x x x | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय प्रमोद जी के कथन से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दोनों के दोनों मिले हैं, सम्बद्ध कैसे नहीं करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सर्टिफिकेट देना कि वह [x x] है, यह क्या जांच को प्रभावित करने वाला नहीं है ? आपने पहले व्यवस्था दी थी कि इस तरह की बात न कही जाय जिससे जांच प्रभावित हो, इसलिये मैं इस बात पर स्वयं बल देता हूं कि यह कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गुप्ता जी प्रकाण्ड विद्वान हैं उनको यह भी नहीं मालूम है कि जिस सदस्य के बारे में आरोप लगाए हैं, मैंने कहा, चर्चा न हो वह सदस्य बैठे हैं उनको बोलने का अधिकार है। गुप्ता जी और कांग्रेस मिले हैं। यह दलितों के विरोधी हैं यदि वह चुनाव जीतकर आ जाए तो अपमानित होकर चले। यह इनका लक्ष्य रहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य [x x] हैं ऐसी बात कहने का क्या औचित्य है ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तिवारी जी वकील हैं, अच्छे [x x] हैं,जब तक किसी के खिलाफ कोईअपराध सिद्ध नहीं होता है उसको दोषी नहीं माना जाता है।

श्री राम कुमार वर्मा–

जांच को प्रभावित किया जा रहा है ऐसे चलेगा तो कैसे सदन चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर सरकार का निर्दोषिता प्रमाण-पत्र आ जाएगा तो जांच करने काऔचित्य क्या है ? इसमें सी०बी०आई० से जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है तिवारी जी अब आप ही बोलते रहिए।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कोकब हमीद आदि कांग्रेस के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गए जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है आप मेरी बात सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाएं। तिवारी जी अपने सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर ले जाएं।

श्री किरन पाल सिंह–

जो बात कार्यवाही में आई है उसको निकालने का प्रयास करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी स्थिति में कैसे कार्यवाही चल सकती है ?

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, पाल जी ने जो प्रकरण उठाया है उसमें कुछ नहीं करना है। उन्होंने सारी बातें विस्तार से रखी हैं लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो कहा है ....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्रीअध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रकरण उठाया था और उस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जिससे जांच प्रभावित होती है। मैं आग्रह करूंगा कि निर्दोषिता का प्रमाण-पत्र जिस प्रकार से दिया गया है उससे जांच प्रभावित हो रही है। यह वाक्य कि "वह निर्दोष हैं" कृपया कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह जो जगदम्बिका पाल जी ने प्रकरण रखा था उस प्रकरण में मुझे कुछ नहीं कहना है चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने टिप्पणी कर दी और निर्दोष बता दिया, मैं नहीं कहता कि दोषी हैं या निर्दोष हैं, लेकिन यह जो टिप्पणी है इससे जांच प्रभावित हो सकती है। न्याय के पक्ष में आवश्यक है कि आप कार्यवाही देख लें और ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं कार्यवाही देख लूंगा और जो भी आपत्तिजनक अंश होगा उसको निकाल दिया जायगा।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। 2 अक्टूबर, 1994 की मुजफ्फरनगर में जो काण्ड हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उसके संबंध में मैंने 311 में नोटिस दिया है। मेरी प्रार्थना है कि उस पर चर्चा करा दें ताकि सभी माननीय नेताओं और माननीय सदस्यों के विचार आ सकें। आप इसको पहले ले लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुयी है वह बड़ी वीभत्स घटना है उस पर चर्चा कराया जाना अति आवश्यक है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरे की जो घटना है वह बहुत ही अविलम्बनीय है। उस पर चर्चा करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शाहगंज में सत्ता दल के विधायक ने जो काण्ड किया है उस पर चर्चा करायें।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, डा० रमेश पोखरियाल निशंक, डा० हरक सिंह रावत, श्री हरवंश कपूर, श्री केदार सिंह फोनिया श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरनपाल सिंह ने मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में जो सूचना दी है उस पर दो घन्टे की चर्चा स्वीकार की गयी है।

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल और श्री रंगनाथ जी की है.

इसके बाद श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रमेश कान्त लवानियां, श्री बदन सिंह, श्री उदयभान सिंह, श्री छोटे लाल वर्मा और डा० रामबाबू हरित की है। इस सूचना को मैं कल लूंगा।

चौथी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (गुरू जी), पांचवीं सूचना श्री रमाकान्त उर्फ रमाकान्त, छठीं सूचना सर्व श्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, महेन्द्र सिंह माहरा, गोविन्द सिंह कुंजवाल, प्रीतम सिंह, राम प्रसाद टम्टा और शूरबीर सिंह सजवाण, सातवीं सूचना सर्वश्री हरिशंकर तिवारी, बिजेन्द्र सिंह, श्याम सुन्दर शर्मा, यशपाल आर्य, जगदम्बिका पाल, 8वीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित और 9वीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की है । इनको सुनने के लिये कल के लिये निश्चित किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी जो सूचना है, उसको भी जोड़ लें ।

श्री अध्यक्ष–

हम कल सुनेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

आगरे में घटना हुई है । सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री अध्यक्ष–

सदन को सूचना देनी है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 6 फरवरी, 1995 की अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 6 से 7 फरवरी, 1995 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

6 सोमवार

1–दिनांक 6 फरवरी, 1995 के पूर्व निर्धारित सरकारी विधायी कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी लिया जाये–

(1) निम्नलिखित प्रस्ताव का माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण–

"चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 1 फरवरी, 1995 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 के उप

नियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उक्त विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है ।

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद और उक्त नियम 150 के उप नियम (1) की अपेक्षा के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाये ।"

7 मंगलवार

दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् निम्नलिखित कार्य लिये जायें–

(क) दि इन्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995–आधा घण्टा

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995–आधा घण्टा

(ग) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन), विधेयक, 1995–जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित होगा–आधा घण्टा

अनन्तिम रूप में

(घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1995–जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित होगा–आधा घण्टा

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995–जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित होगा–आधा घण्टा

सदन का शेष कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूप में यथावत रहेगा ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष–

श्री अशोक बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1995 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो 23 नम्बर पर है, उसको नहीं लिया है और आगे बढ़ गये। मैं इसका विरोध करता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं अपना प्रस्ताव रखने के लिये और आप उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नेता विरोधी दल जब खड़े होते हैं, तो मेजें थपथपाई जाती हैं, आप सारी परम्पराओं को भूल गये।

(विरोधी पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयीं)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता, असुरक्षा, ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण, अपराधों के बेतहासा बढ़ते ग्राफ, सामूहिक नरसंहार तथा सामूहिक बलात्कार के वीभत्स काण्ड, जातिवाद का बढ़ता जहर, सत्तादल के नेताओं द्वारा शासकीय तंत्र की सहायता से बन्दूक की नोक पर अवैध रूप से मकान कब्जाओ तथा भूमि हड़पो अभियान, लोकतंत्र के चारों स्तम्भों–विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रेस पर हिंसक हल्लाबोल, पाकिस्तानी खुफिया तंत्र आई०एस०आई० के फैलते जाल से उत्पन्न आन्तरिक सुरक्षा को खतरा, सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, घोर वित्तीय अनियमितता एवं वित्तीय अनुशासनहीनता, विकास के अवरुद्ध कार्य, किसानो तथा गरीबों पर थोपे गये असहनीय कर भार, नौजवानों को रोजगार देने की किसी ठोस योजना, औद्योगीकरण में प्रदेश का पिछड़ापन, कर्मचारियों और व्यापारियों के उत्पीड़न की न तो चर्चा और न इन समस्याओं के समाधान के लिए उपायों की कोई घोषणा श्री राज्यपाल के अभिभाषण में की गयी।

श्री अध्यक्ष–

शेष संशोधन उपस्थित किये हुये माने जाते हैं।

(शेष संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'च' पृ० 192–275 पर)

† नोटः–दिनांक 3 फरवरी, 1995 की कार्यवाही से।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक और कुछ प्रशासनिक महत्व के प्रश्न सदन में आपकी इजाजत से उठाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि शासन की ओर से एक-एक उठाये गये प्रश्न का बिन्दुवार समाधान आयेगा। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि शासन की ओर से मेरे द्वारा उठाये जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दायें-बायें करके नहीं दिये जायं क्योंकि जिन मुद्दों को मैं उठाना चाहता हूं वह प्रदेश की महान जनता से सीधे-सीधे जुड़े मुद्दे हैं, सीधे जुड़े हुए सवाल हैं। सुविधा के लिए मैं भूमिका के तौर पर इस सरकार के बारे में अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं और प्रयास इस बात का करूंगा, कि जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं हरेक के सम्बन्ध में सब प्रमाण सहित अपनी बात इस माननीय सदन में रख सकूं। श्रीमन्, मोटे तौर पर इस सरकार की 21 विशेषताएं गिनाई जा सकती हैं, इस सरकार के लिए 21 विशेषण दिये जा सकते हैं। मैंने तो सोचा कि इसमें से एक आध विशेषण कम कर दूं लेकिन कई बार सोचने के बाद मैं एक भी विशेषण कम नहीं कर पाया मैं भूमिका के तौर पर, जिन पर प्रकाश डालना है, सब आपकी अनुमति से रख दे रहा हूं।

श्रीमन्, यह सरकार एक जातिवादी सरकार है, एक सम्प्रदायवादी सरकार है और तुष्टिकरणवादी सरकार है। श्रीमन्, यह सरकार हिंसावादी सरकार है, यह सरकार अपराधवादी सरकार है, यह सरकार आतंकवादी सरकार है, यह सरकार नरसंहारवादी सरकार है, बलात्कारवादी सरकार है, अहंकारवादी सरकार है, यह सरकार गांव विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, यह सरकार जनविरोधी सरकार है, जनतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। श्रीमन्, यह सरकार विनाशकारी सरकार है, अनिष्टकारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। श्रीमन्, यह सरकार एक निकृष्ट सरकार है, एक भ्रष्ट सरकार है, एक फासिस्ट सरकार है। इस प्रकार की सरकार के द्वारा तैयार किये गये अभिभाषण का जो इस सदन में पढ़ा गया, न तो कोई सार्थकता शेष रह जाती है और न कोई संवैधानिकता। आज प्रदेश के अन्दर जो अराजकता और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गयी है वह किसी से छिपी नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी सरकार का पहला धर्म और किसी भी सरकार का पहला दायित्व होता है कि नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा की गारन्टी दें और महिलाओं की अस्मत और आबरू की सुरक्षा की गारंटी दें। जो कोई भी सरकार जनता की जान माल की सुरक्षा की गारंटी देने में विफल हो, जो सरकार मां बहनों की इज्जत बचाने में विफल हो, वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं रह जाती। वह सरकार एक विफल सरकार के रूप में जानी जायेगी।

(भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश में कानून राज्य समाप्त हो चुका है और खुले जंगल का राज्य कायम हो गया है। तीन ताकतों का ध्रुवीकरण प्रदेश को तबाह कर रहा है। यह ध्रुवीकरण बड़े अपराधियों, बड़े माफियाओं और सत्ताधारियों का ध्रुवीकरण। यह तीन ताकतें मिलकर आज प्रदेश के जनजीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। जितने अपराधी इस सरकार के जमाने में इस एक वर्ष में हुए हैं, इस तरह के अपराधों का ग्राफ तो किसी सरकार के जमाने में नहीं रहा। श्रीमन्, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में दो राजनैतिक दलों के गठबन्धन की सरकार न होकर दो लुटेरे गिरोहों के गठबन्धन की सरकार है। यह दोनों लुटेरे गिरोह खुले आम जनता को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। परिणाम सामने है

आज प्रदेश के अन्दर तबाही मची हुई है । एक वर्ष का अगर ग्राफ देखा जायेगा एक वर्ष में पंजीकृत अपराधों की संख्या 2 लाख 40 हजार, लूट और राहजनी 20 हजार, हत्या 8 हजार, डकैती 6 हजार 500, अपहरण 3 हजार, और महिलाओं की जो एक अग्रणी संस्था है सेवा उन्होंने जो सर्वेक्षण कराया है उनके सबके अनुसार दहेज हत्यायें 1 हजार 794, नारी उत्पीड़न की घटनायें 3 हजार 812, शील भंग की घटनायें 2 हजार 904 और बलात्कार की घटनायें एक हजार 878, यह शील भंग और बलात्कार की घटनाओं को जोड़ दिया जाय तो 3 हजार 882, मां बहनों बहू बेटियों की अस्मिता पर डाका इस सरकार के जमाने में पड़ चुका है । (भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, प्रतिदिन 4 दहेज हत्यायें हो रही हैं, रोजाना 5 बहू बेटियों के साथ बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, 8 महिलाओं के शील भंग करने की घटनायें हो रही हैं और नारी उत्पीड़न के मामले प्रदेश में हर माह 900 घटित हो रहे हैं । इस नाते से मैंने कहा कि श्रीमन् इस प्रदेश में कानून का राज्य नहीं है जंगल का राज्य कायम हो गया है । जिस की लाठी उसकी भैंस । न आदमी रात में सुरक्षित है और न आदमी दिन में ही सुरक्षित है । यह अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सत्ताधारियों का खुला संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है । सत्ताधारियों के साथ उनके सीधे-सीधे सम्बन्ध हैं । बड़े-बड़े माफियाओं की सीधी पहुंच सत्ता के गलियारों तक आ चुकी है । घिनौने अपराध हो जाते हैं, लेकिन उनका बाल बांका नहीं होता क्योंकि उनकी सरपरस्ती सत्ता में बैठे लोग करते हैं इस नाते जनजीवन तबाह होता जा रहा है ।

मान्यवर, हौसला कैसे बढ़ता है अपराधियों का, खुर्जा में 5 नामी-गिरामी अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया, पुलिस वालों को तो उस पर सजा दे दी गयी और अपराधियों के घर वालों को एक-एक लाख रु० का पुरस्कार दिया गया (भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम-शेम की आवाजें) अपराध इसलिये बढ़ते हैं कि जिला बुलन्दशहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, तीन लोगों की नामजद रिपोर्ट की गयी । लेकिन सत्ताधारी लोगों के संरक्षण के चलते उनको सजा नहीं मिलने पाये, कातिलों का मामला सी०आई०डी० को सौंप दिया गया । अपराधियों के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि एटा जिले के संगज कस्बे में श्री शिवनन्दन एक रिटायर्ड आफिसर थे उनका अपहरण कर लिया गया पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी । दस दिन बाद उनकी लाश मिली और पुलिस को पता लग गया कि हत्या किन लोगों ने की है, पुलिस सारा मामला छान चुकी थी लेकिन हुआ यह कि सी०आई०डी० जांच के आदेश हो गये । वह इसलिए किया गया क्योंकि उसमें सपा० के एक विधायक के बहनोई का हाथ था श्रीमन् इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं । आज प्रातःकाल माननीय जगदम्बिका पाल जी के भतीजे की निर्मम हत्या का प्रकरण यहां पर आ चुका है उसमें जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है और सरकार में बैठे हुए लोग बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे यह प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वह सपा का हत्यारा विधायक निर्दोष है । मेरा यह कहना नहीं है कि वे दोषी हैं या निर्दोष हैं लेकिन एक बार सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आ जायेगा तो कौन सी ऐसी एजेन्सी है जो उन्हें दोषी साबित करेगी । इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है ।

मान्यवर, गत 4 फरवरी की घटना को देखिये । जौनपुर रेलवे स्टेशन शाहगंज में बेंच में बैठने के मामले को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक ने अपने आदमियों को ले जाकर गोली चलवायी और एक कांस्टेबिल मारा गया और दो और मारे गये । मुझे नहीं लगता है कि दिन-दहाड़े तीन-तीन हत्या करने

वाले व्यक्ति के खिलाफ यह सरकार किसी तरह की कार्यवाही करेगी इसलिये अपराध बढ़ रहे हैं और हौसले बढ़ रहे हैं । मान्यवर, मैं अपने जिले की घटना बताता हूं । गत 2 फरवरी को प्रातः साढ़े पांच बजे हरदुआगंज नहर के पास कुछ बदमाशों ने रिवाल्वर और कट्टे की नोक पर बस का अपहरण कर लिया और सारी सवारियों को लूट लिया । करीब 30-40 लाख रुपये वे लूटकर चले गये और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । आज अपराधियों को लग गया है कि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं है इसलिये अपराध बढ़ रहे हैं । अपराधों के साथ-साथ उत्पीड़न और दमन चक्र बढ़े हैं । इस सरकार का यह थोथा नारा है कि यह दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है क्योंकि तथ्य यह बताते हैं कि यह सबसे ज्यादा दमन-चक्र सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़ी जातियों और दलितों के साथ किया जा रहा है ।

मान्यवर, आलम क्या है । श्री मुलायम सिंह जी ने 4 दिसम्बर, 1993 को मुख्य मंत्री के पद पर शपथ ली थी । पहले वर्ष का प्रारम्भ 13 दिसम्बर, 1993 को इलाहाबाद का शिवपतिया काण्ड से हुआ । वह दलित जाति की महिला थी जिसको नंगा करके घुमाया गया । बीच का आंकड़ा मैं बाद में दूंगा । इस वर्ष के अन्त में क्या हुआ ? 28 नवम्बर, 1994 को नगलापासी थाना दादों, जिला अलीगढ़ में 9 गरीब महिलाओं की इज्जत लूटकर उनके साथ बलात्कार किया गया जिसमें दो मुस्लिम महिलाएं थीं, दो बाल्मिकी जाति की थीं और 5 जाटव जाति की थीं । मुझे नहीं लगता है कि इतने वीभत्स काण्ड के बाद भी इस सरकार का कोई इरादा ऐसा है कि वह बलात्कार की घटनाओं को जो दलित जाति की महिलाओं के साथ आये दिन घटित हो रही हैं, को रोकने का प्रयास किया जायेगा । श्रीमन् पहले वर्ष का प्रारम्भ शिवपतिया काण्ड से हुआ, जो एक दलित जाति की महिला थी और पहले वर्ष का अन्त 9 अनुसूचित जाति और मुस्लिम जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार से हुआ । इसी प्रकार इस सरकार के दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में 5 दिसम्बर, 1994 को थाना मवाना, जिला मेरठ में एक दलित जाति की महिला की इज्जत लूट ली गई, मैं इसलिये यह बता रहा हूं कि इस सरकार की शुरूआत दलित, पिछड़ी जातियों के साथ बलात्कारों, उत्पीड़न से हुई और सरकार का पहले साल का अन्त भी इसी से हुआ । इसी तरह दूसरे वर्ष में भी पिछड़ी जातियों, दलितों के साथ उत्पीड़न और दमनचक्र का सिलसिला जारी है ।

मान्यवर, जैस-जैसे समय बीतता जा रहा है, तैसे-तैसे इन जातियों पर दमनचक्र तेजी से बढ़ता जा रहा है । दौना काण्ड हुआ, जिसकी बहुत चर्चा हो चुकी है । दौना काण्ड में सत्ताधारियों का हाथ, हमीरपुर में सत्ताधारियों का हाथ, बाराबंकी काण्ड हुआ, उसमें भी सत्ताधारियों का हाथ और फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या कर दी गयी, 250 मकान फूंक दिये गये, उसमें भी सत्ताधारियों का हाथ । इसी तरह थाना चन्दौसी में धोबी जाति की दलित जाति की महिला को नंगा करके घुमाया गया, घुमाने वाले कोई और नहीं थे, सत्तारूढ़ दल के लोग थे । जिला बदायूं में गौरीपुरा काण्ड हुआ, जिसमें जाटवों के 50 घरों को फूंक दिया गया और छः महिलाओं की इज्जत लूट ली गयी, यह सब करने वाले कोई और नहीं थे, सत्तारूढ़ दल के लोग ही थे । इसी तरह बदायूं जिले के अन्दर सीकरी गांव में एक और काण्ड हुआ, जिसमें महिलाओं को बेइज्जत किया गया और दिन-दहाड़े फरसे से लोगों को काट-काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, यह करने वाले कोई और नहीं थे, सत्तारूढ़ दल के लोगों का हाथ था श्रीमन् । श्रीमन् इसी प्रकार से जितने भी काण्ड हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से सत्तारूढ़ दल के

लोगों का हाथ है या सत्ताधारी लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है, इस नाते से मैंने यह कहा कि सरकार में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है ।

श्रीमन्, अभी सुबह माननीय बदन सिंह जी आगरे की बात कर रहे थे, माननीय लवानियां, माननीय विकल जी ने भी इसको उठाया था । वहां गत 28/29 जनवरी की रात को, हमारी जानकारी के अनुसार आठ अनुसूचित जाति की और मुस्लिम महिलाओं की इज्जत को लूट लिया गया, पहले उनको निर्वस्त्र किया गया, उसके बाद सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस निष्क्रिय है, आज भी वहां पर कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं है । मुझे नहीं लगता कि यह सरकार उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोशिश करेगी । श्रीमन् इसी प्रकार यह सामूहिक बलात्कारों और सामूहिक हत्याओं की घटनायें रोज बढ़ रही हैं ।

मैं सभी हत्याओं का ब्योरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मुख्य-मुख्य घटनायें जो सामूहिक नरसंहार की हैं, उनका जिक्र करना चाहता हूं । आजमगढ़ में 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, यह कैसा शासन है कि कोई कार्यवाही ही नहीं होती ? उसी आजमगढ़ में 22 अक्टूबर, 94 को अनुसूचित जाति के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी और यह सब करने वालों को सत्ताधारियों का संरक्षण प्राप्त है, यह मेरा बराबर आरोप है । कंजरन सैरा के छः लोगों की सामूहिक हत्याओं की चर्चा यहां बहुत हुई, इसी प्रकार गोरखपुर में 4 लोगों की सामूहिक हत्या हुई इससे भी वीभत्स काण्ड क्या हो सकता है कि वहां महिलाओं के स्तन तक काटे गये, किसी भी शासक के लिये यह सबसे बड़ी लज्जा की बात होनी चाहिए, शर्म की बात होनी चाहिए । 40 घरों को आग लगा दी गयी । पड़रौना में 7 लोगों की एक रात में सामूहिक हत्या कर दी गयी । इसके साथ ही खीमा, मसूरी व मुजफ्फरनगर में जो नरसंहार हुआ वह किसी से छिपा नहीं है । इतना ही नहीं इस सरकार में पुलिस कैसे ज्यादती करती है इसका भी उदाहरण है । जनपद बिजनौर के थाना-रेहड गांव हरीनाला में 6 सितम्बर, 94 को विद्यावती 55 वर्ष, कु० सीमा 18 वर्ष, कु० नीता 12 वर्ष को पुलिस रेहड़ थाने में ले जाकर पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उनसे अश्लील हरकतें करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती है, भाइयों से अपनी सगी बहनों के साथ अश्लील हरकतें करने के लिये मजबूर किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है ।

श्रीमन्, मैं हरीनाला मौके पर गया था, बहिन भाई से, भाई अपनी बहिन से नजर नहीं मिला पा रहे थे, इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है ? श्रीमन् मैं उत्तरांचल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह हम जानते हैं कि उत्तरांचल के लोगों की अलग उत्तरांचल की मांग जायज है । भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था और 12 अगस्त, 1991 को इसी सदन में हमने अलग उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेज दिया था और 30 पन्ने का नोट बनाकर, उसका औचित्य सिद्ध करके भेजा था । वर्तमान सरकार ने भी 23 अगस्त, 1994 को प्रस्ताव पारित कर केन्द्र के पास भेजा है । अब दोनों प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं ।

हम यहां पर इतना अवश्य उल्लेख करना चाहेंगे कि जिस समय वर्तमान ने अलग से उत्तरांचल और उत्तराखण्ड का राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कांग्रेस पार्टी ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और आज वह केन्द्र में लम्बित है केन्द्र सरकार द्वारा अल्प उत्तरांचल राज्य सरकार बनाने के दो-दो प्रस्तावों को ठंढे बस्ते में डाल दिया । इससे उत्तरांचल वासियों

का आक्रोश बढ़ता गया तथा पहाड़ में आन्दोलन प्रखर होता चला गया, प्रदर्शन किये गये, धरने दिये गये, लम्बी-लम्बी हड़तालें की गयीं कि उनकी जायज मांग को स्वीकार किया जायेगा, लेकिन श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार ने अपना सन्तुलन खो दिया है। उत्तरांचल वासियों को गद्दार और देशद्रोही कहा गया। मुख्य मंत्री जी ने भड़काऊ बयान दिये कि अगर मैंने मैदान के लोगों को जरा भी उकसा दिया तो मैदान में काम करने वाले पहाड़ी लोगों का यहां पर रहना मुश्किल हो जायेगा। श्रीमन्, यह वह पहाड़ है जिसने सुमित्रानन्दन पंत जैसा साहित्यकार दिया, गोविन्द वल्लभ पंत जैसा राजनेता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिया, जनरल बी०सी०जोशी जैसा सेनापति दिया और यही यहां के न मालूम कितने जवानों ने देश की रक्षा के लिये अपना बलिदान किया, कोई भी सिरफिरा ऐसे देशभक्तों और बलिदानियों को गद्दार कहे तो उससे यही पता चलता है कि उसने अपना मानसिक सन्तुलन खो दिया है और जो कुछ कह रहा है वह किसी गहरी हताशा में, मानसिक कुण्ठा में और बौखलाहट में कह रहा है। 1 सितम्बर, 1994 को खटीमा में गोली काण्ड होता है उसका कोई कारण नहीं था, उक्त गोली काण्ड में कितनी ही जाने चली गयीं दूसरे दिन 2 सितम्बर को मसूरी में गोली काण्ड होता है। क्योंकि उत्तरांचल वासी जुलूस निकालकर अपनी मांगें मनवाने के लिये आन्दोलन कर रहे थे। किसी को भी अपनी मांग मनवाने के लिए आन्दोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। आखिरकार उत्तरांचल के लोगों का कसूर क्या है ? क्या वह अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली में रैली नहीं कर सकते थे ? क्या इसके लिए उन्हें लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है। शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए और उस पर बल देने के लिए वह दिल्ली में जाकर रैली करना चाहते थे। रैलियां तो होती रहती हैं और लोकतंत्र तथा संविधान में इसका अधिकार भी है। परन्तु यह सरकार तो पहाड़ बनाम मैदान के बीच लड़ाई कराना चाहती है लेकिन सरकार की यह साजिश कामयाब नहीं हुई। इसके लिए मैं पहाड़ तथा मैदान के लोगों को बधाई देता हूं कि वे सरकार की साजिश का शिकार नहीं हुए। अगर जरा भी यह साजिश कामयाब हो गई होती तो 2 अक्टूबर को जो मैदान के लोगों ने जो मुजफ्फरनगर काण्ड में उत्तरांचल वासियों के प्रति पूरी सहानुभूति, सहायता एवं अपनी मानवता का परिचय दिया, वह सब संभव नहीं हो पाता।

श्रीमन्, 1/2 अक्टूबर, 1994 की रात को न केवल प्रदेश के बल्कि भारत के इतिहास का एक बहुत ही घिनौना और काली रात के रूप में जाना जायेगा और कलंकित रात मानी जायेगी। जहां एक ओर 2 अक्टूबर को पूरा राष्ट्र पूज्य महात्मा गांधी जी को नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, वहीं 2 अक्टूबर की रात को राष्ट्र को रक्तांजलि अर्पित किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों से मैं मिला और स्वयं देखा कि पुलिस और पी०ए०सी० के लोग स्वयं महिलाओं के कपड़े पर मिट्टी तेल लगाकर बसों को फूंक रहे थे और आन्दोलनकारी बसों को जलाने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने जब प्रत्यक्षदर्शियों से इस घटना की जानकारी करनी चाही तो उन्होंने कहा कि हमसे यह सब देखा नहीं गया। निर्ममता से पिटाई की जा रही थी और बर्बर गोलीकाण्ड किया जा रहा था। कोशिश इस बात की जा रही थी कि रामपुर तिराहे से बसों का रूट गुरूकुल की तरफ परिवर्तित कर दिया जाय परन्तु वही जली बसों के लिये निर्दोष उत्तरांचल वासियों को ही दोषी करार दिया गया। सरकार की यह साजिश भी कामयाब नहीं हुई। यह कहा गया कि सरकार ने तलाशी के लिए बसों को रोका था। कोई भी तनिक सूझ-बूझ का व्यक्ति तलाशी लेने का काम वहां पर करेगा, जहां से बसें चलनी प्रारम्भ होती हैं। एक

जगह पर सैकड़ों बसें इकट्ठा हो जायं और हजारों आन्दोलकारी एकत्र हो जायं, वहां पर तलाशी लेने का काम कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता, तनाव से बचने के लिए । यहां पर प्रश्न तलाशी लेने का नहीं था अपितु उत्तरांचल के बहादुर आन्दोलनकारियों को सबक सिखाने के लिए था और यह फैसला शासन में उच्च स्तर पर हुआ ।

यह सरकार उस पाप से बच नहीं सकती है । अब तलाशी में क्या मिला, क्या कोई हथियार मिला क्या कोई बारूद मिला क्या कोई राईफल मिली ? क्या कोई यह सोच सकता है कि अगर ऐसा कुछ हथियार उनके पास होता तो क्या वह अपने सामने मां-बहिन की इज्जत को लूटते हुए देखते रहते ?

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

और चुपचाप बैठे रहते । तलाशी के नाम पर कुछ नहीं मिला । राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने कहा था प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये । मुख्य मंत्री जी अपने स्पष्टीकरण में बतायें क्या उत्तराखण्ड के क्रान्तिकारियों को रोकने के लिये केन्द्र से हिदायत दी गयी ? इस संबंध में मैं अवश्य कहूंगा कि एक और दो अक्टूबर की रात को जो कुछ हुआ उसने जलियांवाला बाग की घटना को पीछे छोड़ दिया । मैं नहीं जानता कि सत्ता में बैठे हुये लोगों के लिये यह लज्जा का विषय लगा कि नहीं लेकिन समूचे मानवता के लिये यह कलंक का दाग है जिसे यह सरकार धोने की कोशिश भी करे तो नहीं धुलेगा । पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं, गोली नहीं चली । वहां पर रातों रात लाशों को हटा दिया लेकिन लाशों के खून के निशान ज्यों के त्यों बने रहे और वहां खून से आदमियों के चित्र बने हुये थे, सरकार द्वारा बार बार धोने के बावजूद खून के निशान नहीं धुल पाये, ईंटों पर खून के निशान नहीं धुल पाये । अब तो सी०बी०आई० की रिपोर्ट आ गयी है, सरकार कहेगी कि शासन के पास नहीं आई है । सी०बी०आई० ने न्यायालय में इस बात के लिये अनुरोध किया है कि हमारी इस रिपोर्ट को उ०प्र० की वर्तमान सरकार को न सौंपा जाय । उसका उन्होंने कारण दिया है कि अगर वर्तमान सरकार के पास सी०बी०आई० की रिपोर्ट आ गयी तो यह सरकार गवाहियों को, साक्ष्यों को मिटा देगी, जो पीड़ित हुये हैं उनके जीवन के लिये खतरा हो जायेगा । मैं समझता हूं कि सी०बी०आई० जैसी उच्च संस्था के द्वारा किसी सरकार के प्रति यह टिप्पणी घोर अविश्वास व्यक्त करती है । सी०बी०आई० को भी इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा वहां के डी०एम० अब बहुत दिनों के बाद हटे हैं तो डी०एम० का बयान आता है कि अगर कोई महिला अकेले में मिलेगी तो वह बलात्कार को निमंत्रण ही देगी । यह किस मानसिकता का परिचायक है, डी०एम० इस तरह का बयान दे और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो यह क्या है ? ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती, यह भारत की संस्कृति नहीं है जो डी०एम० बोलता है, यह सरकार की निष्क्रियता की मानसिकता है । सरकार की विकृत मानसिकता है । भारत की संस्कृति यह है कि उस रामपुर तिराहे पर राजपाल शर्मा ने नंगी लड़की को देखा तो उनकी निगाहें नीची करके अपने कपड़े उतार कर उसकी तरफ फेंक दिये और कहा बहन इसे पहन कर अपनी इज्जत रखो । यह है भारत की संस्कृति कि जब कोई महिला अकेली मिलेगी असहाय तो सब प्रकार से रक्षा की जायेगी लेकिन इस सरकार ने क्या किया ? हमने जब इस बात का आरोप लगाया था तो सरकार ने उसका खण्डन किया और कहा कि वहां गोली नहीं चली, लाठी नहीं चली और बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई । अब सी०बी०आई० की रिपोर्ट आ गयी है 17 महिलाओं के साथ अभद्र और अश्लील व्यवहार हुआ 7 महिलाओं के साथ वीभत्स बलात्कार किया गया किस तरह से वीभत्स रूप में

3-3 महिलाओं के साथ इस सरकार के दरिन्दों ने लोगों से भरी बस में उनकी मौजूदगी में उनकी इज्जत को लूटा और बलात्कार किया जिसकी चश्मदीद गवाहियां हैं चाहे महिलाओं को ईख के खेत में खींच कर ले जाया गया और उनके साथ मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के दरिन्दों सामूहिक बलात्कार किया गया दानवता तथा पशुता का प्रतीक है । दो तीन बार वहां जाने के बाद नतीजे सामने आये और यह सरकार तथ्य छुपाना चाहती है । मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था बलात्कार की एक भी घटना सिद्ध हो गयी तो मैं पूरे राष्ट्र से क्षमा मागूंगा । आज सात-सात महिलाओं के साथ बलात्कार की बात सिद्ध हो गयी तो उन्हें पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिये और अगर नैतिकता है तो मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दें ।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं इस सरकार की कहना चाहता हूं, हल्ला बोल की । इस सरकार ने एक "हल्ला बोल" का नारा दिया है । नारा है कि यह सरकार 95 प्रतिशत के हित में 5 प्रतिशत लोगों के खिलाफ हल्ला बोल रही है, यह सरकारी कार्यक्रम चल रहा है । इसमें सच्चाई क्या है सच्चाई यह है कि यह सरकार 5 प्रतिशत लोगों के हित में 95 प्रतिशत लोगों के खिलाफ हल्ला बोल रही है । श्रीमन्, यह भी देख लिया जाए कि 5 प्रतिशत मैं कौन-लोग आते हैं और 95 प्रतिशत में कौन लोग आते हैं । तो 5 प्रतिशत में चोर, उचक्के बदमाश अपराधी और माफिया लोग आते हैं । 5 प्रतिशत में आतंकवादी, हिंसावादी, अरबपति और देश के बड़े-बड़े अभिनेता आते हैं । इसके अलावा 95 प्रतिशत में जो आते हैं वे हैं गांव के गरीब किसान, झुग्गी-झोपड़ी के इंसान, बेरोजगार नवजवान, उजड़े लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, कर्मचारी, मजदूर, समाचार पत्रों के हाकर और संवाददाता, वृद्ध, विकलांग, बेसहारा तथा विधवायें आती हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

95 प्रतिशत में अल्पसंख्यक लोग भी आते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, हल्ला बोल का इनका जो कार्यक्रम है उसमें पहले हल्ला बोला गया महिलाओं पर और उनकी इज्जत शिवपतिया कांड में लूटी गयी और पिछड़ी जाति की महिला की इज्जत लूटी गयी हमीरपुर कांड में । इलाहाबाद में नारी जाति की इज्जत के विरुद्ध इनका हल्ला बोल आज भी जारी है । दूसरी बार हल्ला बोला गया 16 दिसम्बर, 1993 को विधायिका पर, जो इसी माननीय सदन में हुआ, और सत्ताधारी लोगों ने भाजपा सदस्यों पर प्राणघातक हिंसक हमला किया । तीसरा हल्ला बोला गया योग्य और श्रेष्ठ कर्मचारियों को दरकिनार करके पैसा और जातिवाद के आधार पर लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाकर और इस प्रकार कार्यपालिका की क्षमता पर हल्ला बोला गया । चौथा हल्ला बोला गया 13 सितम्बर 1994 को इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जब सरकारी बन्द के दौरान और न्यायपालिका की गरिमा को मिटाने का काम किया गया । पांचवा हल्ला बोला गया समाचार पत्रों के हाकरों पर उनको पीटा गया और समाचार पत्रों को जलाया गया । छठा हल्ला बोलकर संवाददाताओं को डराया गया । इस प्रकार लोकतंत्र के चारों स्तम्भों पर इस सरकार ने हल्ला बोला । फिर इस सरकार ने सातवां हल्ला बोला अपने कर्मचारियों पर और इस सरकार की हठवादिता के कारण काफी नुकसान हुआ और 17 कर्मचारियों की जानें गयीं । आठवां हल्ला बोल दिया गरीब किसानों पर, उनके ऊपर 1500 करोड़ रुपये

का कर थोप दिया और पेट्रोल/डीजल पर 4 प्रतिशत क्रय कर लगा दिया । हमारे राज्य में यह क्रय कर नहीं लगाया गया था इसके अलावा 25 हार्स पावर के ट्रैक्टर जो हमारे समय में टैक्स फ्री थे उन पर 8 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जिससे उनकी कीमतें बढ़ गयीं । श्रीमन्, बिजली के दाम हमने केन्द्र सरकार के दबाव के बावजूद नहीं बढ़ाये थे लेकिन इस सरकार ने ढाई गुना बढ़ा दिए । सिंचाई के दामों में तीन गुना से लेकर 5 गुना वृद्धि की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह किसानों पर कर भार नहीं है ? इसी प्रकार पशु आहार पर इस सरकार ने टैक्स लगा दिया है । जीवन रक्षक औषधियों पर इस सरकार ने 10 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है और गरीब मरीजों को मरने के लिये छोड़ दिया है । श्रीमन्, बसों में किराया बढ़ा दिया मैं जानना चाहता हूं कि बसों में क्या टाटा, बिरला, जैपुरिया के लोग जाते हैं ? श्रीमन्, बसों में तो गरीब किसान और मजदूर जाता है और उनके रेट बढ़ाकर गांवों के किसानों और गरीबों पर इस सरकार ने हल्ला बोला है ।

श्रीमन्, यूरिया खाद नहीं मिलती है और यदि मिलती है तो मंहगें दामों पर गरीब किसानों को मिलती है और वह भी मिलावट वाली खाद मिलती है । इस प्रकार इस सरकार के समय में सस्ती खाद किसानों को नहीं मिल रही है और इस प्रकार गरीब किसानों पर हल्ला बोला गया है ।

श्रीमन्, नवां हल्ला बोला गया वृद्ध, बेसहारा गरीब किसानों, विधवाओं और विकलांगों पर और उनको मिलने वाली पेंशन या तो रोक दी गयी है या बहुत दिनों से नहीं दी गयी है और कहा जा रहा है कि पैसे की कमी है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

नेता विरोधी दल यह भी कह दें कि भाजपा के ऊपर भी हल्ला बोल दिया गया है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, भाजपा सक्षम है, इस हल्ला बोल का जवाब देगी ।

श्रीमन्, दसवां हल्ला बोला गया सपा और बसपा के विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं ने तथा सरकार में बैठे मंत्रियों ने जनता के मकानों पर, जमीनों पर, सरकारी दफ्तरों पर बन्दूक की नोक पर कब्जा करने का । इस संबंध में 48 जिलों में लगभग 110 ऐसी घटनायें हैं जहां सपा बसपा के लोगों ने अवैध कब्जा किया है । देवरिया में आठ कमरों के सरकारी भवन पर इस सरकार में बैठे एक मंत्री ने झंडा गाड़ दिया है । इसी प्रकार से एक दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने 14-15 कमरों के एक मकान का कब्जा लेकर अपना झंडा गाड़ दिया है । मथुरा में सपा कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी के गोदाम पर हल्ला बोल कर झंडा गाड़ दिया है । बलिया में थाने की बिल्डिंग में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का झंडा लगा दिया गया है । जब मैं बलिया जिले के दौरे पर गया था तो मैंने देखा था कि थाने पर सपा का झण्डा लगा था । हमने समझा कि यह थाने की बिल्डिंग मालूम होती है, इस पर सपा का झण्डा क्यों लगा है तो मालूम हुआ कि इस पर हल्ला बोल दिया गया है और अब यहां पर थाने के स्थान पर सपा का कार्यालय खुल गया है यानी थाने के भवन पर सपा द्वारा अवैध रूप से जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है । यह कैसा शासन है, जहां सरकारी दफ्तरों पर, निजी सम्पत्तियों पर और लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया जाता है ? ऐसी स्थिति में कहां रह जाता है कानून ? अभी जिला इटावा में कुछ लोगों को अपने घरों से उजाड़ दिया गया, क्योंकि उस पर इन सत्तारूढ़ दल के लोग कब्जा करना चाहते हैं । लखनऊ में एक

रिटायर्ड कर्नल के मकान की दीवाल तोड़कर इनके आदमी उसमें घुस गये और उस पर कब्जा कर लिया और उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसी तरह जनपद झांसी में एग्रीकल्चर विभाग के एक दफ्तर पर सपा का झण्डा लगा दिया गया । आखिर यह लूट नहीं तो और क्या है ? क्या यह कानून का राज्य है ? अभी 18 अक्टूबर को एक जनपद में जिलापूर्ति कार्यालय में सपा का झण्डा लगा दिया जबरदस्ती अवैध रूप से । तो इस प्रकार अवैध कब्जे, लूट और जमीन-मकान हथियाने की 48 जिलों में 110 से अधिक घटनायें हुई हैं इनके शासन में । यह है इस सरकार की असली हल्ला बोल की पोल । मैंने जैसा कहा यह 95 परसेंट लोगों के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है पांच परसेंट के हक में यह हल्ला बोला जा रहा है इनके अपराधियों, कातिलों और माफियाओं द्वारा । इन अपराधी तत्वों को इस शासन में खुला संरक्षण मिल रहा है और 95 प्रतिशत लोगों की गर्दनों के खिलाफ यह हल्ला बोला जा रहा है । एक ग्यारहवां हल्ला बोल और सामाजिक न्याय के नाम पर । इनके इस सामाजिक न्याय की आड़ में अधिसंख्य लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत आरक्षण के नाम पर । हम आरक्षण के समर्थक हैं । कई बार कह चुका हूं, लेकिन क्या इनको मिलने वाला आरक्षण और सुविधायें एक जाति विशेष को और वह भी केवल जनपद इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और कानपुर के लोगों तक ही सीमित रह जानी चाहिए । क्या यह सामाजिक न्याय एक जाति विशेष के लोगों के लिए है । बाकी की जो 52 जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, क्या उनके लोगों को सामाजिक न्याय का लाभ नहीं मिलना चाहिए । यदि पिछड़ी जातियों की 54 जातियों का गला घोटकर केवल मात्र एक जाति के लोगों को और वह भी यदि कुछ चुने हुए जिलों में लाभ दिया जायगा, तो यह जो उनका हक मारा जा रहा है, जो उपेक्षित किये जा रहे हैं, जो दलित उपेक्षित हैं उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और उनको उनका हक दिलायेगी ।

श्रीमन्, एक बारहवां हल्ला बोल भी है जनता की गाढ़ी कमायी के पैसे का अपव्यय और दुरुपयोग केवल अपने वोट बैंक को बनाने के लिए यह सरकार भारी धनराशि खर्च कर रही है । एक ओर 15 सौ करोड़ रुपये का टैक्स गांवों के किसानों पर थोपा गया है और दूसरी ओर 12 सौ करोड़ रुपये का अपना वोट बैंक बनाने में यह मुस्लिम तुष्टीकरण में दुरुपयोग कर रहे हैं । क्या जरूरत थी हजारों उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करने की जबकि उसके पढ़ने वाले ही नहीं हैं ? क्या जरूरत थी इनको रखने की ? इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी । फिर 5061 उर्दू अनुवादकों की दफ्तरों में रखने की क्या आवश्यकता थी ? हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है और उसमें हमारा सारे का सारा कार्य आसानी से हो रहा है । क्या जरूरत थी 1462 थानों पर उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की ? और जहां तक मान्यवर, मेरी जानकारी है उन उर्दू अनुवादकों पर पुलिस का मैनुअल लागू नहीं होगा । इस पर पुलिस का अनुशासन भी लागू नहीं होगा । यह नियुक्तियां किस लिए की जा रही हैं ? यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है ? शान्ति सुरक्षा बल के नाम पर उर्दू को 10 नम्बर का अतिरिक्त बोनस देकर 5000 लोगों की भर्ती करके संविधान की धारा 15 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है ? संविधान की धारा–15 स्पष्ट कहती है कि भाषा के आधार पर नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ।

आज अपनी संस्कृत भाषा को हटाकर उर्दू को लादा जा रहा है । मेरा स्पष्ट कहना है कि इन बातों का विकास के कामों से कोई लेना-देना नहीं है । आज प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को यह

अपना वोट बैंक तैयार करने में खर्च कर रहे हैं । इसीलिए मेरा कहना है कि इस तरह से यह बारहवां हल्ला बोल लागू किया है । श्रीमन्, घोटालों की चर्चा इस सदन में कई बार होती है । चीनी की मिलों की बिक्री में, औषधियों के खरीदने में घोटाला किया जाता है । नहरों की सफाई के नाम पर पैसे निकाले गये । सफाई नहरों की तो नहीं हुई हैं हाथ की सफाई हो गयी । तबादला के मामले में करोड़ों का लेन-देन हो रहा है । हमने अभी तक यही सुना था कि थाने नीलाम होते हैं लेकिन अधिष्ठाता महोदय इस सरकार के जमाने में जिले नीलाम होने लगे हैं । सचिवों के जैसे महत्वपूर्ण पद नीलाम होने लगे हैं । कहां था यह प्रदेश और कहां जा रहा है ? कहां जायेगा यह प्रदेश और यह राज्य ?

अब मैं आता हूं मान्यवर, आर्थिक दीवालियेपन पर । प्रदेश में आज आर्थिक दीवालियेपन की स्थिति क्या है ? प्रदेश की 1994-95 की वार्षिक योजना 14750 करोड़ रुपये की थी । आज वार्षिक योजना के आकार और वित्तीय संसाधनों के बीच में 2 हजार करोड़ रुपये का अन्तराल आ गया है । वर्ष के अन्त में जाकर योजना को काटना पड़ेगा । वित्तीय संसाधन बढ़ाने के उपाय करने चाहिए थे, वह नहीं किये गये स्थिति यह है कि योजना में कटौती की जायेगी । वित्तीय अनुशासनहीनता की स्थिति यह है कि दूसरा बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार पिछले सत्र में जो भी धनराशि स्वीकृत की गयी थी उनकी वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं दी गयी है । मार्च की 31 तारीख को अधिकांश वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी वह एक प्रकार से साल भर की लूट का सीधा-सीधा कारण बनेगी ।

श्रीमन्, जिला योजनाओं में से लगभग 75 प्रतिशत की कटौती हो गयी है । आज जिलों में पैसा नहीं जा रहा है । मैं तो चाहूंगा कि सरकार की तरफ से एक श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि किस-किस विभाग को कितना पैसा स्वीकृत किया गया था और किस-किस विभाग ने आज तक की तारीख में कितना-कितना पैसा खर्च किया गया और किसको-किसको वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी । वित्तीय अनुशासनहीनता का एक उदाहरण यह देना चाहता हूं कि जिसका प्राविधान बजट में नहीं होता है वह है आकस्मिकता निधि से पैसा निकालकर खर्च कर लिया जाता है । आज इस निधि से पैसा निकालकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है । इसी प्रकार से मुख्य मंत्री का विवेकानुदान कोष होता है । इसमें से भी वह अपने ही लोगों को, अपने चहेतों को देने में करोड़ों रुपये स्वाहा कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इस पर भी यह सरकार श्वेत-पत्र जारी करे कि कब-कब पैसा निकाला गया और किस-किस मद में खर्च किया गया और कितना पैसा अब तक मुख्य मंत्री विवेकानुदान कोष से निकाला गया । यह सूची दी जाये कि इसमें कितना-कितना पैसा किस किसको दिया गया ? सरकार के वायदे थोथे हैं । ढपोरशंख भी कह सकते हैं । विकास अवरुद्ध हो गया । रोज 16 घण्टे बिजली किसानों को देने की बात कर रहे हैं । गांव में चार-पांच घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है । हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बताते हैं । प्लाण्ट लोड फैक्टर घट रहा है तो बिजली 16 घण्टे देने का सवाल नहीं उठता है । हमारी सरकार के समय 51.5 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर था आज 40.5 प्रतिशत रह गया है । 11.5 परसेन्ट गिरा है । 16 घण्टे बिजली देने की बात की जा रही है बिजली के रेट बढ़ाये जा रहे हैं और आपूर्ति घटाई जा रही है । मान्यवर, यह सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की बात कर रही है और रजबहे के पेट में ही पानी नहीं है तो टेल तक पानी पहुंचाने की बात कैसे हो सकती है ? किसानों की फसल सूख रही है किसान परेशान है । पांच लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात थी कितनों को दिया ? ग्रामीण विकास पर योजना की 70 प्रतिशत राशि आवंटित करने की बात कही थी किन्तु यह सरकार का सबसे बड़ा असत्य

है । ग्रामीण विकास के नाम पर क्या हुआ ? 70 परसेन्ट ग्रामीण विकास पर खर्च कर रहे हैं तो सरकार श्वेत-पत्र जारी कर दें । हमको गलत सिद्ध कर दे । स्थिति तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आज ग्रामीण विकास के नाम पर केवल दो गांवों का विकास हो रहा है । इटावा में सैफई और बाराबंकी में सिरौली । इस पर भी श्वेत-पत्र जारी कर दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दो चीजें तो आपने स्वीकार कीं ।

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश के 1,12,567 ग्रामों में से कोष 1 लाख 12 हजार 565 गांवों के गले पर आपने हल्ला बोल दिया । श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि मेरे इस आरोप का खण्डन किया जाय । मैं इस पर श्वेत-पत्र की मांग कर रहा हूं । जहां 70 प्रतिशत की धनराशि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किये जाने की घोषणा इस पर श्वेत-पत्र जारी करें और इस पर भी श्वेत-पत्र जारी करें कि एक साल के अन्दर सैफई और सिरौली में कितनी कृपा हुई, कितना विकास हुआ ? बाकी गांवों पर 1 लाख 12 हजार 565 गांवों के विकास पर कितना खर्च हुआ । सिर्फ नारेबाजी से काम चलने वाला नहीं है । कोई नये विकास के कार्य शुरू नहीं किये गये ? हमने जो विकास के नाम पर काम शुरू किये थे वह भी रोक दिये । पांच करोड़ किलोमीटर रजबहे, कैनाल की पटरियों को पक्का करने की स्वीकृति दी गयी थी हम पैसा स्वीकार करके आये थे । लेकिन इस सरकार ने इस योजना खटाई में डाल दी । 106 करोड़ की रोजगार योजना लागू की, वह खटाई में डाल दी । हमने महिलाओं के लिए मिनी डेरी स्कीम योजना लागू की, डेरी योजना लागू की वह खटाई में डाल दी । ग्रामीण जनता का गांव में हल निकालने के लिए किसान सेवा केन्द्र चालू किये, ग्रामीण सचिवालय बने, हमारे जाने के बाद किसान सेवा केन्द्र खत्म हो गये । किसानों को 40 पन्ने की किसान बही मुहैया कराने के लिए कहा गया था वह हमने छपवा दी थी लेकिन आपने वह किसान बही की योजना खटाई में डाल दी । आपने कोई नई योजना चालू नहीं की । आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की दर में घटोत्तरी हो रही है जब तक प्रदेश का औद्योगिकीकरण नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा ? तब तक प्रदेश से बेरोजगारी मिटाई नहीं जा सकती, जब तक बेरोजगारी नहीं मिटाई जाती तब तक प्रदेश से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती । जब तक गरीबी नहीं मिटाई जाती तब तक भुखमरी नहीं मिटाई जा सकती है । आज औद्योगीकरण की स्थिति क्या है ? वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी । 1994 में यह घटकर 1.8 प्रतिशत रह गयी । 1994 में अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत थी । औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घट रही है, चीनी का उत्पादन घट रहा है । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को आठवीं योजना का जो लक्ष्य रखा गया यह 15.10 प्रतिशत है । औद्योगिक उत्पादन की अगर यही रफ्तार रही तो आठवीं योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा ।

मेरा आरोप है कि इस सरकार ने एक वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश को 15 साल पीछे ढकेल दिया है । मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था । केन्द्रीय सरकार के अर्थिक मामलों के अनुभाग की रिपोर्ट है । उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने 1993-94 के लिए 1145.10 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी लेकिन यह सरकार उसमें से केवल 11.12 करोड़ के प्रस्ताव आकर्षित कर पायी है । सरकार कहती

है कि बड़ा पूंजी निवेश हो रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि पूंजीपति जो माफिया हैं, अपहरण करने वाले लोग हैं उनके डर के मारे यहां उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं। लोग भाग रहे हैं। इस नाते इस प्रदेश का बड़ा भारी अहित हो रहा है। श्रीमन् मैं एक प्रसंग पर आकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। मान्यवर, आयुर्वेद में तीन गुण बताये गये हैं। बात, पित्त और कफ अगर बात कुपित हो जाये तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। पित्त कुपित हो जाये तो भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। कफ कुपित हो जाये तो भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। लेकिन अगर तीनों एक साथ बिगड़ जायें तो उसको त्रिदोष कहते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति त्रिदोष का शिकार होकर सन्निपात का रोगी हो जाता है और पागलपन में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। उसे पता नहीं होता कि वह क्या कह रहा है ? श्रीमन्, यह सरकार भी त्रिदोष की शिकार हो गयी है। जातिवाद, अपराधवाद और अहंकारवाद की यह सरकार शिकार हो चुकी है। यह सरकार सन्निपात के रोगी की तरह बड़बड़ाने का आचरण कर रही है। इसी पागलपन में "हल्ला बोल" शब्द का इस सरकार में बड़ा प्रचलन हो गया है। श्रीमन्, दो शब्दों का बड़ा भारी प्रचार है हल्ला बोल, जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो आपने देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहलाना प्रारम्भ किया। श्रीमन्, यदि कोई आर०एस०एस० के किसी शिविर में चला गया तो क्या वह देशद्रोही हो गया ? मान्यवर, डा० राम मनोहर लोहिया जी भी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के शिविर में गये थे तो क्या वह राष्ट्रद्रोही कहे जा सकते हैं ? अच्युत पटवर्धन भी आर०एस०एस० के शिविर में गये थे तो क्या वह राष्ट्रद्रोही हो गये ? लोकनायक जय प्रकाश भी निमंत्रण पर आर०एस०एस० के शिविर में गये थे तो क्या वह राष्ट्रद्रोही हो गये ? श्रीमन्, हम और श्री मुलायम सिंह जी एक ही मंत्रि-मण्डल में साथ-साथ बैठे थे हमें तो मुख्य मंत्री अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह आप पर छोड़ता हूं। सच तो यह है कि जब-जब हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है तो हम सबके लिए बड़े प्रिय राष्ट्रवादी हैं और जब आवश्यकता नहीं होती और जब हमारी ताकत, लोकप्रियता बढ़ती है तो भयाक्रान्त होकर तब-तब हमारे विरोधी दल के लोग हमें कह देते हैं कि हम घोर साम्प्रदायिकवादी हैं।

भाजपा राष्ट्रवादी दल है और अपनी नीति अपने सिद्धान्त के आधार पर चलने वाला दल है। इस नाते से मैंने यह एक बात आपके सामने रखी। इस प्रदेश के पूर्व मुंख्य मंत्री रह चुके माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं, मेरा उनसे मतभेद है नीतिगत और सैद्धान्तिक। मैं उनसे अलग दल का हूं लेकिन क्या विचारों की भिन्नता के आधार पर किसी व्यक्ति को देशद्रोही कहा जा सकता है और मुख्य मंत्री जी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह बड़ी जिम्मेदारी का मद है आपने बड़ा गम्भीर आरोप लगाया है। यह मामूली आरोप नहीं है। मुख्य मंत्री किसी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा दे तो यह मानकर चलें की उनके पास देशद्रोह के कार्यों की गतिविधियों की जानकारी होगी। हम समझते हैं कि यह इतना बड़ा गम्भीर आरोप लगा दिया है देशद्रोह इसको साबित करें। और उनके खिलाफ गम्भीर कार्यवाही शुरू कर हम सब मतभेद रखते हैं, हम नीतियों की आलोचना करते हैं, सिद्धान्तों की आलोचना करते हैं, कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बजाय माफी मांगने के अपनी बत पर जोर दें तो यह ठीक नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माफी मांगने का सवाल ही नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

देशद्रोह का आरोप गम्भीर आरोप है । इस गम्भीर आरोप को साबित करके इस पर कार्यवाही करें या माफी मांगें तो श्रीमन् राष्ट्रद्रोही ताकतें जो हमारे प्रदेश में हैं उनसे हमारे प्रदेश में खतरा हो जायगा । आई०एस०आई० का जाल पूरे प्रदेश में फैल चुका है । 20 जनपदों में आई०एस०आई० के अड्डे बन चुके हैं । भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ आ गये हैं । प्रदेश के किसी कोने में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे काण्ड हो जायेंगे जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने जा सकती हैं और अरबों रुपये की सम्पत्ति स्वाहा हो सकती है । यह सरकार आई०एस०आई० के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है । इटावा में आई०एस०आई० एजेंट पकड़े जाते हैं तो सरकारी संरक्षण प्राप्त करके उन्हें छुड़ा लिया जाता है जुलूस निकाला जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि नदवा काण्ड पर क्यों माफी मांगी जाती है ? क्या पुलिस को कहीं छापा मारने का अधिकार नहीं है । अगर कोई देश के विरुद्ध कार्यवाही करता है तो ऐसे तत्वों को बेनकाब करना क्या सरकार का काम नहीं है ? दिल्ली से आई० जी० की एक टीम आयी थी कि सरकार को जानकारी देकर, संज्ञान में लेकर छापा मारा । उसमें लोग पकड़े गये तो उनको क्यों छोड़ा और क्यों माफी मांगी गयी और वादा कर आये कि भविष्य में नदवा पर छापा नहीं मारा जायगा । इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और अमृतसर गुरुद्वारे पर छापा मारा जा सकता है तो मैं कहना चाहता हूं कि नदुवा ऐसी कौन सी संस्था हो गयी है जो वहां छापा नहीं मारा जा सकता ?

राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय सम्प्रभुता किसी भी संस्था से बड़ी है चाहे उस संस्था को चलाने वाले कोई क्यों न हों ? माफी अली मियां को मांगनी चाहिए थी कि और आगे के लिए वादा करना चाहिए था कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को वहां पर कोई स्थान नहीं होगा, खुले दिल से उनको स्वीकार करना चाहिए था । मात्र वोट बैंक की खातिर प्रदेश को आग में झोंकने की योजना बनायी जाय और सरकार हाथ पर हाथ रखे खड़ी रह जाय, वह भी इसीलिए कि आज प्रदेश में घोर राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, घोर संवैधानिक संकट व्याप्त है प्रदेश के अन्दर घोर प्रशासनिक अक्षमता व्याप्त है और घोर आर्थिक दिवालियापन व्याप्त है । सरकार जातीयता का जहर बोकर भाई-चारे को नष्ट कर रही है । गांव-गांव झगड़े कराने की कोशिश की जा रही है ।

हमारा संकल्प है कि सरकार के जातीयता के जहर को हम कामयाब न होंने देंगे । हम सामाजिक एकता, सामाजिक अखण्डता, सामाजिक भाईचारे को नहीं टूटने देंगे (मेजों की थपथपाहट) हम समाज में समता चाहते हैं । समता के साथ-साथ समरसता और ममता भी चाहते हैं । हमारी सामाजिक समा का महल सामाजिक ममता की नींव पर खड़ा होगा । आप नफरत की नींव रखकर इस प्रदेश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं । इन सारी चीजों का जिक्र महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया है इसलिए मैंने अपने संशोधन के माध्यम से इन सारी बातों को रखने का प्रयास किया है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया । इन शब्दों के साथ-साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

(श्री स्वामी परमानन्द दण्डी के सदन से उठकर जाने पर भा०ज०पा० सदस्यों द्वारा अपशब्द कहे जाने पर)

श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

यही सभ्यता आप दिखाना चाहते हैं ?

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वह 5 मिनट में अपना बात रखने का कष्ट करें ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल अपनी तकरीर रख रहे थे और उन्होंने जिन-जिन मुद्दों को अपनी बहस का आधार बनाया ।

(विपक्ष की ओर से व्यवधान व शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य को अपने विचार रखने दें ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल एक ओर तो हादसे की बात करते हैं और दूसरी ओर सन्निपात की बात करते हैं । मान्यवर, मैं देहात में सुना करता था कि जिसको सन्निपात हो जाता है, वह जल्दी ठीक नहीं हुआ करता है । मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने स्वयं आपको सन्निपात का रोगी बना दिया है । मान्यवर, दलितों के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पक्ष मे जो बातें रखी गयी हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यही उत्तर प्रदेश के विकास की आधार शिला होगी और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह का देश में झण्डा फहरायेगा और गरीबों और दलितों का राज्य होगा । समाज के दलित और पिछड़े लोग सामने आ रहे हैं, इसलिए इनके कलेजे पर सांप लोट रहा है । आज वह सम्मान की जिन्दगी जीने लगे है, यही कारण है कि भाजपा के लोग दंगा कराने लगे हैं और उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं । दलितों को साफ कपड़ा पहनते और पेट भर खाना खाते यह देख सामन्तवादी लोग उनको देख नहीं सकते हैं और ऐसा लगता है कि इनको मिरगी का रोग छा गया है । आज से पांच हजार वर्ष पहले जिन लोगों को गांवों में घुसने नहीं दिया जाता था, उनका स्तर बढ़ा है और आज यह मानसम्मान की जिन्दगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । आज मुलायम सिंह ने अनेकों प्रकार की सुविधायें देकर अपना झण्डा देश में लहराने का काम किया है और दूसरी ओर जालिमों के झण्डे थे, उनको झुका दिया है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, वर्षों पहले अम्बेदकर जी का नाम कोई नहीं लेता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपना भाषण देने के पहले उनका नाम जरूर लेता है । नेता विरोधी दल की बात सुनने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि [xxx] यह सामने बैठे हुए हैं लोग यह कहते हैं कि अगर छुआछूत समाप्त हो गया तो हिन्दू धर्म समाप्त हो जायेगा । हमारी सरकार ने दलितों के लिए बहुत अच्छे काम किये हैं । मैं दलित समाज से आया हूं इस नाते मैं इस सरकार का शुक्रगुजार हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो चमरौटी थी उसको डा० अम्बेदकर के नाम से करने का काम किया, उन्होंने 10 हजार गांवों को डा० अम्बेदकर के नाम से जोड़ने का काम किया और इसके लिए गांवों को सड़कों से जोड़ने और गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने का काम किया है । आज यह किसानों की और दलितों की सरकार है, मैं जब यह कहता हूं तो यह पूंजीपतियों के सीने पर सांप लोट रहा है ।

मान्यवर, आज गांव का किसान मुलायम सिंह यादव की तरफ चकोर की तरह देख रहा है और आज हर किसान माननीय मुलायम सिंह जी का समर्थक है चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे किसी चीज का किसान हो । आज किसान और दलित इस सरकार के साथ है, मुलायम सिंह जी के साथ है । इनको यही बुरी लग रही है कि ये लोग कैसे सरकार के साथ आ गये ? मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह ही एक ऐसा मर्द आदमी है जिसने शेर और बकरी को एक घाट पर पानी मिलाने का काम किया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज दलित लोग गाड़ी पर चलने लगे तो मुलायम सिंह यादव जातिवादी हो गये, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे तो मुलायम सिंह जातिवादी हो गये । भगवान बुद्ध का चक्र चलेगा जालिमों का राज खत्म हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जिस तरह से दिन के बाद रात होती है उसी तरह से वक्त आयेगा तो हम इन्हें बतायेंगे । मान्यवर, आने वाले दिनों में देश का प्रधान मंत्री दलित का बेटा होगा, पिछड़े का बेटा होगा तभी डा० राम मनोहर लोहिया और डा० अम्बेदकर का सपना पूरा होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(श्री राम करन आर्य एवं श्री बालेश्वर त्यागी के एक साथ बोलने से व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम करन आर्य–

एक समय आयेगा जब दलितों का बेटा राज करेगा दलितों का राज होगा, दलितों की प्रदेश में उन्नति होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जहां से महामहिम ने अभिभाषण समाप्त किया गया था मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहता हूं । महामहिम महोदय ने इस सदन की जो गरिमा और पवित्रता की बात कही थी उस पर मैं कहना चाहता हूं कि 6-6 महीने तक यह सदन बैठता नहीं है जिससे जनसमस्याएं उठाने का मौका नहीं मिल पाता है । यदि हम केवल कूपन और भत्ता लेने वाले ही विधायक हो जायेंगे तो इस सदन की गरिमा कैसे रहेगी ? पिछले सदन को 9 बजे अचानक यह कहकर स्थगित कर दिया गया कि सरकारी काम समाप्त हो गया । अब 6 महीने के बाद जब आवश्यकता थी सदन सिर्फ 4 दिन के लिए बुलाया गया है । यह 18 करोड़ की प्रदेश की जनता की इतनी ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण के मंच को कुंठित करने की कोशिश हो रही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सदन की पवित्रता और गरिमा को रखना है तो विधायक को जनसमस्याओं को सदन में उठाने का अवसर मिलना चाहिए । यह अवसर आज ही हमको मिला है पिछले सत्र में नियम 301 में जो सूचना दी गयी थी वह 239 सूचना थी । एक माह के अन्दर उन सब पर कार्यवाही का उत्तर आना चाहिए । मान्यवर, सरकार की इस सदन के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, यह उदाहरण है कि 7 मामले में समय से उत्तर प्राप्त हुआ है, 37 मामले ऐसे हैं जिसमें उत्तर की इस सदन को जानकारी नहीं है मंत्रियों ने उत्तर दिये हैं या नहीं बाकी सब में विलम्ब से उत्तर दिया है । यह सरकार संवेदनहीन सरकार है । प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को कितने ही पत्र विधायक लिखे किसी पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है । अब तो विधायकों को माननीय मंत्रियों के, विभागों के सचिवों के पत्र प्राप्त होने भी बन्द सा हो गये हैं । विधायकों का जनपदों में अपमान हो रहा है शासकीय अधिकारियों के द्वारा । विधायकों को अपने सम्मान के लिये अधिकारियों को सरकार, केन्द्र सरकार के शासनादेशों को दिखाना पड़ता है । जिलों की योजनाओं के बारे में सरकार के अधिकारियों में संवेदनशीलता नहीं है । अधिकारी मीटिंग में आते नहीं हैं । जनप्रतिनिधि बैठे रहते हैं । गाजियाबाद का उदाहरण देता हूं 4 बजे मीटिंग तय हुई थी कलेक्टर सवा पांच बजे तक नहीं आये, एक माननीय विधायक के साथ मिलकर, जब बाकी सारे जनप्रतिनिधि चले गये, सदस्य, विधायक जिला से योजनाओं को पास करा लिया गया । आज सरकार की संवेदनशीलता की दशा हो रही है ।

कहा जाता है कि यह घोषणाओं की सरकार है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे, उन्होंने गौशाला फाटक पर अंडर ब्रिज को बनाने के लिये एक करोड़ का चेक सभा में दिखाया था । चेक पता नहीं कहां चला गया अंडर ब्रिज का, रेलवे के चीफ इंजीनियर का पत्र प्राप्त हुआ शासन की घोषणा के बाद । उस पत्र में लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव अधूरा है इसलिये गाजियाबाद के गौशाला के अंडर ब्रिज को 95-96 की योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है । यह केवल विपक्षी विधायकों के मामलों में ही नहीं है । आज की मैंने कार्यसूची देखी विधायक सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने पांच सवाल पूछे हैं बुलन्दशहर की बाबत । उन्होंने कहा कि जिलावार चेम्बर के हेतु माननीय मुख्य

मंत्री जी ने ढाई लाख रु० की घोषणा की थी बुलन्दशहर में सड़कों के निर्माण के लिये 50 लाख की घोषणा की थी दयानन्द इन्टर कालेज के लैब के लिए 5 लाख रु० और 5 लाख रु० पुस्तकालय के लिये घोषणा की थी, डा० राम मनोहर लोलिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुलन्दशहर के सम्बन्ध में 10 लाख की घोषणा की थी काली नदी पर दो पुल बनाने हेतु 1.76 लाख रु० की घोषणा की थी, इन घोषणाओं का धन कहां चला गया है ? इन घोषणाओं पर काम कब तक होगा । केवल विपक्ष के विधायक ही नहीं सत्तापक्ष के विधायक भी इन घोषणाओं का क्रियान्वयन न होने से परेशान हैं । केवल घोषणाओं का शासन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है । इस शासन में माननीय विधायकों का अपमान हो रहा है । अधिकारियों की योजनाओं के प्रति संवेदनहीनता बढ़ रही है, यह सरकार उत्तर प्रदेश के अन्दर लोकतंत्र को समाप्त कर रही है । नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं में दो वर्षों के अन्दर सारे क्षेत्रों में विद्यालय हो जायेंगे, यह घोषणा की गयी थी, बजट भाषण में बात आयी थी कि अगले दो वर्षों के अन्दर प्रदेश में पेयजल का संकट समाप्त हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरे सवाल का उत्तर आया, कि संसाधन उपलब्ध होने पर गाजियाबाद में पानी की व्यवस्था के लिये अन्य उपाय किये जायेंगे । अगर संसाधन नहीं हैं तो 2 वर्षों के भीतर पेयजल की समस्या का समाधान कैसे हो पायेगा ?

मैं समाप्त कर रहा हूं । नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों की मरम्मत के लिये संसाधन नहीं दिये जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में टाट पट्टी की व्यवस्था नहीं है । गरीबों के बच्चों को शिक्षा कैसे दे पायेंगे ? आप अपना संकल्प कैसे पूरा करेंगे ? अब केवल घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है । आज गरीबों के बच्चों को दवाई चाहिये, पढ़ाई चाहिये । हमारे गाजियाबाद में जिला अस्पताल के लिये जगह नहीं मिली है शासन उस पर तुरन्त कोई निर्णय करें । गाजियाबाद में नयी कचेहरी बनी है वकीलों को चेम्बर मिलने चाहिये हर स्थानों पर वकीलों को चेम्बर मिलते हैं । पिछले सत्र में उत्तर मिला था कि विचाराधीन है वह विचार कब पूरा होगा । कानून का राज्य समाप्त हो चुका है, हमारे जनपद के अन्दर 2-3 फरवरी की रात को ग्राम रोरी में अनुसूचित जाति के लोगों के मकान सामूहिक रूप से तहत-नहस कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया । एक ओर बात अनुसूचित जाति की करते हैं दूसरी ओर उन पर अत्याचार हो रहे हैं । मैं आपको इसी के साथ धन्यवाद देते हुए अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिये मौका दिया उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जो भाषण दे रहे थे मैंने देखा कि उनके भाषण में 2 चीजें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयीं जिसमें मुझे दिखाई पड़ा कि उन्हें पिछड़ों से और दलितों से विशेष रूप से स्नेह है ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

लेकिन हम कहना चाहते हैं, मान्यवर, आज सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में यह बात साबित हो चुकी है कि हिन्दुस्तान में अगर कोई पार्टी पिछड़ों और दलितों की दुश्मन है तो वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी । मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा और इस पूरे सदन को याद होगा कि जब मण्डल आयोग की सिफारिश लागू की गयी थी तो सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में बसों को जलाने का और मासूम बच्चों को आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने किया था । मान्यवर, आज इन्हें चिन्ता हो गयी है कि मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि गुजरात में क्या हुआ ? मन्दिर एवं मस्जिद के झगड़ों में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, उनके घरों को आग में झोंक दिया गया था, वहां पर महिलाओं के साथ उन्हीं के घर के भाई बहनों के सामने बलात्कार किया गया, उनको नंगी करके घुमाया गया और मासूम बच्चियों को कांच की बोतल तोड़कर, उस टूटे हुए कांच पर नाचने को मजबूर कर दिया था और वह मासूम बच्चियां नाचते-नाचते जब बेहोश हो गयीं तो उन्हें गोली से मार दिया । ऐसा नरसंहार, ऐसी हत्या किसी भी पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने अगर की है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है । जो अपने को देश भक्त कहते हैं उन्होंने यह सब किया है ।

मान्यवर, जब 27 प्रतिशत आरक्षण हुआ था तो इनके सीने में आग लग गयी थी । मान्यवर, पहली बार मुसलमानों ने मुलायम सिंह जी के राज में अपने को महफूज समझा और पहली बार मुसलमानों को इतनी बड़ी संख्या में नौकरी में रखा गया और पहली बार उनके चेहरे में आशा की किरण जागी है । मान्यवर, आज इनको चिन्ता इस बात की नहीं है कि दलितों और पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है ? पहली बार आज उत्तर प्रदेश के अन्दर शांति बनी रही, कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ । लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के 16 महीने के कार्यकाल में सारे हिन्दुस्तान में जब तक भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पर रही एक दिन भी उत्तर प्रदेश का नौजवान चैन से जी नहीं पाया । पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया । आज जब वह लाखों करोड़ों लोग जो दलित और पिछड़े हैं, जिनको गुलाम बनाकर इन लोगों ने रखा था जब शासन की ओर बढ़ रहे हैं, कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं तो यह जो राज करने वाले लोग हैं, यह आज असहाय जिन्दगी महसूस कर रहे हैं । अभी नेता विरोधी दल चुनौती दे रहे थे कि चुनाव के मैदान में चलो, भारतीय जनता पार्टी निपट लेगी । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जंनता भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा चुकी है और आगे भी जब उत्तर प्रदेश के अन्दर चुनाव होंगे, यह इस लायक भी नहीं रहेंगे और 5-7 की तादाद में इस हाउस में बैठेंगे, इस प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिये अपना मन बना चुकी है । इसी के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका पुनः आभारी हूं ।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे सत्ता पक्ष के भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे हिन्दुस्तान को समाजवादी पार्टी चला सकती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश की बात तो दूर है, समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है, यह पिछले 4 प्रदेशों के चुनाव में साबित हो चुका है, शायद ही कहीं इनकी जमानत बच पाई हो, सारे प्रदेशों की जनता ने इनको नकार दिया है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रदेश में यह इनकी पार्टी दहाई की संख्या में भी जीतकर आ जाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों की ओर से एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

पूरे प्रदेश में यदि आतंकवादी पार्टी के रूप में किसी का नाम लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाता है। आज यह पूरे प्रदेश में बैशाखी के आधार पर आये हुये हैं। आज इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में आतंकवाद, माफियावाद का माहौल पैदा किया है, उसके चलते यह उत्तर प्रदेश में ही दुबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकते, देश की बात तो बहुत दूर है, उन्हें यह छोड़ ही दें।

आज चीनी मिलों की हालत खस्ता होती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री करोड़ों रुपये व्यय करके बम्बई गये थे, उत्तर प्रदेश की जनता सोचती थी कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये, मुख्य मंत्री जी बम्बई गये हैं, लेकिन मान्यवर, बड़े अफशोस के साथ कहना पड़ रहा है इनके बम्बई जाने का जो मकसद था, वह बेनकाब हो चुका है, जिसे पूरा उत्तर प्रदेश समझ गया है, यह अपने प्रदेश की चीनी मिलों की जो सम्पत्ति है, उसे कौड़ियों के भाव नीलाम करने के लिये बम्बई गये थे। आज उत्तर प्रदेश का किसान. चीनी मिलों का मजदूर आन्दोलन करके, न्यायालय में जा करके इनके इस कारनामें के खिलाफ स्थगनादेश ला चुका है।

आज घोषणा हो रही है कि हम 5 प्रतिशत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, या 95 प्रतिशत के खिलाफ, यह तो माननीय कल्याण सिंह जी ने बता दिया, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि आज गांव के गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। गांव की कला-संस्कृति को विक्षिप्त करने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, जिन्होंने भारत की आजादी के लिये अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनके नाम पर कोई रास्ते नहीं बनाये जा रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन के नाम पर सड़कों का उद्घाटन हो रहा है, करोड़ों रुपयों का इनकम टैक्स न देने वालों को ऐसे सम्मान देने की क्या जरूरत थी ? इसी तरह राज बब्बर पर करोड़ों रुपये का टैक्स बाकी है, उन्हें यशभारती सम्मान दिया जा रहा है। जो ऐशोआराम की जिन्दगी जीते हैं, उन्हें यशभारती देने की क्या आवश्यकता है ? आज गरीबों की हालत क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की, दलितों की सरकार है, तभी सिपाही को मौत के घाट उतारे दे रहे हैं, आज जगह-जगह सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। भदोही में ही पिछले दिनों बबिता नाम की कहारिन जाति की महिला का अपहरण किया गया, उसके भाई ने एफ०आई०आर० दर्ज कराई, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री जो वहां रहते हैं, की वजह से अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, आप सत्ता में बैठे हुये लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरिये।

इसी प्रकार एक धोबी जाति की महिला से बलात्कार हुआ और आपने 5 हजार रुपये अनुग्रह राशि देकर मुक्ति पा ली। कहा गया था कि मुआवजा देंगे। अभी इटावा में बलात्कार होता है, तो लाख का मुआवजा दिया जाता है और भदोही में होता है तो 5 हजार दिया जाय, इसमें भी आप कोई रेखा खींच दीजिये कि यदि सत्ता पक्ष की महिला के साथ हो तो एक लाख दिया जायेगा, और यदि किसी गरीब घर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की हो तो 5 हजार दिया जायेगा यह कहां का इन्साफ है, कहां दलितों के लिये और पिछड़ों के लिये न्याय देने की बात है ? आज कहीं अगर मर्डर होता है, हत्या होती है तो अगर सत्तापक्ष का व्यक्ति होता है और वह यदि दुश्मनी में भी मारा जाता है तो एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, वहीं अगर दूसरा गरीब परिवार का मारा जाता है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाता है । मैंने पिछले सत्र में एक व्यक्ति की हत्या की बात उठायी थी जिसमें सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला था कि उसे मुआवजा दिया जायेगा, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया । वहीं दुश्मनी में मारे गये लोगों को माननीय मुख्य मंत्री ने एक-एक लाख रुपये देकर यह घोषणा कि भदोही जो कि पिछड़ा जिला है उसको ढ़ाई करोड़ रुपया दिया जायेगा लेकिन आज तक वह रुपया नहीं पहुंचा । आज इस जिले की यह स्थिति है कि अधिकारियों की गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिये पैसा नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी सत्तापक्ष के विधायकों के दबाव में आकर झूठी घोषणायें करते रहे हैं । जौनपुर के अन्तर्गत एक और तहसील बनाने की घोषणा कर दी लेकिन जनपद भदोही को अनुदान नहीं दिया गया । भदोही जनपद के कटरा थाने के अन्तर्गत एक दरोगा के नेतृत्व में सैकड़ों दुकानें जला दी गयी, उन पीड़ित व्यक्तियों को न तो कोई मुआवजा दिया गया न ही उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की गयी । सत्ता पक्ष के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रंगनाथ–

[× × ×]

श्रीमती रेखा छागला–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं । मान्यवर, हमारी सरकार ने सत्तासीन होते ही किये गये वायदों के अनुरूप, जनापेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये 14 माह के शासन काल में जो कार्य किया उसमें सफल रही । हमारी सरकार के पूर्व प्रदेश में साम्प्रदायिकता की आंधी अपनी सीमा लांघ रही थी । हमारी सरकार ने साम्प्रदायिकता के आंधी को शान्त किया । हमारी सरकार ने प्रदेश में भाईचारा कायम करके अमन-चैन कायम किया । प्रदेश की जनता इस काम को कभी भूल नहीं पायेगी । मान्यवर, हमारी सरकार साम्प्रदायिकता भड़काने वाली शक्तियों का दमन करने में सफल रही है । वहीं पर समाज में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमता मिटाने के लिये विशेषकर दबे-कुचले समाज के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनायें बनायी हैं । हमारी सरकार इस विषमता की खाई को पाटने के लिये प्रतिबद्ध है । मान्यवर, समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमता के विषम ज्वर को अधिकांश सरकारों ने नजरंदाज किया है । यह समाज के लिये प्रदेश के लिये, देश के लिये बहुत घातक सिद्ध हुआ है । संविधान शिल्पी बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर के विचार यहां गौर करने योग्य हैं । उन्होंने 26 जनवरी, 1950 के दिन कहा था "ऐ देश वासियों आज भारत ऐसी व्यवस्था अपनाने जा रहा है जिसमें हमें राजनैतिक समानता तो मिल जायेगी लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक विषमता ज्यों की त्यों कायम रहेगी । जिनके हाथों में यह संविधान सौंपा जा रहा है, जिनके हाथों में कानून की किताब सौंपी जा रही है उनका दायित्व है कि अविलम्ब इस विषमता की आग को बुझा दें । यदि सत्तासीन लोगों ने देश में व्याप्त इस विषमता को समय रहते नहीं मिटाया तो हमें भय है कि कहीं आर्थिक एवं सामाजिक विषमता से पीड़ित लोग इस लोकतंत्र को खतरे में न डाल दें । मान्यवर, बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर की इस चेतावनी को

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक लिया है । इस गठबन्धन की सरकार के हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने इस विषमता को मिटाने के लिए दृढ संकल्प लिया है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं । हमारी सरकार ने प्रदेश में बहुमुखी विकास के लिए अनेकों लाभकारी योजनायें बनायी हैं और उन्हें पूरा करने में लगी हुई हैं । आपने मुझे बोलने के लेए मौका दिया, इस के लिये मैं आपकी बहुत आभारी हूं ।

* डाक्टर शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन इसलिए करता हूं कि इस सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हित में काम किया है । चाहे वह गन्ने का दाम बढ़ाने का मामला हो, चाहे वह छात्रों के खिलाफ नकल अध्यादेश को समाप्त करने का मामला हो, चाहे वह हरिजनों/अनुसूचित जाति के लोगों का 18 प्रतिशत से आरक्षण बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने का मामला हो, चाहे वह पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वह कुम्हारों को पट्टा देने का मामला हो, ये सारे कार्य हमारी सरकार ने किये हैं जो सराहनीय हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने हल्ला बोल के बारे में जो झूठे आरोप लगाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह हल्ला बोल का कार्यक्रम विचारों की लड़ाई है । उन्होंने जो यह कहा कि हल्ला बोल कार्यक्रम जमीनों को कब्जा करने के लिए है, ऐसा नहीं है । यह सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई है, फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई है । बी०जे०पी० के लोग जो यह हल्ला बोल के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 95 फीसदी लोगों को जब तक उनका हक व न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा । अपराधों के बारे में बी०जे०पी० के नेता ने जो यह आरोप लगाया है, मैं गोण्डा जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं ।

कलन्दरपुर गांव, जिला गोण्डा में, इनके शासनकाल के गन्ना मंत्री ने दलितों अल्पसंख्यकों के घरों को ध्वस्त कर दिया और लूट लिया और हमारे एक नेता श्री वदूद खां की हत्या करवा दी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इनके जमाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी परन्तु हमारे शासन में मामूली घटना की भी रिपोर्ट लिखी जाती है । आप आंकड़े देख लीजिए । आंकड़े झूठ नहीं हो सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 1 फरवरी, 1995 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 के उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उक्त विधेयक, विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है,

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद और उक्त नियम 150 के उपनियम (1) की अपेक्षा के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 1 फरवरी, 1995 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 के उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उक्त विधेयक, विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है,

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद और उक्त नियम 150 के उपनियम (1) की अपेक्षा के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 पर विचार किया जाए।

(माननीय लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री जी के बैठने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

इसके उद्देश्यों और कारणों पर आप प्रकाश तो डाल दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

व्यवस्था का प्रश्न कहां से पैदा हो गया ?

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 जो विचार करने हेतु प्रस्तुत है, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में वित्तीय संसाधनों में कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिये जो लक्जूरियस आइटम हैं, उन पर इसे लगाया गया है और इसमें जो गरीब लोगों से संबंधित चीजें हैं उनको इससे अलग रखा गया है और उन पर टैक्स नहीं लगाया गया है । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सुख साधन कर अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1994) का प्रख्यापन राज्यपाल द्वारा 14 मई, 1994 को मुख्य रूप से तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत तम्बाकू सहित या रहित पान मसाला सम्मिलित है लेकिन जिसमें ऐसी सिगरेट जिसके दस सिगरेटों के प्रत्येक पैकेट का मूल्य पांच रुपये तक हो और बीड़ी सम्मिलित नहीं है) की आपूर्ति पर ऐसी दर पर, जो तम्बाकू व्यवसायी की प्राप्तियों के विक्रय धन पर पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, कर का उदग्रहण और संग्रह करने की व्यवस्था करने के लिये, राज्य सरकार की किसी श्रेणी की तम्बाकू या तम्बाकू, व्यवसायियों को कर के उदग्रहण से छूट देने की शक्ति देने के लिये, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन नियुक्ति अधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा सुख साधन कर का उदग्रहण और संग्रह करने के लिये और करापवंचन को रोकने की दृष्टि से तम्बाकू व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने, जांच चौकियों और नाकों की स्थापना किये जाने और उक्त ऐक्ट के अधीन स्थापित जांच चौकियों और नाकों का इस प्रयोजन के लिये प्रयोग करने के लिये, किया गया था ।

श्रीमन्, इस विधेयक को सुप्रीमकोर्ट की मान्यता मिली है । इस प्रकार यह विधिक दृष्टि से न्यायसंगत माना गया है । इसलिये यह संसाधनों की वृद्धि के लिये लाया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले इस विधेयक के प्रस्तुति के बारे में विधिक आपत्ति करना चाहता हूं । विधिक आपत्ति है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 (1) (ए) जो मनी बिल के बारे में है उसे पढ़ना चाहता हूं । उसमें लिखा है––

> 199 डिफिनिशन आफ दि मनी बिल (1) फार दि परपजेज आफ दिस चेप्टर, ए बिल सैल बी डिमेड टू बि ए मनी बिल इफ इट कन्टेन्स वनली प्रोविजन डिलिंग विथ आल आर एनी आफ दि फालोइंग मैटर्स, नेमली :-
>
> (ए) दि इम्पोजीशन एबोलीसन, रिमेशन, अल्टरेशन आफ रेगुलेशन आफ एनी टैक्स ;

अब आप देखें इम्पोजीशन यानी किसी टैक्स का लगाना, एबालीशन यानी खत्म करना, रैमिशन यानी टैक्स में छूट, अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन और रेगुलेशन यानी टैक्स का विनियमन दिया हुआ है । इम्पोजीशन–तो इसमें एक कर लगाया गया है । हमारी नियमावली में है कि मनी बिल के साथ एक फाइनेन्शियल ज्ञापन भी होगा, जो इसमें नहीं है । इसमें हो सकता है कि एनेक्शर छूट गया हो, लेकिन

जो पढ़ा है विश्वास से कह सकता हूं कि इसमें कहीं वित्तीय ज्ञापन नहीं है । इस कारण इसे आप जो पास करने जा रहे हैं, इसमें कितना पैसा मिलेगा, उससे कितना धन जमा होगा और उसके इकट्ठा करने में क्या खर्च होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है ? इसलिये हमारी यह विधिक आपत्ति है । जब यह दे दिया जाए, तो इसको आगे चर्चा हेतु लिया जाए । पिछली बार मैंने एक मनी बिल पर यहां बैठकर आपत्ति की थी, जिसमें इसी तरह से वित्तीय ज्ञापन नहीं था, तो उस समय अध्यक्ष की व्यवस्थानुसार उस पर चर्चा रोककर, उसे प्रस्तुत करने के बाद ही उस पर यहां चर्चा हुई थी । बिना उसके इस बार भी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए । इस पर उसकी व्यवस्था करा लें या व्यवस्था दे दें तभी मैं बोलना शुरू करूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप सर्वप्रथम संशोधन के रूप में तो प्रस्तुत कर दें, यह तो नियमानुसार है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप इस पर जो भी कहेंगे वह मुझे शिरोधार्य होगा । लेकिन आप यही कह दें कि आपकी विधिक आपत्ति सारहीन है । आप यही व्यवस्था दे दें तो वह रिकार्ड हो जाए और आगे आने वाले हजारों वर्षों तक जनतांत्रिक पद्धति में आस्था रखने वाले उसे पढ़ेंगे । (व्यवधान) आप मान्यवर, इस पर संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें, अपनी नियमावली पढ़ लें और संविधान को पढ़ लें । यदि मनी बिल के साथ वित्तीय ज्ञापन का प्राविधान है तो इसमें क्यों नहीं है ? यह मैं जानना चाहता हूं । हम कैसे जानेंगे कि किस काम के लिये कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अनुच्छेद 199 में वित्तीय ज्ञापन का प्राविधान नहीं है । अध्यादेश का रिप्लेसिंग बिल आना चाहिए और यह हम आपसे पास भी करा सकते हैं । यह हाईकोर्ट में स्टे भी हो गया है ।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वहां पर तो यह अल्ट्रावायरस हुआ है ..... (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

रिप्लेसिंग बिल लाना सरकार का कर्तव्य है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला पहले ही दे रखा है कि लक्जीरियस टैक्स लगाया जा सकता है । इसके रिप्लेसिंग बिल के रूप में हमने पेश किया है, आप इसको पारित कीजिये । द्विवेदी जी की जो आपत्ति है अल्ट्रावायरस कैसे कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लक्जीरियस टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

राजेन्द्र जी ने एक विधिक आपत्ति उठायी और संविधान के प्राविधानों के तहत उठायी । सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलेगी । यह परम्परा भी रही है और नियमावली में भी है कि मनी बिल सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयेगा तो उसके साथ वित्तीय ज्ञापन आना आवश्यक है, अनिवार्य है । नहीं आयेगा तो इसमें गलती हो जायेगी । हमें कैसे मालूम होगा कि इसके द्वारा कहां से कितना पैसा आयेगा और कहां-कहां वह व्यय होगा ? दूसरी मान्यवर, आपत्ति यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं और उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया है उनको जो दे दिया गया वह प्रस्तुत कर दिया गया या फिर उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । जब आर्डिनेंस आया तब उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया । उस आर्डिनेंस को हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने चैलेंज किया । श्री वार्ष्णेय ने अपनी रिट याचिका के द्वारा उस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया । उच्च न्यायालय ने उस पर 2-11-94 को निर्णय लिया और उस पर अपनी आपत्ति कर दी, जिसे अल्ट्रावायरस घोषित कर दिया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिस व्यक्ति का नाम द्विवेदी जी ले रहे हैं वह इस सदन का सदस्य नहीं है, इसलिये उसका नाम यहां पर लिया जाना उचित नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के सिंगिल जज ने उस रिट याचिका को नहीं सुना, बल्कि डबल जज की बेंच ने उस पर अपना निर्णय दिया और उस अध्यादेश को अल्ट्रावायरस करार कर दिया । इस पर आप सुप्रीम कोर्ट गये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं दिया । संसदीय कार्य मंत्री जी जो सूचना दे रहे हैं, वह गलत सूचना दे रहे हैं । अगर ऐसा होता तो रुपये का रियलाइजेशन हुआ होता जहां तक मेरी जानकारी है कि रुपये का कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिटर्न दाखिल करें । उच्च न्यायालय में जो डबल जजेज ने निर्णय दिया है उसमें इस अध्यादेश को संविधान विरोधी माना गया है । उस निर्णय को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है । यह आपके पक्ष में नहीं, आपके विपक्ष में निर्णय हुआ है । इस विधेयक को लाने के पहले केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गयी है । केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान में है । यह मामला समवर्ती सूची में आता है इसमें केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसी कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है इससे सिद्ध होता है कि केन्द्र से पूर्व अनुमति नहीं ली गई । मान्यवर, यह मेरी विधिक आपत्ति है । चाहे उस बिल को रिप्लेस किया जाए और चाहे वह ओरिजनल हो, इसके पारित करने में संवैधानिक रूप से उल्लंघन हो रहा है और मैं समझता हूं कि इस तरह की परम्परा डालना अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें आपकी बात आ गयी है ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

स्लिप आ गयी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जहां तक वित्तीय ज्ञापन का सवाल है यह उस समय आवश्यक है जब धन विधेयक में कन्सालिडेटेड फंड से खर्च किया जाना निहित हो, इस बिल के आने से हमें कोई स्टाफ नहीं रखना है बल्कि वर्तमान स्टाफ से ही काम चलाया जायेगा इसलिये कोई खर्च अन्तर्निहित नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है कि लगजरी टैक्स लगा सकते हैं । और इसमें कन्सालिडेटेड फंड का कोई खर्च अन्तर्निहित नहीं होता है । यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह डाइरेक्शन दे रखा है ।जब यह वैध तय हो जायेगा तो उसमें एडजस्ट कर लिया जायेगा । इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत और पारित होना विधिक और संवैधानिक है । श्री गुप्त जी और श्री द्विवेदी जी की आपत्ति केवल विरोध करने के लिये है उसका विधि विधान से कोई लेना देना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । कन्सालिडेटेड फन्ड से खर्चे का प्राविधान होगा तो मनी बिना माना जायेगा । मान्यवर, आप अनुच्छेद 199 (ई) देख लें दि डिकलेरिंग आफ एनी एक्सपेन्डीचर टू बी एक्सपेन्डीचर चार्ज्ड आफ दि कन्सीडरेटेड फण्ड आफ दि स्टेट आर दि इन्क्रीजिंग आफ दि एमाउन्ट आफ एनी सच एक्सपेन्डीचर ।

कोई भी टैक्स कन्सालीडेटेड फण्ड से लगाया जाय तो वह मनी बिल में आता है । मान्यवर, महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण सामने है । महाराष्ट्र सरकार ने भी यह टैक्स लगाया था लेकिन कोई खास आमदनी नहीं हुई और महाराष्ट्र सरकार ने इसे वापस ले लिया । मान्यवर, इससे कोई आमदनी होने वाली नहीं है । यह टैक्स औद्योगीकरण को क्षति पहुंचाने वाले हैं । बेरोजगारी बढ़ाने वाला है और प्रदेश के राजस्व में कमी करने वाला है । यह टैक्स विवेकधारी है । गरीबों के हितों के खिलाफ है इसलिये मैं इसका प्रतिवाद करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, गुप्त जी ने जो आशंका व्यक्त की है उसका निराकरण कर दिया जायेगा । आप प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 118 को पढ़ लें । विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड–(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय गुप्त जी की और माननीय द्विवेदी जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बातों को सुना और मैंने संविधान की विभिन्न धाराओं को देखा तथा नियमावली को भी देखा । इसमें स्पष्ट है कि सरकार की संचित निधि से कोई खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है । संचित निधि से कोई खर्च अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसलिये वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है इसलिये इस संशोधन को निरस्त किया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उ० प्र० सुख साधन कर विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसलिये किया है ताकि इसके सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाय कि इसका प्रभाव किन पर पड़ेगा और इन बातों को देखकर ही इसके समर्थन और विरोध करने की आवश्यकता है । इस विधेयक में कई बातों की परिभाषा देने की जरूरत थी । मेरा यह कहना है कि एक व्यक्ति विशेष की फैक्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । अगर सिगरेट 5 रुपये की 10 हैं तो टैक्स नहीं लगाया है लेकिन यदि कीमत 6 रुपये हो, टैक्स की परिधि में आ जायगा ।

यह डिस्क्रिमिनेटरी है 5 रुपये की डिब्बी पर छूट हो और उसके ऊपर 6 रुपये पर छूट न हो तो यह उचित नहीं कहा जायगा । अगर पूरी जानकारी इस विधेयक से मिलती तो हम इस संशोधन के पक्षधर होते लेकिन आपने कोई जानकारी नहीं दी है । समाचार पत्रों में जो पढ़ा है उससे जानकारी हुई । आपने विक्रय धन पर 25 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है । आपने धारा–4 में यह व्यवस्था की है कि सरकार किसी भी मद में किसी भी व्यापारी को कर के उद्ग्रहण से छूट दे सकती है । आपने इसमें कहा है कि "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी श्रेणी की तम्बाकू या ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा यह अधिरोपित करे, तम्बाकू व्यवसायियों की किसी श्रेणी को कर के उद्ग्रहण से छूट दे सकती है ।" यह राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है । मेरा कहना है कि विवेक भ्रष्टाचार को भी जन्म देता है । किसी को छूट देने के लिये कोई नियमावली होनी चाहिए । आपको इसके बारे में प्राविधान करना चाहिए था कि किस नियम के अन्तर्गत, किस आधार पर छूट दी जायगी । आपने किसी व्यक्ति विशेष को ओबलाइज करने के लिये यह अधिकार लिया है मैं इसका पक्षधर नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि ऐसा प्राविधान किसी शर्त, नियम के अन्दर होना चाहिए, चूंकि इस संबंध में कोई प्राविधान नहीं है इसलिये मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है । दूसरी बात मैंने शुरू में कही थी कि यह प्रतिगामी है । सरकार की आमदनी को बढ़ाने वाला नहीं है । क्योंकि जब तम्बाकू पर आप कर लगायेंगे तो आबकारी से आपको जो पैसा मिलता है वह हिस्सा आपका कट जायगा । 1994-95 में तम्बाकू उत्पादन पर 385.61 करोड़ की आमदनी होनी थी अब आपने जो टैक्स लगा दिया है तो आपका हिस्सा कट जायगा, तो फिर क्या लाभ मिलेगा यह आप बतायें ? महाराष्ट्र में इस प्रकार का टैक्स लगाया गया था लेकिन इससे जब वहां उलझनें बढ़ गयीं तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापस ले लिया । आपका व्यापार कर का जो विभाग है और वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर इससे काम का अतिरिक्त भार बढ़ेगा क्योंकि फार्म भरे जायेंगे, स्टेशनरी छपेगी और खर्च होगा । इन्हीं बातों को देखकर महाराष्ट्र की सरकार ने इसको वापस लिया ।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था आप करने जा रहे हैं यह गरीबों के हितों के खिलाफ है । गरीब से गरीब आदमी भी तम्बाकू का सेवन करता

है । इस पर जब 25 फीसदी टैक्स लगेगा तो उसका भार गरीब आदमी पर पड़ेगा । पान मसाला, आज शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो न खाते हों, समाज के हर वर्ग के लोग, गरीब हों या अमीर हों, इसका सेवन करते हैं । बहुसंख्यक आबादी इसका सेवन करती है जिसमें गरीब व्यक्ति ज्यादा हैं और उससे उन पर भार पड़ेगा इसीलिये मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये निवेदन किया है । आपने व्यय किसको माना है, जो 1 लाख रुपये का विक्रय करता है उसको माना है । महीने में 8 या साढ़े 8 हजार का विक्रय करने वाला इसकी परिधि में आ जायगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह किसी तरह से हितकर नहीं है । इसका एक असर यह होगा कि जो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं वह अपने व्यापार को प्रदेश से बाहर ले जायेंगे, अपने उद्योग को प्रदेश से बाहर ले जायेंगे जिससे औद्योगीकरण को नुकसान होगा और बेरोजगारी फैलेगी क्योंकि यह एक कुटीर उद्योग है । बहुत से शहरों में एक छोटे से कमरे में मसाला बनाकर, उसका प्लांट लगाकर लोग यह काम करते हैं । उस पर टैक्स लगेगा अर्थात् कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो टैक्स न दे । इसलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको 30 दिन के लिये प्रवर समिति को भेज दिया जाय । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है वहां से स्टे नहीं मिला है, आप कलेक्शन नहीं कर पायेंगे । इसलिये 30 दिन के लिये इसको प्रवर समिति भेजने में कोई नुकसान नहीं है । प्रवर समिति की रिपोर्ट आयेगी । अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर लिया तो क्या होगा ? इसलिये सुचारु रूप से विचार करके ऐसा रास्ता निकालें जिससे गरीब की जेब पर भार न बढ़े । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो प्रस्ताव किया गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस विधेयक पर चर्चा के लिये आधे घन्टे का समय निश्चित किया गया है और आज रोज़ा आफतार भी है । इसे पास हो जाने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज रोजा आफतार है, तो मैं भी किसी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता हूं लेकिन जो प्रक्रिया है, उसे हो जाने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में कह दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । मैं इस संबंध में केवल एक-दो बातें कहना चाहता हूं । एक बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो आर्डिनेंस था, वह लैप्स हो जाता, इसलिये इसको वह यहां पर लाये हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसको पारित करने की क्या आवश्यकता थी ? आपको इससे पैसा तो मिल नहीं सकता है, जब तक फैसला नहीं हो जाता है, आपको पैसा नहीं मिल पायेगा, तो फिर इसको पारित करने से क्या लाभ होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च, 1995 की तारीख लगी है

और तब तक इसे आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, उसके विचार आ जायेंगे । विधेयक के जो मुद्दे हैं, उन पर गम्भीरता से और विस्तार से विचार हो जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश किसान विरोधी है, क्योंकि तम्बाकू पर टैक्स लगाया गया है और तम्बाकू का जो उत्पादन किया जाता है वह किसानों के द्वारा किया जाता है और इस का प्रयोग भी गरीब जनता द्वारा, मजदूरों द्वारा और गांव में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, तो इससे उन पर आर्थिक भार पड़ेगा । तो इसमें तमाम कमियां हैं और उससे भ्रष्टाचार पनपेगा । मैं समझता हूं कि शासन के विरुद्ध कोई अनावश्यक आरोप न लगे और किसी को विशेष छूट न दी जाये । मैं कहना चाहता हूं कि पनामा सिगरेट वालों को लाभ पहुंचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । जिससे मामला बैठ गया, उसको तो आप छूट दे रहे हैं और जिससे नहीं बैठ पाया है, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं । मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रवर समिति में विशेषज्ञ होते हैं और यह इस पर गम्भीरता से विचार कर लेंगे, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही गयी है, उस पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, जैसा कहा गया था, यह विधेयक विवादास्पद है । जब अध्यादेश हुआ तो हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया और अब वह सुप्रीम कोर्ट में है, एस० एल० पी० दाखिल की गयी है । जिन संसाधनों को बढ़ाने की बात कही गई है, मान्यवर, वह बढ़ने वाले नहीं हैं । अगर सुप्रीम कोर्ट ने विपरीत निर्णय दिया, तो आपको परेशानी हो जायेगी, इसलिये जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है, आप इसको न लायें । आपके इससे संसाधन नहीं बढ़ेंगे । आपने कहा कि 5 रुपये से ऊपर वाले पर लागू होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे छोटे लोग ही प्रभावित होंगे, मजदूर प्रभावित होंगे, और कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे । अभी इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजने की बात कही गयी है, इस पर आप बैठकर विचार कर लें । प्रदेश के संसाधन बढ़ाने की बात कही गयी है, तो मेरा कोई इसमें भेद नहीं है कि प्रदेश के संसाधन न बढ़ें । लेकिन अगर आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देते हैं तो मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस संबंध में जानकारी का अभाव था, वरना इस तरह की बात न करते । इसमें खैनी को भी एक सीमा तक मुक्त रखा गया है, बीड़ी को बिल्कुल मुक्त रखा गया है, पान मसाला भी इससे मुक्त है सिर्फ जो मंहगी सिगरेट हैं वह इसमें हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दें ?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पहले मेरा जवाब तो आ जाय । इनको समझाओ कि किस तरह से विधान सभा में बोला जाता है अभी तो हम लोग बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण तब पूछा जाता है जब सरकार की तरफ से पूरी बात आ जाय । श्रीमन्, खैनी इसमें नहीं है, बीड़ी इसमें नहीं है, पान मसाला इसमें नहीं है, केवल मंहगी सिगरेट इसमें हैं, सस्ती सिगरेट नहीं है । जब से यह अल्ट्रावायरस डिक्लेयर हुआ है, 5 करोड़ रुपया खाते में आ गया है ।

(ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

बीच में बोलते ही रहेंगे पहले आप पूरी बात तो सुन लें । श्रीमन्, 5 करोड़ रुपया जब से यह डिक्लेयर हुआ है, प्रदेश के खजाने में आ गया है । इसमें ऐसा कहीं नहीं कि तम्बाकू व्यवसायी अपना हिसाब किताब नहीं रखेंगे ।

(व्यवधान)

आप सुन तो लें, गरीब लोग इसमें नहीं आ रहे हैं, खैनी वाले नहीं आ रहे हैं केवल महंगी सिगरेट वाले आ रहे हैं । अगर कोई पक्ष ले रहा है तो आप पक्ष ले रहे हैं यह सरकार तो निष्पक्ष सरकार है और प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने में लगी हुई है, धनी लोगों से टैक्स लेकर यह अपने संसाधन बढ़ाना चाहती है । आप कुछ लोगों का पक्ष लेकर हमारे पक्ष को कमजोर करना चाहते हैं । कितनी भी विधिक आपत्ति, संवैधनिक आपत्ति, नियम आपत्ति सबको मैंने सामने रखा था, सबसे आप सहमत हो गये । इसमें गरीब लोगों को अलग रखा गया है । तो इसमें कोई वैधानिक या विधिक या व्यवहारिक किसी को कोई कठिनाई नहीं है । प्रदेश का संसाधन बढ़ाना है तो लक्जरी टैक्स को इन चीजों पर जो बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर लगाना ही पड़ेगा वरना विकास का काम कैसे होगा ? यह विधिक और न्यायसंगत है, इसको पारित किया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह विल्स फिल्टर पीते हैं उस पर भी लगाया जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वह टैक्स में है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, संशोधन वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें कि किन-किन को आपने इससे मुक्त किया है, यह आप बता दें तो हम मत व्यक्त करें, शायद हमारा इससे समाधान हो जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो 5 हजार रुपया प्रति किलोग्राम तम्बाकू का मूल्य है खैनी वगैरह यह सब कर से मुक्त है, पान मसाला, बीड़ी मुक्त है, महंगी सिगरेट सिर्फ इसमें है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो छूट का प्राविधान दिया है जो धारायें इसमें है इसमें किसी प्रकार की छूट किसान को नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप किसान की समस्या अब हमसे बतायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सिगरेट का जो मामला है जिसके बारे में ब्रह्मदत्त जी ने भी आरोप लगाया है किसी एक व्यवसायी को प्लीज करने के लिये ...

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ये किसी निर्माता को लाभ पहुंचाने के लिये स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ –

मान्यवर, आप देख लें हां की संख्या ज्यादा थी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 13 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995

तम्बाकू पर सुख-साधन कर का उद्ग्रहण और संग्रह और उससे संबंधित या उससे आनुसंगिक

विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ परिभाषा

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [उपधारा (1) के खण्ड (छ) और (ज) को छोड़कर] 10, 11 तथा 12 दिनांक 1 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) और (ज) दिनांक 28 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2–(1) इस अधिनियम में–

(क) "कर-निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट कर निर्धारक अधिकारी से है ;

(ख) "आयुक्त" का तात्पर्य धारा 5 में निर्दिष्ट सुख-साधन कर आयुक्त से है ;

(ग) "सुख-साधन कर" या "कर" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत कर से है ;

(घ) "व्यवसाय का स्थान" में कोई कार्यालय या कोई अन्य स्थान सम्मिलित है जिसे तम्बाकू व्यवसायी तम्बाकू की आपूर्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करता है या जहां वह अपनी लेखा बहियां रखता है;

(ङ) "प्राप्ति" का तात्पर्य–

(एक) किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा बिक्री के रूप में की गयी तम्बाकू की आपूर्ति के संबंध में ऐसी बिक्री के लिये उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्य मूल्यवान प्रतिफल या राशि, जिसमें इस प्रकार बिक्री की गयी तम्बाकू के संबंध में उसके देने के समय या उससे पूर्व उसके द्वारा किये गये किसी काम के कारण ली गयी कोई धनराशि और भाड़ा या माल देने का व्यय या सुख-साधन कर के रूप में वसूली गयी धनाराशि, यदि ऐसा व्यय या धनराशि अलग से ली गयी है, से भिन्न कोई प्राथमिक या गौण पैकिंग का मूल्य, यदि अलग से लिया गया है, सम्मिलित है ; और

(दो) किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा बिक्री से अन्यथा रूप में तम्बाकू की आपूर्ति के संबंध में सामान्य मूल्य जिस पर तम्बाकू बेंची जाती है और पद "सामान्य मूल्य" का वही अर्थ होगा जो इसके लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 में दिया गया है ;

(च) "रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी से है :

(छ) "तम्बाकू" का तात्पर्य अनिर्मित और निर्मित तम्बाकू से है जैसा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में अध्याय 24 में टिप्पणी और सारणी में वर्णित है और इसमें तम्बाकू सहित या रहित पान मसाला (चाहे जिस नाम से पुकारा जाय) सम्मिलिति हैं किन्तु ऐसी सिगरेट जिनके दस सिगरेटों के प्रत्येक पैकेट का मूल्य पांच रुपये या.उससे कम हो और बीड़ियां सम्मिलित नहीं हैं ;

(ज) "तम्बाकू व्यवसायी" का तात्पर्य–

(एक) ऐसे विनिर्माता जिसकी प्राप्तियों का विक्रयधन एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक होता है, से है जो बिक्री के रूप में या अन्यथा तम्बाकू की आपूर्ति करता है और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये विनिर्माण किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है चाहे वह ठेके के काम के आधार पर हो या नहीं किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं जो तम्बाकू का विनिर्माण उसमें कोई साम्पत्तिक अधिकार किसी भी प्रक्रम पर प्राप्त किये बिना, केवल ठेके के काम के आधार पर करता है ;

(दो) ऐसे व्यक्ति से हैं जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिये राज्य में तम्बाकू लाता है या मंगवाता है या जिसके लिये कोई तम्बाकू राज्य के बाहर किसी स्थान से प्रेषित की जाती है और जो बिक्री के रूप में या अन्यथा ऐसी तम्बाकू की आपूर्ति करता है ;

(तीन) ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को बिक्री के रूप में या अन्यथा तम्बाकू की आपूर्ति करता है ;

(चार) ऐसे व्यक्ति से हैं जो किसी ब्राण्ड नाम से अनिर्मित तम्बाकू क्रय नहीं करता है या अन्यथा प्राप्त नहीं करता है किन्तु

बिक्री के रूप में या अन्यथा ऐसी अनिर्मित तम्बाकू की आपूर्ति मुहरबन्द डिब्बे में ब्राण्ड नाम से करता है ;

स्पष्टीकरण :–संदेहों के निवारण के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को तम्बाकू व्यवसायी नहीं समझा जायेगा–

(1) जो एक कृषक के रूप में केवल ऐसा तम्बाकू जिसे उसने स्वयं उत्पन्न किया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया गया हो जिसमें उसका चाहें स्वामी, भोगबन्धकदार, किरायेदार या अन्यथा कोई हित हो, आपूर्ति करता है चाहे किसी मोहरबन्द डिब्बे में या नहीं और चाहें किसी ब्राण्ड नाम से या नहीं या

(2) जो केवल अनिर्मित तम्बाकू की आपूर्ति करता है चाहे किसी मोहरबन्द डिब्बे में या नहीं, किन्तु किसी ब्राण्ड नाम से नहीं ।

(झ) "प्राप्तियों का विक्रयधन" का तात्पर्य किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा बिक्री के रूप में या अन्यथा की गयी तम्बाकू की आपूर्ति के संबंध में किसी वर्ष के दौरान प्राप्तियों की संकलित धनराशि से है ;

(ट) "वर्ष" का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

सुख साधन कर उदग्रहण

3 प्रत्येक तम्बाकू व्यवसायी अपनी प्राप्तियों के विक्रयधन पर सुख-साधन कर पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, के संदाय करने का दायी होगा और विभिन्न श्रेणियों की तम्बाकू के लिये विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती है :

परन्तु कोई तम्बाकू व्यवसायी जो तम्बाकू का विनिर्माण नहीं करता या प्रदेश के बाहर से नहीं मंगाता है, अपनी प्राप्तियों के विक्रयधन पर कर का संदाय करने का उस दिन से दायी होगा जिस दिन उसकी प्राप्तियों का विक्रयधन दो लाख रुपये से अधिक हो जाय :

परन्तु यह और कि तम्बाकू की आपूर्ति की श्रृंखला में राज्य में सर्वप्रथम तम्बाकू व्यवसायी से कर वसूल किया जायेगा और आनुक्रमिक तम्बाकू व्यवसायी को, यदि वह ऐसी तम्बाकू पर कर का संदाय किये जाने का विहित रीति में प्रमाण देता है, कर का संदाय करने में छूट प्राप्त होगी ।

कर से छूट

4–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी श्रेणी की तम्बाकू या ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा यह अधिरोपित करें, तम्बाकू व्यवसायियों की किसी श्रेणी को कर के उद्ग्रहण से छूट दे सकती है ।

5-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश का व्यापार कर कमिश्नर सुख-साधन कर आयुक्त होगा ।

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन "कर निर्धारक अधिकारी", "अपील सुनने वाला अधिकारी", "अधिकरण" और "पुनरीक्षण अधिकारी" इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये क्रमशः "कर निर्धारक अधिकारी", "अपील सुनने वाला अधिकारी" "अधिकरण" और "पुनरीक्षण अधिकारी" होंगे ।

(3) कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उचित निष्पादन का अधीक्षण और नियंत्रण आयुक्त में निहित होगा ।

रजिस्ट्रीकरण

6-(1) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी प्रत्येक तम्बाकू व्यवसायी उस दिनांक से, जिस दिन वह पहली बार कर का संदाय करने का दायी हो जाय, एक माह के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे प्रपत्र और रीति में और एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाय, रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करेगा ।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझें, समाधान हो जाय कि आवेदन नियमानुकूल है, तो वह आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, जारी करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन उस समय तक प्रवृत्त रहेगा जब तक तम्बाकू व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य बना रहे ।

(4) जहां कर निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, वह तम्बाकू व्यवसायी नहीं रह गया है या इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण किये जाने योग्य नहीं रह गया है या जहां वह किसी अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करना उचित समझे, तो इस धारा के अधीन तम्बाकू व्यवसायी को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र कर निर्धारक अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से एक लिखित आदेश द्वारा उसके लिये कारण देते हुए रद्द कर सकता है ।

(5) यदि तम्बाकू व्यवसायी ने अपने व्यवसाय का नाम या स्थान बदल दिया है या कोई शाखा बन्द कर दी है या कोई नई शाखा खोली है या अन्य किसी पर्याप्त कारण से कर-निर्धारण अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस धारा के अधीन दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संशोधित कर सकता है :

परन्तु स्वप्रेरणा से कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उपधारा (4) के अधीन रद्द या इस उपधारा के अधीन संशोधित नहीं किया जायगा जब तक कि तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा रद्दकरण के दिनांक तक की किसी अवधि के लिये देय कर (जिसमें कोई शास्ति या ब्याज भी सम्मिलित है) का संदाय करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसे कर (जिसमें कोई शास्ति या ब्याज भी सम्मिलित है) का निर्धारण रद्दकरण के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो ।

(6) कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी नहीं हैं, उसके द्वारा या उसके माध्यम से बिक्री के रूप में या अन्यथा की गयी किसी तम्बाकू को आपूर्ति के संबंध में किसी व्यक्ति से न तो कोई धनराशि सुख-साधन कर के रूप में और न तो सुख-साधन कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा ।

(7) कोई रजिस्ट्रीकृत तम्बाकू व्यवसायी उसके द्वारा या उसके माध्यम से बिक्री के रूप में या अन्यथा की गयी किसी तम्बाकू की आपूर्ति के संबंध में, उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जिसे उसके द्वारा तम्बाकू की आपूर्ति की गयी है, तो कोई धनराशि सुख-साधन कर के रूप में और न तो सुख-साधन कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा ।

राजस्व व हित के प्रतिभूत

7–(1) जिस कर निर्धारक अधिकारी को धारा 6 के अधीन आवेदन दिया गया है, उसे यदि देय कर की समुचित वसूली के लिये ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अधिलिखित किये जायेंगे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिये शर्त आरोपित कर सकता है, जिसमें तम्बाकू व्यवसायी से विहित रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस अधिनियम के किसी या समस्त प्रयोजनों के लिये ऐसी प्रतिभूति, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी ।

(2) यदि कर निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन देय कर की समुचित वसूली के लिये ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो किसी समय, जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, लिखित आदेश द्वारा उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, उपर्युक्त प्रयोजन के लिये उस तम्बाकू व्यवसायी से, जिसे प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और विहित रीति में, ऐसी प्रतिभूति या यदि तम्बाकू व्यवसायी ने उस उपधारा या उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई प्रतिभूति पहले ही दे दी हैं तो ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) कर निर्धारक अधिकारी किसी तम्बाकू व्यवसायी से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं करेगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति की धनराशि जिसका किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा उपर्युक्त किन्हीं या दोनों उपधाराओं के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो कर निर्धारक अधिकारी के अनुमान से उस वर्ष के लिये जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाय, तम्बाकू व्यवसायी की प्राप्तियों के विक्रयधन पर देय कर से किसी भी दशा में अधिक न होगी ।

(4) यदि किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रतिभूति प्रतिभू-बन्ध-पत्र के रूप में हो, और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय यह वह दिवालिया हो जाय तो तम्बाकू व्यवसायी उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना कर निर्धारक अधिकारी को देगा और ऐसी घटना होने के नब्बे दिन के भीतर बन्ध-पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध-पत्र देगा या विहित रूप में अन्य प्रतिभूति देगा ।

(5) कर निर्धारक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा दी गयी सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को तम्बाकू व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को वसूल करने के लिये समपहृत कर सकता है :

परन्तु तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा ।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी तम्बाकू व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति अपर्याप्त हो, तो वह उसकी पूर्ति ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय, करेगा ।

(7) यदि कोई तम्बाकू व्यवसायी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कर निर्धारक अधिकारी तम्बाकू व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन अस्वीकृत कर सकता है या, यदि तम्बाकू व्यवसायी उस अधिनियम के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है तो उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है । रजिस्ट्रीकरण का आवेदन अस्वीकृत किये जाने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्द किये जाने पर यह समझा जायेगा कि तम्बाकू व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने में विफल रहा है ।

8–यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियों और नाकों को स्थापित करने का निर्देश दे सकती है :

जांच चौकियों और नाकों की स्थापना और पारगमन में तम्बाकू की जांच

परन्तु उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1848 की धारा 28 के अधीन स्थापित जांच चौकियों और नाके इस धारा के अधीन स्थापित जांच चौकियां और नाके समझे जायेंगे और तम्बाकू के प्रदेश में आयात और तम्बाकू के प्रदेश में सड़क से पारगमन पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 28-क और 28-ख के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवृत्त होंगे ।

कतिपय मामलों में शास्तियां

9–(1) यदि कर निर्धारक अधिकारी का समाधान हो जाये कि–

(क) कोई तम्बाकू व्यवसायी बिना युक्तियुक्त कारण के अनुमत समय के भीतर और विहित रीति में इस अधिनियम के अधीन देय कर के साथ अपनी प्राप्तियों के विक्रय धन की विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा है; या

(ख) किसी तम्बाकू व्यवसायी ने इस अधिनियम के अधीन अपनी प्राप्तियों के विक्रयधन की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, या अपनी प्राप्तियों के विक्रयधन के विवरण को छिपाया है या ऐसी प्राप्तियों के विक्रयधन का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया है;

(ग) कोई तम्बाकू व्यवसायी बिना युक्तियुक्त कारण के, अनुमत समय के भीतर अपने ऊपर निर्धारित कर का संदाय करने में विफल रहा है;

(घ) कोई तम्बाकू व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये उत्तरदायी होने पर भी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना, बिक्री के रूप में या अन्यथा, तम्बाकू की आपूर्ति कर रहा है या आपूर्ति करना जारी रखे है; या

(ङ) कोई तम्बाकू व्यवसायी सुख-साधन कर के रूप में कोई धनराशि वसूल करता है जबकि विधिवत् कोई सुख-साधन कर देय नहीं है या इस अधिनियम के अधीन विधिवत् देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि वसूल करता है; या

(च) कोई तम्बाकू व्यवसायी किसी बही, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज का निरीक्षण नहीं करने देता है या निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है; या

(छ) धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिये दुष्प्रेरित करता है;

(ज) धारा 8 में यथा व्यवस्थित तम्बाकू के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है; या

(झ) कोई व्यवसायी इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए, अन्यथा कार्य करता है ;

तो वह, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे तम्बाकू व्यवसायी को उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसी धनराशि को संदाय करने का निदेश दे सकता है जो :—

(एक) खण्ड (क) या (ग) में निर्दिष्ट दशा में, देय कर की धनराशि के दस प्रतिशत से अन्यून किन्तु उसके पच्चीस प्रतिशत से अनधिक हो ;

(दो) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, एतद्द्वारा परिवर्तित कर की धनराशि के पचास प्रतिशत से अन्यून किन्तु उसके डेढ़ गुने से अनधिक हो ;

(तीन) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट दशा में, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये, जिसमें व्यतिक्रम जारी रहे, एक सौ रुपये हो ;

(चार) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट दशा में, अविधितः वसूल किये गये कर की धनराशि से अन्यून हो किन्तु उसके तीन गुने से अनधिक हो ;

(पांच) खण्ड (च) या (झ) में निर्दिष्ट दशा में पांच हजार रुपये से अनधिक हो ;

(छः) खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में निर्दिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त तम्बाकू के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि तम्बाकू व्यवसायी को सुनवायी या युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति विहित रीति में और ऐसी शास्ति के अधिरोपित करने वाले आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर जमा की जायेगी ।

कर, ब्याज और शास्ति इत्यादि के निर्धारण, पुनर्निर्धारण संग्रह और लागू करने के लिये कार्य प्रणाली तंश

10–इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय को लागू करने के लिये सशक्त प्राधिकारी कर निर्धारण, कर का पुनर्निर्धारण, संग्रह और कर के संदाय, जिसमें इस अधिनियम के अधीन देय शास्ति सम्मिलित है, को लागू कर सकते हैं मानो वह 1948 के उक्त ऐक्ट के अधीन देय कर या शास्ति थी और इस प्रयोजन के लिये वे 1948 के उक्त ऐक्ट और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उन्हें जो शक्तियां हैं, उन सभी का, या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और 1948 के उक्त ऐक्ट के उपबन्धों का जिसमें विवरण-पत्रों, कर संदाय और वसूली, अन्तरिती तथा विघटित फर्म के कर के दायित्व, कर दायित्व का समाधान, अपील, पुनरीक्षण, भूल सुधार, पुनर्गठित या नई फर्म पर कर निर्धारण और साझे का बदला जाना, तृतीय पक्ष से वसूली, जांच चौकियों और नाकों, धनराशियों की वापसी कतिपय सूचनायें जो गोपनीय हों राजस्व को कपट वंचित करने के लिये किये गये अंतरण या शून्य होना, ब्याज प्रभारित करना और देना, हानि-रक्षा, कतिपय कार्यवाहियों के संबंध में रोक, साक्षियों को बुलाने का अधिकार, लेखा रखना, लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार, माल अभिग्रहण करने का अधिकार, विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण और कम्पनियों द्वारा अपराध सम्मिलित है, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

11–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति

12–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 22 सन् 1994

13–(1) उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अध्यादेश, 1994 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गयी अधिसूचनाएं इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गयी अधिसूचनाएं समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 13, तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, 300 पर आपने औचित्य के प्रश्न पर सुनने के लिये स्वीकार किया था ।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह मद तो पूरी हो जाने दीजिये । हमने कल के लिये कह दिया है । श्री गुप्त जी आप संशोधन रख रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसमें गुप्त जी अपना संशोधन नहीं रख रहे हैं यह तो प्रदेश के हित में है 5 रु० से बढ़ाकर 15 रु० कर दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे । जो यह प्रस्तुत किया गया है उसके उद्देश्य और कारण में केवल एक बात को बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि किसलिये राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ गयी, प्रशासनिक व्यय बढ़ गया, इसलिये शीरे के दाम को बढ़ाने की आवश्यकता हो गयी । न तो यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक व्यय कितना बढ़ गया है । 5 रुपये से 15 रुपये करने जा रहे हैं । प्रशासनिक व्यय किस रेशियो से बढ़ा यह भी स्पष्ट नहीं है । मान्यवर, राज्य सरकार के संशोधनों की बात करते हैं तो यह भी चाहिए कि अपव्यय न हो और इसका उपयोग जनता के लिये हो । हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासनिक व्यय कम से कम हो और यह नीति भी रही है । आप राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं वे तो सदैव इसके पक्षधर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यय कम से कम हो । अगर प्रशासनिक व्यय बढ़ गया तो इसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए था इसलिये मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ताकि वह विचार कर अपना रिपोर्ट हमें दे दे । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय द्विवेदी जी ने अपने विपक्ष का कर्तव्य पूरा किया है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बिक्रीकर विभाग का प्रशासनिक व्यय सबसे कम है। इसकी आमदनी एक हजार करोड़ रुपये है और दस करोड़ रुपया इसका प्रशासनिक व्यय है। अब तो मोलिसस पोलिसी भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने बदल दी है। इसे पांच रुपये से पन्द्रह रुपया कर दिया गया है तो किसके ऊपर इसका भार पड़ेगा क्या यह भी बताना होगा ? जो डिस्टलरी के मालिक हैं उनके ऊपर इसका भार पड़ेगा। मान्यवर, इससे प्रदेश का संसाधन बढ़ेगा और वह धन प्रदेश के विकास में लगेगा अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय द्विवेदी जी इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

द्विवेदी जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

नहीं, मान्यवर, मैं उस पर बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो, अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–3 व खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) (अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) यह 13 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(4) में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह रुपये" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 में, उपधारा निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन या उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर अध्यादेश, 1994 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गयी अधिसूचनाएं, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही या बनाये गये नियम या जारी की गयी अधिसूचनाएं समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3 व खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995

परिवहन मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, विधेयक पर विचार करने के लिये उसके उद्देश्य बताना जरूरी है। यह अखिल भारतीय टूरिस्ट परिमिट का मामला है। टूरिस्ट परमिटशुदा गाड़ियां जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं तो जगह-जगह उनको तरह-तरह का टैक्स देना पड़ता है, जगह-जगह उनको रोका जाता है, इससे बड़ी असुविधा होती है और संचालन में अनावश्यक समय जाया होता है। इसलिये इस बिल के जरिये कम्पोजिट टैक्स के रूप में कुछ राशि फिक्स की गयी है, जिससे अनावश्यक सुविधा न हो। इस संबंध में

बैठक हुई थी, जिसमें विचार हुआ था कि अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टैक्स लेने के बजाय नेशनल परमिट बना दिया जाय। जैसे माल वाहनों के नेशनल परमिट बनते हैं, उसी तरह टूरिस्ट गाड़ियों का आल इण्डिया परमिट बना दिया जाय। इस संबंध में 14 जनवरी, 1992 को परिवहन विकास परिषद् की एक बैठक हुई, जिसमें पर्यटन मंत्रियों का उक्त सुझाव मान लिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने 10 अगस्त, 1993 को एक नियमावली बनाई, जिसमें तीन शर्तें रखी गयीं। पहली शर्त है कि परमिट जारी करने वाले राज्य सहित कम से कम तीन राज्यों के लिये परमिट जारी हो, दूसरी बात, सरकार के पर्यटन विभाग से टूरिस्ट आपरेटर मान्यता प्राप्त हों और तीसरी बात कि टूर सर्किट पर पर्यटन यान संचालित करने के लिये उसका निर्धारण होना जरूरी है।

इस बिल में कम्पोजिट फीस के रूप में तीन श्रेणियां बनायी गयी हैं, उसके अन्तर्गत मोटर कैब के लिये 300 रुपये प्रति तिमाही प्रति राज्य, मैक्सी कैब के लिये 3000 रुपये प्रति तिमाही, प्रति राज्य और ओमिनी बस के लिये 12,000 रु० प्रति तिमाही, प्रति राज्य करने की बात है। इसमें एक उपबन्ध किया गया है, अब नियमावली, 1993 के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र पर उ० प्र० में आने वाली मोटर कैब से 1200 रुपया प्रतिवर्ष की दर से मार्ग कर लिया जायेगा। इस विधेयक को लाने के पीछे यही मंशा है कि गाड़ी संचालन करने वाले लोगों को अलग-अलग राज्यों में बार-बार रुककर तंग न होना पड़े और अलग-अलग टैक्स के स्थान पर एक जगह टैक्स देना पड़े। मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास किया

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी, संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, आपकी कम्पोजिट टैक्स फीस जो रु० 757 था उसे बढ़ाकर 1200 रुपया करने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, कम्पोजिट फीस बढ़ाने से असुविधा होती है। इसे मैंने प्रवर समिति भेजने का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि यह जो आल इण्डिया परमिट दिये जाते हैं तो समय-समय पर जब उसका नवीनीकरण होता है तो उसके फिटनेस देखे जाते हैं लेकिन उसके फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया जाता और कण्डम गाड़ियां चलायी जाती है जिससे पर्यटकों को असुविधा होती है और ऐसी गाड़ियों को देखकर निराश होते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब रुपया बढ़ा रहे हैं तो उन्हें सुविधायें देने और उनके ठहरने आदि की क्या व्यवस्था होगी ? इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से यह नियंत्रित करना चाहते है कि पर्यटकों को सुविधा हो, इसके साथ ही गाड़ियों की फिटनेस जोकि नियम है उसके सही क्रियान्वयन की व्यवस्था की जाये। इस पर विचार करने के लिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के

श्री आर० के० चौधरी–

मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय गुप्ता जी अपना संशोधन वापस कर लें और मदद करें, यह जनहित में है, माननीय गुप्ता जी के भी हित में है । इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी साथ ही साथ धन का कलेक्शन भी होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यदि मैं इनके विधेयक का समर्थन भी करूं तो जो मैं सुझाव दूंगा वह तो प्रवर समिति के माध्यम से ही दिया जायेगा । जहां उस पर विचार होगा । इसलिये..... (शोर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री आर० के० चौधरी–

माननीय गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना संशोधन वापस ले लिया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड 3 व खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की धारा 5 - ए का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 5-ए में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

"(1) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसका अधिकार क्षेत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन उत्तर प्रदेश के बाहर हो, प्रदान किये गये परमिट के अधीन चलने वाली किसी मोटर गाड़ी का उत्तर प्रदेश में प्रयोग नहीं किया जायगा जब तक कि धारा 6 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस पर––

(क) मोटर यान (पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों के लिये अखिल भारतीय परमिट) नियमावली, 1993 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी मोटर टैक्सी के मामले में, एक हजार दो सौ रुपये प्रति वर्ष की दर पर, और

(ख) किसी अन्य मामले में, प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट समुपयुक्त दर पर; आंकलित कर का भुगतान उत्तर प्रदेश में उसके प्रयोग या ठहरने की अवधि के सप्ताहों के लिये उपधारा (2) में बतायी गयी रीति से न कर दिया गया हो।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेंगी मानो इस अधिनियम के

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड 3 व खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय । माननीय गुप्ता जी, इसमें तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं लेकिन जब मैंने पूरा आयोग पढ़ा तो पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ आशंकायें पैदा हुई और आशंका यह है कि इस सरकार के [× × ×] हित विरोधी चरित्र इसमें भी उजागर हो गया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर/व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय गुप्ता जी [× × ×] शब्द का प्रयोग वर्जित हो गया है, कृपा कर इस शब्द को वापस लीजिये, खेद प्रकाश कीजिये और इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री गौरी शंकर जी ने जो आपत्ति की है उससे मैं सहमत हूं, जिस शब्द पर माननीय गौरी शंकर जी को आपत्ति है उस शब्द को हटाकर समाज कल्याण और अनुसूचित जाति का प्राविधान श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने ही किया था ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भावना आपकी रही होगी । माननीय श्री गौरी शंकर जी पहले भी आप कई सरकारों में रहे हैं । लेकिन आपके विचारों को यदि सबसे पहले किसी ने मूर्तरूप दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है । चूक से मेरे मुंह से यह शब्द निकल गया है इसे मैं वापस लेता हूं । मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे मन में कुछ शंकायें हैं, जिसके कारण मैं इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं । आप सभी लोग अच्छी तरह से सहमत हैं कि अनुसूचित वर्ग तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाने की अत्यन्त आवश्यकता है । मैं इसके परिपेक्ष्य में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । राष्ट्रीय अपराध दस्तावेज ब्यूरो की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी और उसमें स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के वर्गों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं । जब से यह सरकार बनी है, तब से अत्याचार बढ़ गये हैं । मेरे आंकड़ों का श्रोत राष्ट्रीय अपराध दस्तावेज ब्यूरो की रिपोर्ट है,जिसमें 1990, 91, 92 तथा 1993 की रिपोर्ट हैं,जिसमें केवल अनुसूचित जाति के वर्गों पर हुए अत्याचार के संबंध में आंकड़े हैं । हत्यायें 1990 में 107, 1991 में 204, 1992 में 208 तथा 1993 में 259 हुई हैं । आगजनी 1990 में 88, 1991 में 138, 1992 में 199 तथा 1993 में 240 मामले हुए हैं, डकैती 1990 में 72, 1991में 70, 1992 में 116 तथा 1993 में 222 के मामले हुए हैं । मैं बहुत संक्षेप में रख रहा हूं । मैं आयोग के समर्थन में ही बोल रहा हूं ।

आप आरक्षण की बात करते हैं ।आप खुद नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल सकें ।श्री कल्याण सिंह जी ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया है । आपने 5101 कनिष्ठ लिपिकों के पद जो रिक्त थे, उन्हें परिवर्तित कर दिया उर्दू अनुवाद के रूप में । यदि वे पद कनिष्ठ लिपिक के रूप में ही रहते तो आरक्षण कोटे का लाभ सभी जातियों को मिलता । उसमें सभी आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के लोग आते । आपने पद नाम परिवर्तित करके जो आरक्षण का प्राविधान था उसे ही समाप्त कर दिया ताकि आरक्षण वर्ग के लोगों को लाभ न मिल सके । हम अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक में कोई भेद नहीं मानते हैं । हम अल्पसंख्यक व बहुसंख्यकवाद के विरोधी हैं । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उर्दू के जानकार बहुसंख्यक मुसलमान लोग है । जब आपने आरक्षण समाप्त कर दिया तो अल्पसंख्यक वर्ग को भी वे सुविधायें नहीं मिल पायी । माननीय आजम खां जी यहां इस समय नहीं हैं, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे हुये है । सचिव, खादी बोर्ड ने शव विच्छेदन हेतु समितियां रजिस्टर्ड की और उन लोगों को चुना जो चमड़े व हड्डी का काम करते थे स्वयं मैं एक समिति में गया । उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारन्टी है कि ये चमड़ा हड्डी का काम करते हैं । तो उन्होंने कहा कि मैं अभी परीक्षा ले लेता हूं, उन्होंने नजदीक बुलाकर चारों के कन्धे पर हाथ रखकर देखा तो पाया कि तीन लोगों के कन्धे पर ढट्ठे हैं और एक व्यक्ति के कंधे पर नहीं हैं । मैंने कहा कि ये तीन हड्डी चमड़ा उठाने वाले चमार जाति के हैं, उन्होंने समिति बना दी ।

रजिस्टर्ड हो गयी । तो फर्जी रूप से ब्राह्मण, वैश्य या दूसरी जाति के लोग जो ठेके पर काम करते थे और लायंस शेयर प्राप्त करते थे और जो असली लोग थे उनसे काम लेकर उन्हें 20, 30 रुपया देते थे । सहकारिता मंत्री नहीं हैं सराहनीय कार्य करने वाले सचिव को संट कर दिया और खादी सचिव के आदेश को स्टे कर दिया । यह आपके संज्ञान में होगा मुझे भी मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है या दो सचिवों में मतभेद होता है या मंत्रियों में मदभेद होता है तो दोनों मुख्य मंत्री के पास जाते हैं....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इससे आयोग का क्या मतलब है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस पर कहां चर्चा हो रही है, आयोग बनाने की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के कारण अनुसूचित वर्ग के जो लोग वास्तव में चमड़ा उठाने का काम करते हैं, शवोच्छेदन का काम करते हैं उनको लाभ से वंचित कर थैलीशाहों को लाभ पहुंचाया है, यह अनुसूचित वर्ग विरोधी है ।

आपने जो आयोग बनाया है उसमें अध्यक्ष का प्राविधान है,ठीक है होना चाहिये । डाक्टर राम मनोहर लोहिया के साहित्य को मैंने पढ़ा है । आपको किसी वर्ग, वैश्य, ब्राह्मण या किसी वर्ग की चिन्ता नहीं है । आप एक वर्ग विशेष यादव बिरादरी के हैं तो क्या यह उचित होगा, कि यह आप पर आरोप लगे कि आप एक बिरादरी में पैदा होने के नाते दूसरी बिरादरी के दुश्मन हैं । (व्यवधान) इस विधेयक में यह प्राविधान किया गया है इसमें अध्यक्ष अनुसूचित वर्ग का ही होगा, यह प्राविधान नहीं होना चाहिये, चूंकि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये हैं, । (व्यवधान) राष्ट्रीय एकता और सामाजिक हित में यह होना चाहिये ।

माननीय गौरी शंकर जी अगर यह गलत है कह देंगे तो मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लूंगा । इसमें दिया है अध्यक्ष कौन होगा, वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा, अनुसूचित जनजाति का नहीं हो

सकता है आयोग अनुसूचित जनजाति के लिये भी है तो उससे क्यों नहीं होगा ? तो यह प्राविधान कर आने वाले समय में कोई अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष नहीं होगा क्योंकि आपकी मंशा है कि आने वाले वर्षों में उस वर्ग से नहीं मिलेंगे । मेरा अनुरोध है कि इसमें अनुसूचित जनजाति भी रख दें तभी वास्तव में यह सार्थक होगा ।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं रक्षोपायों के संबंध में ।आयोग की रिपोर्ट आयेगी आप उसे यहां प्रस्तुत करेंगे, लोकायुक्त की तरह से अधिकार हों ।लेकिन इसमें कोई गारन्टी नहीं है, माननीय राजबहादुर जी जरा ध्यान दें इस आयोग की मान्यता क्या होगी ?आयोग के द्वारा जो संस्तुतियां की जायेंगी, जो प्रतिवेदन आयेगा उसकी क्या सैटिर्टी होगी क्या उसको सरकार द्वारा स्वीकार किया जायेगा अन्यथा उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे जैसा होता आया है इसके मैं एक नहीं पचासों उदाहरण देने की क्षमता रखता हूं । अनेकों कमेटियों ने, और आयोगों ने सरकार को सुझाव दिये लेकिन वह सुझाव रद्दी की टोकरियों में पड़े हुये हैं । इससे यह आयोग केवल किताबी बन कर रह जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज जो अत्याचार अनुसूचित जातियों के लोगों पर हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे आगे हैं । जानबूझकर कर तुष्टीकरण की नीति के कारण अल्पसंख्यकों के आवरण में अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे हैं ।इसलिये मैंने इस आयोग को प्रभावी बनाने के लिये सुझाव देने के लिये प्रवर समिति का सुझाव दिया है । मैं चाहता हूं कि आयोग बने इसलिये आयोग बनाने का मैंने समर्थन किया है । मेरे सुझावों को देख कर मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये मैं समझता हूं कि इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हित होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने जब शुरू में अपना भाषण शुरू किया था प्रवर समिति में भेजने के संबंध में तो कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग गठन का हम स्वागत करते हैं और इस मंशा से आयोग गठित किया जाए कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए

अधिक उपयोगी हो सके लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है । इसलिए मैं प्रवर समिति को भेजने के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

–प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 22 तक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 8 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2–इस अधिनियम में,– परिभाषाएं

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है,

(ख) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं ।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेशअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग का गठन

3–राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा ।

आयोग की संरचना

4–(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से ;

(ख) उपाध्यक्ष,अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से ;

(ग) तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से होगा ; और

(घ) एक अन्य सदस्य । महिलाओं में से ।

(2) सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायगी जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित आदेश द्वारा की जायेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5–(1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा ।

(2) कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय ;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय ;

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय ;

(घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे ; या

(च) राज्य सरकार की राय में,अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय ;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस खण्ड के अधीन, हटाया नहीं जायगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायगा ।

(5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें जैसी होंगी जैसी विहित की जांय ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

6-(1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिवऔर ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हों ।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जांय ।

वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जायगा

7–सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का और धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य–कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन को सम्मिलित करते हुए प्रयासनिक व्ययों का भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा ।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं करेगी

8–आयोग के गठन में मात्र किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी ।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

9–(1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे ।

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जायगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है ।

(4) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करें किया जायेगा ।

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधि प्रमाणित किये जायेंगे ।

राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना

10–राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी ।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कर्तव्य और कृत्य

11–(1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सम्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना :

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना :

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायं सिफारिश करना :

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायं, निर्वहन करना :

आयोग की शक्तियां

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी ।

12–किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग को धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होगी, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने :

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने :

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और :

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय ।

अध्याय चार

वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

13–(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक, विनियोजन किये जाने के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे ।

(2) आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए उचित समझे खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा ।

लेखा और लेखा परीक्षा

14–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा ।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा-परीक्षण करवायेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

15–आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा, और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी

16–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कारण यदि कोई हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जैसी ही वे हों राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होगे

17–आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहित की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

शास्ति

18–जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर ऐसा नहीं करता है सिद्धदोष होने पर यथास्थिति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायगा ।

अपराधों का संज्ञान

19–कोई न्यायालय, अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

20–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

21–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियमके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय ;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा ;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी :

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

22–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 22 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–23

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 4 सन् 1994

निरसन और अपवाद

23–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त खण्ड 23 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 23 रख दिया जाय :–

23–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 जो प्रस्तुत है उससे मैं सहमत हूं और मेरी भावना को इसमें जोड़ दिया जाए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, हमारे इस विधेयक की भावना को श्री जगदम्बिका पाल ने सही रूप में माना है । लेकिन गुप्ता जी ने आंकड़े देकर साबित कर दिया है कि उनके दल की क्या नीति है। मैं समझता हूं कि उनका गांवों से शायद सम्पर्क नहीं है । श्रीमन्, आजादी के बाद यह सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये काफी काम किया है । चूंकि उनकी भावनाओं का हमारी सरकार ने आदर किया है । मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आपकी सरकार के समय में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी । वे लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रदेश में उनकी सरकार बनी है ।

श्रीमन्, दूसरी बात जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में उर्दू अनुवादकों के संबंध में कही है तो यह विधेयक उनके लिए नहीं है। मान्यवर, यह विधेयक एक अच्छी और निष्पक्ष भावना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की तरक्की के लिए प्रस्तुत किया गया है लेकिन इसमें यह उर्दू अनुवादक और टीचर की बात ले आए । तो मैं बताना चाहता हूं कि उन पर भी आरक्षण का नियम लागू है ।

मान्यवर, खादी उद्योग के सचिव के बारे में कहा गया तो उन्हें हटा दिया गया है और जैसा आप चाहते थे वे हैं । श्रीमन्, इस प्रकार इस विधेयक की भावना बिल्कुल पवित्र है और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए यह सरकार पहली बार ईमानदारी से प्रयास कर रही है । जो इसके विरोधी हैं, वे लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी हैं । श्री जगदम्बिका पाल ने इस विधेयक का स्वागत किया, इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इसलिए मान्यवर, यह सर्वसम्मति से पास होने लायक है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :–

"23–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, धारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के

अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 23 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–1

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1994 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 8 अगस्त, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

श्री हृदय नारायण –

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त खण्ड 1 के उप खण्ड (1) में, द्वितीय पंक्ति में अंक '1994' के स्थान पर अंक 1995 रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में, द्वितीय पंक्ति में अंक "1994" के स्थान पर अंक "1995" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

भारत गणराज्य के पैंतालीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

श्री हृदय नारायण–

आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तावना में शब्द "पैंतालीसवें वर्ष" में स्थान पर शब्द "छियालीसवें वर्ष' रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में शब्द "पैंतालीसवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "छियालीसवें वर्ष" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ संशोधित हुआ पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6-2-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई ।

पहली सूचना श्री घनश्याम शुक्ल,श्री तुलसीदास राय चन्दानी की है इन्होंने जनपद गोण्डा में गन्ना विभाग के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दी है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है इन्होंने जनपद सीतापुर के विस्वां नगर में भीषण बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की है । इन्होंने जनपद वाराणसी में मेघालय से तस्करों द्वारा लाई गई यूरेनियम की बरामदगी न कर पाने तथा अपराधियों को न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है । चौथी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की है इन्होंने जनपद गाजियाबाद के थाना मोदीनगर के अन्तर्गत रोरी ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मकानों को गिराकर उनकी भूमि पर बलात कब्जा किए जाने के संबंध में है, इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है । पांचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने जनपद शाहजहांपुर के कलान थाना अन्तर्गत सथरी ग्राम में एक युवती के साथ बलात्कार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें भी शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है । छठीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव, श्रीमती सुशीला सरोज तथा श्रीमती जदुरानी की है इन्होंने जिला शिक्षा सलाहकार समितियों के अधिकारों के संबंध में सूचना दी है इसमें भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है । सातवीं सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की है इन्होंने जनपद आगरा के थाना खन्दौनी अन्तर्गत श्री प्रमोद अग्रवाल के घर में अराजक तत्वों द्वारा धावा बोलकर लूटपाट किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है । आठवीं सूचना श्री रंगनाथ की है इन्होंने जनपद भदोही के भदोहीनगर में श्रीमती बबिता नामक युवती का अपहरण कर लिए जाने से उत्पन्न के संबंध में सूचना दी है, इसमें भी ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है । नवीं सूचना श्री बदन सिंह की है इन्होंने जनपद आगरा के थाना अछनेरा के ग्राम मंगूरा से अपहृत रिंकी एवं उसकी सहेलियों को पुलिस संरक्षण में बेडियां जाति के जिस्म फरोशों द्वारा गायब किए जाने के संबंध में सूचना दी है इसमें भी ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है । दसवीं सूचना श्री परशुराम यादव की है इन्होंने प्रदेश में

जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा नियमों में हेराफेरी करके गठित साक्षरता समिति के माध्यम से साक्षरता अभियान के नाम पर फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके करोड़ों रुपये की हेराफेरी किये जाने और सरकार को गलत सूचनायें दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी की है, उन्होंने जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है। बारहवीं सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की है इन्होंने जनपद कर्वी तहसील में स्थित चिल्लीमल तथा ओरापप्प कैनाल के सुचारू रूप से न चलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें भी शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

6 फरवरी, 1995

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

दिनांक .....

सेवा में,

माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

विषय :—उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ज्वलन्त समस्याओं एवं न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की निम्नांकित मांगों एवं ज्वलंत समस्याओं की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आज दि० 7 मई, 1994 को इस मण्डलीय सम्मेलन के माध्यम से आकर्षित करते हुए निवेदन है कि कृपया इन कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु अपने एवं प्रभाव का सदुपयोग कर अविलम्ब कार्यवाही कर आदेश निर्गत करने की कृपा करें । हमारी न्यायोचित मांगे निम्नांकित हैं :—

1–कर्मचारियों के सभी पदों पर प्रोन्नत वेतनमान लागू करना ।

2–राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की भांति महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सभी सुविधायें प्रदान करना ।

3–राज्य कर्मचारियों एवं विश्वविद्यालयों कर्मचारियों की भांति समस्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करना ।

4–समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति एल०टी०सी० एवं चिकित्सा भत्ता की सुविधा ।

5–सभी तृतीय श्रेणी के लिपिकों व प्रयोगशाला सहायकों को प्रोन्नत वेतनमान 1200–2040 इण्टर कालेजों के समान राजाज्ञा जारी की जाय तथा वरिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को अलग–वेतनमान 1350–2200 की राजाज्ञा तुरन्त जारी करना ।

6–कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान में श्रेणी बद्धता समाप्त कर 1640–2900 की एकीकृत वेतनमान निर्धारित करना अथवा अ श्रेणी को 1640–2900 व स श्रेणी को 1400–2600 का स्वीकृत वेतनमान निर्धारित करना एवं चयनित वेतनमान 2000–3200 प्रदान करना ।

7–शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी पेंशन का विकल्प पत्र पुनः भरने का आदेश निर्गत करना ।

8–पुस्तकालयाध्यक्षों को यू०जी०सी० वेतनमान स्वीकृत करना ।

9–छात्रावास एवं खेलकूद विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित/कर्मचारी की भांति वेतन संदाय खाते से वेतन भुगतान करने की राजाज्ञा निर्गत करना ।

10–अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उनके स्थायी निवास पर ही पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना ।

11–समाज कल्याण कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति एवं वितरण करने का दायित्व महाविद्यालयों को देने के उपरान्त कार्यभार होने के कारण एक-एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी का पद सृजित करना ।

12–प्रयोगशाला कर्मचारियों को देय एक दिन के अर्जित अवकाश के स्थान पर शिक्षकों की भांति 10 दिन का विशिष्ट अवकाश (प्राविलेज लीव) सम्बन्दी राजाज्ञा निर्गत करना ।

13–महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को स्नाकोत्तर स्तर तक पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा करना ।

14–कर्मचारियों के वेतन को माह की प्रथम तारीख में भुगतान सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों को आदेश निर्गत करना ।

15–सरकारी कर्मचारियों की भांति महाविद्यालय कर्मचारियों को भी ऋण दिलाने की सुविधा प्रदान करना ।

16–पूर्व की भांति प्रयोगशाला परिसर कर्मचारियों को बुक लिफ्टर के समान वेतनमान निर्धारित करना ।

17–पेंशन का 1/4 भाग से 1/3 भाग ही राज्य कर्मचारियों की भांति राशिकरण किया जाए ।

18–संशोधित आवास भत्ता का शासनादेश निर्गत किया जाये ।

19–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर 980-1500 तक का वेतनमान देने से संबंधित राजाज्ञा जारी करवाना ।

अन्त में कर्मचारी संघ ज्ञापन प्रस्तुत कर आपका व्यक्तिगत ध्यान उक्त न्यायोचित मांगों की ओर आकर्षित कराना चाहता है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि एक लम्बे समय से चली आ रही महाविद्यालय कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करेंगे ।

सधन्यवाद,

(रघुनाथ सिंह)
अध्यक्ष

(ब्रह्मदत्त त्रिपाठी)
महामंत्री

प्रतिलिपि :

1–मा० मुख्य मंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

2–मा० शिक्षा सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

3–मा० शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

जनपद बाराबंकी में लो० नि० विभाग का ब्लाक वार व्यय वर्ष 1993

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	जिला योजना (लाख रु०)	राज्य योजना (लाख रु०)	जवाहर रोजगार योजना (लाख रु०)	योग
1	रुदौली	5.30	–	2.50	7.80
2	मवई	4.70	–	–	4.70
3	दरियाबाद	7.40	14.50	0.70	22.60
4	पूरे डलई	5.80	–	0.20	6.00
5	सिद्धौर	25.90	6.90	0.80	33.60
6	बनीकोडर	13.30	2.10	0.30	15.70
7	हैदरगढ़	8.40	–	0.50	8.90
8	त्रिवेदीगंज	7.50	–	0.40	7.90
9	मसौली	25.40	33.10	5.80	64.30
10	हरख	51.10	27.8	7.40	86.30
11	देवा	10.10	7.10	0.30	17.50
12	बंकी	15.30	12.20	1.90	29.40
13	फतेहपुर	9.20	2.30	0.80	12.30
14	निन्दूरा	15.50	4.70	1.50	2170
15	रामनगर	16.40	8.80	2.30	27.50
16	सूरतगंज	4.60	3.80	0.70	9.10
	योग	225.90	123.30	26.10	375.30

जनपद बाराबंकी में लो० नि० विभाग का ब्लाक वार व्यय वर्ष 1994

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	जिला योजना (लाख रु०)	राज्य योजना (लाख रु०)	जवाहर योजना (लाख रु०)	योग
1	रुदौली	6.90	43.70	7.60	58.20
2	मवई	5.90	–	–	5.90
3	दरियाबाद	10.60	121.60	2.20	134.20
4	पूरे डलई	7.10	–	0.40	7.50
5	सिद्धौर	42.60	60.80	2.80	106.20
6	हैदरगढ़	17.10	9.90	1.50	28.50
7	त्रिवेदीगंज	9.30	21.60	1.10	32.00
8	बनीकोडर	16.20	13.60	0.80	30.60
9	मसौली	24.10	360.40	15.40	399.90
10	हरख	86.20	281.90	24.20	392.30
11	देवा	13.10	41.00	0.90	55.00
12	बंकी	21.90	43.60	5.70	71.20
13	फतेहपुर	10.80	9.90	2.50	23.20
14	निन्दूरा	31.50	19.90	4.60	56.00
15	रामनगर	32.30	37.80	7.70	77.80
16	सूरतगंज	8.90	18.20	2.10	29.20
	योग ..	344.50	1083.90	79.30	1507.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

जनता इण्टर कालेज मुजावेड़ा मुरादाबाद को केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण

क्र० सं०	मद	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गई धनराशि	बचत
1	वर्कशेड का निर्माण	1991-92	2,00,000	2,03,033	–
2	उपकरणों का क्रय	1991-92	1,66,000	1,54,372.20	11,627.80
3	अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय	1992-93	18,000	15,000	3,000
4	तदैव	1993-94	48,000	39,000	9,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

संलग्नक

जनपद फतेहपुर जिला योजना वर्ष 1993-94

विभाग/सेक्टर	व्यय (हजार रु० में)
1	2
1–कृषि विभाग	1192
2–उद्यान विभाग	760
3–लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता	7400
4–पशुपालन विभाग	1378
5–दुग्ध विकास	1173
6–मत्स्य विकास	250
7–वन विभाग	4000
8–सहकारिता	107
9–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	10129
10–जवाहर रोजगार योजना	14421
11–पंचायतीराज	518
12–राजकीय लघु सिंचाई	5000
13–निजी लघु सिंचाई	1250
14–ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1052
15–सड़क एवं पुल	5639
16–पर्यटन	100
17–पर्यावरण	30
18–अर्थ एवं संख्या	31
19–सामान्य शिक्षा	6666
20–प्राविधिक शिक्षा	33
21–प्रादेशिक विकास दल	495
22–खेलकूद	280

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
23–चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	6206
24–ग्रामीण पेयजल (जल निगम)	5176
25–ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)	500
26–पूल्ड आवास	300
27–ग्रामीण आवास (ग्राम्य विकास)	3450
28–सूचना	30
29–श्रम कल्याण	2696
30–अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण	2522
31–समाज कल्याण	3792
32–पुष्टाहार	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०–118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बीसलपुर (पीलीभीत)

तुलन पत्र (वर्ष 1993-94, 1992-93 व 1991-92)

विवरण	दिनांक 31-3-94 की धनराशि	दिनांक 31-3-93 की धनराशि	दिनांक 31-3-92 की धनराशि
दायित्व			
अंशपूंजी	90510342.29	88685099.29	73382524.29
संचय एवं अतिरेक	6224281.61	6224281.61	6224281.61
ऋण (सुरक्षित)	142854850.08	206527588.74	147038739.15
ऋण (असुरक्षित)	103855157.30	95609867.30	90731287.30
चालू दायित्व	67611256.36	120893259.93	123294231.56
	411055887.64	517940096.87	440571063.91
सम्पत्ति–			
अचल सम्पत्तियां	39356491.33	46047468.00	54432713.47
चिपिश्लेग	12857300.00	12857300.00	12857300.00
चालू सम्पत्तियां			
ऋण एवं अग्रिम	202992489.13	299250302.44	236517900.34
हानियां	155849607.18	159785026.43	136853150.10
	411055887.64	517940096.87	440671063.91

ह०/- ह०/- ह०/-

मुख्य लेखाकार प्रधान प्रबन्धक जिलाधिकारी/प्रशासक

बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बीसलपुर (पीलीभीत)

लाभ-हानि खेती

विवरण	वर्ष 1993-94 31 मार्च, 1994 को धनराशि	वर्ष 1992-93 31 मार्च, 1993 को धनराशि	वर्ष 1991-92 31 मार्च, 1992 को धनराशि
1	2	3	4
आय			
बिक्री	31,84,45,80.40	21,39,67,520.01	15,62,08,513.11
अन्य आय	8,77,731.68	15,89,529.85	4,06,971.86
स्कन्ध अतिरेक (+) व्ययतिरेक (–)	(–) 7,30,41,433.99	(+) 7,38,25,856.85	(+) 5,55,86,108.44
	24,62,82,100.09	28,93,82,906.71	21,21,01,593.41
व्यय			
गन्ना मूल्य	13,51,74,473.16	19,04,75,550.25	15,05,51,491.33
रसायनिक व्यय	28,86,088.12	47,49,713.10	38,22,637.10
पैकिंग मेटेरियल	41,43,235.14	61,28,884.96	53,70,506.37
पावर एण्ड फ्यूल	32,59,847.46	33,64,898.88	22,75,128.33
वेतन तथा मजदूरी	2,56,46,328.21	2,87,31,407.87	2,52,09,74.62
मरम्मत एवं रख-रखाव	94,02,795.16	1,06,93,776.21	93,18,271.51
उत्पादन शुल्क	2,14,89,082.63	1,90,58,163.64	1,32,29,202.03
चीनी भण्डारण व्यय	2,48,593.71	3,45,014.49	3,07,733.33
खोई भण्डारण			

1	2	3	4
व्यय	2,91,997.15	6,07,789.66	7,74,011.81
ब्याज	2,64,32,868.93	3,31,16,235.33	1,99,48,728.12
प्रशासनिक व्यय	29,72,958.21	36,01,541.36	32,74,695.56
विक्रय व्यय	7,37,441.98	7,09,455.70	7,87,688.98
ह्रास	93,58,634.78	1,09,25,634.36	1,27,88,688.57
योग	24,20,44,344.64	31,27,03,086.81	24,86,58,527.92
लाभ (+) हानि (–)	(+) 42,37,755.45	(–) 2,33,20,180.10	(–) 3,64,56,934.51
<u>लाभ (+) हानि (–) समायोजन खाता</u>			
शुद्ध लाभ (+) हानि (–) वर्ष का	(+) 42,37,755.45	(–) 2,32,20,180.10	(–) 3,64,56,934.51
जोड़ा (+) घटाया (–) पूर्व वर्ष का समायोजन	(–) 3,02,336.20	(+) 3,98,303.77	(+) 3,24,376.87
जोड़ा (+) घटाया (–) पूर्व वर्ष लाभ/ हानि	(–) 15,97,85,026.43	(–) 13,68,63,150.10	(–) 10,07,30,592.46
	(–) 15,56,49,607.19	(–) 15,97,85,026.43	(–) 13,68,63,150.10

ह०/-
मुख्य लेखाकार

ह०/-
प्रधान प्रबन्धक

ह०/-
जिलाधिकारी/प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'घ'

(देखिये पूर्व पृष्ठ 119 पर)

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2	श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री बिहारी लाल आर्य, श्री कामेश्वर उपाध्याय, तथा श्री नरेश अग्रवाल ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित उल्लेख नहीं किया है :– 1–बेरोजगारों के लिये कोई निश्चित योजना नहीं है, 2–सिंचाई के लिये किसी परियोजना का उल्लेख नहीं है, 3–विद्युत परियोजना में सुधार हेतु कोई उल्लेख नहीं है, 4–जमीन सुधार परियोजना का उल्लेख नहीं है, 5–अल्पसंख्यकों में रोजगार परक शिक्षा देने के लिये कोई उल्लेख नहीं है, 6–दलित वर्ग में शिक्षा, उनकी सुरक्षा तथा उनके रोजगार के लिये निश्चित कार्यक्रम नहीं है, 7–साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिये किसी परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है, 8–जातीयता फैलाने वाले संगठनों से निपटने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, 9–छात्रों के इन्टरमीडियेट तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है, 10–सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा चीनी मिलों की सम्पत्ति की बिक्री की पारदर्शी नीति की घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है, 11–न्यायपालिका का सम्मान करने एवं वादकारियों की सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त किसी योजना का उल्लेख नहीं है, 12–पत्रकार जगत स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन कर सके, यह व्यवस्था सुनिश्चत करने के लिये किसी योजना का उल्लेख नहीं है, 13–प्रदेश में सरकारी धन का राजनैतिक हित में उपयोग रोकने के लिये किसी परियोजना का उल्लेख नहीं है ।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
3	श्री ऊदल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–किसानों के लिये बढ़ाई गई सिंचाई व विद्युत की दरों को वापस लेने, 2–खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों को सस्ता करने, 3–प्रदेश में बिगड़ती जा रही शान्ति व्यवस्था को ठीक करने, 4–शासन व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जातिवाद को रोकने, 5–आवश्यक वस्तुओं में कालाबाजारी व चोरबाजारी रोकने, 6–पेट्रोल एवं डीजल में मिट्टी तेल की गिरावट रोकने और कालाबाजारियों को दण्डित करने, 7–वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन योजना में की गई कटौती को समाप्त करने, 8–किसान पेंशन योजना को लागू न करके कोरी कागजी घोषणा करने, 9–दलितों एवं महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने, 10–साम्प्रदायिक शक्तियों के प्रचार प्रसार को रोकने, 11–जाति व्यवस्था व वर्णव्यवस्था को खत्म करने हेतु कारगर कदम उठाने, 12–दलितों व पिछड़े वर्गों को सरकारी व अर्धसरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा करने, 13–निजी उद्योगों व उद्यमों में दलितों व पिछड़ों को प्रतिनिधित्व न मिलने, 14–सरकारी व अर्धसरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को वाजिब प्रतिनिधित्व न मिलने, 15–दलितों व पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों में वृद्धि करने, 16–दलितों व पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल व इन्जीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक कालेजों/संस्थाओं में कोटा तय कराने और उसे लागू न करने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17–चीनी मिलें, सीमेन्ट कारखानों व विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में देने,
		18–महंगाई को रोकने व बेरोजगारी दूर करने,
		19–उत्तराखण्ड को पृथक राज्य का दर्जा देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार से संस्तुति करने के संबंध में,
		20–बुन्देलखण्ड के पांचों पिछड़े जिलों को विशेष सहायता न पहुंचाने,
		21–बुन्देलखण्ड में सिंचाई, पेयजल, विद्युत एवं शिक्षा के विकास के अभाव को दूर करने,
		22–बनारस, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद में कालीन उद्योगों को प्रोत्साहन न देने एवं संकट से बचाने हेतु कोई कारगर कदम न उठाने,
		23–बाल श्रमिकों का शोषण खत्म करने एवं उनके कल्याण हेतु कोई ठोस योजना बनाने,
		24–भारतीय कालीन उद्योग की विदेशों में गिरती शाख को बचाने एवं इस उद्योग में लगे लाखों लोगों की रोजी रोटी को बचाने के संबंध में,
		25–गन्ना किसानों को सही रेट न देने एवं बकाया भुगतान न कराने,
		26–गांव पिंडरा पूर्वी, नम्मेपुरा, विक्रमपुर रेलवे लाइन के पश्चिम दक्षिण पश्चिम व चितईपुर नदियां, ब्लाक पिंडरा तथा नहरपुर व बजरडीहा ब्लाक सेवापुरी व पूरा रघुनाथपुर पक्की सड़क के पश्चिम ब्लाक बड़गांव जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल न लगाने के संबंध में,
		27–बाबतपुर राजबाहा की सिंचाई पिंडरा जिला वाराणसी को सिंचाई खण्ड जौनपुर के तृतीय सब डिवीजन से निकालकर षष्टम् सब डिवीजन वाराणसी में न मिलाने के संबंध में तथा उक्त सिंचाई के पिंडरा एवं महराज को पिंडरा ड्रेन में न मिलाने के संबंध में,
		28–खालिसपुर से गोठिया मार्ग, करवां से तीराजपुर मार्ग, खालिसपुर से ऊदपुर मार्ग एवं चप्पेदार से गरथमा मार्ग ब्लाक पिंडरा वाराणसी को पक्का न बनाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		29–बेनीपुर से भोड़ा कमरुद्दीनपुर मार्ग ब्लाक रामपुर जिला जौनपुर के बनाने के संबंध में, 30–गांव सभा कुंडी के दक्षिण वरुणा नदी में कूडी सत्तमपुर मार्ग पर पुल न बनाने के संबंध में, 31–वसूही नदी में नूरपुर–कादीपुर मार्ग, जौनपुर पर पुल न बनाने के संबंध में, 32–गोपालपुर–रामपुर मार्ग जौनपुर में वसुही नदी पर पुल न बनाने के सबंध में, 33–गांव सभा कीछ्यां, गांव सभा देवराई गांव भटरना तथा गांव सभा राजपुर में नादेपुर ब्लाक, पिंडरा, वाराणसी में प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में, 34–गांव रसुलहा, कोदई, महिमापुर एवं बड़ी आबादी के गांव बसन्नी दल्लूपुर व कठिरांव फत्तूपुर एवं लखांसीपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्राइमरी स्कूल न खोलने के संबंध में, 35–गाजीपुर में बन रहे 132 के० बी० पावर स्टेशन की नींव डालने के बाद न बनाने के संबंध में, 36–जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के गांव छेड़ापुर, रामपुर महिमापुर बचेउरा नटवां, फत्तूपुर दल्लीपुर ब्लाक बड़ागांव एवं अनुसूचित जातियों के गांवों का विद्युतीकरण न करने के संबंध में, 37–पेयजल योजना के अनेई चिरांव बड़ागांव, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी को ठीक से रखरखाव कर शुद्ध पेयजल योजना लागू करने व पेयजल योजना नेवादा, वाराणसी को ठीक से चालू न करने एवं गांवों में हैण्डपम्प लगाने हेतु मौजूदा आबादी को आधार न मानने के संबंध में।"
4	श्री राम स्वरूप सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–भूमिहीन, गरीब किसानों के बीच, जोत हदबन्दी से बची फालतू कृषि भूमि ग्राम समाजों की कृषि योग्य परती बंजर व ऊसर तथा सरकारी कब्जे में पड़ी विभिन्न किस्म की कृषि योग्य भूमि का बंटवारा करने।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खेत मजदूरों के लिये तय की गई मजदूरी उन्हें दिलाने के लिये कोई उपर्युक्त प्रशासनिक मशीनरी बनाने ।

3–सामाजिक जातिगत उत्पीड़न को रोकने, दलितों और पिछड़ों के लिये सामाजिक न्याय व सम्मान सुनिश्चित करने ।

4–पुलिस के उत्पीड़क चरित्र को बदलने ।

5–सभी को बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा सुलभ कराने ।

6–दलितों और पिछड़ों को विभिन्न सेवाओं में आरक्षित कोटा को पूरा कराने,

7–सिंचाई के पानी, बिजली व उर्वरक को सस्ते दर पर पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराना ।

8–शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जातिवाद को रोकना ।

9–आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार व उसे चुस्त दुरुस्त कराने ।

10–सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को लाभकारी बनाने तथा निजी क्षेत्र में न देने ।

11–साम्प्रदायिक संगठनों के प्रचार-प्रसार को रोकने ।

12–इन्टरमीडियेट तक शिक्षा नि:शुल्क करने ।

13–महंगाई रोकने व बेरोजगारी दूर करने, पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और स्वायत्तशासी परिषद् बनाने ।

14–बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने ।

15–दलितों, पिछड़े वर्गों के और अन्य वर्ग के गरीब छात्रों की छात्रवृत्तियों में वृद्धि करने ।

16–गरीबों, लघु सीमान्त किसानों और गरीब बुनकरों के 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ करने ।

17–साम्प्रदायिक संगठनों के नियंत्रण में चल रहे शिक्षा संस्थानों को सरकार के कब्जे में लेने ।

18–किसान पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने, इसमें खेत मजदूरों, दस्तकारों और अन्य गरीबों को शामिल करने ।

19–प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

20–बन्द मिलों को चालू कराने ।

21–ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करने ।

22–सरकार की मजदूर व कर्मचारी विरोधी नीति समाप्त करने ।

23–विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में अधूरे पड़े मार्ग

(1) हुसैनपुर से गाजीपुर खाली तक पूरा करने,

(2) सहानपुर से रानीपुर बिजौरी तक मार्ग को पूरा किया जाने,

(3) महावतपुर से जक्खाकी भदौला तक मार्ग को पूरा किया जाने ।

24–ग्राम धनसैनी से फजलपुर स्टेशन तक, हुमायूंपुर ज्वाली लाला मुंगड़पुर मोजनपुर नरायन तक व रायपुर तक तथा रंगड़पुर से भनेड़ा तक व मोहनपुर से काशीरामपुर तक, मंझारी से सेखूपुर आलम तक, लाहक कला तक तथा नेवादा से हकीमपुर रामनगर बावखरपुर बिनौड़ा मानपुर तक, बेड़ा से बालावाली तक तिसोत्रा से गौंसपुर तक तथा सकरपुरी से खटाई तक हादीपुर से चिड़ियापुर तक, भागुवपला से कामगारपुर तक । लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री से लम्नारों वाली बाजो वाला पूरनपुर, रानीपुर नरोत्तम से राजीपुर तक, बुडगरा से बुडगरी असकरीपुर तक, ढाकी सादो-सलामपुर तक । गाजीपुर से कीरतपुर रोड तक मार्ग पक्का नया निर्माण कराये जाने ।

25–पूर्वी गंगा नहर से नये रजवाहे (माइनर) राजगढ़ से दो माइनर कामगारपुर व सबलगढ़ तक (2) रजवाहा गुंलालवाली उर्फ सीतावाली से प्रेमपुर जादोपुर, रहिमापुर, विजयपुर, पिथौरा नगला, राहतपुर, मझाड़ी सेखपुरा आलम, लाहक कला, सहाबपुरा तक व रानीपुर के सामने से रानीपुर बनवारीपुर, पूरनपुर, खढ़ी, खैरुल्लापुर, पुरुषोत्तमपुर, सहनपुर गिरदहवा, अलीपुरा, अमानुल्लापुर, पदाररथपुर, खलीलपुर तक बनवाये जाने ।

26–जिन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है, उन ग्रामों की अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में भी विद्युतीकरण पूरा किया जाय ग्राम खलीलपुर, मानपुर, हरचन्दपुर और प्रेमपुर, समीपुर, सेखूपुरा आलम, पिथौरा नगला, सीतावाली गोढ़ा, कामगारपुर, पूरनपुर नरोत्तम, मोटा ढाल, चतुरावाला, देवेन्द्र नगर, चौड़ कथा, रानीपुर बनवारीपुर शौपुरी, उखालापार, हुमायूंपुर, ज्वाली लाला, मुंगड़पुर, रायपुर, गाजीपुर, जीवन सराय, सुक्खा साहपुर आदि गावों का विद्युतीकरण किये जाने ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27–क्षेत्र के हरिद्वार जनपद में कांगड़ी गाजीवाली, श्यामपुर, बहरपेली, टांटवाला, भीतरपेली, पैन्डीखाता, मिट्टी बेरी, कटाबढ़, डालूपुरी, मंगोलपुरा का भी विद्युतीकरण किये जाने। 28–पीने के पानी के लिये दो टैंक व नलकूप नजीबाबाद में, एक टैंक एक नलकूप सहानपुर में, एक टैंक एक नलकूप तिसोत्रा में, एक टैंक एक नलकूप भनेड़ा में व एक टैंक एक नलकूप हुसैनपुर में बनवाये जाने तथा सभी कस्बों और ग्रामों में पीने के लिये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प 300 के लगभग गर्मियों से पहले लगवाये जाने। 29–ग्राम गुढ़ा भोगपुर, बनवारीपुर, पूरनपुर नरोत्तम, चौड़खता, गाजीपुर कुतुब, रगड़पुरा, सकरपुरी, शेरपुर, रायपुर, ठन्डियानवाला, चमरिया चिड़ियापुर, चिड़ियापुर में प्राइमरी स्कूल खोले जाने। नरायनपुर, प्रेमपुर, पूरनपुर गढ़ी, मोरध्वज किला, हुसैनपुर, मम्बन, गैंडी खाता में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने। भागूवाला मडावली, भनैड़ा, भोजुनपुर नरायण, लालढांह, श्यामपुर में हाई स्कूल खोले जाने तथा सहारनपुर, जलालाबाद व नांगल में बालिकाओं के लिये हाई स्कूल खोले जाने। 30–ज्वाली लाला व गांगड़ी में जल कटाव से गांवों को बनाये जाने। बांध बनवाने के लिये व श्यामपुर व साजनपुर के बीच नाले पर दोनों ओर बन्धे बनवाये जाने हेतु व पण्ड्रीकला का क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कराने हेतु तथा सिंचाई करने हेतु 50 नलकूप लगवाये जाने। 31–विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवाये जाने। 32–जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड अखण्ड नगर के अन्तर्गत मुड़िलाडीह-दोस्तपुर रोड पर स्थित ग्राम पलियां देवापुर से दो किलोमीटर सम्पर्क मार्ग चिरानी पट्टी हरिजन बस्ती तक संस्तुति शुदा स्वीकृत सम्पर्क मार्ग को तत्काल पेन्टिंग स्तर तक पूरा कराने।"
5	श्री नरेन्द्र सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक खण्डपीठ मेरठ नगर में स्थापित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–जनपद मेरठ में ग्राम टांडा के पास यमुना नदी पर, हरियाणा व उ० प्र० को जोड़ने के लिये पुल निर्माण किये जाने के संबंध में,
		3–जनपद मेरठ में ग्रामीण अंचलों में 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति की घोषणा के संबंध में,
		4–कस्बा छपरौली जनपद मेरठ में एक 132 के० वी० ए० के बिजलीघर की स्थापना किये जाने के संबंध में,
		5–विधान सभा क्षेत्र छपरौली में 33 के० वी० ए० के बिजलीघरों, जो छपरौली, आदर्श नंगला तथा बिजरौल में स्थित हैं, के जीर्ण-शीर्ण ओ० बी० सी० तथा कंडक्टर बदले जाने के संबंध में,
		6–लोक-सभा क्षेत्र बागपत में लोक निर्माण विभाग की सभी जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में,
		7–लोक सभा क्षेत्र बागपत, मेरठ की नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाये जाने की घोषणा के संबंध में,
		8–विधान सभा क्षेत्र बरनवा, मेरठ में गिरते हुए जलस्तर को रोकने के लिये "लिफ्ट कैनाल परियोजना" के लिये धन का आवंटन किये जाने के संबंध में,
		9–पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण किया जाना व नहर की क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में,
		10–प्रदेश में हर स्तर पर बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये कोई कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में,
		11–प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण नीति गलत ढंग से लागू किये जाने के कारण लाखों छात्रों के समक्ष शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की समस्या के संबंध में,
		12–प्रदेश में शिक्षित, अशिक्षित एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के निराकरण के लिये कोई कारगर समयबद्ध योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,
		13–प्रदेश में अत्यधिक बिगड़ी कानून व्यवस्था, हत्यायें, अपहरण, डकैती, राजमार्गों पर लूट, हरिजनों एवं महिलाओं पर अत्याचारों को प्रभावी ढंग से समाप्त किये जाने के संबंध में,
		14–उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्यायें, महिलाओं के साथ दुर्व्यहार एवं बलात्कार के दोषी लोगों को कड़ा दण्ड दिये जाने के संबंध में,
		15–सत्ता में बैठे शक्तिशाली लोगों द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न भयावह स्थिति व उसके निराकरण के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6	श्री सुन्दर लाल दीक्षित	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–बाराबंकी सुल्तानपुर की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर से हैदरगढ़ बाराबंकी की विद्युत लाइन को सम्बद्ध करके बिजली व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के संबंध में। 2–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, बाराबंकी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की जाने के संबंध में। 3–बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना की जाय। 4–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के संबंध में। 5–अवसानेश्वर महादेव बाबा टीका राम पोखरा शिवनाथ जी गोमती तट पर स्थित हैं, जिसका जीर्णोद्धार तथा पर्यटन केन्द्र बनाने तथा गोमती नदी पर पुल बनाकर तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ को बाराबंकी जिला मुख्यालय से जोड़ने के संबंध में। 6–मकनपुर से शाहपुर सिदवी मंझार मार्ग 6 कि० मी० को लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी से लेपन स्तर तक डामर करवाकर गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाकर बिहारीबाद, धानमऊ होते हुए बाराबंकी जिला मुख्यालय से जोड़ने के संबंध में। 7–दहिला शिवनाम पोखरा मार्ग 20 कि० मी० में डामर-लेपन स्तर तक करवाकर मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में। 8–टिकरहुंआ सुकुलपुर मार्ग पर मिट्टी के कार्य से लेपन स्तर खण्डजा तक का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

9–मरौली बाबा टीकाराम मार्ग का शेष भाग मिट्टी स्तर से लेपन तक ढाई कि०मी० 15 लाख लागत धनराशि व्यय करके सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

10–हैदरगढ़-रायबरेली मार्ग पर स्थित ग्राम कबुलपुर के आगे ग्राम बहुता श्रीकिशनपुर, खुसिहागंज, बस्तीगंज होते हुए पोखरा तक छः कि०मी० मिट्टी खड़ण्जा स्तर तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

11–हैदरगढ़, भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम दतौली चन्दा से सराय रावत, धानपुर लोनपुर, सन्तोषपुर, बेलवाघाट, गोमती तट पर 7 कि०मी० खड़न्जा स्तर तक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

12–लोनी कटरा कान्धीपुर, तिलोकपुर, शाहपुर, मनोधरपुर अर्धनिर्मित जिला परिषद् मार्ग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी को सौंपना एवं बाराबंकी से बड़ौत होते हुए पूरे देवीदास तक मिट्टी का कार्य खड़न्जा व लेपन स्तर तक 8 कि०मी० मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

13–खन्दोला, कान्हूपुर, मझूपुर मार्ग पर स्थित ग्राम हाथीका पुरवा, खैराबीरू खैरा कनकू, हंसवापुर गनहरी, गूढा, खुजरो रायबरेली सीमा तक मिट्टी खड़न्जा लेपन स्तर तक 7 कि०मी० मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

14–हैदरगढ़ रायबरेली मार्ग पर स्थित कबूलपुर डेरी से होते हुए सुजारा, तिवारी का पुरवा, ठकिया, बनवारगंज, महिमापुर होते हुए धरौली हैदरगढ़ बछरावां मार्ग तक 5 कि०मी० मिट्टी का कार्य तथा खड़ण्जा लगवाकर मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

15–लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से गंगापुर तक जनसम्पर्क मार्ग 2 कि०मी० मिट्टी का कार्य एवं खड़न्जा का कार्य करवाये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

16–ग्राम खमनखेरा नहरपुर से महरागंज होते हुए फिरोजाबाद से बड़ौल तक 3 कि०मी० मिट्टी का कार्य एवं खड़ञ्जा का कार्य करवाये जाने के संबंध में।

17–हैदरगढ़ भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम दतौली से बल्लूपुर रानीपुर सीठूमऊ, सालपुर, बेरिहा होते हुए बाबा टीकाराम मेला तक मिट्टी का कार्य खड़ञ्जा लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण करवाया जाय।

18–हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम कादीपुर, चकराता, पडौली मार्ग का विस्तार करके महुआगढ़, बचपुरा, भेड़िया, गोमती तट तक 5 कि०मी० मार्ग पर मिट्टी का कार्य खड़ञ्जा डामर लेपन स्तर तक करवाये जाने के संबंध में।

19–हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम नसीपुर, मंसारा होते हुए नाले में पुल का निर्माण करवाकर पूरबबेलाव, पश्चिम बेलाव होते हुए हैदरगढ़ बाराबंकी मार्ग 4 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़ञ्जा लेपन स्तर डामर डलवाकर उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

20–दन्दरौली कान्हूपुर, परीवां, पूरेदेवीदास, मंझपुर मार्ग का अधूरा कार्य मिट्टी का कार्य खड़ञ्जा डामर लेपन स्तर तक करवाये जाने के संबंध में।

21–उमरबल, क्रिसिया मार्ग पर 6 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़ञ्जा डामर लेपन स्तर तक करवाये जाने के संबंध में।

22–ग्राम मर्दापुर से बबुआपुर ग्राम तक चार कि०मी० मार्ग का अविलम्ब निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

23–ग्राम लखापुर से बेलहरी, राभी होते हुए दयालगंज ग्राम तक 4 कि०मी० मार्ग का अविलम्ब निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

24–हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम असन्दरा बाजार पुरवा, सगौरा होते हुए टिकरिया तक अर्ध निर्मित मार्ग का निर्माण प्रारम्भ करवाये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

25–लेजवापुर लिंक मार्ग नरोत्तम मऊ घाट तक 8 कि०मी० खड़ण्जा मिट्टी डामर लेपन स्तर तक करवाकर मार्ग का निर्माण करवाया जाय।

26–सुबेहा से देवीगंज होते हुए जैतपुर बाराबंकी मार्ग पर सुबेहा राजघाट गोमती नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

27–कमेला से मोहम्मदपुर होते हुए बाबा टीकाराम तक छः कि०मी० मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

28–लदई का पुरवा से जयचन्द पुर मल्लहन का पुरवा निदूरी टिकुरी होते हुए हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

29–हैदरगढ़, रायबरेली मार्ग स्थित ग्राम नरीली से झण्डा का पुरवा होते हुए कुबरी बलवापुर ग्राम तक मार्ग निर्माण अविलम्ब करवाये जाने के संबंध में।

30–फतेहपुर बाबा टीकाराम बरावां पलिया शरीफाबाद, चौबीसी, क्रिसिया, रतौली, गौरा, बहुता, रामनगर, पूरेदेवीदासपुरवा, शिवनाम, मडार, जीरास, भेलवल, गौरावा, उस्मानपुर, देवपुरा, तेजवापुर, भितुरी, सीठामऊ, सरायपाण्डे, लाही आदि प्रमुख स्थानों व राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में।

31–तहसील मुख्यालय पर फायरबिग्रेड, अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जाने के संबंध में।

32–सिंचाई का पिछड़ापन दूर करने के लिए एवं असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए भितरी धौउहरा, जस्तापुर, कल्मऊ, सौनी, मारूफपुर, भिंटौरा, खेरावा, सन्तोषपुर, सालपुर बैरिहा, गुसियामऊ, जयचन्दपुर मल्लाहन का पुरवा, निदुरी, टिकुरी, दतौली चन्दा, सीठूमऊ, सरैया, अलापुर, नगरिया, भुलियाभऊ चकौरा, हुसैनाबाद, कोलवा, बनकोट, पतौली बचपुरा, मिनौहुआ, भेड़िया लोनी भोगला, सुखलालपुरवा, महानगर, डोल्हेपुर, कहवापुर, संख्यामऊ

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

रनियामऊ रुकुन्दीपुर, अमानी का पुरवा, रामपुर आदि प्रमुख स्थानों पर राजकीय नलकूपों का निर्माण कराने के संबंध में ।

33–छन्दरौली, मनिकपुर भवनियापुर रामपुर होते हुए सराय पाण्डेय तक 5 कि०मी० मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में ।

34–किसानों को कृषि कार्य हेतु एवं लघु उद्योग धन्धों के लिए अति निर्बल मलिन हरिजन बस्तियों में पूरे देवीदास, गनहरी, नरदही, मझूपुर, होसवापुर बड़वालखैरा कनकू, खैरा बीरू ढोलवापुर, रामगंज, लालीईट पतुरिया खेर, सुम्भा, फतेपुर, जमरवा परीवाबल्ला, साईखेड़ा पेकौली, घुसकी, कान्हू जहानपुर, राधोपुर जयनन्दमऊ सरायपाण्डे सदरुदीनपुर कबूलपुर, शिवराम देवी जगन्नाथपुर, मनोधरपुर बड़डिया, शापुर, बैडोरा खमनखेरा, फिरोजाबाद, ईश्वरीगंज, डुबुईखेरा, राभी बेलहरी, शहीवर देवगरपुर, चिलूला, बस्तुगंज, बघेलना भिंलारी खेड़ा बड़मित्ती, टिकरा रायल, रानीखेर, बेलवा, सुजारा बनवारगंज, महिमापुर, गंगापुर, सेमरहा, बहुता श्रीकिशनपुर, बमहरौला, भेतमुआ, धिआमऊ तारागंल मानपुर, बिबियापुर जायसेपुर बारीखेर पुरवा कुवरी, कल्लवापुर गजफ्फरपुरवा, जोरास, जायसेपुर, लखोरा, बेहटा, कोलवा, शेखवामऊ भोलावाद मझार परमेमऊ शाहपुर, सिदई, काटीहार जरौली, नरेन्द्रपुर मदरहा रानीगढ़ बारा, खेमीपुर, गौरवा उसमानपुर, अखैयापुर अलमापुर, बबुआपुर, भागीखेर, रामी, दहिया, लक्ष्मनगढ़ रायपुर, कादीपुर, बहादुर मौनीपुर, ठाकुरपुर, लखनापुर, गौरी सादुल्लापुर, ओल्हेपुर, टिलिया, खानपुर हसनपुर सौनिकपुर, ब्रह्मनपुरवा, मदना भिखारीपुर, जसकापुर, लोहगपुर, भेटोरा, ललौली तथा न्याय पंचायत सुबेहा, पलिया, सदाययोगपी, चौबीसी, खरसतिया, दतौली, चन्दा, अन्सारी, कमला, बरावा तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के न्याय पंचायत बहुता, रामनगर दहिला, त्रिवेदीगंज, भिलवन, खेरा कनकू, शिवनाम समस्त न्याय पंचायत के समस्त ग्राम सभाओं के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

35–सुबेहा, पलिया, चौबीसी, कमला, बरावा, अन्सारी, दतौली, चन्दा, सरायपयोगी खरसतिया, विकास खण्ड हैदरगढ़ में तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में बहुता पोखरा दलिहा, शिनाम, भिलवल खेराकनकू, रामनगर, तेजवापुर शेषपुर दामोदर, मंसारा में राजकीय इण्टर कालेज बालक तथा बालिकाओं के लिए स्थापित किये जाने के संबंध में।

36–विकास खण्ड हैदरगढ़ के अन्तर्गत न्याय पंचायत सुबेहालिया सराय गोपरी, चोबीस, खरसतिया, बरावा, कमेला, दतौली, चन्दा अंसारी तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के लिए त्रिवेदीगंज दहिला, भिलवल शिवनाम खेरा कनकू, रामनगर, बहुता की समस्त ग्राम सभाओं के प्रत्येक गांवों में पेयजल का संकट दूर करने के लिए इण्डिया मार्क नलकूप लगवाने के संबंध में।

37–राजकीय परिवहन निगम बस स्टेशन हैदरगढ़ बाराबंकी में डिपो की स्थापना के संबंध में।

38–बाराबंकी जनपद को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में।

39–राजकीय पालीटेक्निक आई०टी०आई० विद्यालय की स्थापना तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ बाराबंकी में की जाने के संबंध में।

40–शिक्षित बेरोजगार युवकों की बेरोजगारी दूर करने के लिए हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर भारी उद्योग धन्धों की स्थापना करने के संबंध में।

41–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर चीनी मिल की स्थापना किये जाने के संबंध में।

42–हैदरगढ़ क्षेत्र में 20 वर्षों से अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों मधुकर शाह विद्यालय सोनिकपुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमीन हुसैनाबाद लाज स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किस्तीनगर सिधियावां को स्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

43–बाराबंकी जिले के प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थान बाबा महादेवा लोधेश्वर रामनगर बाबा ठीकाराम बेहटा, बाबा औसानेवर महादेव नीलकण्ठेश्वर महादेव किल्लश्वर महादेव, सिद्धेश्वर सिदौरपरलोगिनी तालाब मन्दिर शिवनाम सप्तऋषि सतरिख बाबा जगजीवन साहब, कोटवाधाम आदि प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित किये जाने के संबंध में।

44–बाराबंकी जिले की रामसनेहीघाट रुदौली, दरियाबाद फतेहपुर आदि तहसील मुख्यालयों पर डिग्री कालेजों की स्थापना के संबंध में।

45–हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा कोतवरी हैदरगढ़ क्षेत्र के भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

46–हैदरगढ़ क्षेत्र में 30 वर्षों से चल रहे सीनियर बेसिक विद्यालय तथा जूनियर बेसिक विद्यालय अहिरगांव चोबीसी, हसनपुर परीवा भितरी हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत असन्दरा, चौबीसी पोखरा सुवेहालही, भिलवल खैराकनकू पेयजल संकट दूर करने के लिए जन साधारण के पानी पीने की टंकी की स्थापना के संबंध में।

47–असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिए भटिया, मेनहुवा, भोगला, देवरी, बबुरिहा, भेड़हा, बाजापुर, लोनी, चकौरा, आलपुर नगरिया, भुजिया मउ, निटौटर, मल्हन पुरवा, सन्तोषपुर सालपुर, गोसियामऊ पूरब बेनाव, घोलवा, रतौली केभारि, शेखवामऊ, दतौली चण्डी जौरास, जतहवापुर ओल्हेपुर, धौरहरा, भितरी आदि ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में।

48–बाराबंकी जिला मुख्यालय से चौबीसी, सुकुलपुर, सुबेहा, पोखरा, शिवनाम खैरा कनकू तेजवापुर, त्रिवेदीगंज, लाही आदि प्रमुख स्थानों पर बसों को चलाये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		49–बाराबंकी जनपद में सन् 1993 से 1995 राज्य सेक्टर में आवंटित धनराशि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग तथा अस्थायी खण्ड रामसनेहीघाट के अधिशासी अभियन्ताओं की देखरेख में करवाये गये निर्माण कार्यों के समस्त मस्टर रोल तथा निर्माण संबंधी समस्त अभिलेखों को सील करवाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने तथा इस भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जाने के संबंध में।
		50–हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर कन्या डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।
		51–शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों की गरीबी दूर करने के लिए भिलवल, दहिला, शिवनाम, त्रिवेदीगंज, बहुता, रामनगर, खैराकनकू, सुबेहा, सरायगोपी, पलिया, बरावा, चौबीसी, कमैला, अन्सारी, दतौलीचन्दा, खसलिया, मंसारा, शेषपुर, दामोदर आदि प्रमुख स्थानों पर भारी उद्योग धन्धों की स्थापना के संबंध में।
		52–हैदरगढ़ क्षेत्र के तेजवापुर शिवनाम, भिलवल, सरायपाण्डे, पूरे दीवीदास, रामनगर, लाही, बहुता, अन्सारी, बारा, दतौलीचन्दा, फतेहगंज, सीढ़मऊ, गंगापुर संसारा, शतीफाबाढ़, देवापुर, पलिया, अहीरगांव, टिकरहुआ कोतवा, किरसिया, मसुई, भेड़सा, सन्तोषपुर, गनहेरी, बड़वत, फिरोजाबद आदि स्थानों पर राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना के संबंध में।"
7	श्री बदन सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश में बढ़ते हुए महिला उत्पीड़न एवं बलात्कार, हत्यायें, डकैतियां, लूट, सड़क लूट आदि को रोकने के लिए

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

तथा प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने,

2–प्रदेश के भूगर्भ जल स्तर के निरन्तर गिरने तथा भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने के सन्दर्भ में भूजल वैज्ञानिकों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देशों,

3–प्रदेश की मिलों, पर्यटन टूरिस्ट इकाइयों, बसों के निजीकरण को रोकने,

4–प्रदेश में बढ़ती हुई विद्युत दरों, सिंचाई दरों, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों को रोकने,

5–प्रदेश के विकास में भारी रुकावट आ जाने पर गम्भीर रूप से कोई सक्रिय एवं ठोस कदम उठाने के संबंध में,

6–प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रकार की औद्योगिक नीति बनाकर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने,

7–प्रदेश में पठारी एवं पहाड़ी कठिन स्टेटा वाले क्षेत्रों में गहरी बोरिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को देने,

8–प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत दरों में विद्युत उत्पादन गिरने और उस पर उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की सक्रिय कार्यवाही होने,

9–प्रदेश के पिछड़ेपन और श्रमिकों की बेरोजगारी तथा नवयुवकों की रोजगार हीनता की दिशाओं में भी यश भारती सम्मान आयोजन के कार्यक्रमों में गरीब प्रदेश के खजाने का खर्च बढ़ाने,

10–प्रदेश में कृषकों और व्यापारिक उत्पादनों के लिए विद्युत में अघोषित कटौती करने की समस्या को दूर करने के,

11–प्रदेश के किसानों के लिए कृषि कार्य में आने वाले उपकरणों को कर रहित क्रय करने के संबंध में उनको समय से नहरी और राजकीय कूपों से सिंचाई हेतु सुनिश्चित व्यवस्था करने,

12–प्रदेश में उग्रवादता और आतंकवादता के अड्डों की बढ़ोत्तरी देखते हुए प्रदेश और देश की एकता और अखण्डता के लिए उनकी समाप्ति हेतु कोई ठोस कदम न उठाने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

13–पूरे प्रदेश के राजकोष को पूरे प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च न करने तथा कुछ विशेष जनपदों का असन्तुलित भाव से विकास करने पर उस धन को खर्च करने,

14–प्रदेशीय के सभी नगर निगमों में ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने,

15–आगरा नगर के घोर पेयजल संकट को दूर करने के लिए यमुना नदी पर स्वीकृत बैराज निर्माण करने के लिए धन न देने,

16–आगरा में हाई कोर्ट की बेंच खोलवाने के लिए तथा कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार से कोई भी संस्तुति किये जाने,

17–प्रदेश के विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण करने और जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी, अछनेरा ब्लाक और अकोला ब्लाक के ग्रामों में विद्युतीकरण करवाने,

18–प्रदेश में नहरों के छोर पर पानी पहुंचाने की कोई विशेष योजना,

19–जनपद आगरा की तहसील किरावली में खारी नदी के बरसाती जल को रोककर जल स्तर ऊंचा लाने के लिए वहां के खारे पानी को मीठा पानी में परिवर्तित करने के लिए जैंगारा, खेडिया, रेखौरा, अकोला, खेड़ा वाकन्दा के घाटों पर बांध बनाने,

20–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित खारी नदी, वेस्टर्न डिग्रशन ड्रेन और गवंश नालों में पशु पेयजल आपूर्ति तथा कृषि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने,

21–जनपद आगरा की तहसील किरावली के खारे पानी को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम के पेयजल संकट को दूर करने के लिए छोटी-छोटी परियोजनायें बनाने,

22–प्रदेश के जनपदों में खारे पानी के क्षेत्र में वृद्धि के रोकने के लिए तथा उसको मीठा बनाने की सम्भावनायें खोजने तथा प्लांट लगवाने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

23–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी तथा जगनेर के पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर तोड़ मशीन से बोरिंग करके क्षेत्रों को सिंचाई साधन विहीनता से बचाने,

24–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित देवनारी माइनर, गोपऊ राजबहा, सिकन्दरा राजबहा एवं फतेहपुर सीकरी ब्रान्च के देवनारी बरनावयी, अरदाया ग्राम, कासौटी ग्राम, गोवरा एवं दौलताबाद में क्रमशः नहरों की पक्की लाइनिंग करके सीपेज रोकने,

25–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, नगरपालिकाओं एवं किरावली क्षेत्र समिति में पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था करने,

26–जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा, मलपुरा और सरैंधी में 33 के०वी०ए० के विद्युत सब-स्टेशन बनाने,

27–जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम नगला झब्बा, नगला हन्नू, नहचानी, इकरामनगर व सलेमाबाद के ग्रामों में फैले हुए सांस रोग को रोकने के संबंध तथा प्रदूषित जलापूर्ति रोककर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने,

28–आगरा नगर की गन्दी आबादियों, टूटी हुई सड़कों खारी पेयजल आपूर्ति और विद्युत संकट को दूर कर पर्यटकों के लिए नगर को आकर्षित तथा वहां के नागरिकों को सम्पूर्ण नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने,

29–जनपद आगरा की ओर राजस्थान की तरफ से बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए फतेहपुर सीकरी और आछनेरा ब्लाक के सीमावर्ती ग्रामों में वन विभाग द्वारा संघट वृक्षारोपण करवाने,

30–जनपद आगरा के कस्बा किरावली में रुके हुए तथा अधबने मिनी स्टेडियम को पूरा करवाने,

31–जनपद आगरा के सीमावर्ती ग्राम डिठवार, दाऊदपुर, उत्तू और घोरौली में राजस्थान निवासियों के अवैध कब्जों को समाप्त करने तथा

32–जनपद आगरा के शहर फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक भवनों एवं प्राचीन सांस्कृतिक सम्पत्ति के रखरखाव के लिए प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध खनन को रोकने के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
8	श्री हरेन्द्र सिंह मलिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देने के लिए इस विशाल प्रदेश को सामाजिक तथा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी प्रदेश के मेरठ मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, बरेली मण्डल, आगरा मण्डल और रुहेलखण्ड को मिलाकर एक अलग प्रदेश बनाये जाने, 2–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुगम एवं सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए तत्काल उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना किये जाने, 3–किसानों के मसीहा श्रद्धेय स्व० श्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर उनकी नीतियों के अनुकूल ग्रामीण एवं अन्य गरीब बेरोजगार युवकों के लिए "चौधरी चरण सिंह रोजगार योजना" (कुटीर उद्योगों की) के नाम से एक रोजगार पूरक योजना चलाये जाने, 4–मुजफ्फरनगर जनपद में चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने, 5–चौधरी छोटूराम स्नातकोत्तर विद्यालय, मुजफ्फरनगर को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किये जाने, 6–जनपद मुजफ्फरनगर के राजबहा भौराकला में गंगा का पानी डालकर सिंचाई सुविधाओं को विस्तृत किये जाने, 7–जनपद मुजफ्फरनगर में करोडी, कुरमाली, लिसाइलौक बरवाला तथा पीन्ना में 33/11 के० वी० विद्युत उप संस्थान बनाये जाने, 8–प्रदेश के गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य 85.00 रुपये प्रति कुन्तल दिये जाने, 9–प्रदेश में सिंचाई शुल्क में की गयी वृद्धि को वापस लिये जाने, 10–किसानों के निजी नलकूपों के लिए बढ़ाये गये विद्युत मूल्य को वापस लिये जाने, 11–मुजफ्फरनगर जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र–बघरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था किये जाने, 12–जनपद–मुजफ्फरनगर में लालूखेड़ी में वहां के नागरिकों की मांग के अनुकूल एक डिग्री कालेज स्थापित किये जाने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–मुजफ्फरनगर जनपद में बनतीखेड़ा में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने, 14–आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अहीर, कुर्मी एवं गूजर के समान अन्य जातियों जैसे–जाट तथा अन्य छोटे किसान, को भी मण्डल आयोग में सम्मिलित किये जाने, तथा 15–जनपद मुजफ्फरनगर में बघरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराने के संबंध में।"
9	श्री रामबाबू हरित	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–आगरा महानगर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने के संबंध में, 2–आगरा महानगर में पुराने गन्दे कुओं की सफाई करके उन्हें पानी पीने योग्य बनाने के संबंध में, 3–आगरा महानगर में बन्द पड़े सीवर लाइनों को खोलवाकर चालू करने के संबंध में, 4–आगरा महानगर में नयी सीवर लाइन का पानी लाइन (नल) डलवाने के संबंध में, 5–आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा शुद्ध साफ पानी, पीने हेतु, उपलब्ध कराने के संबंध में, 6–आगरा जल संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उपायों के संबंध में, 7–आगरा जल संस्थान के कर्मचारियों को समय से पगार (पे) दिलवाने के संबंध में, 8–आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लांट लगवाने के संबंध में, 9–आगरा महानगर में नये बैराज की स्थापना युद्धस्तर पर शीघातिशीघ्र कराने के संबंध में, 10–आगरा जल संस्थान में कैमिकल्स की खरीदारी में हुए घोटाले की जांच करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में, 11–आगरा जल संस्थान को सीवर की सफाई हेतु दी गई सीवर जटिंग मशीन खरीदकर उपलब्ध कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12–आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा हजारों नलों में व्यर्थ पानी के बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने की व्यवस्था के संबंध में,

13–आगरा महानगर में अवैधानिक रूप से टुल्लूपम्पों के प्रयोग को जल संस्थान द्वारा रोकने के संबंध में,

14–आगरा महानगर को पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये हैण्ड पम्प शीघ्र लगाने के संबंध में,

15–आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के संबंध में,

16–आगरा महानगर के प्रत्येक मलिन बस्ती में सुलभ शौचालयों को बनाने की व्यवस्था के संबंध में,

17–आगरा महानगर में सफाई को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के संबंध में,

18–आगरा महानगर की सफाई हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, फावड़े, झाड़ू, ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के संबंध में,

19–आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु बचाव के साधन (एरन, बूट, ग्लैप्स, मास्क) उपलब्ध कराने के संबंध में,

20–उ० प्र० में सफाई कर्मचारियों को ही, अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सैनेटरी इंस्पेक्टर, व चीफ सैनेटरी इन्सपेक्टर बनाने के संबंध में,

21–आगरा महानगर की स्ट्रीट लाईट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के संबंध में,

22–आगरा महानगर के सभी सिल्ट भरे नालों की तली झाड़कर सफाई कराके सिल्ट को तुरन्त उठवाने की व्यवस्था कराने के संबंध में,

23–आगरा महानगर में निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता सुधारने हेतु ठेकेदारों को समय से भुगतान करने खराब हुये कार्य में दोषी ठेकेदार व अभियन्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा देने के संबंध में,

24–आगरा महानगर में नगर महापालिका द्वारा विधायक, जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		25–आगरा नगरपालिका में अश्लील पोस्टरों के लगाने पर रोक लगाने दोषी लोगों को दण्डित करने के संबंध में,
		26–आगरा महानगर में रोड कटिंग को न रोक पाने वाले संबंधित अधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में,
		27–आगरा महानगर में दसियों कान्वेन्ट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उनका सही हाउस टैक्स न लगाने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के संबंध में,
		28–आगरा महानगर के नगर महापालिका में कर्मचारियों को बोनस, फण्ड, पगार समय से उपलब्ध कराने के संबंध में,
		29–आगरा महानगर में होर्डिंग्स से हो रही राजस्व की कमी के लिये संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में,
		30–आगरा महानगर के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में,
		31–आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में छात्र, छात्राओं के लिये आबादी के घनत्व को देखते हुये दो-दो नये कालेज खोलने के संबंध में,
		32–आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त मात्रा में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति करने के संबंध में।
		33–आगरा महानगर में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाओं को समय से वेतन दिलाने के संबंध में,
		34–आगरा महानगर में ताजमहल के कारण पर्यटन स्थल होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर समय विद्युत उपलब्ध कराने के संबंध में,
		35–आगरा महानगर में प्रत्येक मोहल्ले को अलग-अलग क्षमतानुसार ट्रान्सफार्मर से जोड़ने जर्जर विद्युत तारों व पोलों की जगह नयी व्यवस्था करने के संबंध में,
		36–प्रदेश में विद्युत विभाग का राजस्व बढ़ाने हेतु सही समय पर सही विद्युत बिल जनता को उपलब्ध कराने के संबंध में,
		37–आगरा महानगर में चर्मनगर स्थापित कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		38–आगरा महानगर में लोहा मंडी बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ० वि० प्रा० द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में,
		39–आगरा महानगर में मलिन बस्तियों से शराब की दुकान हटाने तथा आगरा में कम से कम शराब की दुकानें करने तथा इस तरह राजस्व की हानि को पूरा करने के लिये अच्छे चल रहे कानवेन्ट स्कूलों व नर्सिंग होमों पर 50,000 से एक लाख रुपये प्रति माह टैक्स वसूलने के संबंध में,
		40–आगरा महानगर के सभी चिकित्सालयों की दशा सुधारने व रोगियों को अच्छा इलाज दिलाने हेतु अधिकाधिक दवाओं की उपलब्धता कराने तथा उपयुक्त मात्रा में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों को अनुदान दिलाने व सरकारी चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस से रोकने के संबंध में,
		41–आगरा महानगर के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में हो रहे घोटालों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के संबंध में,
		42–आगरा महानगर में अधिकाधिक संख्या में विकलांगों, विधवाओं, वृद्धों, बीमारों, को पेंशन समय से दिलाने के संबंध में,
		43–आगरा महानगर में मरीजों की खुली लूट करने वाले अस्पतालों का अनुदान समाप्त कर दोषी व्यक्तियों को कड़े से कड़ा दण्ड देने के संबंध में,
		44–उ० प्र० में विद्यालयों, स्कूलों में आरक्षित लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुये शासनादेश द्वारा कक्षा में छात्रों की घटी संख्या को स्थगित कर अधिक संख्या में प्रवेश देने की छूट देने के संबंध में,
		45–प्रदेश में आरक्षण के मसले पर अल्पसंख्यक स्कूलों को इस अध्यादेश में समाहित करने के संबंध में,
		46–प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को क्लास के 50 प्रतिशत परिणाम आने पर ही पदोन्नति इन्क्रीमेन्ट आदि की सुविधा देने के संबंध में तथा राजनीति में आये शिक्षकों को एक ही स्थान से वेतन व पेंशन प्राप्त करने के संबंध में,
		47–आगरा महानगर में गरीब, मजदूरों को धन बचाने हेतु लाटरियों पर पूर्णतया पाबन्दी लगाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		48–आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के संबंध में, 49–प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियन्ताओं व अन्य कर्मचारियों की समय-समय पर इनके निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के संबंध में, 50–आगरा महानगर के चीलगढ़ को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के संबंध में, 51–प्रदेश में वीरांगना झलकारी बाई, अवन्ती बाई के जन्मदिन पर सार्वजनिक छुट्टी व आगरा महानगर में भव्य चौराहों पर इनकी मूर्ति स्थापना करने के संबंध में।"
10	श्री श्याम देव राय चौधरी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपनेअभिभाष में निम्नलिखित संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में व्याप्त अराजकता, ध्वस्त कानून-व्यवस्था, जातीय संघर्ष, हत्याओं, लूट, डकैतियों, अपहरणों तथा बलात्कारों जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं किया। पाकिस्तानी गुप्तचर तंत्र (आई० एस० आई०) की तेजी से फैलते जाल को काटकर उन्हें असफल करने के उपायों के संबंध में, 2–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के पक्के मुहल्लों में व्याप्त गंभीर पेयजल अनापूर्ति संकट जो गर्मी में और विकट होने वाली है के समाधान के विषय में, 3–वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त हो रहे सीवर लाइनों को बदलकर नए सीवर लाइन डालने संबंधी योजना के विषय में, 4–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था, नये उच्चशक्ति के ट्रांसफार्मरों को लगाये जाने, बिजली के पुराने तारों को बदलने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5–वाराणसी में वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन वितरण बन्द हो जाने से लाभार्थियों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति,

6–वाराणसी में गंगा नदी में मछली मारने पर लगा प्रतिबन्ध को उठाने के संबंध में,

7–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में 4 नये नलकूप लगाये जाने के संबंध में,

8–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े हुए हैण्ड पम्पों को रिबोर करने के संबंध में,

9–पूर्वांचल विकास निधि के धनराशि में वृद्धि के संबंध में,

10–दक्षिणी विधान सभा के हरिजन बस्तियों के सुधार तथा वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में,

11–प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में,

12–वाराणसी के घाटों पर लगे मिट्टी के ढेर को साफ करने तथा उनके सुन्दरीकरण के संबंध में,

13–दक्षिणी विधान सभा के अन्तर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों के नवनिर्माण के संबंध में,

14–विद्यालयों में प्रवेश की जटिल समस्या के समाधान के संबंध में,

15–वाराणसी नगर में अमर सेनानी नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्ति लगाये जाने के संबंध में,

16–महारानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली वाराणसी के अस्सी क्षेत्र में उनकी मूर्ति लगाये जाने के संबंध में,

17–नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करने के संबंध में,

18–वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के कालोनियों तथा मुहल्लों एवं सड़कों पर जल जमाव की भीषण समस्याओं से निजात दिलाये जाने की योजना के संबंध में,

19–गोदौलिया चौराहे पर स्थित कूड़ाघर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में,

20–वाराणसी में सफाई दुर्व्यवस्था को दूर करने तथा बुझे रहने वाले स्ट्रीट लाइटों को जलाने के व्यवस्था के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21–'वेसू' में कार्यरत वैकल्पिक बिजली मिस्त्रियों को नियमित करने के संबंध में, 22–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में हो रहे दूषित पेय-जलापूर्ति को रोकने के संबंध में, 23–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में सीवर का दूषित जलापूर्ति से लोगों के बीमार पड़ने तथा आगामी गर्मी में समुचित मात्रा में पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में, 24–एक तरफ जलाभाव दूसरी तरफ जलकर तथा जलमूल्य में की गई अत्यधिक बढ़ोत्तरी को वापस लिये जाने के संबंध में, 25–काशी नगरी को धार्मिक नगरी घोषित करने के संबंध में, 26–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख जर्जर सड़कों के निर्माण के संबंध में, 27–भेलुपुर थानान्तर्गत, गौरीगंज मुहल्ले में अवैध रूप से चलाये जा रहे पशुवधशाला (स्लाटर हाऊस) को बन्द किये जाने के संबंध में, 28–लंका से सामने घाट तक की अत्यन्त जर्जर तथा जलभराव वाले सड़क के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के संबंध में, 29–पार्कों में हो रहे अवैध कब्जे और उन्हें बेचे जाने से रोकने संबंधी सख्ती बरतने, 30–दक्षिणी विधान सभा के अन्तर्गत गिरजाघर चौराहा-रामापुरा-रेवड़ी तालाब से भेलुपुरा चौराहा तथा विजया सिनेमा हाल से शिवाला-अग्रवाल रेडियो तक के भयंकर रूप से जर्जर सड़क के निर्माण के संबंध में, 31–2 अक्टूबर, 94 को उत्तराखण्ड आन्दोलन के महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बलात्कार के दोषियों को दण्डित करने के संबंध में।''
11	श्री मातवर सिंह कण्डारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में प्रचलित लाटरी से लाखों परिवारों को बर्बादी से बचाना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–महिलाओं के साथ हुए बलात्कार एवं उत्पीड़न की रक्षा करना,

3–वर्तमान सरकार द्वारा संकीर्ण जातिवाद का नारा देकर समाज को तोड़ना,

4–बेरोजगार को समाप्त करना एवं बेरोजगारी भत्ता देना,

5–उत्तरांचल में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को चालू कराना,

6–सम्पूर्ण उत्तरांचल में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की नियुक्ति कराना,

7–जनपद टिहरी गढ़वाल में जले हुए ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलना,

8–सम्पूर्ण उत्तरांचल को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना,

9–उत्तरांचल में रहने वाले सभी वर्गों को 27% का आरक्षण देना,

10–उत्तरांचल में 50% आरक्षण शिक्षण संस्थाओं से तत्काल हटाना,

11–गजान्तमियार-शिवपुरी मोटर मार्ग की मरम्मत वन विभाग टिहरी गढ़वाल से कराना,

12–लिफ्ट पेयजल योजना क्वीली-पालकोट (लावाचाका), सूर्यकुण्ड-रानीताल, तिमली, जवाडी रौठिया, सिल्कारवाल पाणण, रणकन्डियाल, न्यूली नाडी-पाल तथा हिसरियाखाल का निर्माण शुरू कराना,

13–राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल बैज्वाडी डागर टि० ग० के भवन का निर्माण कराना,

14–राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल डांगी नैलचामी, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल सिद्धसौड बडमा, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल गूलर दोगी, टि० ग० के भवन निर्माण कराना,

15–बागसैंण (सिल्काखाल) टि० ग० वि० खं० कीर्तिनगर में आई० टी० आई० खोलवाना,

16–जखोरी भीरी, रणधार-बदाणी, मूलगढ़ शार्ती, अगकोटी ल्यूखर, डांगधारी, सिल्काखार-पाणव, बडियारगढ़ फांडा सौरांखाल तिलबाडा सौंराखाल, दुगड्डा चौकी सौंड-

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

पिपलीधार, लक्ष्मोली हिसरियाखाल, गूलर गजा, आगराखाल कुसरैला, हिन्डोला-शिवपुरी, चाया-पिन्दार्स, हिन्डोलाखाल-बनगढ़-पौडीखाल, डाबरखाल रानीचौरा, जामनीखाल वागवान आदि मोटर मार्गों का निर्माण टिहरी गढ़वाल में शुरू करवाना,

17–उत्तरांचल में वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिये लचीला बनाना,

18–गुजराडा में चन्द्रमामा नदी पर तथा रतनगढ़ में हिलाऊ नदी में पैदल पुल निर्माण कराना,

19–चौरास टि० ग० में कलर टी० वी० का कारखाना खुलवाना,

20–जामनीखाल टि० ग० में सोयाबीन प्लान्ट लगवाना,

21–तुनेटाभरदार वि० ख० जखोली में गत्ता उद्योग लगाना,

22–खाडी वि० ख० नरेन्द्रनगर में सीमेन्ट उद्योग लगाना,

23–नीरगढ़ वि० ख० नरेन्द्रनगर तथा धोडापानी में चूना उद्योग लगाना,

24–उत्तरांचल में फलपट्टी योजना बनाना,

25–उत्तरांचल में अशासकीय विद्यालयों का प्रांतीयकरण कराना,

26–हर विभाग में रिक्त पड़े हजारों पदों पर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराना,

27–उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू कराना,

28–उत्तरांचल में हिलकैडर को सख्ती से लागू कराना,

29–भूकम्प से क्षतिग्रस्त रा० इ० का० डांगी, ठेला, पोखरी, फफोट, चाका, बुढ़ना का भवन निर्माण करवाना,

30–जखोली, हिन्डोलाखाल चाका में महा विद्यालय खुलवाना,

31–पर्यटन स्थल चन्द्रवदनी, कुन्जापुरी, सिद्धसौड़, बदाणीताल मठिगांणाखाल तथा हुलानखान का विकास कराना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

32–श्रीनगर जल विद्युत परियोजना एवं तिलवाडा जल विद्युत परियोजना का निर्माण तीव्र गति से शुरू करवाना,

33–विकास खण्ड देवप्रयाग के कार्यालय का निर्माण कराना,

34–उत्तरांचल राज्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव डालना,

35–मुजफ्फरनगर कांड में संलिप्त दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्ड दिलवाना,

36–मूलगढ़ थार्ती हल्का वाहन एवं बडियागढ़ धौडंग सौराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति दिलाना,

37–रुद्रप्रयाग को जिला बनाना,

38–जखोली को पूर्ण तहसील बनाना,

39–कीर्तिनगर टि० ग० में स्वीकृति मुन्सिफ कोर्ट को खुलवाना,

40–देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर को जिला बनाना,

41–मूलगढ़ नैलचामी में महिला अस्पताल खोलना,

42–किमाणा, बांसकाटल, मठियाली, बौंठ में राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल खोलना,

43–ओडाडा, मुयालगांव, अमकोटी, खरगेढ़ बगडुवालधार में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाना,

44–चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म की स्थापना कराना,

45–चौरास, दुआधार में राजकीय डेरी फार्म की स्थापना कराना,

46–मलेथा चौरास में राजकीय आदर्श कृषि फार्म की स्थापना कराना,

47–चिरबटिया, मुनिकीरेति चम्बा, मुनिकीरेति कीर्तिनगर फलपट्टी योजना को सख्ती से शुरू करवाना,

48–उत्तरांचल के सर्वांगीण विकास हेतु हिमान्चल प्रदेश पद्धति का अुनसरण कराना ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
12	श्री सत्य प्रकाश विकल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता, अनिश्चतता व संविधान की व्यवस्थाओं के उल्लंघन तथा अवहेलना के कारण उत्पन्न संकट के संबंध में, 2–प्रदेश में तेजी से बढ़ती जा रही लूट, डकैती, हत्या, अपहरण की गंभीर वारदातों व सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक घटनाओं आदि जघन्य आपराधिक कृत्यों को रोकने में सरकार की विफलता तथा अपराधियों व असामाजिक एवं गुंडातत्वों पर कठोर नियंत्रण न कर पाने के संबंध में, 3–प्रदेश में घोर जातिवाद का जहर फैलने से सामाजिक एकता व पारस्परिक सद्भावना के मजूबत ताने बाने को पहुंची क्षति के कारण जातीय तनावों तथा संघर्षों से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में, 4–प्रदेश में ध्वस्त हो रही कानू व्यवस्था, बढ़ती हुई अराजकता, दलितों, शोषितों व निर्बलों पर बढ़ते हुये अत्याचार एवं उत्पीड़न तथा आतंक व हथियारों के बल पर जगह-जगह भवनों तथा भू-खण्डों पर बलात कब्जा किये जाने की घटना पर कठोर नियंत्रण न किये जाने के संबंध में, 5–प्रदेश में आतंकवादियों तथा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई० एस० आई० के एजेन्टों की बढ़ती हुई गतिविधियों व प्रदेश के अनेक जिलों में उसके अड्डे स्थापित होने से प्रदेश व देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये उत्पन्न गहरे संकट से निपटने के ठोस उपायों के संबंध में, 6–प्रदेश की आम जनता एवं विशेष रूप से महिलाओं के शील, सम्मान व जीवन की रक्षा करने तथा उनमें व्याप्त असुरक्षा व आतंक की स्थिति को समाप्त करने के संबंध में, 7–प्रदेश के लाखों निर्धन परिवारों को भुखमरी तथा बरबादी की ओर धकेल कर सैकड़ों लोगों को, आत्महत्या के लिये विवश कर देने वाली लाटरी पर प्रतिबन्ध के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8–प्रदेश में सत्ता के हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के संबंध में,

9–प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को कम करने के लिये उन्हें रोजगार व काम दिलाये जाने के संबंध में,

10–प्रदेश में विकलांगों, वृद्धों तथा विधवाओं को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किये जाने के संबंध में,

11–शासन द्वारा बेदर्दी से किये जा रहे अनावश्यक तथा अनुत्पादक खर्चों में कटौती किये जाने के संबंध में,

12–नगरों व महानगरों में बढ़ते जा रहे ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में,

13–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ तत्काल स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से संस्तुति किये जाने के संबंध में,

14–भीषण पेयजल संकट के निवारण हेतु आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण शुरू कराये जाने के संबंध में,

15–अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिये विख्यात आगरा देश का महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा पर्यटन केन्द्र है जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । अतएव अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आगरा के सौन्दर्यीकरण, सड़कों के व्यापक सुधार, पेयजल आपूर्ति, सुंदर पार्कों एवं मनोरंजन स्थलों के निर्माण हेतु विशेष धन दिये जाने के संबंध में,

16–आगरा के प्रमुख पर्यटक केन्द्र व उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये उसे विद्युत कटौती से पूर्णतः मुक्त रखे जाने के संबंध में,

17–आगरा जल संस्थान की आय का बड़ा हिस्सा मलमूत्र युक्त प्रदूषित ओखला बांध से मिलने वाले पानी को रसायनों द्वारा शुद्ध करने पर व्यय हो जाने कारण जल संस्थान जनता की पेयजल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता अतएव जल संस्थान आगरा को रसायनों की खरीद व पुराने

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		उपकरणों को ठीक कराने के लिये तीन करोड़ रुपया वार्षिक अनुदान दिये जाने के संबंध में, 18–आगामी ग्रीष्म काल में आगरा के भीषण पेयजल संकट को देखते हुए तत्काल 500 इंडिया मार्क–11 हैण्ड पम्प लगा कर संकट को दूर करने के संबंध में, 19–देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों की असुविधा को देखते हुये आगरा को मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिये विशेष अनुदान के रूप में 50 लाख रुपया वार्षिक दिये जाने के संबंध में, 20–आगरा में प्रदूषण के नाम पर उद्योगों को उजाड़ने की घातक नीति से हटकर वहां उद्योगों को सुरक्षा व संरक्षण देकर नये प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने व किसी भारी उद्योग को लगाये जाने के संबंध में, 21–आगरा में सड़क सुधार तथा विशेष रूप से आगरा पूर्वी विधान सभा क्षेत्र नगला नदी, ट्रांस यमुना कालोनी, हनुमान नगर, सुशील नगर, प्रकाश नगर, कमलानगर, विजयनगर, गांधीनगर, गरीबनगर, पटेलनगर, कृष्णा कालोनी, टीलागंज सिंह आदि क्षेत्रों में अत्यन्त जर्जर एवं दुर्दशाग्रस्त सड़कों के सुधार हेतु विशेष अनुदान दिये जाने के संबंध में, 22–आगरा के यमुनापार क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।"
13	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में निरन्तर बढ़ते हुये भ्रष्टाचार, जातीय उन्माद, राजनीति के अपराधीकरण एवं अपराधियों के राजनीतिकरण, सत्ता दल के नेताओं द्वारा शासकीय तंत्र की सहायता से भूमि तथा भवन हड़पो अभियान, पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के बढ़ते हुये जाल से प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये उत्पन्न संकट, महिलाओं की अस्मत की असुरक्षा, वित्तीय प्रबन्धन की अकुशलता से उत्पन्न वित्तीय सकंट के बाद भी आकस्मिकता निधि के उपयोग की मर्यादाओं का उल्लंघन करके अनुत्पादक व्यय की बाढ़ से विकास कार्यों के ठप्प हो जाने, बिना कोई मानक तथा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		पारदर्शी चयन प्रक्रिया तय किये हुये "यश भारती" पुरस्कार के नाम पर करोड़ों का खर्च बिजली, पानी, खाद उपलब्ध न होने से किसानों की बरबादी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के कार्यान्यवन पर रोक की शासकीय घोषणा के बाद भी इसके तहत व्यापारियों के उत्पीड़न पर चिन्ता प्रकट कर अपने सरकार की भर्त्सना करते हुये उस पर नियंत्रण करने के लिये किसी समुचित कार्य योजना की घोषणा नहीं की गई है।"
14	श्री रंगनाथ मिश्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में किसानों की दी जाने वाली बिजली को 24 घंटे देने के संबंध में, 2–बिजली के मूल्य वृद्धि को वापस किये जाने के संबंध में, 3–यूरिया डाई के मूल्य में की गई भारी बढ़ोत्तरी को वापस किये जाने के संबंध में, 4–गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के संबंध में, 5–औराई चीनी मिलों में कुप्रबन्ध के कारण हो रहे घाटे से मुक्ति दिलाने हेतु इंजीनियर से प्रबन्ध बने भ्रष्ट प्रबन्ध को हटाने के संबंध में, 6–औराई चीनी मिल में अधिकारियों के परिवार के व्यक्तियों को जो डेलीवेजिज पर कार्य कर रहे हैं हटाने के संबंध में, 7–औराई चीनी मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में, 8–औराई चीनी मिल में डिस्टलरी प्लांट खोले जाने के संबंध में, 9–औराई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में, 10–भदोही जनपद के चौरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

11–खमरिया पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने के संबंध में,

12–वाराणसी जनपद के सेवापुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में,

13–भदोही जनपद के चौरी में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में,

14–मिर्जापुर–औराई रोड, कपसेठी–अनेई रोड, दुर्गापुर-जघई रोड पर बने पुलों पर कर (टैक्स) न लिये जाने के संबंध में,

15–स्थाई मान्यता प्राप्त हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान दिये जाने के संबंध में,

16–लाबी देवी कन्या जू० हा० की बिल्डिंग निर्माण कराने के संबंध में,

17–भदोही जनपद के काशी कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, गोहिला के भवन निर्माण के संबंध में,

18–समाधाताल से निकले नाले व डिघवट गांव में पुल निर्माण के संबंध में,

19–दुराचारी डोमौली से ममहर गिरिया होते हुये ज्ञानपुर जिला मुख्यालय तक सड़क निर्माण के संबंध में,

20–उगापुर मानिक प्रस्तुक सड़क निर्माण के संबंध में,

21–भटसार गौरहा मार्ग तथा रामडीह से भितकुरी मार्ग के निर्माण के संबंध में,

22–मा० मुख्य मंत्री के भदोही आगमन पर हुई बैरिकेटिंग में हुई भारी घोटाले के जांच कराने के संबंध में,

23–मिर्जामुराद करधना बडौरा तक सड़क निर्माण के संबंध में,

24–बन्दपुरा से बर्जी देखां तक सड़क निर्माण के संबंध में,

25–चकवा से अछवर ग्राम तक सड़क निर्माण के संबंध में,

26–माधोसिंह से कठारी तक सड़क निर्माण के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27–भदोही के भकोड़ा ग्राम में नलकूप लगाने के संबंध में, 28–भदोही के पुरुषोत्तमपुर ग्राम में नलकूप लगाने के संबंध में, 29–खमरिया में तथा चौरा में बड़ा ट्रान्सफार्मर लगाने के संबंध में, 30–कछवा-कपसेठी मार्ग के पुनः निर्माण के संबंध में, 31–गोराई जनपद के कटरा बाजार में पुलिस के संरक्षण में की गई आगजनी की जांच कराने के संबंध में।''
15	श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (गुरुजी)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, जंगलराज, अराजकता, जातिवाद, हत्या, लूटपाट, डकैती, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक नरसंहार, आई० ए० आई० की घुसपैठ आदि सभी मोर्चा पर सरकार की असफलता पर चर्चा व उन्हें रोके जाने के संबंध में। 2–प्रदेश में विनाश के बजाय विकास कार्यों की गतिशीलता दिये जाने के संबंध में। 3–दलितों, पिछड़ों, गांव-गरीब किसानों व झुग्गी झोपड़ियों के इन्सानों व नौजवानों के साथ हो रहे प्रशासनिक उत्पीड़न को तत्काल रोके जाने के संबंध में। 4–प्रदेश में विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में। 5–प्रदेश में किसानों को उनकी लागत के अनुरूप मूल्य दिलाने के संबंध में। 6–बीरापुर विधान सभा के समस्त विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या को पेयजल योजना के अन्तर्गत लिये जाने के संबंध में। मुख्यतः यहियापुर, खूझीकला, बिबियाकरनपुर, गोलापुर, सोनाही, सरखेलपुर, करनपुर खूझी, बसहा, तरोईडीह,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

जरगोइया, बीरापुर, उड़वा महोखरी, चनुवा पट्टी, जलालपुर, किठौली, जोलहापुर, परसामऊ, रामापुर आदि गांवों में तथा दुर्गागंज जैसी घनी बाजार में टंकी द्वारा मीठा जल आपूर्ति के संबंध में।

7–रानीगंज थाना को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में।

8–रानीगंज को तहसील बनाये जाने के संबंध में।

9–उड़ैयाडीह बाजार, पृथ्वीगंज बाजार, दुर्गागंज बाजार, दीवानगंज बाजार, एवहा बाजार, शीतलागंज बाजार, दिलीपपुर बाजार, जामताली व लच्छीपुर बाजार में मंडी समितियों के अन्तर्गत लाभ दिये जाने के संबंध में।

10–प्रतापगढ़ जनपद के थाना रानीगंज के दादूंपुर, जामताली, दमल, सचौलीघाट, थाना पट्टी के उड़ैयाडीह, पृथ्वीगंज बाजार, थाना कन्हई के दीवानगंज बाजार, रखहा बाजार, थाना फतनपुर के बीरापुर व कनेवरा में पुलिस चौकी खोले जाने के संबंध में तथा सुवंशा चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाये जाने के संबंध में।

11–थाना फतनपुर के जगनीपुर, कतरौली व थाना रानीगंज के सुल्तानपुर बाजार, बिन्दागंज, शिवगढ़, थाना कन्हई के बेलखर नाथ धाम, तेरहमील, गोपाल पुर, थाना मान्धाता के बकुलाही नदी पर पुलिस बूथ बनाये जाने के संबंध में।

12–कादीपुर घाट, बीरापुर घाट, बालामऊ घाट, गोपालपुर घाट, घोरका मुफरिद घाट, पिपरी घाट पर पुल निर्माण के संबंध में।

13–उड़वा में पट्टी नाले पर पुल, रसुलहा में पट्टी नाले पर पुल, गोलापुर में नाले, केवराखुर्द में नाले पर पुल, कुम्भापुर–बुद्धौरा से बांसी मार्ग के बीच नाले पर एवं सांड़ में बिन्द–बस्ती के पूरब नहर पर पुल, भीट में नहर पर पुल, महोथरी में नहर पर पुल बनाये जाने के संबंध में तथा डिघवट माइनर पर पुलिया निर्माण के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

14–बीरापुर विधान सभा के प्रत्येक विकास खण्डों यथा गौरा, शिवगढ़, मंगरौरा व पट्टी में न्याय पंचायत स्तर पर कन्या हाई स्कूल व कन्या इण्टरमीडियेट एवं विकास खण्ड स्तर पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

15–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी विकास खण्डों के न्याय पंचायत स्तर पर सामुदायिक विकास केन्द्र तथा सभी ग्रामों में पंचायत भवन, न्याय पंचायत स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व अन्य उद्योग खोले जाने के संबंध में।

16–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर क्रीड़ा केन्द्र खोले जाने के संबंध में।

17–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शिवगढ़, गौरा, मगरौरा व पट्टी में न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यतः देल्हूपुर बाजार में, दीवानगंज बाजार में खोले जाने तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज की अनियमित स्वास्थ्य सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में।

18–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शिवगढ़, गौरा, मगरौरा व पट्टी में न्याय पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में।

19–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गांवों में सघन विद्युतीकरण के संबंध में।

20–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं में सम्पूर्ण विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में।

21–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्क–II या III हैण्ड पम्प, पेयजल के भीषण संकट को दूर किये जाने के लिये तत्काल अधिकाधिक संख्या में दिये जाने के संबंध में।

22–बाबा बेलखर नाथ धाम व माता वाराही देवी क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

23–विकास खण्ड गौरा व शिवगढ़ की सभी भठी एवं उपेक्षित ड्रेनों जिसमें मुख्यतः कुरेहटा ड्रेन, धरी ड्रेन, कन्धारी

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

ड्रेन, आमापुर ड्रेन, कोसिया ड्रेन, उमरन ताल ड्रेन, मुड्डुआडीह ड्रेन, कहला ड्रेन, बेहदौल कला ड्रेन, कैलीडीह जगतपुर ड्रेन, कमासिन ड्रेन, असवई ताल ड्रेन एवं भड़ेतरा ताल ड्रेन की खुदाई एवं सफाई के संबंध में।

24–विकास खण्ड गौरा, शिवगढ़, मगरौरा व पट्टी के अन्तर्गत सभी नहरों की पटरियों की मरम्मत व पक्की कराये जाने के तथा सभी नहरों व माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में।

25–विकास खण्ड गौरा, शिवगढ़, मगरौरा व पट्टी के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर में न्याय पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व स्वतः रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कराये जाने के संबंध में।

26–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों, अशिक्षित नौजवान मजदूरों के लिये न्याय पंचायत स्तरीय योजनाओं के द्वारा लाभान्वित कराये जाने के संबंध में।

27–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर बच्चों का अस्पताल खोले जाने के संबंध में।

28–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के सई नदी, रखड़ नाला और पट्टी नाला की भीषण जल कटाव रोकने एवं प्रभावित गांव की सुरक्षा हेतु गोमती बाढ़ परियोजना या अन्य योजनाओं में लिये जाने के संबंध में तथा कटाव को रोकने के लिये सघन वृक्षारोपण के संबंध में।

29–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में ऊसर सुधार संबंधी योजनाओं के संबंध में।

30–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड स्तर पर वाचनालय खोले जाने के संबंध में।

31–कनेवरा–भीट वाया कमासिन मार्ग, लच्छीपुर से चौहरजन मार्ग, रामापुर से लच्छीपुर मार्ग, जामताली से सच्चौली घाट मार्ग, जामताली रामपुर मार्ग, शीतलागज

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		उड़ैयाडीह मार्ग, उड़ैयाडीह पृथ्वीगंज मार्ग, दांदूपुर रेलवे स्टेशन से चौहरजन मार्ग, कायस्थ पट्टी से पूरे चरन मार्ग, बभनमई से दुर्गागंज मार्ग, फतनपुर से बीरापुर मार्ग, नौडेरा से जगतपुर मार्ग, दीवानगंज से बलेखरनाथ धाम मार्ग, कुम्भापुर बुढ़ौरा से बांसी मार्ग, कायस्थ पट्टी से उगईपुर मार्ग, पटहटिया से चांदपुर मार्ग, गौरा रेलवे स्टेशन से कहला शहीद मार्ग, वेहदौल कलां से सुरवा मिसिरपुर मार्ग, सुरवा मिसिरपुर से कली मुरादपुर मार्ग, खरहर से उगईपुर मार्ग, रामगढ़ से देवासा मार्ग, जगतपुर मोड़ से रामपुर मार्ग, ठगू पुर मार्ग से मुसहरिया मार्ग, नौड़ेरा से स्वरूपपुर मार्ग, शीतलागंज से सिंगठी खालसा मार्ग, बभनमई पानी की टंकी से खतनपुर मार्ग, सुवन्सा पकड़ी मोड़ से रामपुर सम्पर्क मार्ग, मिर्जापुर चौहारी से मुआर अधारगंज मार्ग, रसोइया से प्रेमधर पट्टी मार्ग, छींटपुर से प्रेमधर पट्टी मार्ग, हरिहरगंज से चांदपुर होकर हरिपाल मऊ मार्ग, शिवगढ़ से कल्का मार्ग, सोनाही से गोलापुर मार्ग कतरौली से सुजनीडीह मार्ग, बुधई के पूरा से ढेलहा मार्ग, कनेवरा से कमासिन मार्ग, दुर्गागंज–भिखनापुर मार्ग, दुर्गागंज से मुआर अधारगंज मार्ग, दुर्गागंज से शंकरगंज मार्ग, पृथ्वीगंज से बड़ारी होते हुए बीरापुर मार्ग, पृथ्वीगंज से देनवा, दुबौली, सुक्खू होते हुए पिपरीघाट मार्ग, कनेवरा बीबीपुर मार्ग, कनेवरा कलीमुरादपुर मार्ग, भगवतगंज थाहीपुर होते हुए हरिहरगंज मार्ग, सुवन्सा से नौड़ेरा मार्ग, कर्माही से पयागपुर अवरस्ता मार्ग, रानीगंज से देल्हूपुर मार्ग, दिलीपपुर से बशीरपुर मार्ग, तेरहमील से सरखेलपुर मार्ग, राजापुर खरहर से सुबन्सा तक लखनऊ वाराणसी मार्ग, गाजी की बाग से मुबारक पुर मार्ग, गुटौली से सेषनपुर मार्ग, कहला बाजार से मंदिर होते हुए पश्चिम में विन्द बस्ती तक मार्ग, पूरे गुलाब से ब्रह्मवीर बाबा पूरे निहाली मार्ग, नई कोट से गांधी बाजार मार्ग, रखहा से मरुआन मार्ग, सुवन्सा से मेटुआडीह मार्ग आदि के शीघ्र निर्माण व निर्मित मार्गों की मरम्मत के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32–बीरापुर विधान सभा जो पूर्वांचल का सर्वाधिक पिछड़ा एवं उपेक्षित क्षेत्र है, के लिये कोई विशेष योजना दिये जाने के संबंध में।
		33–अम्बेडकर योजना के तहत गांवों के विकास एवं हैमलेट योजना के तहत गांवों में सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था के संबंध में।
		34–ऐतिहासिक शहीद स्थल कहला के सौन्दर्यीकरण एवं सम्पूर्ण व्यवस्था किये जाने के संबंध में।
		35–दुर्गागंज, रानीगंज, लच्छीपुर, उड़ैयाडीह, फतनपुर, दिलीपपुर बाजारों में कटस्टोन की व्यवस्था के संबंध में।
		36–बीरापुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
		37–बीरापुर विधान सभा में विकलांग, वृद्धा, विधवा पेंशन को नियमित वितरण कराये जाने के संबंध में।
		38–गौरा विकास खण्ड के डिघवट में आयुर्वेदिक अस्पताल के तत्काल भवन निर्माण के संबंध में।
		39–वीरापुर विधान सभा के मेढ़ौली व ताला के रामपुर कुर्मियान में हो रही खुली गोकशी को तत्काल रोकने के संबंध में।
		40–प्रदेश को भयमुक्त समाज का स्पष्ट उल्लेख किये जाने के संबंध में।
		41–विकास खण्ड गौरा के 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र को तत्काल धन निर्गत कर निर्माण कराये जाने के संबंध में।
		42–प्रदेश के जनपदों में व्याप्त प्रशासनिक अधिकारियों के मनोनयन पर कठोर नियंत्रण लाये जाने व जनता के सही कार्यों को शीघ्र निपटाये जाने के संबंध में। बीरापुर विधान सभा के प्रत्येक गांव एवं पुरवे के सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		43–पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि बढ़ाये जाने के संबंध में ।
		44–रामपुर कुर्मियान में परईया नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में ।
		45–खमपुर (ताला) की अहिरान बस्ती में नाले पर पुलिया निर्माण के संबंध में ।"
16	श्री बालेश्वर त्यागी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–शासन व प्रशासन को संवेदनशील बनाये जाने के संबंध में,
		2–भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में,
		3–गाजियाबाद की आवासीय आबादी कस्सावान में अवैधानिक रूप से बड़े पशुओं को काटे जाने से रोकने के संबंध में,
		4–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नीतियों में सुधार व प्राधिकरण को भ्रष्टाचार से बचाने के संबंध में,
		5–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित समस्त कालोनियों में समस्त नागरिक सुविधायें यथा बिजली, पानी, सीवर, सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाईट व सामुदायिक केन्द्र आदि बनाये जाने के संबंध में,
		6–ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,
		7–गाजियाबाद नगर के सीवर के निस्तारण हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने के संबंध में,
		8–गाजियाबाद में विजय नगर को मुख्य नगर से जोड़ने के लिये गौशाला पर अन्डर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में,
		9–गाजियाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में न्यूनतम नागरिक सुविधायें-पानी, बिजली व सुलभ शौचालय उपलब्ध कराने के संबंध में,
		10–नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर राजकीय इण्टर कालेज स्थापित करने के संबंध में,
		12–गाजियाबाद नगर के विभिन्न कालिजों में सेवानिवृत्त या मृतक अध्यापकों के रिक्त स्थानों को तत्काल भरने के संबंध में,
		13–किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान तुरन्त कराये जाने के संबंध में,
		14–विद्युत की नियमित आपूर्ति किये जाने के संबंध में,
		15–गाजियाबाद के उद्योगों को उजड़ने से बचाने के लिये कर ढांचे के सरलीकरण व युक्ति संगत बनाने के संबंध में,
		16–गाजियाबाद में मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र व बुलन्दशहर रोड औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत पीने के पानी, बरसाती पानी की निकासी, स्ट्रीट लाईट व नालों की सफाई आदि की व्यवस्था कराने के संबंध में,
		17–गाजियाबाद की विभिन्न बस्तियों भूडभारत नगर, सुन्दरपुरी माधौपुरा, कैलाशनगर, सेवानगर, भीमनगर, सुभाषनगर, बावानगर आदि को मलिन बस्ती घोषित करके नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में,
		18–गाजियाबाद के ही श्याम पार्क, श्याम पार्क ऐक्शटेंशन जनकपुरी जवाहरपार्क, गणेशपुरी वृन्दावन गार्डन, शालीमार गार्डन आदि राप्रवड़ कालोनियों में भी शेष सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में,
		19–गाजियाबाद के विस्तार को देखते हुए चिकित्सा, शिक्षा व यातायात सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में,
		20–ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों की सफाई सुनिश्चित करने व उपयोगी समय में 16 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में,
		21–सेवानिवृत्त अध्यापकों की पिछले 6 माह से रुकी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में,
		22–सत्र न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं को पिछले 6 माह से बकाया वेतन का भुगतान करने के संबंध में,
		23–विधवा व वृद्धावस्था पेंशन की बकाया राशि का भुगतान करने के संबंध में,
		24–जाति निरपेक्ष मनोवृत्ति से सभी के साथ न्याय करने के संबंध में ।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
17	श्री रमापति शास्त्री	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–शुगर कारपोरेशन की बन्द पड़ी शुगर मिल नवाबगंज के श्रमिकों को भुखमरी से बचाने तथा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मिल को चलाये जाने तथा उक्त मिल का नवीनीकरण कराकर क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में, 2–विधान सभा क्षेत्र डिक्सिर गोण्डा के विद्युतीकरण से बचे हुए सभी गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में, 3–गोण्डा जनपद के सभी गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में, 4–तहसील तरबगंज में चौखड़िया घाट, सेमराशेखपुर घाट और रामपुर टेंगरहा घाट तथा तिवारी बाजार पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 5–दुर्जनपुर घाट से उमरी बेगमगंज तक पी०डी० बन्धे को पक्की सड़क में परिवर्तित किये जाने के संबंध में, 6–नवावगंज अस्पताल का उच्चीकरण किये जाने के संबंध में।"
18	श्री हरवंश कपूर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–दिनांक 1-10-94 एवं 2-10-94 की मध्य रात्रि में मुजफ्फरनगर तिराहे पर हुए गोली काण्ड, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं बलात्कार की जांच विधायकों के संयुक्त दल द्वारा कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया, 2– देहरादून, मंसूरी, नैनीताल, पौड़ी, श्रीनगर आदि स्थानों पर हुए लाठीचार्ज एवं गोलीकाण्ड तथा उत्तराखण्ड में हुए मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए संयुक्त विधायक

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		दल की समिति का गठन तथा गठित समिति द्वारा जांच कराये जाने का उल्लेख नहीं किया गया, 1-10-94 एवं 2-10-94 की मध्य रात्रि में उत्तराखण्ड रैली में जाते हुए मानियावाला, देहरादून के लापता नवयुवक श्री राजेश रावत एवं अन्य लापता व्यक्तियों की जानकारी उनके अभिभावकों को देने का उल्लेख नहीं किया गया, 4–पृथक पर्वतीय राज्य के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया, 5–देहरादून नगर परिषद् में कक्षों का परिसीमन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप न किये जाने के कारण परिसीमन को रद्द कर पुनः परिसीमन करने का उल्लेख नहीं किया गया, 6–पर्यावरण को ध्यान में रखकर देहरादून जनपद में प्रदूषण शून्य उद्योग स्थापित करने तथा प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, 7–देहरादून जनपद में राजकीय राज्य सेक्टर में मेडिकल कालेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया, 8–देहरादून जनपद में जेनरेटर के उपयोग की रोक को हटाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया, 9–देहरादून जनपद सहित पूरे पर्वतीय जनपदों में नियमित विद्युत सप्लाई का उल्लेख नहीं किया गया ।''
19	श्री रमेशकान्त लवानिया	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में माननीय उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना के संबंध में । 2–आगरा की पेयजल समस्या के हल के लिए आगरा में बैराज निर्माण कराये जाने के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

3–आगरा की ऐतिहासिक इमारत ताजमहल आदि को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के संबंध में।

4–आगरा में एल०पी०जी० (गैस) पाइप लाइन डालने के संबंध में।

5–आगरा महानगर में रिंग रोड बनाने के संबंध में।

6–आगरा में पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के संबंध में।

7–आगरा विकास प्राधिकरण में शमन शुल्क के सरलीकरण के संबंध में।

8–आगरा की पेयजल में सुधार के संबंध में।

9–आगरा जल संस्थान को निरन्तर विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

10–आगरा में निरन्तर विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

11–आगरा के पर्यटन नगरी होने के कारण आगरा के सौन्दर्यीकरण, सड़क सुधार व अन्य विकास कार्यों के संबंध में।

12–आगरा में चर्म नगर स्थापित करने के संबंध में।

13–आगरा के प्रमुख उद्योगों को घनी आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में।

14–आगरा महानगर के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज को घनी आबादी से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में।

15–राजा बलवन्त सिंह कालेज आगरा को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में।

16–आगरा में अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड को शीघ्र बनाकर प्रारम्भ करने के संबंध में।

17–आगरा में फोरमैन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18–आगरा में बसई में स्थापित वधशाला को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में ।
		19–आगरा महानगर के जिन मोहल्लों में सीवर लाइन नहीं है उन मोहल्लों में सीवर लाइन डलवाने के संबंध में ।
		20–आगरा की पेयजल की समस्या के सुधार हेतु सुभाष पार्क, नामनेर व ताजगंज की घनी आबादी क्षेत्र में पेयजल टंकी के निर्माण के संबंध में ।
		21–आगरा में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।
		22–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन तथा मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने के संबंध में ।
		23–वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन के संबंध में ।
		24–आगरा महानगर के विद्यालयों में प्रवेश की समस्या के समाधान के संबंध में ।
		25–आगरा छावनी विधान सभा क्षेत्र बून्दकटरा, मधूनगर, डिफेन्स इस्टेट, सैनिक बिहार, नगला लटूरी सिंह, नगला भवानी सिंह, नन्दपुरा, डुण्डपुरा व अन्य कालोनियों के जल निस्तारण के लिए देवरी रोड़ के निर्माण के संबंध में ।
		26–आगरा महानगर में व्याप्त गन्दगी को दूर कर आगरा को साफ-सुथरा बनाने के संबंध में ।
		27–आगरा महानगर में जलापूर्ति को सुचारु बनाने के लिए पाइप लाइन बिछाने के संबंध में ।"
20	श्री अक्षयवर लाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–जनपद बहराइच में पड़े भयंकर सूखे के कारण किसानों का ऋण वसूली स्थगित किया जाना, 10 हजार तक के कर्ज

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

को माफ करना तथा जनपद बहराइच को सूखाग्रस्त घोषित करना,

2–किसानों को खाद, डीजल, मिट्टी तेल, चीनी, कीटनाशक दवाओं का काला बाजारी रोकने तथा इन्हें नियंत्रित मूल्य पर समय से दिलाने के संबंध में,

3–विधान सभा क्षेत्र इकौना में किसानों के हित में एवं क्षेत्र के विकास हेतु नई चीनी मिल की स्थापना के संबंध में,

4–विकास खण्ड पयागपुर को तहसील बनाने के संबंध में,

5–इकौना लक्ष्मनपुर मार्ग पर मझौवा वि० ख० इकौना के राप्ती नदी मकरा घाट पर पुल निर्माण के संबंध में,

6–मिलौला से सिसवारा रोड पर वारिमार नाले पर पुल तथा चार कि०मी० सड़क लेपन कराने के संबंध में,

7–बसभरिया से जानकी नगर खुर्द मार्ग पर पुल निर्माण के संबंध में, वि०स० क्षेत्र इकौना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्योग की स्थापना तथा उन्हें नौकरी देने के संबंध में,

8–विकास खण्ड पयागपुर को टाउन एरिया घोषित करने के संबंध में,

9–विकास खण्ड न्यागपुर में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में,

10–विशेखरगुंल में 1983 से स्वीकृत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के संबंध में,

11–इकौना से पुरैना होते हुए विशेश्वरगंज सड़क को पक्का निर्माण के संबंध में,

12–विशेश्वरगंज से गंगवल तक की सड़क पक्की निर्माण के संबंध में,

13–विशेश्वरगंज गंगाजमुनी मार्ग को 3 कि०मी० बढ़ाकर रामपुर दुवहा मार्ग में जोड़ने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

14–कटरा बाजार से मथुरा तक की सड़क को लेपन कराने एवं पुल निर्माण के संबंध में,

15–परशुरामपुर में लालबोझी की 4 कि०मी० सड़क को पक्की कराने के संबंध में,

16–इकौना खरगूपुर मार्ग पर पुल निर्माण के संबंध में,

17–विकास खण्ड विशेश्वरगंज में ग्राम निगोह के पास विसुहीनाला पर पुल निर्माण के संबंध में,

18–विधान सभा क्षेत्र इकौना में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन ग्रामों को विद्युतीकरण करने के संबंध में,

19–विधान सभा क्षेत्र इकौना में जिन ग्रामों में प्रा० पा० भवन नहीं है वहां भवन निर्माण के संबंध में,

20–प्रत्येक प्रा० पा० में कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में,

21–सिंचाई हेतु खोदी गयी सरयू नहर को चालू करने के संबंध में,

22–पक्की सड़क सीताद्वार तक की सड़क लेपन कराने के संबंध में,

23–जनपद बहराइच में अराजकतत्वों द्वारा जंगल की लकड़ी को अवैध ढंग से कटान को रोकने के संबंध में,

24–उ० प्र० अनुसूचित जाति (गोड़) के व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र तथा सरकार द्वारा सुविधाओं को न देने वाले कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में,

25–इकौना लक्ष्मनपुर मार्ग पर मझव्वासुमाल वि०ख० इकौना के राप्ती नदी मकरा घाट पर पुल निर्माण के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
21	श्री अजय कुमार पोइया	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–गोवर्धन गिरिराज महराज जनपद मथुरा परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत योजना को सम्पूर्ण आवंटित धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में दे दिये जाने के संबंध में, 2–"मानसी गंगा" गोवर्धन स्थित को सर्कुलर सिस्टम के माध्यम से दूषित जल निकाले जाने तथा "मानसी गंगा" का जल चरणामृत हेतु योग्य बनाये जाने के संबंध में, 3–गोवर्धन क्षेत्र में खारी पानी की समस्या के हल हेतु पेयजल एवं सिंचाई नलकूप की स्थापना जतीपुरा एवं महोली में भयंकर पेयजल की समस्या के हल किये जाने के संबंध में, 4–अपर कैनाल एवं लोवर कैनाल आगरा के द्वारा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में, 5–गोवर्धन एवं फरह ब्लाक में बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग धन्धों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में, 6–फरह, मथुरा, गोवर्धन ब्लाक को विकास की दृष्टि से अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 7–फरखम, फरह ब्लाक, बसौती ब्लाक में चीनी मिल की स्थापना के संबंध में, 8–मथुरा जनपद में गोधन की रक्षा हेतु हाटो से निकासी तथा पशुवधशालाओं हेतु जाने पर रोक लगाये जाने के संबंध में, 9–गोवर्धन एवं फरह कस्बों में महाविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, 10–मथुरा को यमुना जल के प्रदूषण से मुक्त किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–मथुरा ब्लाक के कोनई गांव के लोअर कैनाल के राधाकुण्ड से पूर्व पुल को जो विगत वर्षों से क्षतिग्रस्त है के निर्माण के संबंध में,
		12–गोवर्धन में 30 शैय्याओं के राजकीय अस्पताल का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		13–लोअर कैनाल आगरा के वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय की मथुरा में स्थापना के संबंध में,
		14–फरह ब्लाक, गोवर्धन ब्लाक मथुरा की मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़कों को स्वीकृत करके प्रारम्भ कर दिये जाने के संबंध में,
		15–गोवर्धन एवं फरह कस्बा में रंग मंच की दृष्टि से सभागार की स्थापना के संबंध में।
		16–सूरस्थली पारासोली में गायों की रक्षा हेतु सरकारी अस्पताल की स्थापना के संबंध में,
		17–अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के लिए रिक्तियों की विशेष योजना के अन्तर्गत निश्चित अवधि 6 माह में पूर्ति दिये जाने के संबंध में,
		18–प्रदेश में बेरोजगार कार्यालयों के अन्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवकों/युवतियों को 400 रु० प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिये जाने के संबंध में,
		19–अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जाति के क्षेत्रों से ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर महापरिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को सरकारी सेवा में मान्य किये जाने तथा प्रवेश, छात्रवृत्ति में राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दिये जाने के संबंध में,
		20–विधवा, वृद्धा विकलांग को शासन द्वारा मिलने वाली धनराशि वर्तमान से 200 रु० की वृद्धि किये जाने के संबंध में,
		21–अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में सक्षम न्यायालय में अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं की नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

22–मथुरा जनपद के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोअर कैनाल आगरा एवं अपर कैनाल आगरा द्वारा अभी तक टेल तक पानी न पहुंचाने वाले अधिकारियों को दण्डित करके भरऊ पानी उपलब्ध क़राये जाने के संबंध में,

23–अपर कैनाल आगरा सिंचाई विभाग द्वारा पलसो माइनर कोसी रजवाह द्वारा जतीपुरा सुरभिकुण्ड तक एवं जुल्हेंदी एवं कोनई माइनर की टेल तक पानी हर हालत में वर्तमान में सिंचाई की आवश्यकता के अनुरूप पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

24–रसूलपुर माइनर लोअर कैनाल आगरा के लालपुर माइनर से जोड़ कर पानी टेल तक पहुंचाये जाने के संबंध में,

25–फरह ब्लाक के सेरसा पीलुआ सादिकपुर, माल छड़गांव तक कोह मिर्जापुर किरारई शहजादपुर से आल, परखम मार्ग, परखम से थिरावली, फरह से गढ़ाया लतीफपुर, अम्बेडकर नगर, बरारी से आवला सुल्तानपुर, अड़ूकी से नवादा एवं अड़ूकी से मथुरा, भरतपुर मार्ग कोथरा से बछगांव, बरारी से धाना समसाबाद, धाना समसाबाद से धर्मपुरा पर डावर प्रिन्ट जोधपुर से अछनेरा कीथम मार्ग, मेधपुर से पींगरी एवं पीगरी के शेष भाग पर डावर प्रिन्ट चुरमुरा पोरी से आजादपुर से सड़क निर्माण नगला बंजारा से मखदूम से फरह तक, तोष से मोरा, फेचुरी से बाजना, अहमल से शीशराम, जतीपुरा से गाठोली तक, बरारी से बलरई, झण्डीपुर मार्ग का निर्माण पलसो से मुडसेरस, जानू से भेलम, मुडसेरस से सलेम तक, दोसेरस से मुडसेरस तक, भवनपुरा से जमुनावता मालई से गोवर्धन, मथुरा रोड, मुखराई से अडींग, नेनू से जंगली, जचौंदा से माधुरीकुण्ड, सतोहा से जुनसुटी, सतोहा से नगलाबोरा तक, चौकीपुरा से लुहारा हरीपुरा राधा कुण्ड गोवर्धन मार्ग पेठा से नगला देवीया, नगला पहलवारीया को राधाकुण्ड छटीकरा मार्ग, दतिया से मोरा मार्ग पर सकना, मोली से मासूमनगर, धनगांव से तारसी, झुडावई से बरौदा मार्ग पर नगला हरिया, फरह, अछनेरा मार्ग पर वाकलपुर तक, झुड़ावई, बरौदा मार्ग पर नगला सोनपाल, शाहपुर से झण्डीपुर, झुडावई से बरौदा मार्ग पर किरारई, बिरौना से भदेरुआ,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

रसूलपुर से छपरा, गढ़ी तिरखा से बरौदा, झुडावई क्रासिंग तक, भगोसा से नीमगांव सौख रोड से मंसा टीला, सोख मथुरा रोड से हकीमपुर, गोवार्धन सौखरोड से तकिया, कोसी खुर्द से सेया, मथुरा जिखनगांव से रामनगर, राधाकुण्ड, मथुरा रोड से जुल्हेंदी तक डामर सड़क का निर्माण विशेष अनुदान शासन द्वारा देकर पूर्ण करा दिये जाने के संबंध में,

25(अ)–गोवर्धन ब्राम्हणान में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं की जांच किये वगैर चकबन्दी को अन्तिम रूप नहीं दिये जाने तथा चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं की जांच विशेष दल के द्वारा करायी जाने तथा ग्राम समाज एवं पशुचर की भूमि को एक जगह एकत्रित कर अनु० जाति एवं अन्य पार्क स्थल , खेलकूद के मैदान हेतु आवंटित किये जाने के संबंध में,

26–गोवर्धन में यात्रियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए कस्बा के बाहर बाईपास रोड निकाले जाने के संबंध में,

27–गोवर्धन कस्बे में पूर्व के स्वीकृत डिपो की स्थापना के संबंध में,

28–गोवर्धन में प्रवेश पर पूर्व की भांति यात्रा कर समाप्ति के सम्बन्ध में,

29–आगरा से परखम ओल सौख होती हुई उ० प्र० परिवहन निगम की बसें गोवर्धन तक चलाये जाने के संबंध में,

30–गोवर्धन फरह कस्बे में सीवर लाइन डलवाए जाने के संबंध में,

31–सामूहिक पेयजल योजना के अन्तर्गत बनी पेयजल टंकियों को सुचारु रूप से स्थापित कर पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

32–मथुरा जनपद में सुयोग्य पुलिस कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी वाले पद सौंपे जाने के संबंध में,

33–लोअर केनाल आगरा के भूरिया, भदार, लालपुर पर बार-बार टूटने पर हुई क्षति का किसानों को क्षतिपूर्ति कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		34–थाना फरह के अन्तर्गत नगलामियां में डकैतों का मुकाबला करते हुए शहीद हुआ रामबाबू को 10 लाख रुपये का पुरस्कार दिये जाने तथा पत्नी एवं मां को पेंशन दिये जाने के संबंध में,
		35–फरह बस स्टैण्ड परिवहन निगम पर समस्त बसों, के डिपो के अन्दर रोके जाने के संबंध में,
		36–गोवर्धन मथुरा मार्ग पर जमुनावता मार्ग पर बसों का स्टाप बनाये जाने के संबंध में,
		37–मथुरा से बन्द पड़ी ओल की बसे चालू किये जाने के संबंध में,
		38–गोवर्धन, जतीपुरा, आन्योर में सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर सौन्दर्यीकरण करा दिये जाने के संबंध में,
		39–मथुरा जनपद एवं प्रदेश की समस्त पंचायत, नगर परिषद् एवं महा परिषद् के समस्त कर्मचारियों का पूर्व से वर्तमान तक के वेतन का भुगतान कर दिये जाने के संबंध में,
		40–मथुरा जनपद के बृज क्षेत्र के महत्व को देखते हुये होलिकोत्सव मनाने की दृष्टि से नन्द गांव, बरसाना बल्देव श्री कृष्ण जन्म भूमि मुखराई आदि-आदि स्थानों पर विशेष अनुदान की राशि से कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में,
		41–मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि पर से पुलिस कर्मियों को हटाए जाने के संबंध में,
		42–मथुरा जनपद में गर्मी से पूर्व समस्त ग्रामों में तालाब तथा पोखर पानी से भरवाकर पीने के पानी की व्यवस्था तत्काल किये जाने के संबंध में,
		43–मथुरा जनपद की सहकारी समिति धनगांव मथुरा में फर्जी ऋण आदि की शिकायतों की जांच तथा दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित किये जाने के संबंध में,
		44–मथुरा जनपद मे प्रस्तावित योजनाओं में की गयी धनराशि में पिछले वर्ष की कटौती तथा गोवर्धन क्षेत्र का विकास जाने के संबंध में,
		45–धनगांव में विद्युत सब स्टेशन को चालू कर दिये जाने के संबंध में,
		46–सौख में विद्युत सब स्टेशन को शीघ्र चालू कर दिये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		47–मथुरा जनपद में सांयकाल 5 बजे से विद्युत वितरण नियमित किये जाने तथा कटौती से मुक्त कर दिये जाने के संबंध में,
		48–मथुरा जनपद में सन्त रविदास शोध संस्थान की स्थापना के संबंध में,
		49–अनु० जाति वर्ग पर अत्याचार की रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराने के संबंध में ,
		50–मथुरा जनपद में हथियारों के लाइसेंस बिना किसी भेदभाव के, बिना बचत पत्र की धनराशि के लाइसेंस देने एवं वहां के छात्रावास केन्द्रीय सुरक्षा बलों से मुक्त करा कर महिलाओं को सौंप दिया जायेगा,
		51–साक्षात्कार में अनु० जाति के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय अनु० जाति का मंत्री बिठाया जायेगा,
		52–अनु० जाति के कल्याण से संबंधित बैठक विशेष प्रत्येक मास आयोजित किये जाने के संबंध में,
		53–अनु० जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश लखनऊ की शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण पर अनुदान एवं मार्जिनमनी में अनियमितताओं की जांच तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किये जाने के संबंध में,
		54–अनु० जाति एवं जनजाति के छात्रों, छात्राओं की छात्रवृत्ति धनराशि में 300 रुपये की वृद्धि कर दिये जाने के संबंध में,
		55–विधवा पेंशन की पात्र महिलाओं की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में,
		56–समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं पर अनुदान की धनराशि का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में,
		57–मथुरा रिफाईनरी द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण फैलाये जाने पर रोक के साथ कल्याण कारी धनराशि फरह गोवर्धन मथुरा ब्लाक में ही खर्च किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		58–विधायकों को एक-एक टाइपिस्ट दिये जाने के संबंध में,
		59–बरारी, फरह, रैपुराजाट, परखम कस्बों की सड़कों को ऊंचा कर नालियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,
		60–गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये विशेष अनुदान दिये जाने के संबंध में,
		61–त्योहारों पर प्रति राशन कार्ड 10 कि० ग्रा० अतिरिक्त चीनी का वितरण किये जाने के संबंध में,
		62–रमजान के समय बिजली पानी एवं सफाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी,
		63–समस्त विधायकों को शेडो के साथ गनर की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,
		64–ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को शहरी क्षेत्र के नागरिकों के समान राशन कार्ड पर चीनी मिट्टी का तेल आदि सामान समान रूप से वितरित किये जाने के संबंध में,
		65–पश्चिमी उ० प्र० आगरा में हाई कोर्ट बेन्च की स्थापना के संबंध में,
		66–बृज क्षेत्र की धरोहरी की सुरक्षा हेतु कदम उठाये जाने के संबंध में,
		67–मथुरा जनपद में बौद्धकालीन प्रतिमाओं की तस्करी रोके जाने हेतु व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
		68–मथुरा नगर से पशु बधशाला हटाये जाने के संबंध में,
		69–मथुरा नगर स्थित डीगगेट अम्बेडकर पार्क को उसी के अनुरूप क्षेत्रफल में विकसित कर दिये जाने के संबंध में,
		70–गोवर्धन क्षेत्र में अडीग, मलिकपुर में कमल कुण्डों की सुरक्षा के संबंध में,
		71–गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में, प्रत्येक ग्राम में हैण्ड पम्प के साथ हर प्राथमिक विद्यालय में इण्डियन मार्का हैण्ड पम्प–2 लगवाये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		72–गोवर्धन मुडिया पूर्णिमा पर्व को कुम्भ पर्व की तरह पौराणिक एवं एतिहासिक महत्व को देखते हुये सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 73–समस्त गोवर्धन विधान सभा क्षेत्रों के ग्राम को विद्युतीकरण कर दिये जाने के संबंध में, 74–समस्त सामूहिक पेयजल योजना के तहत 20/–वसूली की समाप्त कर दिये जाने के संबंध में, 75–जीर्ण-शीर्ण धार्मिक स्थानों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के संबंध में, 76–चौकी सौख एवं चौकी ओल को पूर्ण थाने का दर्जा दिये जाने के संबंध में, 77–शहर मथुरा में थाना कोतवाली क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पलायन को रोक कर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मनोहरपुरा में पी० ए० सी० की चौकी कायम कर दिये जाने के संबंध में । "
22	श्री राम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–धरमपुर से कसेरा मार्ग में तथा खरिकवारी से त्रिलोकपुर मार्ग में व भूड़ा खेड़ा से नगला विधि मार्ग में नीम नदी पड़ती है बरसात में बाढ़ भयंकर रूप ले लेती है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । अतः तीनों मार्गों पर जनहित में पुलों को स्वीकृत कराने के संबंध में, 2–धरमपुर से वेलौन के लिये कच्चा मार्ग है जो कि नरौरा के लिये मिलाता है, इस मार्ग में तीन कि० मी० में कच्चा है अतः जनहित में डामर कराने तथा खरिवारी–वेलौन मार्ग कच्चा है, को चार कि० मी० डामर कराने के संबंध में, 3–विधान सभा डिबाई के ब्लाक दानपुर में धरमपुर स्टेशन से रहीमकोट व रहीमकोट से डिरौरा विश्वनाथपुर व

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

डिरौरा विश्वनाथपुर से दीवलाखेड़ा व गोविन्दपुर चौकी से डिरौरा विश्वनाथपुर कच्चा मार्ग है, जनहित में पक्का कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

4–विधान सभा क्षेत्र डिवाई में बाघौर, रवला, नगला छत्तू, अकरवास अकबरपुर, शेखूपुर के कच्चा मार्ग जाता है, इसी प्रकार अनूपशहर अलीगढ़ रोड से शेखूपुर, हुसैनपुरा, दीवला खेरा, अतरौली रेलवे स्टेशन तक कच्चा मार्ग जाता है, जनहित में पक्के कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

5–दानपुर से धरमपुर मार्ग पर पत्थर पड़ा हुआ है, इसे डामर से लेप कराने की स्वीकृति तथा दानपुर से पहासू मार्ग पर पत्थर पड़ा है, जनहित में डामर से लेप कराने के संबंध में,

6–डिवाई बुलन्दशहर रोड से औरंगाबाद तथा जगदीशपुर मार्ग कच्चा है, जनहित में दोनों मार्गों को डामर से लेप कराने के संबंध में,

7–केलौन से जरगवां तक पत्थर पड़ा है, जनहित में डामर से लेप कराने के संबंध में,

8–डिवाई नरौरा रोड से कादरी बाग से सतोहा, करन सिंहपुर दौगवां, गंगापुर, बिलौनारूप, बदरपुर, राजघाट, नया बांस कच्चा मार्ग पड़ा है जनहित में डामर से लेप कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

9–डिवाई–कर्णवास रोड से खुमरुआ तक कच्चा मार्ग है तथा चरौरी रानी कत्यानी व खुशलावाद वाद 1 कि० मी० कच्चा मार्ग है इनको पक्का कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

10–अलीगढ़–रामघाट रोड से अनूपशहर ब्रांच की पटरी ऊंचा गांव बांगर तक पक्की कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

11–बड़रखा से चौढ़ेरा तक कच्चा मार्ग है जनहित में पक्का कराने के लिये स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

12–डामर पक्की रोडों से 500 मीटर के कच्चे मार्ग हैं जो कि निम्नलिखित गांवों को जोड़ते हैं :–

1–सिलहारी 2–विलौना रूप 3–बदरपुर 4–नयावास 5–पलाकसेर 6–तुलसीगढ़ी 7–दिलखना 8–लच्छिमपुर 9–ऐदलपुर 10–नगला सेंद 11–जरैना 12–भमरुआ 13–मुजफ्फरपुर उर्फ वामनी 14–पोखरपुर 15–रानी वाला 16–फतहगढ़ 17–बाद 18–भैयापुर 19–कुमरपुर 20–कीरतपुर 21–रूसी सालावाद तथा 22–मुहम्मदीनपुर को पक्का डामर कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

13–अनूपशहर अलीगढ़ रोड से बन्नैर शरीफ को पक्का मार्ग जाता है बन्नेर शरीफ से विकूपुर तक कच्चा मार्ग है, जनहित में पक्का कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

14–विधान सभा क्षेत्र डिबाई लच्छिमपुर राजवाहा पर केलौन से विजय नगलिया के लिये डामर रोड स्वीकृति कराने की कृपा करें । तथा लालनेर रोड पर पत्थर पड़ा है डेढ़ किलोमीटर पेंटिंग स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

15–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में नरौरा डिपो से रामघाट से रामपुर वेलौन, बुलन्दशहर तथा धर्मपुर से बुलन्दशहर और डिबाई से बुलन्दशहर 15 लोकल बसें चलवाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

16–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में नरौरा डिपो में बहुत ही कम बसें हैं कृपया 25 बसों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

17–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में राजकीय अस्पतालों का बहुत ही अभाव है जनहित में 1–अहमदगढ़ 2–लाल नेर ब्लाक पासू 1–शेरपुर (धरमपुर स्टेशन) 2–दौलतपुर, दीवला खेड़ा, रहीमकोट ब्लाक दानपुर व जरगवां, सतोहा, रतनपुर ब्लाक डिबाई में राजकीय अस्पताल खोलने के संबंध में,

18–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में पशु अस्पताल, विलौनारूप, रामघाट, शेखूपुर कसेरकलां, जगदीशपुर, लालनेर में खुलवाने के संबंध में,

19–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में 33 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन जनहित में धरमपुर शेखूपुर, कसेरकलां, कुंवरपुर में स्थापित करने के संबंध में,

20–विधान सभा क्षेत्र डिबाई नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये एक छात्रावास निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

21–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में शहदवां–रहीमकोट, प्रकाशपुर–दानपुर में ग्राम समाज की ऊसर भूमि बेकार पड़ी है, ऐसी भूमि पर उद्योग धन्धे स्थापित किये जाने के संबंध में,

22–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में रहीमकोट शहदवां के ऊसर भूमि में एक गन्ना फैक्ट्री लगवाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

23–विधान सभा क्षेत्र डिबाई में क्रीड़ा स्थल धरपुर क्षेत्र में निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

24–नरौरा को पर्यटक क्षेत्र बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में,

25–बडरखा से चौढेरा तक कच्चा मार्ग को जनहित में पक्का कराने के लिये स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।''

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
23	श्री उदयभान सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–आगरा बैराज का सकारात्मक विचार उसके लिये बजट का प्राविधान किये जाने के संबंध में,

2–आगरा में विकास प्राधिकरण द्वारा झुग्गी-झोपड़ी एवं मध्यम श्रेणी की कालोनियों के निवासियों से अनियमित तरीके से धन बटोरा जा रहा है, इस कार्यवाही को रोकने और समस्या के सकारात्मक निदान के सम्बन्ध में,

3–आगरा बरौली अहीर ब्लाक में प्रस्तावित महाराणा प्रताप महाविद्यालय और रानी अवन्ती बाई कन्या महाविद्यालय सरकार द्वारा खोलने के संबंधी में,

4–आगरा जिला में सरकार द्वारा बाईस ग्राम सभाओं को विद्युतीकरण हेतु चयनित होने की स्वीकृति होने के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में,

5–बरौली अहीर ब्लाक में कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये किसी योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में,

6–आगरा मेडिकल कालेज, आगरा में बेसहारा गरीब लोगों को निःशुल्क दवा, इलाज की अन्य सुविधा और कैट स्केन की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क शुरू करने, प्राइवेट वार्ड की जर्जर अवस्था को सुधारने वरिष्ठ मेडिकल कालेज शिक्षकों को नियमित वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति करने और वर्षों से खाली पड़े नर्सों और कर्मचारियों के पदों को भरने की कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में,

7–ग्राम धाधूपुरा में राष्ट्रीय कवि सत्य नारायन की जन्म स्थली पर उनका स्मारक बनाने एवं ताजमहल के चारों ओर गांवों के सभी प्रकार की सुविधा देकर आदर्श गांव बनाकर पर्यटक संबंधी सुविधा देने के सम्बन्ध में,

8–आगरा जिले को पर्यटक जिले के रूप में स्थान देने की योजना बनाने, होटल मैनेजमेंट एवं पर्यटक मार्ग दर्शक (गाइड) संबंधी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय शिक्षकों को लम्बे अन्तराल से वेतन न मिलने एवं भविष्य में उनके वेतन के नियमित भुगतान के संबंध में । 10–सेवा निवृत्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय प्राथमिक व शिक्षकों की नियमित पेंशन भुगतान की कोई व्यवस्था सरकारी कोषागार से करने की घोषणा करने के बाद भी अभी तक नियमित भुगतान की कोई पक्की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में, 11–चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, अकोला, आगरा को पचास लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।"
24	श्री छोटे लाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दियां जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–फतेहाबाद तहसील में अवन्तीबाई कन्या महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, 2–फतेहाबाद तहसील में पेयजल के गम्भीर संकट से निपटने के लिये पेयजल योजना के सम्बन्ध में, 3–फतेहाबाद–फिरोजाबाद मार्ग पर यमुना नदी के ऊपर ऐसे सेतु का निर्माण जो तीन प्रदेश–उत्तर प्रदेश–राजस्थान–मध्य प्रदेश को जोड़ेगा के सम्बन्ध में, 4–फतेहाबाद में विद्युत आपूर्ति की गम्भीर समस्या से निपटने के उद्देश्य से 132 के० वी० विद्युत सब स्टेशन बनाने की प्रतीक्षित योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में, 5–आगरा जनपद में यमुना बैराज बनाने संबंधी घोषणा को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में, 6–आगरा जनपद में पड़ी गंजी सड़कों पर कब लेपन कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में, 7–आगरा जनपद के फतेहाबाद तहसील के अन्तर्गत नहरों को अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु नहरों को चौड़ा कर उनकी क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8–फतेहाबाद तहसील में यमुना और उटंगन नदी के बीच जंगलों में रहने वाले हजारों किसान और मजदूरों के जीविकोपार्जन और उनकी आर्थिक दशा को सुधारने संबंधी योजना के सम्बन्ध में, 9–फतेहाबाद के तमाम बेरोजगारों गरीब किसानों, नौजवानों और मजदूरों के लिये रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 10–शमशाबाद नगरपालिका फतेहाबाद टाउन एरिया में जनता के लिये सुलभ शौचालय, सफाई की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में, 11–आगरा जिला में 1500 की आबादी वाले अनेक गांव में विद्युतीकरण का विकासोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में ।"
24 (क)	श्री राम आसरे वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया है कि यह सरकार द्वारा प्रस्तुत सत्य से परे विवरण का एक पुलिन्दा है ।"
25	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–राज्य के सन्तुलित विकास के लिये पूर्वी उ० प्र० के पिछड़े जिलों के समुचित विकास हेतु सड़क, पेयजल, शिक्षा, आवास हेतु विशेष योजना बनायी जायेगी, 2–बढ़ते हुए शहरों सीमा से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये नगर तथा गांव की सीमा पर गन्दे पानी की निकासी पर ध्यान दिया जायेगा, बनारस से काशी विद्यापीठ ब्लाक तथा कैण्ट के सीमा पर बरसाती तथा गन्दे पानी के जमाव के निकासी का स्थायी हल निकाला जाना, 3–वायु पर्यावरण हेतु केवल जंगलों की सुरक्षा ही नहीं, ऐसे सभी जगहों जहां चौड़े बाई पास निकाले जा रहे हैं सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण तथा उनके सवर्धन की व्यवस्था की जायेगी, 4–बड़े उद्योगों से संबंधित झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पर तथा उसमें रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिये स्वास्थ्यप्रद आवास की योजना बनायी जायेगी,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5–महानगरों के स्टेशनों पर रहने वाले आवास सुविधा हीन तथा रोजगार विहीन लोगों के लिये आवास व रोजगार उपलब्ध: कराने की व्यवस्था की जायेगी और सुयोग्य नागरिक बनाने के लिये उनके बच्चों के लिये कल्याणकारी योजनाये बनाई जायेंगी,
		6–समाज की उपेक्षित महिलाओं काशी विद्यापीठ ब्लाक के लालबत्ती क्षेत्र के महिलाओं व उनके बच्चों के कल्याण के लिये स्कूल तथा रोजगार के साधन मुहैया कराये जायेंगे,
		7–यातायात को सुलभ करने के लिये कई किलोमीटर पथयात्रा से बचाने हेतु काशी विद्यापीठ ब्लाक के करसड़ा गांव को एक सेतु द्वारा मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र से जोड़ा जायेगा,
		8–नगरों के वे सड़क जो अन्धेरा रहने के कारण छिनौती, डकैती, अपहरण के अड्डा बन गये हैं तथा चितईपुर, आदित्यनगर, बी० एच० यू० रोड तथा लहरतारा पुल के नीचे के क्षेत्र में विद्युतीकरण की व्यवस्था की जायेगी ।"
26	श्री जमुना प्रसाद मिश्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–विधान सभा अमेठी के अन्तर्गत जिरहा (बड़ागांव) विद्युत पावर स्टेशन को चालू किये जाने के संबंध में,
		2–अमेठी विधान सभा क्षेत्र के पुरवों जैसे शुक्लन का पुरवा (डेहरा) पटखापुर आम पोखर, विश्वनाथ पाण्डेय का पुरवा, मजरे गोरखापुर तालुकदार का पुरवा, बरदहिया, खेदा, शुक्लन का पुरवा, रामा चौराहा का पुरवा, धरौली पूरे पण्डित मजरे, कंसापुर, केशवपुर मिश्रौली बड़ागांव जरोटा, अंतीपुर, जोगापुर, अकेला नरैनी चतुरभुजपुर, सिलोखर, सुक्खा का पुरवा, जोगापुर, सैठातिराहा (कब्जा) वियासिया, दया का पुरवा, मोचवा, श्री रामपुर, तेलियानी, सेदापुर (नुगवा) मठिया मजरे, भीमी, भीमी मौजी का पुरवा, कुडवा, ईश्वरपुर, मजरे मडरिका, कडहर, लहना, पूरे कली, गुसालपुर, रतापुर, वासुदेय त्रिलोकपुर, राम चन्द्रपुर, शुक्लहिया, मजरे. भेमई, बीलतापुर, पितम्बरपुर, पवारे, पटखौली, अमराही के विद्युतीकरण की योजना को पूरा करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

3–मवइया से सोनारी–अगेसर तक पिच मार्ग का टेगा से डागेसर तक खड़ंजा मार्ग, टेगा से बासुदेव पुर तक खड़ंजा मार्ग, भिसुन्डी से भागीपुर तक खड़न्जा मार्ग, रामगंज रेलवे स्टेशन के बाद से खरगीपुर तक पिच रोड, पीपरपुर से लहना व मोचवा तक पिच रोड, कल्याणपुर से मोजवा तक पिच रोड, भादर नाई रोड से गैरिकपुर होते हुए हीरापुर, हारीपुर पिच रोड, भोजपुर से भेवई होते हुए बरिभार शाह तक खड़न्जा मार्ग, पीपरपुर कल्याणपुर रोड से रेवड़ा को खड़न्जा मार्ग, नहर से मठिया होते हुए गगहुआ व गगहुआ से पिच रोड जोड़ने हेतु खड़ंजा मार्ग, हारीपुर से घटहौर, मई टिकावर तक पिच रोड, अमये माफी-टीकर माफी तक पिच रोड, बसुवापुर से कल्याणपुर तक नहर (गोपालपुर) माईनर को पिच रोड, पश्चिम द्वारा घाटमपुर, पूरबद्वारा व गोवर्धनपुर को पिच रोड से जोड़ने हेतु पक्का मार्ग, अमेठी विधान सभा क्षेत्र में जामों-भादर रोड को पिच रोड, टीकर माफी से बालीपुर को जामों भादर रोड को पक्का मार्ग, टीकर माठी से गंगा मिश्र का पुरवा तक पिच रोड, टीकर पाफी से चडरिया तक पिच रोड, गुंगवाछ से ठेगहा तक खड़न्जा को पिच रोड, अथकिला से मिश्रौली तक नहर रोड को पिच रोड, बरामासी चौराहे से रामगढ़ तक नहर रोड को पिच रोड, मिश्रौली बड़गांव से सहजीपुर तक नहर रोड को पिच रोड, धनापुर से मौजी के पुरवा तक खड़न्जा रोड, पूरे सीतल तिराहे से भगवानपुर को पिच रोड से जोड़ने हेतु मार्ग, ठेगहा शुक्लपुर से पतापुर होते हुए अमेठी से संग्रामपुर के पिच रोड, तिवारीपुर से टीकर माफी तक पिच रोड, नवगिरवा से अरसहनी तक पिच रोड, परतोष से मई तक खड़न्जा मार्ग, सेमरा से मौजी का पुरवा होते हुए नहर तक खड़न्जा मार्ग, ककवा से कोहरा-महमूदपुर तक पिच मार्ग, अर्जुन प्रसाद चौबे की आरा मशीन से कोहरा तक पिच रोड, बियसिया से हनुमान गढ़ी तक नहर की पटरी व सड़क को पिच रोड, भड़रिक को पिच रोड से जोड़े जाने हेतु मार्ग, अमेठी मुसाफिर खाना रोड से कनकसिंहपुर, दूबेपुर, कोरानी विद्यालय तक पिच रोड, भगनपुर से रामनगर, बेनीपुर, भेटुआ तक नहर रोड को पिच रोड जंगलराम नगर की नहर से बादापुर, रामदैपुर को सुल्तानपुर की पिच रोड जोड़ने के लिये मार्ग, भगवती की गुमटी से रणधीरनगर वारामाधी चौराहे से पिच रोड, रणधीर नगर से रामनगर को पिच रोड को जोड़ने हेतु मार्ग, गोपालपुर गांव को अमेठी सुल्तानपुर पिच रोड से जोड़ने हेतु मार्ग, मधुपुर विश्वेश्वरगंज मार्ग पर खड़न्जा मार्ग चौराहे से शारदा पिच रोड से

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		जोड़ने हेतु मार्ग, पुनपुर-शीतलागंज चौराहे से रामा चौराहा के पुरवा तक पिच रोड, शीतला बक्श के पुरवा से केशापुर को पिच रोड से जोड़ने हेतु मार्ग, कंसापुर, मधुपुर खदरी को पिच रोड से जोड़ने । 3–जयरामपुर-उत्तरगांव खड़न्जा रोड, जरौठा से उथरगांव–अवन्तिपुर होते हुए रायदेवपुर तक पिच रोड, उत्तरगांव–ईश्वरपुर-पूरे दयाल तक खड़न्जा रोड, महराजपुर से नरैनी होते हुए अकेला तक पिच रोड तथा ग्राम पवारे को पिच रोड से जोड़ने हेतु मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में, 4–अमेठी ब्लाक में सुल्तानपुर-पूरबगांव के बीच पैगाड़ेन पर पुल रामगढ़-डेहरा के बीच में उक्त ड्रेन पर पुल सोनारी कला के आगे अन्तू जाने हेतु पुल, जरौटा ग्राम में नालेपुर पुल मकोहिया (सोनारी) में साइफन मिश्रौली बड़गांव में नहर पर पुल तथा भदाव में नहर पुल के निर्माण के संबंध में । 5–लहना में जू० हा० स्कूल भावलपुर में बालिका जू० हा० स्कूल तथा विशेसरगंज में बालिका हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में । 6–भावलपुर जल निगम पर जनरेटर की व्यवस्था, भावलपुर जहरिया जोगापुर खापुर, बनबीरपुर, बरसुईया, चौराहा, भावापुर, रतापुर, शुकुलपुरठगहा, लहना मवई भादर, कल्याणपुर टीकरमाफी, पुनपुर सोनारी चौराहा, केशवपुर नुआवा अमटाही, मुन्शीपुर नोगिरवा, हीरापुर आदि स्थानों पर पेयजल संकट हल करने हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप की व्यवस्था के संबंध में । 7–अमेठी में उद्योग की स्थापना करने के सम्बन्ध में । 8–भादर में डिग्री कालेज खोलने के संबंध में ।"
27	श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–देवरिया जनपद में छोटी गण्डक पर गौरैयाघाट के पुल का पक्का निर्माण कराने एवं कमधनेवा तथा कैथवलिया में पीपे का पुल बनाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–बरियापुर एवं रामपुर कारखाना में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराकर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को भरपूर विद्युत सुलभ कराने के संबंध में,

3–देवरिया मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में बी० काम० एवं एम० काम कक्षायें चलाये जाने की घोषणा करने के बारे में,

4–पड़री मल्ल से पिपरपाती-गोवराई-पोखरभिण्डा तक नहर की पटरियों, रणछोरकुटी से पिपरहिया तक बन्धों की सीलिंग कराने एवं अहरौली से कैथवलिया तक नहर की पटरियों की सीलिंग कराकर आवागमन हेतु मार्ग प्रदान करने के संबंध में,

5–किसानों को उर्वरक, डीजल, कीटनाशक दवायें एवं कृषि यन्त्रों को भरपूर मात्रा में सुलभ कराने के संबंध में,

6–कठिहिया-बेलोन सड़क को बरहज तक, अगस्तवार-धमपुर परशुराम-फुलवरिया करने, पिपरा चन्द्रभान-बैराज, गौरा-सिधुआ-विशुनपुर कलां, मुड़ेरौ-अहिल्यापुर-मठिया चौराहा तक परसिया मिश्र-असना मार्ग परिसिया मिश्र-मझवलिया-गड़ेर सड़क पिच करने के संबंध में,

7–रामपुर कारखाना टाऊन एरिया एवं पथरदेवा में जल निमग द्वारा अर्द्धनिर्मित कार्यों को पूरा कराकर नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में,

8–देवरिया नगर में छोटे-छोटे गुमटी दुकानदारों को स्थाई रूप से बसाकर व्यापार कर अपनी जीविका चलाने हेतु दुकानों के निर्माण के संबंध में,

9–ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 10-10 वर्षों से अधूरे पड़े ग्रामों जैसे घटैला, गांजी, असना, हिरन्दापुर, सेमरहवां, जलपुरवा, पचौहा, रघवापुर, बनुआडीह, मुड़ेरालाला आदि ग्रामों का अविलम्ब विद्युतीकरण एवं देवरिया नगर के विभिन्न मुहल्लों, देवरिया खास, भुजौली, देवरिया रामनाथ, भटवलिया, सिन्धीमिल, रामगुलाम टोला, साकेतनगर एवं रामपुर कारखाना टाऊन एरिया में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाकर बिजली की अव्यवस्था दूर करने की घोषणा करने के संबंध में,

10–देवरिया जनपद एवं देवरिया नगर के प्रजापति वर्ग को कुम्हारी कला के संरक्षण एवं उद्योग हेतु जमीन आवंटित करने, निषादों को बालूघाट, गोड़ (कहार) को चूल्हे, नाईसंघ को देवरियानगर में नाईबाड़ा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

हेतु, कुशवाहा वर्ग हेतु सब्जीमण्डी के लिये भूमि आवंटित करने तथा धोबीघाट एवं श्मशान घाट की भूमि सुरक्षित करने के बारे में,

11–बिक्रीकर समाप्त करने, समस्त प्रकार के व्यापार उत्पीड़न करने वाले कानूनों में संशोधन करने, मण्डी शुल्क, श्रम, बांट-माप, ड्रग लाइसेंस, खाद्य विभाग, सैम्पुलिंग का लाइसेंस सरलतम बनाने एवं अनुपयोगी लाइसेन्सों को समाप्त करने के संबंध में,

12–गन्ना किसानों की सुविधा हेतु नई चीनी मिल लगाने, पुरानी मिलों का विस्तार एवं बकाये गन्ने का भुगतान ब्याज सहित अविलम्ब कराने के संबंध में,

13–देवरिया नगर में रेलवे क्रासिंग पर निर्मित हो रहे ओवरब्रिज प्रकाश सहित एवं घाघरा नदी के भागलपुर पुल के निर्माण को अविलम्ब पूरा करने के संबंध में,

14–देवरिया जनपद के समस्त राजकीय ट्यूबवेलों की नालियों के निर्माण, नहरों की पटरियों की सीलिंग कराकर किसानों की सिंचाई के लिये एवं आवागमन के लिये उपयोगी बनाने के सबंध में,

15–सोनू घाट में लगभग 65 एकड़ रक्षा विभाग द्वारा राडार के लिये अधिग्रहीत भूमि जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है उसे अधिग्रहण करने वाले किसानों को वापस करने की घोषणा करने के संबंध में,

16–महुआपाटन से धुरवा होते हुए पथरदेवा तक सड़क की पिच कर रोडवेज की बसें चलाने, देवरिया से करौन्दी एवं देवरिया-लाहिलपार, गौरयाघाट तक नियमित बस चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की घोषणा के संबंध में,

17–देवरिया नगर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नागरिकों को कम लागत पर निर्मित आवास बेरोजगारों को दुकान प्रदान करने के संबंध में,

18–देवरिया जनपद में स्थित समस्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित चलाने नये उप केन्द्रों का निर्माण, दवाओं की भरपूर व्यवस्था करने एवं अयोग्य कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण की घोषणा करने के संबंध में,

19–देवरिया जनपद में छोटे-छोटे सरकारी उद्योगों की स्थापना कर बेरोजगारी दूर करने के प्रयास की घोषण के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20–बैकुण्ठपुर-आमघाट होते हुए महुआनी चौराहे तक सड़क को पिच कराये जाने के संबंध में, 21–देवरिया जनपद में बढ़ रहे अपराधों की व्यापक रोकथाम करने, कोतवाली देवरिया में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पुलिस को आधुनिकतम शस्त्रों-वाहनों को सुलभ कराने के संबंध में, 22–देवरिया में विधवा, विकलांग, अनुसूचित छात्रवृत्ति एवं वृद्धावस्था पेंशन तत्काल प्रदान कर राहत देने के बारे में, 23–देवरिया जनपद में ऊसर, जलजमाव एवं बेकार भूमि को कृषि के लिये उपयोगी बनाने तथा नदियों के किनारे स्थित भूमि में फल सब्जी एवं खाद्यान्नों के उत्पादनों के लिये वृहत्त योजना बनाने के संबंध में, 24–समस्त नौजवानों की पढ़ाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, बेकार नौजवानों को भत्ता देने एवं साक्षात्कार हेतु निःशुल्क बस में यात्रा करने के बारे में, 25–दैवी आपदा/आगजनी/दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों के घर जलने, पशुओं/इन्सानों की मृत्यु होने पर सहायता राशि में बढ़ोत्तरी एवं 3 दिन के अन्दर फौरी सहायता देने के संबंध में।"
28	श्री शिवदानी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–विधान सभा क्षेत्र चायल के अनेक कस्बों में पेयजल की गम्भीर समस्या मुख्य रूप से गनौरी, चौराडीह व नेवादा बाजार में पानी की टंकी व वाटर वर्क्स की स्थापना करने के संबंध में, 2–विधान सभा क्षेत्र चायल के पिपरी बलीपुर टाटा मार्ग मूरतगंज पल्हाना मार्ग, हरदुआ खण्डदेवरा मार्ग, चाराडीह, शाका मार्ग हरदुआ खण्डेवरा मार्ग सरायअकिल बहुंगरा भगवानपुर मार्ग, पुरखास कटैया मार्ग भरवारी से मारुफपुर अबहा मार्ग, करारी रोड से मोली बिगहरा उस्मानपुर वाया पिपरहटा मार्ग नेवादा से दुर्गापुर मार्ग, सटई रहौनी मार्ग औधन मार्ग इत्यादि अर्ध निर्मित मार्गों को पक्का कराये जाने के संबंध में, 3–1993-94 व 94-95 में जिन-जिन ग्रामों में विद्युतीकरण प्रस्तावित हुआ है, अभी तक पूरा नहीं कराया गया, पूर्ण कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

4–चायल क्षेत्र के अन्तर्गत सरायअकिल स्थित नवीन प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत 30 बेड के स्वा० केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में,

5–चायल क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु एक स्टेडियम व बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल के निर्माण के संबंध में,

6–आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे ऋणों में बैंकों व उसके दलालों द्वारा कमीशन कटौती को रोकने के संबंध में,

7–गरीब, असहाय विधवाओं व विकलांगों को रुकी हुई पेंशन शीघ्र भुगतान कराये जाने के संबंध में,

8–चायल क्षेत्र में नेवादा, मूरतगंज, चायल विकास खण्डों में ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक-एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के संबंध में,

9–क्षेत्र के इब्राहीमपुर नौगिरा, बसुहरा व केवटपुरवा उर्फ मोहम्मदाबाद में सिंचाई नलकूप के निर्माण कराये जाने के संबंध में,

10–चायल क्षेत्र के भरवारी कस्बे एवं आस-पास की हो रही विद्युत कटौती को तत्काल प्रभाव से रोके जाने के संबंध में,

11–चायल क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु एक आई० टी० आई० केन्द्र की स्थापना के संबंध में जिससे ग्रामीण निर्धन जनता को लाभ मिल सके,

12–विधान सभा क्षेत्र चायल के प्रत्येक न्याय पंचायत के अन्तर्गत एक-एक लघु उद्योग की स्थापना कराये जाने ताकि नवयुवकों को अपने ग्राम में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके,

13–चायल क्षेत्र के भगवानपुर बहुगुरा, दुर्गापुर रहौनी, जलालपुर साना, सटई, इमिली गांव काजीपुर, परकरा, चौराडीह एवं क्षेत्र के जिन-जिन ग्रामों में विद्युतीकरण अधूरा है, पूर्ण कराये जाने के संबंध में,

14–चरवा में अर्द्ध निर्मित विद्युत उप संस्थान को 11 के० बी० ए० स्वीच वीयर व 5 एम० बी० ए० का ट्रान्सफारमर उपलब्ध कराकर संस्थान को शीघ्र चालू कराये जाने के संबंध में,

15–विधान सभा क्षेत्र चायल के प्रत्येक न्याय पंचायतों पर चिकित्सालय की स्थापना एवं डाक्टरों की नियुक्ति के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

16–राम कटैया में पड़ने वाली किलनहाई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में,

17–चायल क्षेत्र में पेयजल के संकट को दूर करने हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प स्थापित कराये जाने के संबंध में,

18–विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत निर्माण कराये जा रहे प्राथमिक एवं उच्च प्रा० विद्यालयों के कार्य को शीघ्र पूरा करा कर अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में,

19–स्वास्थ्य केन्द्रों पर कम्पाउण्डरों व स्टाफ नर्स के मनमाने एवं भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण को समाप्त कराने के संबंध में,

20–चायल क्षेत्र में ध्वस्त सभी प्रा० पाठशालाओं को पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में,

21–अपर जिलाधिकारी परियोजना इलाहाबाद द्वारा किये जा रहे भेदभाव पूर्ण रवैये को समाप्त कराने के एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सामान्य रूप से धनावंटन के संबंध में,

22–विधान सभा क्षेत्र चायल के अन्तर्गत प्रत्येक नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने एवं माइनरों में पानी पहुंचाने के संबंध में,

23–प्रत्येक नहरों की सफाई एवं उसकी पटरियों को आवागमन हेतु व्यवस्थित ढंग से निर्माण कराये जाने के संबंध में,

24–धोबी जाति (अनु० जाति) जिसका कपड़ा धोना मुख्य पेशा है उन्हें धुलाई हेतु दूर-दूर तक नाले तलाशने पड़ते हैं, उन्हें तालाबों का पट्टा एवं इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

25–कुम्हारों को मिट्टी निकालने हेतु ग्राम समाज की भूमि का पट्टा कराये जाने के संबंध में,

26–चायल क्षेत्र के मनौरी सराय आकिल व भरवारी नगर पंचायतों में व्याप्त भीषण गन्दगी व ध्वस्त मार्गों के पुनर्निर्माण एवं दोनों ओर पक्की नाली के निर्माण कराये जाने के संबंध में,

27–क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधानों को यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28– नगर पंचायत सराय अकिल के सचिव व अपर परगना मजिस्ट्रेट चायल की मिली भगत से डेढ़ लाख रुपया के गबन की जांच कराये जाने एवं रिकवरी के संबंध में, 29–सभी लिंक मार्गों को मण्डी परिषद् द्वारा पूर्ण कराये जाने के संबंध में, 30–चायल क्षेत्र के अन्तर्गत एक भी डिग्री कालेज नहीं है, क्षेत्र के निर्धन परिवारों से जुड़े बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु शहर जाना पड़ता है, जो धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो पाता, जिसके निराकरण हेतु डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में, 31–चायल क्षेत्र के सरायकिल कस्बे में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसी प्रकार मनौरी, चायल व भरवारी आदि कस्बों में एस० टी० डी० सुविधा न होने से व्यापारियों को घोर असुविधा होती है । जिसके निदान हेतु एस० टी० डी० उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।''
29	श्री किशन लाल दिलेर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद अलीगढ़ में जिला कार्य योजना में सड़कों को पक्की कराने के प्रस्तावों की स्वीकृति धनराशि सहित भेजने के संबंध में, 2–नगर निगम अलीगढ़ को एक करोड़ रुपये की धनराशि निर्माण हेतु की जो स्वीकृत कराई गई है, उस धनराशि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के संबंध में, 3–मेरे चुनाव क्षेत्र कोल विधान सभा के ब्लाकों के स्वीकृत 14 गांवों में विद्युतीकरण करने के संबंध में, 4–नगर निगम, अलीगढ़ की मलिन बस्तियों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर धनराशि सरकार द्वारा भेजने के संबंध में, 5–ब्लाक धनीपुर, ब्लाक लोधा के जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग अविलम्ब बनवाने के संबंध में, 6–बाल्मीकि हरिजनों को आरक्षण 40 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–जनपद अलीगढ़ की सभी टाउन एरियाओं में सफाई कर्मचारियों को 9-10 माह तक वेतन नहीं मिलता, समय से वेतन दिलाने के संबंध में।"
30	श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :– पूरे प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, भीषण अपराध स्थिति दलितों एवं महिलाओं के उत्पीड़न, व्याप्त भयंकर जातिवाद, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान 17 कर्मचारियों की सरकार के अड़ियल रुख से हुई मृत्यु, पूरी तरह से ठप्प हो गये विकास कार्य, भयंकर भ्रष्टाचार, वर्तमान सरकार की सभी मोर्चों पर हुई विफलता, पूरे प्रदेश में सपा-बसपा के लोगों द्वारा भूमि एवं भवनों पर किये गये अवैध कब्जों, डीजल, पेट्रोल पर लगाये गये टैक्स, बिजली एवं सिंचाई के दामों में की गयी वृद्धि।"
31	श्री राम प्रसाद टम्टा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–पर्वतीय क्षेत्र की जनता के हित में पेयजल समस्या सुलभ कराने के अपने वायदे में पिण्डर नदी परियोजना लागू करने में अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाने तथा पिण्डर नदी परियोजना शीघ्र लागू करने की व्यवस्था करने, 2–उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव पास कराना मात्र है। पर्वतीय क्षेत्र में नये जनपदों को बनाने, अल्मोड़ा जनपद तहसील बागेश्वर को जिला बनाना तथा महत्वपूर्ण तहसीलों को जनपद घोषित करना, 3–पर्वतीय क्षेत्र के लिये आठों जनपदों में अनुसूचित जाति-जनजाति के आर्थिक विकास के लिये पृथक योजना, लाभकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने, पत्थर कारीगर लकड़ी के दस्तकार, लोहा, तांबा, पीतल के कारीगरों हेतु लाभकारी योजना बनाकर कार्यान्वित करने, भूमि पट्टा, कच्चा माल डिपों कार्यशाला आदि के विकास की लाभकारी योजनाओं को बनाकर क्रियान्वित करने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4–पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर ऊनी बुनकरों परम्परागत परिवार के हैं । अल्मोड़ा पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर अल्मोड़ा में भी बुनकरों की लाभकारी योजनाओं को भी सम्मिलित करने, 5–पर्वतीय क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में आवासहीनों को बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि स्थानों में आवास विकास योजना लागू कर गरीब वर्ग को लाभान्वित करने के संबंध में ।"
32	श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :– 1–राप्ती नदी पर उतरौला हेतु तुलसीपुर मार्ग पर एक पक्का पुल बनाया जाय जिससे तुलसीपुर से अयोध्या की दूरी 50 कि० मी० का फासला कम हो सके, 2–जनपद गोण्डा के विकास खण्ड उतरौला, गेड़ास बुजुर्ग श्री दत्तगंज के बचे हुये ग्रामों में विद्युतीकरण कराया जाय, 3–तहसील उतरौला जनपद गोण्डा के 50 ग्राम राप्ती नदी के कटान बाढ़ से प्रभावित हैं उक्त कटान को रोकने की व्यवस्था कराई जाय, 4–श्री दत्तगंज-गोमड़ी मार्ग का पेन्टिंग कार्य कराकर पूर्ण किया जाय, 5–उतरौला,सादुल्लानगर मार्ग कुसमौरा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय, 6–विधान सभा क्षेत्र उतरौला के गरीब निराश्रित विकलांग, वृद्धावस्था के पात्र व्यक्तियों को पेंशन दिलाई जाय, 7–उतरौला से बचेहवा रोड तक पेटिंग और सिगार जोत घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय, 8–हासिमदारा में बन्दी तक सड़कों की पेंटिंग कराकर पूर्ण किया जाय ।"
33	श्री शिव बहादुर सक्सेना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद रामपुर में पिछले तीन वर्षों से एक बड़ी कपड़ा मिल जिसमें लगभग 3200 श्रमिक कार्य करते थे बन्द हो गई है उस मिल को

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		चलाया जावे अथवा उतनी क्षमता की कोई और मिल लगाकर बेरोजगार युवक जो उस मिल से निकले हैं उन्हें रोजगार दिलाया जाय । 2–जनपद रामपुर में कोसी नदी, पीला खार नदी धूधा नदी व राम गंगा नदी जनपद के चारों ओर बहती है । चारों नदियों में इण्डिया ग्लाइको काशीपुर-शिवा पेपर मिल, धमोरा-रामपुर शराब मिल बाजपुर, चीमा पेपर मिल काशीपुर आदि फैक्ट्रियों ने अपना काला जहरीला पानी डालकर नदियों को प्रदूषित कर दिया है जिससे जिलें में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं अतः तुरन्त बीमारियां रोकने हेतु प्रदूषित पानी नदियों में डालने से रोका जाये । 3–जनपद रामपुर में खौद-लालपुर के बीच कोसी नदी का पुल जो लगभग 70 वर्ष पुराना है पर भारी वाहन का आवागमन बन्द कर दिया गया है पुल का एक गोला बैठ गया है जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उक्त पुल नया बनाया जाये । 4–जनपद रामपुर में तहसील स्वार-मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क को चौड़ा किया जाये ।"
34	श्री दया सिन्धु शंखधार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्य पाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–बिसौली जनपद बदायूं में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में, 2–बिसौली जनपद बदायूं में भा० ज० पा० सरकार द्वारा स्वीकृत चीनी मिल के निर्माण के संबंध में, 3–बिसौली विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पेयजल की सुविधा हेतु पांच-पांच इण्डिया मार्क–2हैण्ड पम्पों को लगवाये जाने के संबंध में, 4–बिसौली विधान सभा के गांव सीकरी में हरिजनों पर अत्याचार की घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराए जाने के संबंध में, 5–बिसौली तहसील में गन्ना कृषकों का वीनस शुगर मिल लि० मसोला (मुरादाबाद) द्वारा किये जा रहे शोषण से मुक्ति के संबंध में, 6–बिसौली विधान सभा क्षेत्र में 1994-95 की जिला कार्य योजना द्वारा स्वीकृत पक्की सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–बिसौली विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक व क्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में,"
35	श्री राम कुमार शुक्ल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1–लखनऊ के रिंग रोड को पूर्ण किया जायेगा, 2–अलीगंज, महानगर लखनऊ में सीवर लाइनों को पुनः जोड़ा जायेगा, 3–अलीगंज लखनऊ की सड़कों तथा गलियों को पक्का बनाया जायेगा, 4–त्रिवेणीनगर वार्ड लखनऊ की सड़कों तथा गलियों को पक्का बनाया जायेगा, 5–त्रिवेणी नगर कालोनी लखनऊ के बड़े नाले को पक्का बनाया जायेगा तथा पानी की निकासी की व्यवस्था की जायेगी, 6–लखनऊ पश्चिम की मलिन बस्तियों खदरा, अहिबरनपुर, फत्तेपुर, बनारसी टोला, मुकारिम नगर, छप्पर तला, बड़ा चांदगंज, पुराना महानगर, वाट पुरवा रहीमनगर, बाबूगंज, लाल कालोनी, निरालानगर, लकड़मंडी, पुरानी बांस मंडी, भाड़ी टोला , मुरारे का पुरवा, मोहनी का पुरवा, अहमदगंज, दौलतगंज, गेंदखाना, मुरभुरी टोला, मऊघाट, बरफखाना, मुसाहबगंज, रईसनगर, हुसैनाबाद, धोबियान निवाजगंज, यासीनगंज, हाता सूरज सिंह, मुअज्जम नगर, महबूबगंज, गढ़ी पीर खां, नूर बाड़ी, खरियाही, झड़ियन तालाब, वजीरबाग, कोरियन टोला, शाहगंज, पुल गुलाम हुसैन, बाल्मीकि बस्ती, मंसूर नगर, सरदार नगर, हुसैनबारी, अहिरन खेड़ा, जवाहरनगर तथा अकबर नगर आदि सड़कों, गालियों का निर्माण किया जायेगा तथा वशं पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जायेगे । इन बस्तियों में सरकारी विद्यालय खोले जायेंगे, 7–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र की मलिन तथा अनुसूचित बस्तियों में सुलभ शौचालय, सामुदायिक केन्द्र तथा विद्यालय की स्थापना की जायेगी । इन क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जायेगी,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8–दौलतगंज वार्ड, लखनऊ की सड़कों तथा गलियों को पक्का किया जायेगा तथा सीवर लाइन डाली जायेगी । पेयजल की व्यवस्था हेतु उसे नये वाटर से जोड़ा जायेगा,

9–दौलतगंज वार्ड लखनऊ की सड़कों तथा गलियों को पक्का किया जायेगा तथा सीवर लाइन डाली जायेगी । पेयजल की व्यवस्था हेतु उसे नये वाटर वर्क्स से जोड़ा जायेगा,

10–निवाजगंज वार्ड लखनऊ में नालों की सफाई की जायेगी, सड़कों को पक्का किया जायेगा तथा पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प तथा नलकूप लगाये जायेगे,

11–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के निरालानगर, लाहौरगंज, मोहिनी का पुरवा, निवाजगंज, तोप दरवाजा आदि सरकारी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत की जायेगी तथा दलित बस्तियों में नये विद्यालय खोले जायेंगे,

12–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अलीगंज, महानगर, निरालानगर, डालीगंज, त्रिवेणीनगर, दौलतगंज, काश्मीरी मोहल्ला, चौक, अशर्फाबाद वार्डों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नये नलकूप लगाये जायेंगे,

13–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में प्रकाश की सुचारु रूप से व्यवस्था हेतु नये सब स्टेशन बनाये जायेंगे, नये ट्रान्सफारमर लगाये जायेंगे तथा पुरानी सड़ी गली लाइनों को बदला जायेगा । खाली खम्भों में ट्यूब लाइट लगाई जायेगी तथा नये विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे,

14–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में गरीब पिछड़ों तथा दलितों को रोजगार देने हेतु नये कारखाने लगाये जायेंगे तथा उन्हें रोजगार देने हेतु अन्य उपाय किये जायेंगे

15–लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में अपराध कम करने हेतु निशातगंज, कटरा, विजन बेग तथा विद्यालय पुलिस चौकी को थाना बनाया जायेगा, तथा रहीमनगर, खरियाही, भोलानाथ पार्क, दौलतगंज में नई पुलिस चौकियां स्थापित की जायेंगी तथा आई० टी० आई० कालेज चौराहा पुलिस चौकी तथा बालागंज पुलिस चौकी का भवन बनाया जाय । थानों तथा चौकियों में कम पुलिस बल को पूरा किया जायेगा,

16–विधवा तथा वृद्धावस्था पेन्शन देना प्रारम्भ किया जायेगा ।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
36	श्री लक्ष्मी चन्द्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्य पाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जेबर के ग्राम कानीगढ़ी, गोविन्द गढ़, झुप्पा, छातंगा, महदीपुर, गोपालगढ़ जेवर खादर आदि की जमुना नदी की बाढ़ से बरबादी रोकने हेतु बांध निर्माण के संबंध में, 2–जनपद बुलन्दशहर के ग्राम कानीगढ़ी की ओर जमुना नदी के लगातर हो रहे कटान को रोकने हेतु ठोकरों के बनाने के संबंध में, 3–जनपद बुलन्दशहर में जेवर चीनी मिल के शेष कार्य को पूरा करने के संबंध में, 4–जनपद बुलन्दशहर के ग्राम इस्माइलपुर बुढ़ैना पर कार्बन नदी पर पुल निर्माण के संबंध में, 5–विकास खण्ड जेबर जनपद बुलन्दशहर में एक लड़कों व एक लड़कियों का महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में, 6–विकास खण्ड जेबर के ग्राम थोरा में कन्याओं के एक उच्चतार माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के संबंध में, 7–नगर बुलन्दशहर में महिला महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में, 8–जनपद बुलन्दशहर में नहर राजवाहों के सफाई उनकी पटरियों की मरम्मत व उनमें समुचित पानी देने के संबंध में, 9–जनपद बुलन्दशहर के जहांगीरपुर, खपुरा,, माचड़ थोड़ा सारगंपुर, सौंदाहवीपुर, सनैता भाईपुर आदि 50 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टरों व कम्पाउंडरों की नियुक्ति के संबंध में, 10–जनपद बुलन्दशहर में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में, 11–जनपद बुलन्दशहर में मात्र 4 घण्टे के स्थान पर 16 घंटा बिजली देने के संबंध में, 12–जनपद बुलन्दशहर में सैकड़ों विद्यालयों के भवनों की मरम्मत कराने व विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में, 13–जनपद बुलन्दशहर के जहांगीरपुर-झांजर मार्ग पर पेन्टिंग के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

14–जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा झांझर मार्ग से बीछट-सुजानपुर मार्ग के पेन्टिंग के संबंध में,

15–जनपद बुलन्दशहर में जहांगीरपुर-माचड़ मार्ग व जेवर दयानतपुर मार्ग के पेन्टिंग के संबंध में,

16–जनपद बुलन्दशहर में खपुरा-मिर्जापुर मार्ग के निर्माण के संबंध में,

17–जनपद बुलन्दशहर में जहांगीरपुर-आंकलपुर मार्ग के निर्माण के संबंध में,

18–जनपद बुलन्दशहर में रुस्तमपुर से चक जलालाबाद तक रास्ता निर्माण के संबंध में,

19–जनपद बुलन्दशहर में थोरा-भर्वीकरा मार्ग के निर्माण के संबंध में,

20–जनपद बुलन्दशहर में जेवर-जेवर खादर मार्ग के निर्माण के संबंध में,

21–जनपद बुलन्दशहर में जहांगीरपुर-चांचली मार्ग के पक्का कराने के संबंध में,

22–जनपद बुलन्दशहर में छपना से ग्राम इब्राहीमपुर व ग्राम डांसौली के मार्ग निर्माण के संबंध में,

23–जनपद बुलन्दशहर में ग्राम कलाखुरी से ग्राम जवां तक मार्ग निर्माण के संबंध में,

24–जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा में ग्राम मौजपुर से ग्राम बुढ़ैना तक मार्ग पक्का कराने के संबंध में,

25–जनपद बुलन्दशहर–खुर्जा-झाझर मार्ग से ग्राम सुल्तानपुर तक मार्ग पक्का कराने के संबंध में,

26–जनपद बुलन्दशहर में ग्राम जावल से ग्राम मदकौला तक मार्ग पक्का करने के संबंध में,

27–जनपद बुलन्दशहर में ग्राम भाईपुर से ग्राम सिरौली बागर तक मार्ग पक्का कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		28–जनपद बुलन्दशहर में जेवर से ग्राम झुप्पा, ग्राम छातंगा, ग्राम महदीपुर, ग्राम गोविन्दगढ़ तक मार्गों के निर्माण के संबंध में, ।''
37	श्री वचनू राम पटेल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–विधान सभा क्षेत्र गंगापुर, वाराणसी के ग्रामीण अंचलों के विद्युतीकरण के संबंध में,

2–अनुसूचित जनजातियों एवं बनवासियों (मुसहर) को आवास आवंटन एवं जोत जमीन के आवंटन के संबंध में,

3–गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड आराजी लाइन में फोरौती कोईराजपुर सम्पर्क मार्ग पर वरुणा नदी पर पुल बनाने के संबंध में,

4–विधान सभा गंगापुर, वि० खं० सेवापुरी से सतदपुर बड़ागांव सम्पर्क मार्ग पर वरुणा नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में,

5–वि०ख० आराज लाईन वाराणसी में तीर्थ स्थान रामेश्वर के सुन्दरीकरण के संबंध में,

6–गंगापुर विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी के अन्तर्गत 30 कि०मी० लम्बी धार्मिक पंचकोशी मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में,

7–प्रत्येक वि०ख० में एक-एक बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में,

8–विधान सभा गंगापुर क्षेत्र के ग्रामीणांचल में स्वास्थ्य चिकित्सालय स्थापित करने के संबंध में,

9–लौहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में,

10–वित्त विहीन जूनियर हाई स्कूल को वित्तीय सहायता प्रदान कर मान्यता देने के संबंध में,

11–बी०टी०सी० ट्रेनिंग पूरी कर घर बैठे शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

12–विकास खण्ड आराजी लाइन राजा तालाब में अस्पताल (15 शैय्या) का होने के संबंध में,

13–ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड के टेल पर नहर की सफाई कर जलापूर्ति के संबंध में,

14–विद्युत एवं सिंचाई की बढ़ी दरों को समाप्त करने के संबंध में,

15–विकास खण्ड आराजी लाइन बाखानी राजकीय जूनियर हाई स्कूल बालिका विद्यालय को इण्टरमीडिएट बालिका विद्यालय की मान्यता देने के संबंध में,

16–लघु सिंचाई विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड में गहरी बोरिंग पर अनुदान की सुविधा 50 हजार रुपये है किन्तु वाराणसी एवं इलाहाबाद में बोरिंग शुल्क की छूट 30 हजार रुपये है। छूट शुल्क को समकक्ष कर वाराणसी व इलाहाबाद में 50 हजार रुपये छूट देने के संबंध में,

17–गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को 16 घण्टा बिजली सुनिश्चित करने के संबंध में,

18–बजट का 70 प्रतिशत धन ग्रामीण अंचल के विकास हेतु सुनिश्चित करके कार्य योजना बनाकर कार्य करने के संबंध में,

19–गंगापुर टाउन एरिया को उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में,

20–विद्युत उपभोक्ताओं (किसान बन्धु) से विद्युत शुल्क 24 घण्टे का चुकता कराया जाता है पर विद्युत उतने समय तक नहीं दी जाती है, आधे पौन घण्टे दी जाती है। विद्युत आपूर्ति के अनुसार उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क लेने के संबंध में,

21–राजा तालाब किसान सब्जी मण्डी क्षेत्र की सबसे बड़ी मण्डी के रूप में चल रही है। इसे मण्डी मेमों के अन्तर्गत आने वाली सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में,

22–समस्त राष्ट्रीय मार्गों पर राज्य में वाहनों को रोककर अवैध ढंग से पुलिस धन उगाही करती है इसको रोकने के संबंध में,

23–प्रदेश में बढ़ते जघन्य अपराध को रोकने एवं मां बहनों की इज्जत आबरू बचाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24–कालीन उद्योग को 22 प्रतिशत सब्सिडी देकर कालीन उद्योग को बढ़ाने के संबंध में ।"
38	श्रीमती प्रेमलता कटियार	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–कानपुर महानगर में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन नियमित वितरण कराये जाने के संबंध में,

2–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन तथा मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा नये राशन कार्ड बनाये जाने के संबंध में,

3–कानपुर महानगर में विशेष कर पश्चिमी क्षेत्र कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में नवविकसित एवं ग्रामीण ब्लाक क्षेत्र में विद्युतीकरण तथा विशेष रूप से गंगागंज, गड़रिअन पुरवा, चकरतनपुर, गुरहा नोनिअनपुरवा, लुधौरी, प्रतापपुराहरी, पवरिआ, ख्वोरा कटरी के गांव चिरान करतपुरवा मिल्लीपुरवा, बनियापुरवा, लुधौरी, प्रताप पुराहरी, पवरिआ, ख्वारों कटरी के गांव चिरानन भरतपुरवा, मिल्लीपुरवा, बतियापुरवा, सज्जूपुरवा आदि में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था को सुधारने, नए ट्रान्सफार्मरों को लगाये जाने, बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा नियमित मीटर रीडिंग एवं बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से नागरिकों को मुक्ति दिलाये जाने के संबंध में,

4–कानपुर महानगर को कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में पुराने कानपुर क्षेत्र तथा आवास विकास योजना संख्या 3 में ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलने तथा नयी सीवर लाइन डालने के संबंध में,

5–कानपुर महानगर में विशेषकर कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल आपूर्ति समस्या के समाधान के संबंध में,

6–पूर्ववर्ती चुनी हुई सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से रोकने के संबंध में,

7–कानपुर महानगर की अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में तय सीवर लाइन डालने तथा पेयजल आपूर्ति कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

8–कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के नवविकसित क्षेत्र, विशेष रूप से शारदानगर, गीतानगर, राणाप्रताप नगर, पनकी सम्पूर्ण क्षेत्र काका देव नयी बस्ती छपेड़ा पुलिया का निकटवर्ती क्षेत्र रावतपुर, मतवानपुर के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र लवकुश पुरम्, अवधपुरी, बीमा बिहार, कल्यानपुर, खुर्द कलां आदि क्षेत्र में जल जमाव की भीषण समस्या को दूर करने के संबंध में,

9–कानपुर महानगर की कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े हुए हैण्ड पम्पों की रिबोरिंग करके ठीक करने के संबंध में,

10–कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में,

11–कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र सिंचाई के कार्य में लगी नहर के पिछले दो वर्षों से सूख जाने के कारण बरहट बांगर, बैकुण्ठपुर के निकट का सम्पूर्ण क्षेत्र असिंचन के कारण नये ट्यूबवेल लगाने के संबंध में,

12–महान देश भक्त स्वतन्त्रा संग्राम अमर सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करने के संबंध में,

13–बिठूर क्षेत्र को बाल्मीकि आश्रम, बालाटोपे, महारानी झांसी के बचपन के संस्मरणों के रूप में प्रख्यात होने के नाते विशेष पर्यटन का दर्जा देकर द्रुतगति से विकसित करने के संबंध में,

14–कल्यानपुर से लेकर बिठूर चुंगी तक सड़कों के दोनों ओर चौड़ा करने के संबंध में,

15–पुराने बिठूर में जनसुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में,

16–कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र में नवाबगंज सब्जी मण्डी स्थित सड़क के निर्माण के संबंध में,

17–कानपुर महानगर में पेयजल की सुनिश्चितता हेतु गंगा बैराज के लिए केन्द्र के साथ समझौतानुसार 50 प्रतिशत धन उपलब्ध कराने के संबंध में, कानपुर महानगर में बन्दी के कगार पर पहुंचे मिलों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
39	श्री भैरो प्रसाद मिश्र	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–चित्रकूट धाम कर्वी को जिला बनाने के विषय में, 2–प्रदेश में लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में, 3–प्रदेश में बढ़े मण्डी शुल्क को वापस करने के संबंध में, 4–बुन्देलखण्ड विकास निधि में धनराशि बढ़ाने के संबंध में, 5–बांदा जिले में सिंचाई व्यवस्था हेतु नये ट्यूबवेल लगवाने के संबंध में, 6–गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय कर्वी में नये विषय बढ़ाने तथा प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में, 7–बांदा जिला के अन्दर स्टोर क्रेशर उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने के संबंध में, 8–बांदा जिले में चिल्लीमल पम्प कैनाल तथा ओरा पम्प कैनाल को धन उपलब्ध कराकर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में, 9–चित्रकूट धाम, कर्वी में रिकार्डरूम स्थापित करने के संबंध में, 10–बांदा जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नये उद्योग लगाने के संबंध में, 11–चित्रकूट धाम, कर्वी में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में।"

पी०एस०यू०पी०–एल० 342 विधान सभा (551)–1995–813 (डी०टी०पी०)।